राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का छत्तीसवां दिवस [संख्या : 21

सोमवार;

31 मार्च, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक

11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हरजीराम बुरड़क।

महाधिवक्ता कार्यालय में अनियमित भुगतान की जांच

538. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के महाधिवक्ता कार्यालय में 70 लाख रुपये के अनियमित भुगतान के बारे में मामला महा लेखाकार द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाया गया है? यदि हां, तो कब तथा उक्त भुगतान में क्या-क्या अनियमितताएं हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनियमित भुगतान की जानकारी सरकार को कब प्राप्त हुई तथा उक्त पर सरकार के क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की?

(3) अब राज्य सरकार किन-किन के विरुद्ध कब तक क्या-क्या कार्यवाही करेगी?

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़): (1) अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि राज्य के महाधिवक्ता कार्यालय (ए.जी.आफिस) में 70 लाख रुपये के अनियमित भुगतान के बारे में महा लेखाकार (अकाउंटेंट जनरल) द्वारा मामला आडिट रिपोर्ट में उठाया गया है, परन्तु यह सही है कि राजकीय अधिवक्ता (जी.ए. आफिस) जयपुर के कार्यालय में 70 लाख रुपये के अनियमित भुगतान के बारे में महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त आडिट रिपोर्ट में उठाया गया है।

महालेखाकार कार्यालय से इस सम्बन्ध में आडिट रिपोर्ट राजकीय अधिवक्ता कार्यालय को दिनांक 18.4.2001 को प्राप्त हुई।

उक्त रिपोर्ट में निम्न चार प्रकार के भुगतान में अनियमितता पायी जाना बताया गया है जिनका विवरण निम्नप्रकार है:-

1- आडिट रिपोर्ट के अनुसार राजकीय अधिवक्ता कार्यालय, जयपुर में शीघ्रलिपिक

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(स्टेनोग्राफर) की संख्या कार्यालय के कार्य को देखते हुए अधिक मानी गयी है और इस कारण से अधिक स्टेनोग्राफर की आवश्यकता नहीं मानते हुए उनको किये गये रुपये 55,81,860 (पचपन लाख इक्यासी हजार आठ सौ साठ) के भुगतान को अनियमित माना गया है।

2– आडिट रिपोर्ट के अनुसार राजकीय अधिवक्ता कार्यालय जयपुर के कर्मचारियों को दिये गये चयनित वेतनमान को नियमपूर्वक नहीं होना मानते हुए इस बारे में उनको किये गये रुपये 55,377 (पचपन हजार तीन सौ सत्तहतर) के भुगतान को अनियमित माना गया है।

3– आडिट रिपोर्ट में राजकीय अधिवक्ता कार्यालय जयपुर में कार्यरत स्टेनो श्रीमती रमा अरोड़ा की सेवा अवधि दिनांक 28.2.1989 के पश्चात् समय–समय पर बढ़ाई नहीं जाने के कारण श्रीमती रमा अरोड़ा को किये गये वेतन भुगतान की राशि रुपये 6,51,579 (छह लाख इक्यावन हजार पांच सौ उनयासी) का भुगतान अनियमित माना गया है।

4– आडिट रिपोर्ट में राजकीय अधिवक्ता कार्यालय जयपुर में कार्यरत दो स्टेनोग्राफर श्री सत्येन्द्र शर्मा एवं श्री राकेश मिश्रा के नियुक्ति आदेश में यह शर्त थी कि उनके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पास करनी होगी तथा परीक्षा पास नहीं करने की स्थिति में उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, लेकिन इन दोनों स्टेनोग्राफर द्वारा परीक्षा पास नहीं करने के बावजूद इनकी सेवाएं समाप्त नहीं की गई इसलिए इन दोनों स्टेनो को आडिट ने इनको दिनांक तक जो वेतन भुगतान रुपये 13.28 लाख (तेरह लाख अट्ठाइस हजार) किया गया है उसे अनियमित माना गया है।

(2) आडिट रिपोर्ट की प्रति दिनांक 18.4.2001 को राजकीय अधिवक्ता कार्यालय जयपुर में प्राप्त हुई। तत्पश्चात् उसके प्रत्येक पैरा का समुचित स्पष्टीकरण राजकीय अधिवक्ता कार्यालय जयपुर द्वारा दिनांक 14.05.2001 को महालेखाकार कार्यालय को दे दिया गया था। आडिट रिपोर्ट के बिन्दु संख्या एक के भुगतान को अनियमित इस कारण से होना बतलाया गया है कि राज्य में पैनल लायर प्रणाली लागू कर देने से राजकीय अधिवक्ता कार्यालय में रिट्स से सम्बन्धित कार्य कम हो जाने के कारण राजकीय अधिवक्ता कार्यालय जयपुर में 14 स्टेनोग्राफर के पदस्थापन का कोई औचित्य होना नहीं बताया गया है। जबकि उनके द्वारा राजकीय अधिवक्ता कार्यालय में जो समस्त प्रकार के फौजदारी मामलों में पैरवी होती है, उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। इसके अलावा आडिट अवधि के दौरान ही 14 पदों में से एक वरिष्ठ निजी सहायक का पद तथा एक स्टेनो का पद

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कुल दो रिक्त पद थे, शेष 12 कार्यरत हैं, इन 12 स्टेनो में से तीन स्टेनो अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यरत हैं। इस प्रकार राजकीय अधिवक्ता कार्यालय में आडिट अवधि के दौरान तथा आज भी 9 स्टेनो ही कार्यरत हैं जबकि राजकीय अधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों की संख्सा 18 है, 18 अधिकारियों के पास 9 स्टेनो की संख्या को अधिक होना नहीं कहा जा सकता है।

आडिट रिपोर्ट में केवल उपरोक्त स्टेनो को उनके द्वारा किये गये कार्य के बारे में उनको हुए वेतन के भुगतान की राशि रुपये 55,81,860 बताया गया है जो अनियमित नहीं है। बिन्दु संख्या–2 राजकीय अधिवक्ता कार्यालय में कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का भुगतान नियमानुसार ही किया गया है इसलिए चयनित वेतनमान की राशि रुपये 55,377 भी अनियमित नहीं है। फिर भी यदि महालेखाकार आपत्ति निरस्त नहीं करेंगे तो नियमानुसार अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से की जा सकेगी।

बिन्दु संख्या–3 में श्रीमती रमा अरोड़ा की केवल सेवा अवधि समय–सभय पर बढ़ाने के आदेश जारी नहीं करने के कारण जो अनियमित भुगतान माना है, वो भी सही नहीं है क्योंकि समय अवधि बढ़ाने का कार्य केवल औपचारिक कार्य है, राजकीय अधिवक्ता के कार्यालय में अस्थाई पद उपलब्ध है जिनकी अवधि समय–समय पर बढ़ायी जाती है। श्रीमती रमा अरोड़ा की भी सेवा अवधि दिनांक 31.3.2003 तक अब बढ़ायी जा चुकी है। इसलिए श्रीमती रमा अरोड़ा को उनके द्वारा राजकीय अधिवक्ता कार्यालय में किये गये कार्य का वेतन भुगतान रुपये 6,51,579 (छह लाख इक्यावन हजार पांच सौ उनयासी) अनियमित नहीं है।

बिन्दु संख्या–4 में श्री सत्येन्द्र शर्मा, शीघ्रलिपिक की प्रथम नियुक्ति 21.10.1986 को हुई थी जिनको विधि विभाग द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.4.1988 के अनुसार श्री शर्मा इस कार्यालय में निरंतर कार्यरत हैं। उक्त कर्मचारी ने अभी टेस्ट पास नहीं किया है इसलिए उनकी सेवा का नियमितिकरण नहीं किया गया है।

श्री सत्येन्द्र शर्मा एवं श्री राकेश मिश्रा पिछले करीब 15 वर्षों से अधिक राजकीय अधिवक्ता कार्यालय जयपुर में कार्यरत हैं तथा उनके कार्य के बारे में उनके उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इस प्रकार चारों बिन्दुओं में आडिट रिपोर्ट द्वारा जो अनियमित भुगतान होना बताया गया है, उक्त भुगतान अनियमित नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा

(श्री खेतसिंह राठौड़)

किसी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। (3) शीघ्रलिपिक (स्टेनोग्राफर) के पद राजकीय अधिवक्ता कार्यालय जयपुर में आवश्यकता से अधिक होने के बारे में आडिट रिपोर्ट में किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं मानी है।

(3) अब राज्य सरकार द्वारा केवल स्टेनोग्राफर श्री सत्येन्द्र शर्मा एवं श्री राकेश मिश्रा के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी। इन दोनों स्टेनोग्राफर द्वारा नियुक्ति पत्र की शर्त अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर परीक्षा अभी तक पास नहीं की गयी है। लेकिन ये दोनों स्टेनोग्राफर पिछले करीब 15 वर्षों से अधिक समय से राजकीय अधिवक्ता कार्यालय में कार्यरत होने व उनके कार्यभार के बारे में उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें बिना सुनवाई के तुरन्त हटाने के बजाय राज्य सरकार द्वारा इन दोनों को उनकी सेवा समाप्त करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसका जवाब आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : बैठ कर बोल दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई परेशानी महसूस की है आपने?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : परेशानी नहीं है, मैं तो आपकी उम्र को देखते हुए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें, बीच में नहीं बोलें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कहते हैं बुढ्ढे हैं, मैं और स्पीकर साहब बुढ्ढे नहीं हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप मेरे पिताजी के साथ के हो इसलिए कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सिंघवी साहब, बैठिए।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): आपका व्यवहार ठीक नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, यह उचित नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैंने भाग दो प्रश्न के उत्तर में पूछा था कि इस आडिट रिपोर्ट की जानकारी राज्य सरकार को कब प्राप्त हुई, आपने उत्तर दिया है कि महाधिवक्ता कार्यालय में फलां तारीख को प्राप्त हुए। दूसरा मेरा यह था कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का भी कोई नियंत्रण है या नहीं है? आज 20 साल बाद आपको आडिट रिपोर्ट मिली और उसमें भी आपने वही उत्तर दिया है जो महाधिवक्ता कार्यालय ने ए.जी. को दिया। आप यह बताएं कि सरकार के ध्यान में यह मामला कब आया और आपने क्या कार्यवाही की?

दूसरा, वर्ष 91 में इस कार्यालय

(श्री हरजीराम बुरड़क)

की संख्या क्या थी उस समय आज जो स्टाफ मौजूद है वह स्टाफ था? और वर्ष 2002 में कितनी रह गई? सरकार जो भी पद सृजित करती है वह कार्यभार के आधार पर सृजित करती है, जब इनके पास कार्यभार नहीं रहा तो विधि विभाग ने इसकी समीक्षा करके इनकी पोस्टों की संख्या कम क्यों नहीं की? आपका विभाग इस बारे में कहीं भी कुछ नहीं बोला लेकिन राज्य प्रशासनिक सुधार विभाग ने जून, 1997 में महाधिवक्ता कार्यालय को इस प्रकार की चिट्ठी लिखी थी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर कार्मिक विभाग ने 13 मई, 1999 को चिट्ठी लिखी, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब आप यह बताएं कि आपका विभाग इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगा और इस रिपोर्ट की जानकारी होने के बाद आपके विभाग ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही क्यों नहीं की? आप कह रहे हैं कि अनियमित भुगतान नहीं हुआ, जबकि कुछ मामलों में आप खुद ही मान रहे हैं कि अनियमित भुगतान हुआ है। तो उनकी सेवा अवधि आपने 15-15 साल तक नहीं बढ़ाई और जिनको आपने नियमित नहीं किया उनको भी आप सेवा में मानते हुए भुगतान करते रहे। इस सम्बन्ध में आप अब क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट जैसा कि मैंने आपको उत्तर में निवेदन किया है, 18.4.2001 को प्राप्त हुई और एक-एक बिन्दु पर 14.5.2001 को हमारे राजकीय अधिवक्ता, मीन्स गवर्नमेंट एडवोकेट आफिस ने वापस सारे जवाब भेज दिये। उसके बाद में आडिट वालों ने न तो यह कहा कि इसमें ये गलतियां हैं या यह ठीक नहीं है, न उन्होंने एक्सेप्ट किया न उन्होंने नामंजूर। इस प्रकार से इस आडिट रिपोर्ट का जो जवाब दिया गया, वह अकाउंटेंट जनरल के आफिस में ही पड़ा है, अभी तक हमको उसको कोई जवाब नहीं आया। आपने यह फर्माया कि काम को देखते हुए स्टेनोग्राफर ज्यादा है, मैंने पूर्व में निवेदन किया कि गवर्नमेंट एडवोकेट, एडीशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट और अन्य गवर्नमेंट एडवोकेट्स 18 हैं और इन 18 के लिए 9 स्टेनोग्राफर हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने यह पूछा कि फाइलों की संख्या क्या थी? यह तो आप बताएं कि वर्ष 1991 में फाइलों की संख्या क्या थी और 2000 में क्या है?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को उत्तर देने दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं जवाब दे रहा हूं, उसके बाद पूछ लीजिए कोई और खास बात है। है तो स्टेनोग्राफरों का मामला और उसमें 18 एडवोकेट जब काम करते

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हैं हाई कोर्ट में तो उनके पास 9 स्टेनोग्राफर क्या मायने रखते हैं? दो एडवोकेट एक स्टेनोग्राफर को डिक्टेशन देते हैं, यह लिख, यह लिख, बराबर उनको डिक्टेशन देते हैं, तो काम ज्यादा है, कोई कम नहीं है। 9 के पास एक-एक होना चाहिए लेकिन एक-एक नहीं है, दो आफिसर्स के पास एक स्टेनोग्राफर है।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं मानते तो और बढ़ाओ आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिए इस संख्या को मैं अधिक नहीं मानता, यह उचित संख्या है। यह पेमेंट कई सालों को टोटल जोड़कर बताया गया है। 55 लाख आपने देखा कि ओह, बहुत भारी पेमेंट है, यह तो कई वर्षों का है। इनको तो तनखाह मिलती है 5 हजार रुपए, 8 हजार रुपए स्टेनोग्राफर को ये ज्यादा सेलेरी वाले नहीं हैं और कई वर्षों का यह पेमेंट है, वह हमने आपको शामिल करके सारा बताया है। अब इनके अपाइंटमेंट्स का है तो बहुत लम्बे अरसे से ये काम कर रहे हैं, कोई 26.12.78, 81, 84, 86, 87, 89, लास्ट 89 का है तो ये बहुत पुराने स्टेनोग्राफर हैं, 15-15, 17-17 साल की इनकी सर्विस हो गई, बराबर ये काम करते जा रहे हैं। इनके ऊपर जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, दे आर वैरी हैप्पी, वे काम ठीक कर रहे हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है। फिर इस प्रश्न को आगे ज्यादा बढ़ाने में मुझे तो कोई...

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर स्पष्ट नहीं दिया। जो पहले लिखकर दिया, उसको पहले पढ़ दिया, उसी में से बाद में पढ़ दिया। आप जिस महाधिवक्ता से कानून की पालना करवाने के लिए लीगल राय भी लेते हैं, उनके कार्यालय में जब खुद उनका व्यवहार इस प्रकार का हो और आप, ला डिपार्टमेंट चुपचाप देखता रहे और आप यह कहें कि यह कार्यभार बढ़ गया, यह बढ़ गया। स्पेसिफिक मैंने पूछा कि फाइलों की संख्या क्या थी और आज क्या है? कार्यभार आपने सारा का सारा बताया। आज आपने पैनल लायल अपाइंट कर दिए और उनको सारी फाइलें दे दीं। आज कोई भी वहां काम नहीं है, उसके बाद भी आप बढ़ाएं या रखें। आपने उनको नियमित क्यों नहीं किया? आपने 15 वर्ष तक एक अधिकारी को बैठाए रखा, उनकी सर्विस आपने अब बढ़ाई, इतने वर्ष क्या कर रहे थे? जिन कार्यालयों के आधार पर आप कानून की पालना करवा रहे हैं, उनकी राय लेकर आप डिसीजन ले रहे हैं और उनके खुद के कार्यालय में जब ऐसी व्यवस्था है, उसके बारे में आप बिलकुल चुप हो जाते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, माननीय सदस्य महोदय ने प्रश्न 2 में खास तौर से यह बात जाननी चाही थी कि उक्त अनियमित भुगतान की जानकारी सरकार को कब हुई, मैंने तारीख बतला दी तथा उक्त पर सरकार ने क्या कार्यवाही की, वह भी मैंने आपको जवाब दे दिया।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने बताया कि महाधिवक्ता कार्यालय को रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उन्होंने उत्तर दिया। आपने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया, यही मैं पूछ रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, नहीं, आप पहले सेंटेंस को ठीक समझे नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह क्या पूछा है आपने?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने यह निवेदन किया कि एडवोकेट जनरल के आफिस में यह जो अनियमितता बताई जा रही है, वह नहीं हुई। यह जो अनियमितता हुई है, वह गवर्नमेंट एडवोकेट के आफिस में हुई है। एडवोकेट जनरल, एडीशनल एडवोकेट जनरल, चार आदमियों का अलग से दफ्तर है। मैंने इसमें भी निवेदन किया कि तीन स्टेनोग्राफर वहां पर लगाए हुए हैं जो एडीशनल एडवोकेट जनरल के कार्यालय में काम करते हैं। और ये सब हैं वे गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं। एडीशनल एडवोकेट जनरल वह अलग से है, सागरमलजी और दूसरे लोग...

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने यही पूछा है, राजकीय अधिवक्ता से ही यह रिपोर्ट मिली है और उन्होंने ही उत्तर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की, इस बारे में आपने कुछ नहीं बताया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज्य सरकार ने कार्यवाही की न?

श्री हरजीराम बुरड़क : कहां की?

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज्य सरकार ने एक-एक बिन्दु का जवाब एडवोकेट जनरल से और गवर्नमेंट एडवोकेट से मांगा, उन्होंने जवाब दिया है कि हमने कोई अनियमित पेमेंट नहीं किया है। हमारे पास में 18 आफिसर्स हैं, 9 हमारे पास स्टेनोग्राफर हैं, लिहाज़ा काम बराबर चल रहा है और स्टेनोग्राफर्स की कोई शिकायत-शिकवा नहीं है, काम ठीक तरीके से हो रहा है। और क्या?

श्री हरजीराम बुरड़क : अब क्या करेंगे? अब आप क्या कार्यवाही करेंगे, मैंने यह पूछा था?

श्री अध्यक्ष : बैठिए, हरजीरामजी। श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय विधि मंत्रीजी, आपने कहा कि आडिट रिपोर्ट में जो एतराज आये उसके हिसाब से हमने ए.जी. को एक्सप्लेनेशन भेज दिया

(श्री शिवनाथ सिंह)

है। अब ए.जी. का काम है उनको खतम कर दे या रखे। माननीय विधि मंत्रीजी, जब ए.जी. की रिपोर्ट पेश हो गई हाउस में, उसके बाद ए.जी. को क्या अधिकार है कि उन पैराज को समाप्त कर दे? आप अपने अधिकारियों से पूछिए, वे तो और कहीं जाकर, पी.ए.सी. में जाकर ड्राप हो सकते हैं। ए.जी. और आपका विभाग उनको खारिज नहीं कर सकता है। यह तो आप उनसे जानकारी कर लीजिए। इसलिए आपका यह कहना कि हमने वहां भेज दिया है और वह ए.जी. क्या करता है, यह सब बात फालतू है। जो कुछ करना था सरकार को करना था, सरकार ने नहीं किया, यह बात बहुत स्पष्ट आ गई। दूसरा मेरा निवेदन है कि आपने दो स्टेनोग्राफर की बात कही, उनकी शर्तों में यह था कि पास नहीं करेंगे तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। श्रीमान्‌जी, उस शर्त की आपने पालना क्यों नहीं की, यह निवेदन करना है। आप कहते हो काम अधिक है, सब कुछ ठीक है। काम अधिक है तो और स्टेनोग्राफर्स आप रख सकते थे, लेकिन जिनके लिए यह शर्त थी कि पास नहीं होने पर आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, उस सेवा को समाप्त क्यों नहीं किया गया? और पहले का आप बताएं कि ए.जी. को यह अधिकार है कि पैरा ड्राप कर दे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न का जवाब यह है कि आडिटर जनरल के पास से जो आब्जेक्शन आये थे उनका हमने अकाउंटेंट जनरल के पास वापस जवाब भेज दिया। अब उसके बाद में क्या कार्यवाही हुई, हमारे को वापस सूचित नहीं किया गया। अब आपने यह बताया कि अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट है वह असेम्बली में आती है, उसके बाद में उसमें पैराग्राफ्स होते हैं। क्या पैराग्राफ हमारे खिलाफ लिखा गया, अभी तक हमको उस बारे में इत्तला मिली नहीं। डिपार्टमेंट को मिली होती तो उस पर हम एक्शन लेते।

दूसरा आपने कहा कि उन दो को निकाला क्यों नहीं? अब 17-17 साल की सर्विस उन लोगों की है और उनकी शिकवा-शिकायत कोई है नहीं। मैंने जवाब में यह भी आपसे निवेदन किया कि गवर्नमेंट एडवोकेट के पास में ऐसे प्रावधान हैं कि वे टेम्परेरी रख सकते हैं और इसलिए टेम्परेरी काम लिया जाता है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, एक निश्चित समय के बाद उनको परीक्षा पास करनी थी, आपकी सेवा शर्तों में स्पष्ट उल्लेख किया गया था...

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं, राजेन्द्र सिंहजी, बैठिए। बैठिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो आप यह बताओ कि उन्होंने परीक्षा पास नहीं की तो आपने हटाया क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री हरजीराम बुरड़क : इनको तो आपने चयनित वेतनमान दिया। एक तरफ तो आप कह रहे हैं टेम्परेरी रख रहे हैं। आडिट का यही एतराज है कि आपने इनको बिना परीक्षा पास किये चयनित वेतनमान भी दे दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप दे ही नहीं सकते।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप कह रहे हो हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। आडिट रिपोर्ट छपकर आ गई। आपको अलग से क्या आडिट विभाग सम्मन तामील करता? आपको इतने साल हो गये आडिट रिपोर्ट देखते, सरकार सम्भालते, उसके बाद कह रहे हो हमको कोई इत्तला नहीं है, हमने जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधि मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, आप तो यह बताएं कि गवर्नमेंट एडवोकेट, एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट या स्टेनोग्राफर, एल.डी.सी. या पिओन इनकी भर्ती करने की प्रक्रिया क्या है, इनकी भर्ती कौन करता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तरीके की बात है, एक न्यायिक कार्य और एक प्रशासनिक कार्य। न्यायपालिका को आप प्रशासनिक कार्यों में भ्रष्टाचार की छूट देना चाहते हैं क्या? पूरे राजस्थान में आपको खुद को मालूम है, सिरोही में, दौसा में, धौलपुर में, बारां में, पाली में, जहां भी एल.डी.सी., स्टेनोग्राफर और फोर्थ क्लास भर्ती हुए हैं, बड़े पैमान पर पैसे खाकर, रिश्वत लेकर भर्ती किये गये हैं। हम केवल न्यायपालिका के न्यायिक कार्यों के अन्दर दखलंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रशासनिक कार्यों में, भर्ती में तो आपका नियंत्रण होना चाहिए। इसमें पैसा खाने की या भ्रष्टाचार की छूट आप क्यों दे रहे हैं? इसलिए मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे यही जानना चाहता हूं कि इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, कैसे होती है, कौन करता है और क्या ला सैक्रेटरी या निदेशक, वादकरण दूसरे कई राज्यों में प्रशासनिक अधिकारी लग रहे हैं, क्या आप राजस्थान में भी प्रशासनिक अधिकारी इन पदों पर लगाने का इरादा रखते हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यों तो यह प्रश्न बिलकुल अलग से प्रश्न है, फिर भी जैसा जानना चाहते हैं, जितने भी फोर्थ क्लास भर्ती हुए हैं, अलग-अलग जिलों के अन्दर इसके लिए बाकायदा अखबारों में दिया गया, तारीखें दी गईं, एप्लीकेशंस ली गईं, फिर इनके इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू के बाद में उनको सलेक्ट करके भर्ती किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको शिकायत नहीं मिली कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? फिर आपने उस पर क्या किया?

श्री खेतसिंह राठौड़ : शिकायत तो मिली है कि कई जगह गड़बड़ हुई है, लेकिन इसमें हाई कोर्ट ही कुछ कार्यवाही कर सकता है, विधि डिपार्टमेंट इसमें कोई कार्यवाही कर नहीं सकता। जुडीशियरी बिलकुल इनडिपेंडेंट है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप जांच तो करा सकते हैं लोकायुक्त से। आपको शिकायतें मिलीं उनको लोकायुक्त को तो भेज सकते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज सकते हैं। आपको शिकायत मिली, आप स्वयं मानते हैं कि इसमें अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसको तो मैं देखूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : गवर्नमेंट एडवोकेट के आफिस में भी स्टेनोग्राफर्स एल.डी.सी. या जो भी रखे गये, इसकी प्रक्रिया को आपको सुधारना पड़ेगा, माननीय विधि मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : देखेंगे। इसको भी देखेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या देखेंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय प्रश्नकर्ता ने जो सवाल पूछा था, उन्होंने यह कहा था कि इन दो के बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं। यह बात सही है, जैसा मैंने जवाब में कहा है कि उनका सलेक्शन हुआ नहीं है, वो टेस्ट पास नहीं कर पाये। इस बारे में मैं विधि डिपार्टमेंट के हमारे आफिसर्स के साथ बैठकर बात करके कुछ न कुछ कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री प्रभुलाल। श्री मदन दिलावर।

बरड़ क्षेत्र (बूंदी) के खनन क्षेत्रों में अतिक्रमण

539. **श्री प्रभुलाल करसोल्या** (नैनवां) व **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बूंदी बरड़ क्षेत्र के पट्टाधारियों को खनन पट्टों के पक्ष में एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे? यदि हां, तो क्या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों व दिशा-निर्देशों की पालना कर ली गई? यदि नहीं, तो क्यों?

खान मंत्री (श्री हीरालाल इन्दौरा) : जी हां। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों व दिशा-निर्देशों की पालना कर ली गई है। न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेशों एवं आदेशों के तहत की गई पालना का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता

(श्री मदन दिलावर)

हूं, बूंदी जिला कलक्टर महोदय ने 28.4.2000 को शासन उप सचिव, खान (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय को अपने पत्र क्रमांक 2000/1466 के माध्यम से क्या लिखा था तथा अधीक्षण, खान अभियन्ता, कोटा वृत्त, कोटा ने अपने पत्र क्रमांक अ.शा./कोटा/जांच/ब-11(99)/4045 दिनांक 3.9.2002 द्वारा निदेशक, खान एवं भू विज्ञान, उदयपुर को क्या लिखा था?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कलक्टर, कोटा ने एक रिपोर्ट तैयार की, जो वहां कब्जाधारियों का कब्जा था उसको हटाने के लिए लगभग 2.5 लाख रुपये का खर्चा बताया और उसकी स्वीकृति मांगी। वह स्वीकृति अब भी विचाराधीन है। दूसरा...

श्री मदन दिलावर : मैंने बूंदी पूछा है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : बूंदी एस.एम.ई. ने एक आदेश दिया, मैं जब 13.12.1999 को कोटा के प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में था तो कुछ आबंटी मुझसे मिले, जिसमें प्रदीप कुमार विश्नोई भी था। उन्होंने कहा कि हमें आबंटन हो चुका है, लेकिन वहां लोगों के द्वारा कब्जा है। जैसी मुझे उस समय जानकारी मिली, ये लोग कब्जा लेने के लिए गये तो वहां उन पर कुछ आक्रमण भी हुआ और दो, एक के चोटें भी लगीं। उसी आधार पर ये मेरे पास आये। मैंने एक निर्देश दिया व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कि किसी व्यक्ति की जिसको लीज आबंटित हो चुकी है, उसको खारिज नहीं किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह दृष्टिकोण था कि लीज आबंटन होने में बहुत लम्बी प्रक्रिया करनी पड़ती है और विभागीय अधिकारी छोटे छोटे ड्यूज होने के तुरन्त बाद लीज खारिज कर देते हैं और लीज खारिज होने के बाद में आबंटी को विभिन्न अदालतों में जाकर उसको बहाल कराना पड़ता है। इसलिए मैंने ये दिशा-निर्देश दिये कोटा एस.एम.ई. को कि आप दो-तीन चेतावनी दीजिए, आप पहली चेतावनी पर किसी की लीज खारिज मत कीजिए। आप दो-तीन-चार बार आग्रह कीजिए, चेतावनी कीजिए, वह अंत तक भी जमा नहीं कराता है तब उसकी खारिज कीजिए। एस.एम.ई. कोटा ने उसी आधार पर मेरे दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए अपने क्षेत्र के विभिन्न एस.एम.ईज् को ये डाइरेक्शंस दिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने निवेदन यह किया था कि बूंदी जिला कलक्टर 28.4.2000 को शासन उप सचिव, खान (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अपने पत्र क्रमांक न्याय/2000/1466 में क्या लिखा था तथा अधीक्षण खान अभियन्ता, कोटा वृत्त, कोटा ने अपने पत्र क्रमांक अ.शा./कोटा/

(श्री मदन दिलावर)

जांच/ब–11(99)/4045 दिनांक 3.9.2000 में निदेशक खान एवं भू विज्ञान, उदयपुर को क्या लिखा था?

श्री हीरालाल इन्दौरा : उसमें यही था कि वस्तुस्थिति की जानकारी की गई और जोइंट सर्वे हुआ तो यह मालूम पड़ा कि वहां गांव के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और वहां से अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए स्वाभाविक था कि एस.एम.ई., कोटा ने अपने डाइरेक्टर को और अपने विभाग को लिखा और विभाग ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में लिखा कि हमें ढाई लाख रुपये उस मलबे को जो अतिक्रमण कर रखा है, हटाने के लिए चाहिए। यह मामला विचाराधीन है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कलक्टर महोदय ने यह लिखा था कि हमने न्यायालय को भी अवगत करवाया, निदेशालय को भी अवगत करवाया कि हमने अतिक्रमण को हटा दिया है और वहां किसी प्रकार अब अतिक्रमण नहीं है। जबकि उसी समय अधीक्षण खनिज अभियन्ता पत्र लिख रहे हैं कि यहां अतिक्रमण है और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए हमें ढाई लाख रुपये चाहिए। इस प्रकार से जिला कलक्टर महोदय को वहां के खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा गुमराह करके विधान सभा को भी, आपको भी और सरकार को भी गुमराह किया गया, जबकि वहां जो वास्तविक आबंटी हैं उनको खनन नहीं करने दिया जा रहा है, वहां आज भी कब्जा है और यह कह रहे हैं कि ढाई लाख रुपये कब से अधीक्षण अभियन्ता ने मांगे हुए हैं कि हम यहां से अतिक्रमण हटाएंगे, ढाई लाख रुपये दीजिए। आज भी खनिज विभाग क्या कारण है कि ढाई लाख रुपये उपलब्ध नहीं करवा रहा है? जो वहां कब्जा है, लोग जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उस अतिक्रमण को नहीं हटा पा रहे हैं। तो, माननीय मंत्री महोदय, ये जो गलत सूचनाएं आपने उपलब्ध करवाई हैं–सरकार को भी दी हैं, माननीय न्यायालय को भी दी हैं और विधान सभा को भी दी हैं, उसके सम्बन्ध में आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? अतिक्रमण जो हो गया है, ढाई लाख रुपये कब उनको देने हैं और कब तक अतिक्रमण हटा देंगे, इसकी पुख्ता आप तिथि बताइये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तरह के आबंटन होते हैं–एक तो क्वारी लाइसेंस से और दूसरा माइनिंग लीज से। यह सवाल माइनिंग लीज से सम्बन्धित है। जब अलाटी यह कंफर्म कर लेता है कि इस एरिया में उसकी लीज लगेगी तो वह नक्शे सहित अपना आवेदन सम्बन्धित माइनिंग इंजीनियर को देता है। वह इस सम्बन्ध में श्योर होता है कि यह एरिया खाली है या कब्जे

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

में है तो अलाटमेंट उसकी अनुशंसा पर हो जाता है। अलाटमेंट करने के बाद में यह श्योरिटी उसको देनी चाहिए आबंटी को कि जिस जमीन पर वह अलाटमेंट करवा रहा है उस लैण्ड की क्या हालत है, उसकी वर्तमान सिचुएशन क्या है। कई बार नहीं देते जहां कब्जेधारी बैठे हैं। यह मानकर चलता हूं और बरड़ क्षेत्र में माननीय सदस्य ठीक फर्मा रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि लगभग 900 वहां माइनिंग लीज कार्यरत हैं और बहुत-से क्षेत्र पर ग्रामीणों द्वारा कब्जा है, एक जाति विशेष के लोगों द्वारा कब्जा है। कोशिश की गई है, मैंने एक-दो बार मीटिंग ली कलक्टर के साथ में, यहां सचिवालय में माइंस सैक्रेटरी और जिलाधीश बूंदी के साथ में कि किस तरह से इन अतिक्रमियों को हटाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ परम्पराएं ऐसी बन रही हैं राजस्थान में कि जहां भी खनिज पदार्थ मिलता है, आसपास के गांवों के लोग यह सोचकर कि इस क्षेत्र का आबंटन होगा, वहां अपना बाड़ा या कोई ऐसी दीवारें बना देते हैं और कब्जा दिखाते हैं। हमारा चिंतन यही है, इस तरह से हमने सोचा है कि टास्क फोर्स अलग से बनाएं, एक्ट के तहत उसको पावर हो और उन अतिक्रमियों को हटाया जा सके। यह भी स्कीम बनाई जिलाधीश बूंदी को बुलाकर कि हमें एक्स्ट्रा फोर्स की डिमाण्ड करनी चाहिए और फोर्स की डिमाण्ड करके जितना बरड़ क्षेत्र में अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन इस काम में देरी हुई। कुछ यह भी सोचा गया कि पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण है, कब्जा है और उसको यदि हम फोर्स के द्वारा हटाएंगे तो थोड़ी अशांति भी होगी। तो इसमें कई दृष्टिकोण अपनाये। हमारी कोशिश है कि बरड़ क्षेत्र में जो सम्बन्धित लोगों द्वारा, समाज के लोगों द्वारा जगह जगह पर अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं उन्हें हटाने की कोशिश करें क्योंकि बहुमूल्य सैंड स्टोन वहां पड़ा हुआ है।

श्री मदन दिलावर : तो यह ढाई लाख रुपये कब तक उपलब्ध करवा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि बूंदी क्षेत्र के अन्दर अनधिकृत लोगों ने माइनिंग लीज पर कब्जे कर रखे हैं। आपने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि आबंटी जब कब्जा लेने गये तो उनके साथ मारपीट की गई। मैं यह पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि यह आबंटी का कर्तव्य है कि वहां जमीन खाली है या नहीं है, वह सारी रिपोर्ट दे, आपके यहां क्या है कानून के अनुसार? आबंटी अपनी दरखास्त लगाता है तब आप उसका सर्वे करवाते हैं और, अध्यक्ष महोदय, इस मामले में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जोइंट सर्वे हुआ है और जोइंट सर्वे के पश्चात् जब यह कहा गया कि अतिक्रमण है इसको हटाया जाए तो मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं, आपने लम्बी-चौड़ी बात तो कर दी पर क्या आप उन अतिक्रमियों को अब हटाने का विचार रखते हैं? रखते हैं तो कब तक आप हटा देंगे, कोई एक्शन प्लान आपने बनाया है क्या? आपने तो मंत्री होते हुए यह कह दिया कि मैंने कलक्टर को बुलाकर प्रार्थना की, मैंने उसको बुलाया थोड़ा बहुत तो सोचो, सरकार चला रहे हो।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले कह चुका हूं ये बड़े संवेदनशील मामले हैं क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के कब्जे हैं। और आबंटी ने वहां देखा नहीं, झगड़ा इसी बात का था। जो कब्जेधारी वहां बैठे हुए हैं और आबंटी ने उस क्षेत्र का प्लान और नक्शा देकर, आवेदन देकर उसका आबंटन करवा लिया। यह पहली लाइबिलिटी आबंटी की होती है कि वह उस जगह की स्थिति को देखे। हम भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह आसान काम नहीं है, आप भी जानते हैं, चूरू से आने वाले माननीय राठौड़ साहब, कि पूरे क्षेत्र में गांव के लोग कब्जा करें तो उसको हटाने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हमें करनी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो आप आबंटन काहे के लिए कर रहे हो?

श्री हीरालाल इन्दौरा : किस तरह का राजनीतिक माहौल बनेगा, यह सब सोचना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि कोटा-बूंदी माइनिंग क्षेत्र का जिस ठेकेदार ने टैक्स वसूली का ठेका ले रखा है, वह नियमों की अवहेलना करके ज्यादा टैक्स वसूल नहीं कर रहा है? क्या यह भी सही है कि कोटा और बारां के बाहर का वह रहने वाला है और आपका नजदीकी मिलने वाला और रिश्तेदार है?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मैं उस दिन विस्तृत रूप से दे चुका हूं। पहला मेरा प्रश्न था उसमें बजरी और सैंड स्टोन ठेकों के बारे में पूरी जानकारी दे चुका था।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : टैक्स वसूली कर रहे हैं, साहब।

श्री मदन दिलावर : मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावर, बैठिये, आप 5-6 सप्लीमेंटरी पूछ चुके हैं। (व्यवधान) 2 सप्लीमेंटरी पूछने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे पूरक प्रश्न का जवाब नहीं आया, श्रीमान्। (व्यवधान) मेरे प्रश्न की मंशा यह है कि...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : वहां ठेकेदार दादागीरी करके जबरन टैक्स वसूली कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री मदन दिलावर : मूल आबंटियों को कब तक स्वतंत्र रूप से खनन करने के लिए अधिकृत कर दिया जाएगा और कब तक हटा दिया जाएगा?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : टैक्स जितना बनता है उससे दुगुना टैक्स ले रहा है। यह पूछ तो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर, बैठिये।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो सुनिये, मेरी प्रार्थना सुनो।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मदन दिलावर : यह अरबों रुपये का घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो। नहीं, यह अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये आप। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अध्यक्ष : आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह अंकित नहीं हो रहा है। प्रति दिन इस तरह से अव्यवस्था फैलाते हैं सदन में। मोहम्मद माहिर आजाद।

अजमेर में जायरीनों हेतु स्थाई विश्राम स्थल का निर्माण

540. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अजमेर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या, और नहीं तो क्यों?

(2) क्या ख्वाजा साहिब की दरगाह में आने वाले जायरीनों के लिए दरगाह के नजदीक 3 किलोमीटर दूरी पर पर्याप्त स्थाई विश्राम स्थल निर्माण की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या, और नहीं, तो क्यों?

पर्यटन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल): (1) अजमेर को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है। किन्तु धार्मिक व पर्यटन के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं के तहत अजमेर में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण तथा पर्यटन स्थलों के सौंदर्यकरण के कार्य कराती रहती है।

(2) जी नहीं। दरगाह से 3 किलोमीटर की परिधि में पर्यटन विभाग की भूमि उपलब्ध नहीं है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने प्रश्न के खण्ड एक में कहा कि अजमेर को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना नहीं है। मेरा प्रश्न धार्मिक स्थल के रूप में का नहीं था, मेरा प्रश्न आप पढ़ें, वह धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में का था। अजमेर जो कौमी एकता का प्रतीक है, जहां पर सभी धर्मों के लोग बड़ी संख्या में देश और विदेश से आते हैं, अगर उसको ही आप पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना नहीं रखते हैं तो फिर राजस्थान में और कौनसी दूसरी जगह बची है जिसको आप पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का इरादा रखते हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसके उत्तर में यह कहा है कि हमने पर्यटन के महत्व को देखते हुए सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण और सौन्दर्यकरण कार्य कराया है, तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अब तक आपने इसके लिए क्या-क्या कार्य कराये, विस्तृत रूप से उसका उल्लेख करें? दूसरा आपने कहा कि पर्यटन विभाग के पास तीन किलोमीटर की परिधि में कोई जगह नहीं है, पर्यटन विभाग के पास जगह कहां होती है, जगह तो सरकार के पास होती है और राजस्व विभाग के पास होती है। आपने स्वयं ही 2003 के उर्स में चार विश्राम स्थलियां बनाई थीं जिनमें करीब 530 बीघा भूमि का आपने उपयोग किया है। दरगाह के तीन किलोमीटर की परिधि में ही आनासागर विश्राम स्थली है जहां पर सुविधाएं विकसित कराने के लिए पिछली बार आपने नगर सुधार न्यास को काफी पैसा दिया था। तो पर्यटन विभाग के सहयोग से उसने क्या क्या काम किये, वह आप मुझे बताएं? आनासागर विश्राम स्थली करीब ढाई किलोमीटर दूरी पर ही पड़ती है, वहां पर आपने गौशाला बनाने का कार्य शुरू कर दिया है जबकि लोहार्गल गांव में गौशाला के लिए दो हजार बीघा जमीन पहले से ही आबंटित हो गई है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है, पहले तो आप यह बताएं कि अब तक अजमेर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं में क्या क्या काम कराये? कितना पैसा खर्च किया है? कहां आपके पास जमीन उपलब्ध है? जो यात्री आते हैं बड़ी संख्या में, उनके विश्राम स्थल के रूप में वहां विकसित करने के लिए इरादा रखते हैं? रखते हैं, तो कहां, बताएं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं मूल प्रश्न के खण्ड एक में निवेदन कर चुका हूं, आपका प्रश्न यह था कि क्या अजमेर को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में...

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, पर्यटक स्थल भी आ गया न ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अर्थ यह हुआ अजमेर को, सिर्फ अजमेर को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में, मतलब सिर्फ धार्मिक ही...

मोहम्मद माहिर आजाद : आप धार्मिक डिलीट कर दो, पर्यटक स्थल का ही जवाब दे दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो जवाब दे चुका हूं मैं उसका। मेरे जवाब में साफ लिखा हुआ है, "किन्तु धार्मिक व पर्यटन के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत सौन्दर्यीकरण का, सुदृढ़ीकरण का कार्य करवा रही है।"

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या करवा रही है, वह तो बताओ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बताता हूं आपको। मैं पहले भी यह निवेदन कर चुका हूं, इस प्रकार की कोई नीति है ही नहीं कि धार्मिक पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। अब रहा सवाल इस बात का, यह तीन किलोमीटर वाली बात भी मैं आपको साफ करता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें भी आपने कहा है कि पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यीकरण के लिए कार्य कराती रहती है और अजमेर में भी हम काम करा रहे हैं, तो विभिन्न योजनाओं में क्या काम कराये, वही बता दो? या क्या कराने का इरादा रखते हो, उसकी डिटेल बता दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वही बता रहा हूं। सबसे पहले तो यह विश्राम स्थली की बात निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अजमेर से 10 किलोमीटर जयपुर की तरफ 150 बीघा जमीन राज्य सरकार के द्वारा दरगाह कमेटी को दी गई। राज्य सरकार चाहती थी कि यहां पर भी एक स्थायी विश्राम स्थली बन जाए लेकिन दरगाह कमेटी ने कहा कि इसको हम विकसित करेंगे, आप आपनी योजना को दूसरी जगह ले जाइये। उसके बाद में ब्यावर रोड पर 10 किलोमीटर दूर ही सोमलपुरा गांव हैं वहां पर 300 बीघा जमीन आइडेंटिफाई की गई लेकिन वह मेन रोड से डेढ़ किलोमीटर दूर थी। केन्द्रीय सरकार का जो पैसा आया वह 46,70,000 रुपये आया और राज्य सरकार को 46,59,000 रुपये लगाने थे, कुल मिलाकर 93,29,000 पैसा रखा हुआ था। जब इसको देखने गये तो पता लगा कि सोमलपुरा से डेढ़ किलोमीटर दूर तो सड़क बनानी पड़ेगी। जब डेढ़ किलोमीटर सड़क बनानी पड़ेगी तो 10-15 लाख रुपये उसमें खर्च होंगे। बिजली-पानी पहुंचाना पड़ेगा तो करीब-करीब इस पैसे का आधा पैसा उसमें खर्च हो जाता और यह विश्राम स्थली नहीं बनती। उसके बाद मीटिंग हुई, कलक्टर ने राजीव गांधी मिशन की मीटिंग ली और उसमें यह सर्वसम्मति से तय किया गया–उसमें यू.आई.टी के चेयरमैन भी आये, चेयरमैन ने प्रपोज किया

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कि हमारा ब्यावर रोड पर ही 10 किलोमीटर दूर पर ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है, 100 बीघा जमीन वहां पर स्थायी विश्राम स्थली के लिए हम दे देंगे और इसमें रख-रखाव का खर्चा भी हम कर देंगे। इस पैसे में वह वहां पर हो जाती। कुलमिलाकर मेरा यह निवेदन है कि यह वही स्थान है जहां पर कि राज्य सरकार के द्वारा उर्स के दौरान हमेशा अस्थायी तौर पर विश्राम स्थली बनायी जाती है। अब यह 10-11.03 को जो बैठक हुई है जिला कलक्टर के पास, उसमें यह तय भी हो गया, यू.आई.टी के चेयरमैन ने सहमति भी जता दी कि इसको हम डवलप करेंगे और बाकी पैसा उनकी तरफ से खर्च किया जाएगा।

आपने दूसरा सवाल यह पूछा कि अजमेर के लिए क्या क्या किया। दो तरह की बातें हैं, एक तो केन्द्र प्रवर्तित योजना का और एक राज्य सरकार की योजना का। राज्य सरकार की योजनाओं के तहत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुष्कर का घाट, तारागढ़ का किला, तारागढ़ के किले का और विकास कार्य, सैकण्ड स्टेज पर जो लिया गया। तीसरी स्टेज पर भी तारागढ़ का लिया गया और सावित्री मंदिर पुष्कर पर पानी की सुविधाएं वगैरह, इन पर करीब-करीब 90 लाख रुपया खर्च किया गया। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में सावित्री घाट व ब्रह्म घाट पुष्कर का विकास, पुष्कर में टूरिज्म काम्प्लैक्स का निर्माण, पुष्कर में आवासीय सुविधाओं का निर्माण, अजमेर में यात्रिका का निर्माण, विश्राम स्थली, रैन बसेरा, अजमेर में पिलग्रिम शहर का निर्माण, विश्राम स्थली, अजमेर में जन सुविधाओं का निर्माण, अकबल का किला, पुष्कर घाट, अजमेर में जायरीनों के लिए विश्राम स्थली का निर्माण, अपग्रेडेशन आफ होटल खादिम, अजमेर, तारागढ़ फोर्ट, अजमेर की सीढ़ियों का विकास और पुष्कर के शिल्प ग्राम का निर्माण जो कि कार्य पूर्ण हो चुका है। इनमें कई कार्य चल भी रहे हैं और कई कार्य प्रगति पर हैं।

श्री अध्यक्ष : डा. के.सी. चौधरी।

मोहम्मद माहिर आजाद : कुल खर्चा कितना है? ये जितने काम कराये हैं उनमें कितनी राशि व्यय हुई है, जरा यह और बता दें आप? पुष्कर, अजमेर, पूरे अजमेर में सौन्दर्यीकरण पर या विकास पर जो कुल योजनाएं आपकी सम्पादित हो गई हैं और अभी चल रही हैं, इन पर टोटल कितनी राशि का प्रावधान है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह जोड़कर ही बताऊंगा। राज्य सरकार का तो जोड़ ठीक आ गया, यह तो 80 लाख आ रहा है। केन्द्र का कितना पैसा आया है, अलग अलग योजनाओं का तो मेरे पास है लेकिन जोड़ नहीं है। जोड़कर भिजवा दूं आपको?

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय टूरिज्म मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि अजमेर के धार्मिक टूरिज्म के विकास के लिए तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय शिवचरणजी माथुर की अध्यक्षता में एक तारागढ़ विकास बोर्ड बना था, एक पुष्कर विकास बोर्ड बना था उन दोनों बोर्डों का हश्र क्या हुआ?

नम्बर दो, तारागढ़ का आपने जिक्र किया, उसके विकास में पिछले पांच साल में राजस्थान सरकार ने क्या खर्च किया है? तारागढ़ एक ऐसी जगह है जिस पर बराबर एनक्रोचमेंट होता जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान स्मारक वहां आलरेडी बना हुआ है लेकिन उसके विकास के लिए अभी तक राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की? तारागढ़ के विकास के लिए और पृथ्वीराज चौहान स्मारक जो वहां बना हुआ है, पृथ्वीराज चौहान स्मारक से तारागढ़ तक जाने के लिए सड़क जो बनानी थी उस सड़क का कार्य भी अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर की आधी इकोनोमी वहां धार्मिक टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है, इसलिए मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है, इस पर विशेष तौर से ध्यान देकर अजमेर दरगाह के चारों तरफ का विकास और इसी तरह पुष्कर के विकास के लिए सरकार क्या योजनाएं अपने पास रखती है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य चौधरी साहब ने फर्माया, तारागढ़ से पृथ्वीराज चौहान स्मारक तक सड़क की बात है तो वह नगर विकास न्यास ने प्रस्ताव दिया है कि उस सड़क को हम बनाएंगे। जहां तक तारागढ़ फोर्ट का सवाल है...

डा. के. सी. चौधरी : माननीय मंत्रीजी, सड़क वहां नहीं बन रही है, सड़क जीर्ण-शीर्ण हालत में है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कब कह रहा हूं कि सड़क बन गई, मैं कह रहा हूं प्रस्तावित है नगर विकास के द्वारा। मैं यही निवेदन कर रहा हूं।

डा. के. सी. चौधरी : नगर विकास न्यास खाली पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर ही खर्चा कर रहा है, उसके आगे तारागढ़ जाने पर कोई खर्चा नहीं कर रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तारागढ़ फोर्ट अजमेर की सीढ़ियों के विकास के काम करवाये गये जिस पर 2,70,000 रुपये खर्च किये गये। तारागढ़ किले के विकास पर तीन अलग-अलग स्टेजेज में कुलमिलाकर 10 लाख, पांच लाख और पचास लाख...

डा. के. सी. चौधरी : आप तो मुझे बता दीजिये कि तारागढ़ किले के विकास की क्या योजनाएं आपके पास हैं कि तारागढ़ के किले का विकास ऐसे करना

(डा. के. सी. चौधरी)

है? सीढ़ियां बनाने से किले का विकास थोड़े ही होगा?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैप्स वगैरह तो मेरे पास इस वक्त हैं नहीं।

डा. के. सी. चौधरी : नहीं, कोई योजना हो सरकार के पास कि तारागढ़ का अपने को इस तरीके से विकास करना है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : योजनाओं के विकास की डिटेल्स मेरे पास नहीं है पर आपने तो खर्चा पूछा है, इस पर अभी तक 65 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। आप और इंफार्मेशन चाहते हैं, मैं भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आपका खुद का प्रश्न है, वह पूछिये आप।

दरगाह अजीम शाह मंगलपुरा (नागौर) की भूमि चारदीवारी निर्माण

541. **श्री रमजान खान (पुष्कर)** : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मंगलपुरा (नागौर के खसरा नं. 1617) रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि में दरगाह अजीमशाह स्थित है?

(2) क्या उक्त दरगाह की भूमि वक्फ बोर्ड के दिनांक 28 अप्रैल, 1966 में क्रम संख्या (15) पर दरगाह अजीमशाह दर्ज है?

(3) क्या वक्फ बोर्ड के आदेश क्रमांक 8409 दिनांक 21.12.2002 से उक्त भूमि की चारदीवारी निर्माण की स्वीकृति मिली है?

(4) क्या उक्त दरगाह की भूमि पर अंतिक्रमण हो रहे हैं?

(5) क्या यह सही है कि दरगाह की उक्त भूमि पर वक्फ बोर्ड के गजट के अनुसार तिबारा, हौज, कोठरी इन्द्राज है?

(6) क्या उक्त खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन ओरण नाकाबिल काश्त दर्ज है?

(7) क्या यह सही है कि हल्का पटवारी लाडनूं ने दिनांक 14.9.1983 द्वारा तहसीलदार, लाडनूं ने, अपनी रिपोर्ट में उक्त सम्पत्ति को दरगाह की बताते हुए चारदीवारी निर्माण करने में अपनी सहमति जताई?

(8) क्या तहसीलदार, लाडनूं द्वारा चाही गई नगरपालिका, लाडनूं के अधिशासी

(श्री रमजान खान)

अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में नगरपालिका सीमा में होना नहीं बताया है तथा चारदीवारी निर्माण हेतु अपनी सहमति बताई है?

(9) क्या दरगाह कमेटी के मुतवल्ली ने समस्त रिकार्ड जिला कलक्टर, नागौर को प्रेषित कर चार दीवारी बनाने की अनुमति मांगी है? यदि हां, तो अब तक अनुमति नहीं मिलने के क्या कारण हैं और अब कब तक चारदीवारी निर्माण की अनुमति दे दी जाएगी?

राज्य मंत्री, वक्फ (श्री हबीबुर्रहमान):

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) वक्फ बोर्ड के पत्र क्रमांक 8409 दिनांक 21.12.2001 से उक्त कार्य के चारदीवारी निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली है। बल्कि उक्त सन्दर्भित पत्रानुसार उक्त दरगाह की चारदीवारी कराये जाने व कानून व्यवस्था कायम करने बाबत वक्फ बोर्ड ने कलक्टर, नागौर को पत्र लिखा था। पत्र की फोटो प्रति परिशिष्ट–अ पर है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां।

(6) उक्त खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन ओरण व नाकाबिल काश्त दर्ज है।

(7) जी हां।

(8) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, लाडनूं ने अपनी रिपोर्ट में उक्त दरगाह को नगरपालिका सीमा से बाहर होने के कारण नगरपालिका को कार्यवाही करने में सक्षम नहीं बताया।

(9) जी नहीं। जिला कलक्टर, नागौर की रिपोर्ट के अनुसार दरगाह कमेटी के मुतवल्ली ने किसी भी प्रकार का रिकार्ड कलक्टर कार्यालय, नागौर में चारदीवारी निर्माण हेतु पेश नहीं किया। दरगाह कमेटी की ओर से कलक्टर, नागौर को कोई प्रस्ताव पेश नहीं होने से कलक्टर, नागौर ने चारदीवारी निर्माण की अनुमति जारी नहीं की।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खण्ड (3) में यह बताया है कि वक्फ बोर्ड ने तो कोई चारदीवारी की स्वीकृति जारी नहीं की, जबकि वक्फ बोर्ड के आदेश दिनांक 21.12.2002 में इस चारदीवारी बाबत लिखा है कि अजीमशाह की दरगाह ग्राम मंगलपुरा (लाडनूं) के खसरा नम्बर 1617 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा पर चारदीवारी किये जाने हेतु इस कार्यालय से एन.ओ.सी. क्रमांक 4889 दिनांक 25.6.1992 जारी कर दी गई है। जब जब प्रार्थीगण इस दरगाह की जमीन पर चारदीवारी बनाने जाते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व इसका विरोध कर रुकवा देते हैं। इसका मतलब स्वीकृति जारी आपने की थी लेकिन वे दरगाह की चारदीवारी बनाने जाते हैं, तो

(श्री रमजान खान)

कुछ असामाजिक तत्व इसको रुकवा देते हैं। आगे इसमें लिखा है इन्होंने अपनी स्वीकृति में, यह भी उल्लेखनीय है कि वक्फ सम्पति का स्वामित्व वक्फ बोर्ड में निहित है। वक्फ बोर्ड से ही इन सम्पत्तियों के निर्माण इत्यादि की एन.ओ.सी. जारी होती है। अब ये कह रहे हैं भाग (3) में कि हमने तो कोई स्वीकृति जारी की नहीं, तो यह आप गलत कह रहे हैं। स्वीकृति आपकी है, आपने एन.ओ.सी. भी इसके लिए जारी की है, मंत्री महोदय और आपने इसकी व्यवस्था करने के लिए जिला कलक्टर, नागौर को लिखा है।

खण्ड (9) मुतवल्ली ने साफ तौर से समस्त रिकार्ड के साथ जिला कलक्टर को अपना प्रार्थना-पत्र चारदीवारी की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में प्रेषित कर दिया है परन्तु कलक्टर साहब कहते हैं कि हमारे को पत्र मिला ही नहीं। चलो, मान लें कि मुतवल्ली ने जो पत्र दिया, वह नहीं मिला, मगर वक्फ बोर्ड के मंत्री महोदय तो यह कह रहे हैं खण्ड (3) में कि हमने जिला कलक्टर को व्यवस्था करने के लिए, चारदीवारी के निर्माण की व्यवस्था करने के लिए लिखा। वक्फ बोर्ड का जो पत्र है, इसमें कलक्टर ने लिखा, क्या वह भी नहीं मिला? उसके लिए भी जिला कलक्टर इग्नोर कर रहे हैं। वैसे तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न माननीय राजस्व मंत्रीजी के नाम था, उन्हीं के नाम मैंने प्रश्न किया है परन्तु वक्फ मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो कोई एतराज नहीं है, परन्तु वक्फ मंत्रीजी भी इसका स्पष्ट जवाब दें। अंत में मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि जिला कलक्टर महोदय इस चारदीवारी के निर्माण के लिए व्यवस्था कब तक कर देंगे? ये पत्र तो सब मिले हैं, मुतवल्ली के भी मिले है और वक्फ बोर्ड का भी मिला है और अब ये कहते हैं कि कलक्टर को तो कोई पत्र नहीं मिला है।

श्री हबीबुर्रहमान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो परमिशन की बात उठाई है, यह बिलकुल सही है। वैसे तो मुतवल्ली ने वक्फ बोर्ड में आकर एन.ओ.सी. ली थी और वक्फ बोर्ड ने यह एन.ओ.सी. दी थी कि यहां पर अगर चारदीवारी बनानी है तो हमें कोई एतराज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि सिर्फ एन.ओ.सी. देने से कोई निर्माण का कार्य वक्फ बोर्ड में नहीं होता है, इसका प्रोसीजर है कि आप एन.ओ.सी. लेकर जिला कलक्टर के पास जाएं और जिला कलक्टर इसकी परमिशन देता है।

दूसरी बात, यह जो जमीन का मामला है, यह वक्फ बोर्ड में दर्ज है, राजस्व रिकार्ड में इसका इन्द्राज नहीं है क्योंकि 1972 में जो सैटलमेंट हुआ था उस समय इस जमीन को खालसा कर दिया गया। पिछली सरकार ने भी एक आदेश निकाला था 1992 में वक्फ सम्पत्ति का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने बाबत कि वे सम्पत्तियां 1972 में सैटलमेंट के समय

(श्री हबीबुर्रहमान)

जिनको खालसा कर दिया गया है, उनको राजस्व रिकार्ड में वापस इन्द्राज कर दिया जाए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, इसमें जिला कलक्टर के बारे में जो पूछा था, यह बिलकुल सही बात है कि उन्होंने परमिशन की एप्लीकेशन नहीं लगाई, लेकिन कलक्टर को एक लैटर जरूर लिखा था कि वहां पर हम चारदीवारी बना रहे हैं, और वे चारदीवारी बनने नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम जल्दी जिला कलक्टर को लिख देंगे और इसको राजस्व रिकार्ड में दर्ज करके इस चारदीवारी का काम शुरू करा दिया जाएगा।

श्री रमजान खान : कब तक करवा देंगे? इसको 12-15 साल तो बीत गये।

श्री हबीबुर्रहमान : जल्दी ही करा देंगे। हमारे पास अभी आया है।

श्री रमजान खान : इसको कब तक करवा देंगे?

श्री हबीबुर्रहमान : यह 15-20 दिन में करवा देंगे।

श्री रमजान खान : 15-20 दिन में? ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, वक्फ की प्रापर्टी है उसकी किस्म परिवर्तन हो सकती है क्या किसी भी सूरत में? कौनसे नियम के तहत करा देंगे?

श्री हबीबुर्रहमान : समाप्त करें, उसको खालसा करा देंगे। अध्यक्ष महोदय, सैटलमेंट 1972 में हुआ था, पूरे राजस्थान में ऐसी वक्फ सम्पत्तियां हैं जो वक्फ के रिकार्ड में तो हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में उनको खालसा, गैर मुमकिन कर दिया गया है। पिछली सरकार में भी एक आदेश निकाला था, मैं इसको पूरा पढ़कर सुनाना चाहता हूं। "राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि वक्फ संस्थानों से सम्बन्धित सम्पत्तियों का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में नहीं किया जा रहा है। कुछ सम्पत्तियों का इन्द्राज वक्फ की बजाय उनके मुतवल्लियों, मुजाहिरों व अन्य अनधिकृत व्यक्तियों के नाम कर दिया गया है। इस प्रकार गलत इन्द्राज का अनुचित लाभ उठाकर ऐसे लोग सम्पत्तियों को लाभ उठा रहे हैं या अवैध रूप से हस्तान्तरण कर रहे हैं। राज्य सरकार के ध्यान में यह भी लाया गया है कि 1965-66 में राजस्थान सरकार द्वारा राज पत्र भाग-2(के) में वक्फ सम्पत्तियों का जिलेवार प्रकाशन हो चुका है। उसके अनुसार वक्फ सम्पत्तियों का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में हो जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। कुछ सम्पत्तियों का इन्द्राज इसलिए भी नहीं किया गया क्योंकि गजट नोटिफिकेशन में सम्पत्तियों का खसरा नम्बर दर्ज नहीं है। उपरोक्त मामले में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 20(राजस्व) 79 दिनांक 22.7.1982 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान और मकबरों की सम्पति जिनमें

(श्री हबीबुर्रहमान)

मुनाफी निषेध और इनाम या खातेदारी दर्ज था और जो उनके मुतवल्लियों व व्यवस्थापकों, खादियों, सज्जाना मस्जिदों, मुजाहिरों व देखरेख करने वालों के नाम कर दी गई है, उनकी उचित कार्यवाही कर उनके नाम दर्ज किया जाए और जब भी ऐसा मामला सामने आए आये... तो रिकार्ड दुरुस्ती की कार्यवाही की जाए। यह पूरा है।''

(12.00 बजे)

मोहम्मद माहिर आजाद : पढ़ क्या रहे हो आप यह, राज्य सरकार का अध्यादेश?

श्री हबीबुर्रहमान : माननीय सदस्य, जितनी भी सम्पत्तियां हैं, अभी हमने वक्फ सर्वे कमीशन बैठा रखा है उसमें जो भी वक्फ में इन्द्राज नहीं है उनको इन्द्राज कर रहे हैं और राजस्व रिकार्ड में भी इसका इंन्द्राज करा देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : कमीशन की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी?

श्री हबीबुर्रहमान : कई जिलों की आ गई है, और जल्दी ही आ जाएगी इस कमीशन की रिपोर्ट।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला चित्तौड़गढ़ की नगरपालिकाओं में गन्दी बस्ती सुधार पर व्यय

849. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित/नियमित कच्ची बस्तियों के निवासियों के लिये समुचित पेयजल, सफाई व्यवस्था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पर्यावरण सुधार एवं कचरा प्रबन्धन आदि के लिये प्रावधान कर सामाजिक क्षेत्रों के अन्य कार्यक्रमों में समन्वय कर शहरी गन्दी बस्तियों के गरीब समुदाय को लाभान्वित किया जाता है? यदि हां, तो गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला चित्तौड़गढ़ की विभिन्न नगरपालिकाओं में कौन-कौन से कार्य हाथ में लिये गये/लिये जा रहे हैं? नगरपालिकावार हाथ में लिये गये कार्यों का वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में आबंटित राशि में से जिला चित्तौड़गढ़ की किस-किस नगरपालिका को कितनी-कितनी राशि वितरित की गई

(श्री नन्दलाल मीणा)

और वितरित राशि के उपयोग से क्या-क्या कार्य सम्पादित किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ज़िला चित्तौड़गढ़ की विभिन्न नगरपालिकाओं द्वारा जो-जो कार्य हाथ में लिये व लिये जा रहे हैं, नगर पालिकावार कार्यों का वर्ष 1999-2002 तक का विवरण संलग्न है।

(2) गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में आबंटित राशि में से जिला चित्तौड़गढ़ की जिस-जिस नगरपालिका को जितनी-जितनी राशि वितरित की गई तथा वितरित राशि के उपयोग से कौन-कौन से कार्य सम्पादित हुए, विवरण संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कच्ची बस्ती टीबा नायकान जयपुर का विकास

850. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने विभिन्न देशी/विदेशी वित्तीय संस्थाओं से कच्ची बस्तियों के विकास के लिये करोड़ों रुपयों की राशि के ऋण लिये है?

(2) उक्त प्राप्त ऋण अनुदान/सहायता में से जयपुर शहर की कौन कौनसी कच्ची बस्तियों में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कब-कब करवाये? वर्ष 1999 से अब तक कच्ची बस्तीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजा महाराजाओं के जमाने से बसी 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति आबादी वाली कच्ची बस्ती टीबा नायकान में गत चार वर्षों में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त कच्ची बस्तियों के सभी प्रवेश द्वारों के नालों को ढकवाने, टूटी फूटी सीमेंट सड़कों पर पुन: सीमेंट कंकरीट बिछवाने, सड़कों के बीच में बह रही नालियों को दीवारों के सहारे करने, सीवर लाइन डलवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सरकार से प्राप्त ऋण व अनुदान से जयपुर नगर निगम द्वारा जिन-जिन कच्ची बस्तियों में जितनी-जितनी राशि के जो-जो कार्य वर्ष 1999 से अब तक करवाये गये, उनका विवरण संलग्न है।

(3) जी नहीं। कच्ची बस्ती टीबा नायकान के पश्चिमी क्षेत्र का वह भाग जो जवाहर नगर बाइपास के पश्चिम में है, वहां सीवर लाइन का कार्य करवाया गया है।

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

(4) निगम की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं कच्ची बस्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करवाये जावेंगे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में सड़क निर्माण

851. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में मार्च, 1999 से जनवरी, 2003 तक सरकार द्वारा किन-किन कालोनियों में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है? कालोनीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2003-04 में उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी कालोनियों में सड़क निर्माण प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में मार्च, 1999 से जनवरी, 2003 तक कालोनियों में किये गये सड़कों के निर्माण का कालोनीवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 2003-04 में उक्त विधान सभा क्षेत्र की जिन कालोनियों में सड़क निर्माण प्रस्तावित है, उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिशासी अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित जांच

852. डा. रतन लाल (सहाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में नगर परिषद्, नगरपालिका एवं नगर निगम के किस-किस सभापति को कब-कब निलम्बित किया गया?

(2) क्या उक्त सभापतियों में से अधिकतर ने उच्च न्यायालय से निलम्बन के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं?

(3) क्या यह सही है कि कई अधिशासी अधिकारियों के विरुद्ध 16 सी.सी.ए. की जांच चल रही है किन्तु उक्त को उक्त पदों पर पद स्थापित कर रखा है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप हैं तथा उन्हें फील्ड पोस्टिंग में क्यों लगा रखा है?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में नगर निगम, नगर परिषद्, पालिकाओं में निलम्बित किये

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

गये महापौर/सभापति/अध्यक्षों का विवरण संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। जिनके विरुद्ध 16 सी.सी.ए. की जांच चल रही है, उन अधिशासी–अधिकारियों की सूची संलग्न है। फील्ड पोस्टिंग पर उन्हें नहीं लगाया गया है, जिनके प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से सम्बन्धित हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

नगरपालिका, दौसा में भवन नियमन के विचाराधीन प्रकरण

853. **श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा)**: क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नगरपालिका क्षेत्र के दिनांक 10.7.1999 तक कृषि व सरकारी भूमि पर बने हुए भवनों के नियमन का आदेश क्रमांक प.5(3)न.वि.वि./3/99 व आदेश क्रमांक प.3(28)न.वि.वि./3/96 दिनांक 22.12.1999 को जारी किया है? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की पालना में नगरपालिका, दौसा के क्षेत्र में समस्त बने हुये भवनों का नियमन कर दिया?

(2) उक्त सम्बन्ध में नगरपालिका, दौसा में कितने प्रकरणों का नियमन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त नगरपालिका में उक्त प्रकार के कितने प्रकरण विचाराधीन है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विचाराधीन प्रकरणों का नियमन उक्त आदेशानुसार अब तक क्यों नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त विचाराधीन प्रकरणों का उक्त आदेशानुसार नियमन कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त आदेशों की पालना में नगरपालिका, दौसा द्वारा फरवरी, 2003 तक नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि पर बने 1885 भवन व भूखण्डों का नियमन कर पट्टे जारी किये जा चुके है। सूची संलग्न है।

(2) नगरपालिका, दौसा में 1885 प्रकरणों का नियमन किया गया।

(3) नगरपालिका, दौसा में वर्तमान में 1578 प्रकरण विचाराधीन है। सूची संलग्न है।

(4) विचाराधीन प्रकरणों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

(5) भाग संख्या–4 में उत्तर निहित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सभापति नगर परिषद्, अजमेर के विरुद्ध जांच

854. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सभापति नगर परिषद्, अजमेर के विरुद्ध सरकार जिप्सी एक राजनैतिक पार्टी के कोटा में आयोजित महिला सम्मेलन में लेकर जाने पर पार्षदों एवं अन्य द्वारा आयुक्त नगर परिषद्, जिला कलक्टर, निदेशक स्वायत्त शासन तथा शासन सचिव को शिकायत की गई थी? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायत पर किस-किस स्तर पर जांच की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिप्सी नियमानुसार ले जाई गई थी? यदि हां, तो उपयोग हेतु प्रदान की गई स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो किन-किन प्रावधानों का उल्लंघन सभापति द्वारा किया गया? प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त उल्लंघनों पर नगर-पालिका अधिनियम में क्या दण्ड प्रावधान हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त में सभापति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) शिकायत की जांच उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय, अजमेर से करवाई गई, जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं। सभापति, नगर परिषद्, अजमेर द्वारा राजस्थान नगरपालिका (यानों का उपयोग) नियम, 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। प्रावधानों की प्रति संलग्न है।

(4) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 के अन्तर्गत दण्ड का प्रावधान है। प्रति संलग्न है।

(5) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर प्रकरण न्यायिक जांच हेतु भिजवाया जा चुका है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आमेर (जयपुर) में लोक सेवकों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

855. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम के नियमों के अन्तर्गत कई कृषि भूमि को खातेदारी धारक कृषक स्वयं की पत्नी व माता पिता के नाम निगम

(श्री निर्भय लाल)

क्षेत्र में कृषि भूमि व मकान दोनों होने पर भी उनके द्वारा सरकारी भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण नियमित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों और किन नियमों के तहत?

(2) क्या कई व्यक्तियों के मकान निगम क्षेत्र में होते हुए भी भूमि पर अतिक्रमण करने की कोई शिकायतें नगर निगम व जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) वर्तमान में कस्बा आमेर में ऐसे कितने मामलों में से कितनों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त ज्यादातर अतिक्रमण लोक सेवकों की मदद से हो रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जब इस सम्बन्ध में कोई शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई है, तो मुकदमे दर्ज कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(4) जी नहीं।

नगरपालिका बगरू (जयपुर) के दोषी पार्षद के विरुद्ध कार्यवाही

856. **श्री प्रभुलाल करसोल्या** (नैनवां): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में बिना किसी पूर्व सूचना के पालिका मण्डल की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले पार्षदों की सदस्यता समाप्त किये जाने का प्रावधान है?

(2) अगस्त, 1995 से अगस्त, 2000 तक पालिका, बगरू, जयपुर में कौन-कौन पार्षद पालिका मण्डल की बैठकों में किस-किस तिथि से लगातार अनुपस्थित रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगरपालिका की बैठकों में पार्षदों के लगातार अनुपस्थित रहने की सूचना विभाग को देने का दायित्व किसका है? क्या उक्त नगरपालिका के पार्षद के अनुपस्थित रहने की सूचना विभाग को दी गई है? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अनुपस्थित रहने वाले उक्त पार्षद ने उक्त पालिका कोष से अपना मासिक भत्ता नियमित रूप से प्राप्त किया है? यदि हां, तो उक्त अवैध भुगतान का दायित्व किस अधिकारी का है और उक्त के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(श्री प्रभुलाल करसोल्या)

(5) क्या पालिका के कतिपय सदस्यों ने सरकार को लगातार बैठकों से अनुपस्थित एवं अनियमित भुगतान की शिकायत की है? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अगस्त, 1995 से अगस्त, 2000 तक नगरपालिका, बगरू के लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले पार्षदों का विवरण संलग्न है।

(3) पार्षद की लगातार अनुपस्थिति की सूचना विभाग को दिये जाने का दायित्व पालिका के अधिशासी अधिकारी का है। परन्तु विभाग को कोई सूचना नहीं भिजवाई गई है।

(4) इस सम्बन्ध में जांच करवा कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

लालकोठी योजना, जयपुर के अनियमित पट्टों की जांच

857. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लालकोठी योजना, जयपुर में गलत तरीके से पट्टे जारी करने के मामले की जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये और उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(2) उक्त प्रकरण से सम्बन्धित निम्न अधिकारी थे :-

1. श्री वी.पी. सिंह, आयुक्त
2. श्री अन्नत देव टॉक, उप नगर नियोजक
3. श्री छोटूराम गुर्जर, तहसीलदार

प्रथम दृष्टया तथ्य सही पाये जाने पर श्री अन्नत देव टॉक, उप नगर नियोजक को निलम्बित कर दिया गया। श्री वी.पी. सिंह, उपायुक्त को कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा श्री छोटूराम गुर्जर, तहसीलदार पूर्व में ही उनके कार्य काल पूर्ण होने के पश्चात् कार्यमुक्त हो चुके थे। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात् ही आरोप सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

वन विहार कालोनी, जयपुर की भूमि पर अतिक्रमण

858. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर दिल्ली बाइपास रोड पर स्थित वन विहार कालोनी के पास लबलबी की कोठी से लालकोश श्मशान के मध्य जयपुर, विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण कराया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि निर्माणाधीन सड़क के दोनों छौर पर अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है?

(3) क्या सरकार सड़क के दोनों छौर पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिल्ली बाइपास रोड पर वन विहार कालोनी के पास लबलबी कोठी से लालकोश श्मशान के मध्य जयपुर, विकास प्राधिकरण द्वारा किसी सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है।

(2) सड़क के दक्षिण में खातेदारी भूमि है। उत्तर में बनाई गई सीढ़ियों की तारबन्दी पर अतिक्रमण है जिन्हें हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) अतिक्रमण अधिक पुराना नहीं है, अभी आरम्भिक अवस्था में ही है। ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

लालकोश श्मशान, जयपुर बाइपास स्थित कच्ची बस्तियों का स्थानान्तरण

859. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर बाइपास रोड स्थित लालकोश श्मशान के पास स्थित रिझ, बन्दरवालों की एवं वन विहार कच्ची बस्ती है?

(2) क्या सरकार उक्त दोनों कच्ची बस्तियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) दोनों बस्तियों की सर्वे सूचियां जांच के उपरान्त अन्यत्र बसाने का निर्णय यथा शीघ्र ले लिया जायेगा।

जैसलमेर नगर का प्रस्तावित मास्टर प्लान

860. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर का ड्राफ्ट प्लान नगर नियोजन द्वारा

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

बनाया गया था जिसकी मियाद भी वर्ष 2001 में समाप्त हो गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि ड्राफ्ट प्लान को स्वीकृत नहीं कराया गया?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने जैसलमेर विकास समिति का गठन किया है?

(4) क्या सरकार जैसलमेर के विकास हेतु मास्टर प्लान बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त ड्राफ्ट प्लान को स्वीकृत नहीं करवाया गया।

(3) जी हां।

(4) जी हां। जैसलमेर का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

प्रश्न संख्या–861

(स्थगित)

पंचायत समिति, सांगानेर के ग्रामों हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित योजना

862. श्री रेवत राम पंवार (नोखा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति, सांगानेर के कौन–कौन से गांव जयपुर विकास प्राधिकरण की परिधि के अन्तर्गत आते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांव में प्राधिकरण द्वारा कौन–कौन से कार्य कराये गये हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायतों ने जयपुर विकास प्राधिकरण को विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव भेजे हैं? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सांगानेर के 114 ग्राम जयपुर विकास प्राधिकरण की परिधि के अन्तर्गत आते हैं। सूची संलग्न हैं।

(2) पंचायत समिति सांगानेर में वर्ष 2002–2003 में ग्रामवार कार्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से जो प्रस्ताव प्राप्त हुये है उनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर विवरण सहित अंकित हैं।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कृषि भूमि जयपुर में बसी कालोनियों में सुविधा क्षेत्र का नियमन

863. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री उदय सिंह राठौड़)

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि पर बसी कालोनियों के नियमन के लिये 60% अवासीय 40% सुविधा क्षेत्र मानदण्ड पूर्ण करने के लिये ऐसे प्लांट जिनका सोसायटी के नक्शे में सुविधा क्षेत्र में नहीं दिखाया हुआ है को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त प्लाटों को सुविधा क्षेत्र में दर्शाने के लिये क्या मानदण्ड/नियम अपनाये गये हैं? मानदण्ड/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त में से कुछ योजनाओं में प्लाटों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां पर और उसके लिये क्या मानदण्ड/नियम अपनाये गये?

(4) क्या उक्त में से ऐसे लोग भी हैं जिनका भूमि रूपान्तरण शुल्क लम्बे समय से जमा है? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण उक्त में से नियमन का क्या कोई विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त प्लाटों में ऐसे प्लाट भी हैं जिनमें मकान बने हुये हैं व बिजली के कनेक्शन भी हैं? यदि हां, तो उक्त के नियमन के सम्बन्ध में क्या निर्णय कब तक किया जाना है?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि भूमि पर बसी कालोनियों के नियमन के सम्बन्ध में 60 प्रतिशत आवासीय एवं 40 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र सड़क सहित मानदण्ड निर्धारित है। जिसमें उपरोक्त मानदण्ड के आधार पर कालोनी का प्लान नहीं होने की स्थिति में प्रकरण को भवन मानचित्र समिति के समक्ष रखा जाकर सुविधा क्षेत्र का निर्धारण सोसायटी से संशोधित प्लान प्राप्त कर मानदण्डों की पूर्ति की जाती है। बिना किसी आधार के प्लाटों को सुविधा क्षेत्र में नहीं दर्शाया जाता है।

(2) उक्त क्रम में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.5(3) नविवि/99 पार्ट दिनांक 11.1.2002 में दिये गये मानदण्ड/नियम अपनाये जाते है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। कुछ योजनाओं के भूखण्डों को जो पूर्व में सुविधा क्षेत्र में दर्शाये गये थे उनमें से कुछ भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया गया है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.2.2002 के अनुसरण में दिनांक 13.11.2001 से पूर्व सुविधा क्षेत्र में निर्माण होकर रिहाइश हो गई है उसमें पुनः निर्धारण कर सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर नियमन की कार्यवाही की जाती है। मुक्त किये गये भूखण्डों की सूची योजनावार संलग्न है (परिशिष्ट-ब)

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(4) जी हां। यह सही है कि उक्त में से कुछ भूखण्डों का रूपान्तरण शुल्क जमा है उक्त भूखण्डों को सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा सबूत प्रस्तुत करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण की बीपीसी में अनुमोदन होने के उपरान्त नियमन की कार्यवाही की जाती है।

(5) जी हां। उक्त प्लाटों में से ऐसे प्लाट भी है जिसमें बिजली के कनेक्शन भी है। उक्त के नियमन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.2.2002 के तहत दिनांक 13.11.2001 से पूर्व निर्मित मकान तथा आदेशों के अन्तर्गत मानदण्ड पूर्ण होने पर आवेदनकर्ता के आवेदन पर बीपीसी के निर्णय उपरान्त मुक्त किये जाते है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी सैक्टर प्लान पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण

864. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सैक्टर प्लान सार्वजनिक कर आपत्तियां मांगी गई थीं? यदि हां, तो किस–किस सड़क के लिए क्या–क्या आपत्तियां प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आपत्तियों पर विचार कर जन भावना के अनुरूप निर्णय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो आपत्तियां किस लिए मांगी गई?

(3) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त सैक्टर प्लान के अन्तर्गत आ रही सड़कों का सर्वे किया है? यदि हां, तो उक्त सैक्टर सड़कों के चौड़ा करने से कितने मकान/दुकानें प्रभावित होंगी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न सैक्टरों की पृथक–पृथक सड़कों के लिए अभी तक 290 आपत्तियां प्राप्त हुई है। आपत्तियां प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30.4.2003 हैं इसके पश्चात् ही उठाये गये बिन्दुओं का आकलन किया जा सकेगा।

(2) जी हां। अभी आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30.4.2003 हैं। इसके पश्चात् ही उक्त बिन्दुओं पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(3)अन्तिम तिथि तक प्राप्त आपत्ति/सुझावों का जोनों द्वारा तकनीकि परीक्षण कर सक्षम स्तर पर अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

सचिव, दीप दर्शन गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर द्वारा अनियमितता

865. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सही है कि जिला एवं तहसील अजमेर के गांव काकरदा भूणाभाय की खाता संख्या 42 के खसरा नं. 152/1 की (अजमेर रोड स्थित) भूमि को श्री सोहनलाल सुईवाल पुत्र श्री नंदाजी खटीक निवासी वैशाली नगर अजमेर, सचिव, दीप दर्शन गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर द्वारा वर्ष 1985 में क्रय कर भू–खण्डों का आबंटन किया गया? यदि हां, तो कितने भू–खण्ड किस–किस साइज के किन–किन को आबंटित किए गए? आबंटियों के नाम, पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा उक्त भूमि की कोई स्कीम नगर विकास न्यास, अजमेर को प्रस्तुत कर दी गई? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) अब तक उक्त समिति के विरुद्ध न्यास द्वारा क्या–क्या कार्यवाही कब–कब की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जिला व तहसील अजमेर के गांव काकरदा भोणाभाय की खाता संख्या 42 के खसरा नम्बर 152/1 की (अजमेर रोड स्थित भूमि को) सचिव, दीप दर्शन गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर द्वारा उक्त भूमि को सम्मिलित करते हुए (आवासीय) योजना बनाकर भूखण्ड आबंटित किये गये हैं। लेकिन आबंटियों की सूची एवं मानचित्र उक्त समिति द्वारा न्यास कार्यालय में आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) जी नहीं। उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा उक्त भूमि की कथित कोई भी स्कीम नगर विकास न्यास, अजमेर को प्रस्तुत नहीं की गई।

(3) न्यास कार्यालय में व्यक्तिगत आवेदकगणों द्वारा नियमन के विभिन्न प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मौका जांच के पश्चात् आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत भूखण्डों के वास्तविक खसरा नम्बरान की विस्तृत सूची बनाकर भूमि सिवायचक होने के कारण व भूमि न्यास को हस्तान्तरित न होने के कारण भूमि भू–स्वामी तहसीलदार, अजमेर को न्यास के पत्र क्रमांक 2167 दिनांक 20.7.2002 द्वारा सम्बन्धित आवेदकों/समिति के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मय प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों की छाया प्रतियां सहित समस्त प्रकरण को भू–माफिया विरोधी अभियान के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित किया गया था। पत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

सोडाला सीवरेज फार्म जयपुर में जन सुविधा हेतु आमंत्रित निविदा अनुरूप कार्य

866. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(1) क्या जयपुर स्थित सोडाला सीवरेज फार्म में ज्योतिबा महिला महाविद्यालय के पश्चिमी भाग में 9 मीटर सड़क अन्दर स्थित शिव मंदिर एवं महाविद्यालय के पीछे बसी आवासीय कालोनियों के निवासियों के आवागमन हेतु प्रस्तावित की हुई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ज्योतिबा महिला महाविद्यालय ने उक्त प्रस्तावित सड़क हेतु अपनी भूमि में 20 फुट भूमि छोड़ते हुए बाउण्डरी का निर्माण किया है? यदि हां, तो क्या उक्त सार्वजनिक उपयोगितार्थ सड़क हेतु मानचित्र में संशोधन किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त क्षेत्र में स्कूल/कालेज हेतु आरक्षित भूमि किस संस्थान/ट्रस्ट/समिति को आबंटित कर दी है? नक्शा एवं आबंटन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति की रामनगर-एफ आवासीय योजना के कितने भू-खण्डधारियों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे आबंटित किए गए हैं एवं कितने भू-खण्डधारियों को पट्टे किन-किन कारणों से आबंटित नहीं किए गए हैं? रामनगर-एफ आवासीय योजना के मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त आवासीय कालोनी के नियमन से कितनी राशि प्राधिकरण में जमा हुई है एवं वर्ष 2003-04 में आवासीय योजना के सड़कें, जल, विद्युत, सीवरेज के विकास कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) उक्त आवासीय योजना के अन्दर के हिस्से में (गलियों) में सीवरेज लाइन अभी तक नहीं डाले जाने के क्या कारण रहे हैं?

(7) क्या उक्त आवासीय योजना में सड़क निर्माण हेतु नगर निगम ने कोई निविदाएं जारी की थी? यदि हां, तो क्या ठेकेदार ने आवास संख्या 224 की लाइन में बिना सड़क बनाए पूरा भुगतान उठा लिया है? यदि नहीं, तो उक्त कार्य को अपूर्ण छोड़ने के क्या कारण रहे एवं कब तक पूरा किया जावेगा?

(8) क्या क्षेत्रीय विधायक, पार्षद एवं स्थानीय विकास समितियों ने सीवरेज फार्म की राजकीय भूमि में 9 मीटर सड़क की भूमि छोड़ने हेतु ज्ञापन दिए हैं एवं स्कूल भूमि हेतु आरक्षित भूमि की बाउण्डरी कार्य को रुकवाया है? यदि हां, तो जन भावना एवं क्षेत्रीय विधायक, पार्षद की अनुशंसा पर सड़क हेतु भूमि आरक्षित की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सोडाला सीवरेज फार्म में ज्योतिबा फूले महिला महाविद्यालय के पश्चिमी भाग में 9 मीटर सड़क अन्दर शिव मन्दिर के लिये महाविद्यालय के पीछे बसी कालोनियों के निवासियों के आवागमन हेतु सड़क निकालने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। ज्योतिबा महिला महाविद्यालय ने उक्त प्रस्तावित सड़क हेतु अपनी भूमि 20 फुट नहीं छोड़ते हुए बाउण्डरीवाल का निर्माण किया है।

(3) जी नहीं। उक्त क्षेत्र में किसी संस्थान, ट्रस्ट व समिति को आरक्षित भूमि में से कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(4) अपोलो नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की राम नगर–एफ योजना में अब तक 217 भूखण्डधारियों को पट्टे दिये गये हैं। 9 भूखण्डधारियों को एच.टी. लाइन से प्रभावित होने के कारण तथा 2 भूखण्डधारियों को बिल्ट अप एरिया नहीं मिलने के कारण पट्टे नहीं दिये गये हैं। राम नगर–एफ की योजना मानचित्र की प्रति संलग्न है।

(5) उक्त आवासीय योजना में नियमन में अब तक 45,77,030/–रुपये जमा हुये है। वर्ष 2003–04 में उक्त आवासीय योजना में सड़क निर्माण पर रुपये 9.5 लाख खर्च करना प्रस्तावित है। इस आवासीय योजना में जल सुविधा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासीय योजनाओं में विद्युत लाइन लगाने का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता है। जयपुर नगर निगम के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप वर्ष 2003–04 में 10 लाख रुपये के सीवर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

(6) उक्त आवासीय योजना के अन्दर के हिस्से की सीवर लाइनों के निस्तारण हेतु पहले मुख्य सीवर लाइन बिछाई जाने के कारण गलियों में सीवर लाइन नहीं बिछाई गई है।

(7) जी हां। उक्त आवासीय योजना रामनगर–एफ एवं मंगल विहार कालोनी की मुख्य मुख्य सड़कों के निर्माण हेतु नगर निगम द्वारा दिनांक 29.05.2002 को 4.01 लाख का कार्यादेश दिया गया है। ठेकेदार द्वारा आवास संख्या एफ–224/ की सड़क का निर्माण नहीं किया गया है अत: इस सड़क का भुगतान भी नहीं किया गया है। चूंकि उक्त निविदा/ कार्यादेश में उपरोक्त दोनों कालोनी की मुख्य मुख्य सड़कों को ही बनाया गया है। अत: बजट के अभाव में इन छोटी सड़कों को छोड़ा गया है। इस सड़क को बजट उपलब्धता की स्थिति में अगले वित्तीय वर्ष में बनाया जाना प्रस्तावित है।

(8) जोन में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

हुये हैं। संस्थानिक उपयोग की भूमि है जिसकी बाउण्डरीवाल को किसी प्रकार के विरोध के कारण नहीं रुकवाया अपितु जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण निर्माण रोका हुआ है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सी–ब्लाक, महेश नगर, जयपुर में अपूर्ण विकास कार्य

867. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि महेश नगर, जयपुर के सी–ब्लॉक में 60 फुट चौड़ी सड़क पर सीवर लाइन डाल दी गई है? यदि हां, तो सी–ब्लाक में ही प्लाट नम्बर सी–405 से सी–430 तक सीवर लाइन क्यों नहीं डाली गई? क्या अब सरकार उक्त प्लाटों के आगे भी सीवर लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर काफी पुराना एक बड़ा नाला बना हुआ है, जिसके निर्माण के बाद आज तक सफाई नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार अब इसकी सफाई कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनियों में पहचान हेतु मार्गों पर कोई नाम नहीं लिखा है? यदि हां, तो अब कब तक उक्त मार्गों का नाम लिखा जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। महेश नगर जयपुर के सी–ब्लाक में 60 फुट चौड़ी सड़क पर मुख्य/उप मुख्य सीवर लाइन डाल दी गई है। प्लाट संख्या सी–405 से सी–430 तक सीवर लाइन का कार्य आन्तरिक सीवर लाइन के कार्य के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। नाला बना हुआ है। लिफ्ट की मात्रा कम होने के कारण इसकी सफाई नहीं करायी गयी। इस वर्ष बरसात से पूर्व माह मई, जून में आवश्यकतानुसार इसकी सफाई करा दी जायेगी।

(3) जी हां। नामकरण हेतु जन प्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगे गए है। प्रस्ताव प्राप्त होने बाद नाम अंकित करने की कार्यवाही की जाएगी।

राज्य में खान आबंटन के नियम

868. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य में वर्तमान में खनन कार्य के लिए कितने क्षेत्रफल की कितनी संख्या में एक व्यक्ति को खान आबंटित की जा सकती है?

उत्तर

अप्रधान खनिज

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 11(2) के तहत कोई भी व्यक्ति अनुसूचि 3 में वर्णित किसी भी खनिज या ऐसोसिएटेड मिनरल के लिए एक या उससे अधिक के खनन पट्टे कुल 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की सीमा तक के प्राप्त कर सकता है। इसी नियम के प्रथम परन्तुक के तहत किसी भी खनिज या एसोसिएटड खनिज के लिए किसी भी सहायक खनिज अभियन्ता/खनिज अभियन्ता कार्यालय क्षेत्राधिकार में 2 खनन पट्टे तथा पूरे राजस्थान में अधिकतम 3 खनन पट्टे प्राप्त कर सकता है। इसी नियम के द्वितीय परन्तुक के तहत राज्य सरकार खनिज विकास के हितों के मध्य नजर एवं कारण सहित किसी भी व्यक्ति को 2 या 3 से अधिक खननपट्टे कुल क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर की सीमा तक के स्वीकृत करने की अनुमति दे सकती है। राज्य सरकार द्वारा खनिज मार्बल एवं ग्रेनाइट के खननपट्टा आबंटन हेतु अलग से नीति वर्ष 2002 में बनाई गई है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति निम्नानुसार क्षेत्रफल के खनन पट्टे प्राप्त कर सकता है :

खनिज मार्बल

कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य में 8 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे प्राप्त कर सकता है, परन्तु यदि कोई व्यक्ति राज्य में 2 या उससे अधिक डायमण्ड गैंगसा जिसकी क्षमता 2.5 मीटर×1.5 मीटर×1.5 मीटर के मार्बल ब्लाक काटने की हो या स्वचालित टाइलिंग प्लांट जिसकी मुख्य मोटर 150 एच.पी. या उससे अधिक क्षमता की हो को निम्नानुसार क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे देने का प्रावधान है :

गैंगसा/स्वचालित टाइलिंग प्लांट की संख्या	अधिकतम क्षेत्रफल (है.)
दो	12.00
तीन	16.00
चार या उससे अधिक	20.00

उपरोक्त के अलावा जो व्यक्ति खनन के मशीनीकरण/प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए रुपया 10.00 करोड़ का विनियोजन कर लिया है या उसके लिए प्रभावी कदम उठा लिये है के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा 28.00 है, क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे दिये जाने का प्रावधान है।

खनिज ग्रेनाइट

कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य में 9 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे प्राप्त कर सकता है, परन्तु यदि कोई व्यक्ति राज्य में एक या उससे अधिक डायमण्ड गैंगसा जिसकी क्षमता 2.5 मीटर×1.5 मीटर×1.5 मीटर के ग्रेनाइट ब्लाक काटने की हो या डायमण्ड सर्कूलर शॉ जिसकी मुख्य

(खनिज मंत्री)

मोटर 100 एच.पी. या उससे अधिक क्षमता की हो को निम्नानुसार क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे देने का प्रावधान है :

गैंगसा/स्वचालित टाइलिंग प्लांट की संख्या	अधिकतम क्षेत्रफल (है.)
एक	15.00
दो	21.00
तीन	27.00
चार या उससे अधिक	33.00

उपरोक्त के अलावा जो व्यक्ति खनन के मशीनीकरण/प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए रुपया 10.00 करोड़ का विनियोजन कर लिया है या उसके लिए प्रभावी कदम उठा लिये है के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा 50.00 है, क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे दिये जाने का प्रावधान है।

प्रधान खनिज

राज्य में वर्तमान में प्रधान खनिज के तहत खनन पट्टा हेतु न्यूनतम 5.00 हैक्टेयर क्षेत्र की सीमा निर्धारित है जिसमें संख्या की बंदिश न होकर एम.एम.डी.आर.एक्ट, 1957 की धारा 6(1)(बी) के अन्तर्गत कोई भी आवेदक अधिकतम 10 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र ले सकता है।

ग्राम मणु (नागौर) में वन विकास की प्रस्तावित योजनाएं

869. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में वन विकास की कोई योजनाएं चल रही हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर कौन-कौनसी योजनाएं चल रही हैं जिनकी कितनी-कितनी लागत है? विवरण सदन की मेज पर रखें

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम मणु तहसील लाडनूं जिला नागौर में भी वन विभाग की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या-क्या योजना है तथा उक्त पर कितनी राशि व्यय होगी और वे योजना कब पूरी होंगी?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। ग्राम मणु तहसील लाडनूं में वर्ष 2000 से 16 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। जिस पर राशि 11.05 लाख रुपये व्यय होगी एवं इसका संधारण कार्य वर्ष 2005 तक चलेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड खण्डवा (चूरू) के विरुद्ध जांच

870. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चूरू की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड खण्डवा का कालाबाजारी के आरोप में प्राधिकरण पत्र एस.डी.ओ., चूरू ने निरस्त किया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त के विरुद्ध में पुलिस कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दर्ज कराई? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध अब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या ग्रामवासियों ने इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने कि शिकायत जिला कलक्टर चूरू को भी की है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी नहीं। एस.डी.ओ. चूरू द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति खण्डवा का प्राधिकार पत्र निरस्त नहीं किया गया है। कुछ स्थानान्तरित कर्मचारियों के राशन कार्ड्स जो अन्य उपभोक्ताओं के पास थे, का सामान समिति के द्वारा वितरित कर देने के कारण जिला रसद कार्यालय, चूरू द्वारा उक्त समिति का प्राधिकार पत्र दिनांक 25.9.2001 को निरस्त किया गया है।

(2) जी नहीं। समिति के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है और न ही इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत होती है।

(3) जी हां। जिला कलक्टर, चूरू के माध्यम से समिति के विरुद्ध ग्रामवासियों की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें डीलर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का कोई अंकन नहीं है। प्राप्त शिकायत की जांच में कुछ स्थानान्तरित कर्मचारियों के राशन कार्ड्स जो अन्य उपभोक्ताओं के पास थे, का लेवी सामान समिति के द्वारा वितरित किया जाना पाया गया, इसलिए समिति का खण्डवा क्षेत्र का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया।

ग्राम पंचायत रलावता (दौसा) के राशन विक्रेता के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

871. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रलावता पंचायत समिति बांदीकुई जिला दौसा में किसी को राशन डीलर नियुक्त कर रखा है? यदि हां, तो किसे तथा कब से तथा यह डीलर कब-कब रहा है?

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त डीलर के विरुद्ध ग्रामवासियों ने तहसीलदार/कलक्टर एवं रसद विभाग में इसकी अनियमितता, कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी की शिकायतें की हैं? यदि हां, तो कब-कब तथा उक्त पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी? प्राप्त शिकायतों की प्रति सहित की गई कार्यवाही के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त राशन डीलर के विरुद्ध अन्य माध्यम से भी अनियमितता की सूचना प्रकाशित हुई है? यदि हां, तो कब-कब?

(4) क्या सरकार उक्त डीलर की डीलरशिप रद्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत रलावता, पंचायत समिति, बांदीकुई जिला दौसा में दो उचित मूल्य डीलर नियुक्त है:

1. श्री रामचरण गुर्जर दिनांक 23.6.2000 से निरन्तर
2. श्री विजेन्द्र सिंह दिनांक 24.3.1992 से निरन्तर

(2) जी हां। श्री रामचरण गुर्जर, उचित मूल्य दुकानदार, रलावता (बांदीकुई) के विरुद्ध निम्न शिकायतें प्राप्त हुई:

1. जिला कलक्टर, दौसा को प्राप्त शिकायत दिनांक 29.8.2002
2. जिला रसद अधिकारी को प्राप्त शिकायत दिनांक 29.8.2002
3. उप जिला कलक्टर, बांदीकुई को प्राप्त शिकायत दिनांक 29.8.2002
4. जिला कलक्टर, दौसा को प्राप्त शिकायत दिनांक 13.9.2002
5. खाद्य विभाग (मुख्यालय) को प्राप्त दिनांक 16.9.2002

जिला रसद अधिकारी, दौसा ने शिकायत की जांच प्रवर्तन अधिकारी, बांदीकुई से करवाई। प्रवर्तन अधिकारी, बांदीकुई ने जांच रिपोर्ट दिनांक 29.9.2002 को जिला रसद अधिकारी, दौसा को प्रस्तुत करने पर जिला रसद अधिकारी, दौसा ने प्रकरण दर्ज कर डीलर को सुना जाकर दिनांक 10.10.2002 को डीलर की जमाशुदा प्रतिभूति राशि में से 100/-रुपये जब्त सरकार किये जाकर प्रकरण का निस्तारण किया।

पुन: दिनांक 13.9.2002 को जिला कलक्टर, दौसा को शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक, दौसा से जांच करवाई गई। प्रवर्तन निरीक्षक, दौसा ने जांच रिपोर्ट दिनांक 14.11.2002 को जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत की। जांच रिपोर्ट के

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

आधार पर एवं डीलर की अनियमितताओं के लिए जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा डीलर को दिनांक 27.11.2002 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कार्यवाही विचाराधीन है।

दिनांक 16.9.2002 को खाद्य विभाग (मुख्यालय) को भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की छाया प्रतियां जिला कलक्टर, दौसा को दिनांक 25.9.2002 को जांच करने तथा जांच प्रतिवेदन मय तथ्यात्मक टिप्पणी के विभाग को भिजवाये जाने बाबत लिखा गया। दिनांक 30.1.2003 को खाद्य विभाग (मुख्यालय) से एक जांच दल भेजकर जांच करवाई गई। जांचदल द्वारा दिनांक 13.2.2003 को यह अवगत कराया कि मौके पर दुकान बन्द मिलने, रेकार्ड उपलब्ध न होने के कारण जांच नहीं की जा सकी। जिला रसद अधिकारी, दौसा को पुन: विभाग द्वारा दिनांक 24.2.2003 को जांच करने एवं डीलर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही नियमानुसार करने हेतु लिखा गया। शिकायतों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। कुछ स्थानीय समाचार पत्रों में डीलर की अनियमितताओं से सम्बन्धित समाचार प्रकाशित हुये थे, जिनकी विगत निम्न प्रकार है:

1. राजस्थान पत्रिका दिनांक 29 अगस्त,2002

2. दैनिक भास्कर दिनांक 31 अगस्त,2002

3. दैनिक नवज्योति दिनांक 2 सितम्बर,2002

4. राजस्थान पत्रिका दिनांक 10 सितम्बर,2002

(4) जिला रसद अधिकारी, दौसा को विभाग द्वारा दिनांक 24.2.2003 को जांच करने एवं डीलर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही नियमानुसार करने हेतु लिखा गया।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

ग्राम लाखना से पहाड़िया (जयपुर) की प्रस्तावित सड़क निर्माण

872. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के ग्राम लाखना से ग्राम पहाड़िया तक सड़क बनाये जाना प्रस्तावित है? क्या उक्त के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं? यदि नहीं, तो कब तक जारी कर दिए जाएंगे?

(2) क्या यह भी सही है कि सड़क का अधिकतर हिस्सा टूट जाने के कारण यातायात में भारी असुविधा हो रही है? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के ग्राम लाखना मीनावाली तक 1.60

(कृषि विपणन मंत्री)

किलोमीटर डामर की सड़क कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा पूर्व में निर्मित है एवं मीनावाली से ग्राम पहाड़िया तक सड़क बनाये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ग्राम लाखना से मीनावाली तक 1.60 किलोमीटर लम्बाई में सड़क सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत मरम्मत के तहत डामरीकरण का कार्य प्रस्तावित है, जिसके कार्यादेश बोर्ड कार्यालय के पत्रांक 345–55 दिनांक 8.10.2002 द्वारा दिये जा चुके हैं।

(2) जी हां। ग्राम लाखना से मीनावाली तक सड़क की मरम्मत कर पुन: डामरीकरण का कार्य जून, 2003 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

रामपुरा से रायथल (जयपुर) की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

873. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या कृषि विपणनं मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रामपुरा से रायथल जिला जयपुर सड़क मार्ग पर ग्राम जाहोता से मोड़ी तक की सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त है?

(2) उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का पुन: निर्माण/मरम्मत कब तक किया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम रामपुरा से रायथल सड़क जिला जयपुर सड़क मार्ग पर गांव जाहोता से मोड़ी तक (4/500 से 8/0) 3.50 किलोमीटर लम्बाई में सड़क आंशिक क्षतिग्रस्त है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (फल–सब्जी) से प्रस्ताव प्राप्त होने तक सड़क नीति अनुसार स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

हवामहल जयपुर के प्राचीन स्वरूप में परिवर्तन

874. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मरम्मत के नाम पर "हवामहल" का हुलिया बिगाड़ दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) हवामहल में राजपूत शैली की आर्च को मुगल शैली में एवं पुराने शौचालयों को तोड़कर नये बनाये जाने के परिवर्तन की इजाजत सरकार ने क्यों, कब, किन नियमों के तहत दी है?

(3) विश्व प्रसिद्ध हवामहल में मनचाहा परिवर्तन करने के दोषी कौन–कौन ठहराये गये? अब तक उक्त दोषी पक्षकारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(4) क्या सरकार पुन: हवामहल का मूल स्वरूप कायम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। मरम्मत के नाम पर हवामहल का हुलिया नहीं बिगाड़ा गया है।

(2) जी नहीं। हवामहल में राजपूत शैली की आर्च को मुगल शैली में परिवर्तित नहीं किया गया है। इसी प्रकार पुराने शौचालयों को तोडकर नये शौचालय नहीं बनाये गये है। केवल पुराने शौचालयो की मरम्मत कराकर उन्हें पर्यटकों की आधुनिक स्वच्छता-सुविधा की दृष्टि से तैयार कराया गया है।

(3) हवामहल के मूलस्वरूप के अनुसार ही उक्त संरक्षण एवं पर्यटक सुविधा के कार्य कराये गये हैं।

(4) राज्य सरकार हवामहल का मूल स्वरूप कायम रखते हुए ही संरक्षण कार्य कराती है।

रायपुर (भीलवाड़ा) में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

875. डा. रतन लाल (सहाड़ा): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ए.सी.जे.एम. कोर्ट को ए.डी. कोर्ट में क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या सरकार ए.सी.जे.एम. कोर्ट गंगापुर (भीलवाड़ा) को ए.डी. कोर्ट में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार रायपुर (भीलवाड़ा) में मुंसिफ कोर्ट खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक खोल दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (ए.सी.जे.एम. कोर्ट) को अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय (ए.डी.जे. कोर्ट) में क्रमोन्नत करने का कोई भी मापदण्ड तथा प्रावधान निर्धारित नहीं है। निर्धारित संख्या में प्रकरण लम्बित होने की स्थिति में नये रूप से ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना की जाती है।

(2) जी नहीं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (ए.सी.जे.एम. कोर्ट) गंगापुर (भीलवाड़ा) को अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय (ए.डी.जे. कोर्ट) में क्रमोन्नत नहीं किया जाता है, क्योंकि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय में क्रमोन्नत करने का कोई मापदण्ड व प्रावधान निर्धारित नहीं है। वर्तमान में गंगापुर क्षेत्र के अपर जिला एवं सैशन न्यायालय स्तर के कुल 120 प्रकरण विचाराधीन है जबकि किसी क्षेत्र के लिये नये अपर जिला एवं सैशन न्यायालय स्तर के न्यायालय की स्थापना के लिये उस क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में तत्कालीन सरकार ने दिनांक 18.4.1995 को नये न्यायालय खोले जाने बाबत एक मापदण्ड निर्धारित

(विधि मंत्री)

किया था, जिसके अनुसार 1000–1200 प्रकरण होने पर ही नया अपर जिला एवं सैशन न्यायालय किसी स्थान पर माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श (स्वीकृति) से खोला जा सकता है।

(3) जी नहीं। रायपुर (भीलवाड़ा) में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या केवल 519 ही है जो मुंसिफ न्यायालय की स्थापना के लिए निर्धारित मापदण्ड 1700–2000 प्रकरणों से बहुत कम है। लिहाजा निकट भविष्य में उक्त न्यायालय खोलना सम्भव है। इस हेतु भी उक्त मापदण्ड तत्कालीन सरकार द्वारा दिनांक 18.4.1995 को ही तय किया है।

राज्य के प्रस्तावित पशु चिकित्सालय

876. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2002-03 में प्रदेश में 200 उप-केन्द्र खोलने का विचार था? यदि हां, तो कहां-कहां खोले गये और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त अवधि में प्रदेश में कितने पशु चिकित्सालय खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अब नये पशु चिकित्सालय व उप-केन्द्र खोले जाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण चालू वित्तीय वर्ष में उपकेन्द्र नहीं खोले गये हैं।

(2) वित्तीय वर्ष 2002-2003 में नवीन पशु चिकित्सालय नहीं खोले गये हैं।

(3) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्तमान में विभाग द्वारा नये पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्र नहीं खोले जा रहे हैं।

पशु चिकित्सकों का वेतन विसंगति प्रकरण

877. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विभाग में उच्च पदों पर समकक्ष विभागों की तुलना में वेतन विसंगतियां हैं? यदि हां, तो उक्त के निराकरण के लिये सरकार की क्या नीति है?

(2) उक्त विपणन में राजस्थान पशु चिकित्सक संघ द्वारा क्या कोई ज्ञापन दिया गया है? यदि हां, तो वर्तमान स्थिति में वेतन विसंगति को दूर करने में कितना आर्थिक भार राज्य पर पड़ना सम्भावित है?

(श्री मदन दिलावर)

(3) क्या यह सही है कि आर्थिक भार नगण्य है? यदि हां, तो वेतन विसंगतियों को दूर करने की क्या सम्भावना है?

उत्तर

(1) जी हां। वेतनमानों की विसंगतियों के निराकरण हेतु श्री यतीन्द्र सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।

(2) जी हां। ज्ञापन में दी गई सूचना अनुसार वर्तमान स्थिति में वेतन विसंगति को दूर करने में लगभग 1.44 लाख रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त वार्षिक भार पड़ना सम्भावित है।

(3) जी हां। समिति की रिपोर्ट पर निर्णय होने के पश्चात् ही वेतन विसंगतियों को दूर करना सम्भव है।

सलूम्बर उप खण्ड मुख्यालय पर बस स्टैण्ड की स्थापना

878. श्री रूपलाल मीणा (सलूम्बर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सलूम्बर उप-खण्ड मुख्यालय पर रोडवेज का बस स्टेण्ड व डिपो नहीं, है?

(2) क्या बस स्टैण्ड हेतु वहां के लोग भूमि देने को तैयार हैं?

(3) क्या सरकार सलूम्बर में बस स्टैण्ड स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सलूम्बर में बस स्टैण्ड हेतु भूमि देने के सम्बन्ध में निगम को स्थानीय विधायक श्री रूपलाल मीणा से खातेदारी की भूमि के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। प्रस्तावित भूमि के समीप ऊंचाई पर एक तालाब स्थित है जिसके ओवर फलो होने पर प्रस्तावित भूमि के पास बने नाले में पानी का बहाव बना रहता है, इस प्रकार यह भूमि बस स्टैण्ड हेतु उपयुक्त नहीं है।

(3) जी नहीं। निगम के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं कमजोर आर्थिक दृष्टि के कारण फिलहाल सलूम्बर में निगम का भूमि क्रय कर बस स्टैण्ड निर्माण का कोई विचार नहीं है।

विधायकों को मिलने वाली डिस्पोजल जीप का रजिस्ट्रेशन शुल्क

879. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधायकों को मिलने वाली डिस्पोजल जीप का रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित जिला परिवहन कार्यालय से करवाने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क किस रेट से चार्ज किया

(श्री मंगलाराम गोदारा)

जाता है? क्या उक्त जीपों पर नई जीप लागत 3.50 लाख आधार मानकर रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ने विधायक कोटे में मिलने वाली डिस्पोजल जीप की कीमत निर्धारित कर रखी है? यदि हां, तो कितनी और निर्धारित कीमत पर रजिस्ट्रेशन शुल्क क्यों नहीं लिया जा रहा है?

उत्तर

(1) विधायकों को मिलने वाली डिस्पोजल जीप का रजिस्ट्रेशन शुल्क अलग से निर्धारित नहीं किया हुआ है। हल्का मोटर वाहन गैर परिवहन यान का रजिस्ट्रेशन शुल्क रु. 200/-केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 के अन्तर्गत निर्धारित की गई है। विधायकों को मिलने वाली डिस्पोजल जीप का रजिस्ट्रेशन शुल्क जीप की लागत साढ़े तीन लाख रुपये के आधार पर नहीं लिया जाता है बल्कि उक्त नियम के अन्तर्गत निर्धारित राशि देय होती है।

(2) सरकार द्वारा विधायक कोर्ट में मिलने वाली मिलेट्री डिस्पोजल जीप के लिए कोई कीमत निर्धारित नहीं की जाती है। मोटर वाहन कराधान अधिनियम में वाहन पर कर कीमत के आधार पर लगाया जाता है जिसके लिए मिलेट्री डिस्पोजल जीप के समकक्ष नई वाहन की कीमत के आधार पर कर की गणना की जाती है एवं इस प्रकार गणना से प्राप्त राशि में प्रथम पंजीयन वर्ष से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम सात वर्ष तक की छूट देते हुए कर वसूल किया जाता है। निर्धारित कीमत पर रजिस्ट्रेशन शुल्क लिए जाने का प्रावधान नहीं है।

जैसलमेर जिले में सीमावर्ती विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

880. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सीमावर्ती क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सीमावर्ती विकास योजना में प्रतिवर्ष राशि स्वीकृत की जाती है? यदि हां, तो जैसलमेर जिले में गत चार वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा व्यय करने के पश्चात् 31.3.2002 को किन विभागों में कितनी राशि शेष रही एवं कितना कार्य पूर्ण नहीं हुआ?

उत्तर

जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जैसलमेर को सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गत चार वर्षों 1998-99 से 2001-2002 में कुल रुपये 3490.95 लाख की राशि जारी की गई। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जैसलमेर से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक

(ग्रामीण विकास मंत्री)

31.3.2002 को रुपये 103.64 लाख की राशि विभिन्न विभागों के पास रही है, अवशेष राशि की विभागवार सूचना परिशिष्ट–अ पर उपलब्ध है। वर्तमान में 4 कार्य प्रगतिरत है एवं एक कार्य पर रोक लगी हुई है, जिनकी सूची परिशिष्ट–ब पर संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र रायपुर में विधायक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि

881. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) स्थानीय विधायक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999 से फरवरी, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र रायपुर में उक्त कोष से कितनी–कितनी राशि की किस–किस कार्य की अनुशंसा की गई? कार्यों का विवरण मय राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय स्वीकृति के बाद किस किस कार्य का निर्माण कार्य अब तक पंचायत समिति, सार्वजनिक निर्माण विभाग व पेयजल विभाग द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया? कारणों सहित विवरण सदन की मेज परी रखें।

(3) वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद कार्य प्रारम्भ न करने की मानिटरिंग कौन करता है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जिन–जिन कार्यों की अनुशंसा की गई, उन कार्यो का मय राशि के विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(2) वित्तीय स्वीकृति के बाद जिन जिन कार्यो का निर्माण कार्य अब तक पंचायत समिति, सार्वजनिक निर्माण विभाग व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया, उनके कारणों सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

(3) वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद कार्य प्रारम्भ होने सम्बन्धित मानिटरिंग जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा की जाती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विधायक कोष से स्वीकृत अधूरे कार्य

882. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम बड़ीला में

(डा. किरोड़ी लाल)

नहर निर्माण सुरगढ़ में कूप/हैण्ड पम्प निर्माण/नारौली चौड में हथाई के निर्माण हेतु विधायक कोष से राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो वित्तीय स्वीकृति से अब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि नारौली चौड की हथाई का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने बाबत एक लिखित शिकायती पत्र पी.डी.डी.आर.डी.ए. सवाईमाधोपुर को विधायक बामनवास द्वारा लिखा गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोष से कौन–कौन से कार्य किस–किस कारण से कब से अपूर्ण हैं तथा प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम बड़ीला में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत नहर निर्माण, सुरगढ़ में कूप गहरा एवं मरम्मत तथा हैण्ड पम्प निर्माण व नारोली चौड में हथाई के निर्माण के कार्य स्वीकृत किये गये।

उक्त निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। पत्र में अंकित कार्य पूर्ण करा दिया गया हैं।

पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में जो–जो कार्य सबसे अपूर्ण हैं उनका विवरण मय कारण के संलग्न परिशिष्ट–3 पर उपलब्ध हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

883. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देश के निर्देशानुसार 25 लाख रुपये से अधिक के कार्य प्रतिबंधित हैं? यदि हां, तो दिशा निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सांसदों द्वारा उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना कर 25 लाख से अधिक के कार्य स्वीकृत कर दिए? यदि हां, तो किस–किस सांसद ने किस–किस कार्य के लिये 25 लाख से अधिक के कार्य स्वीकृत किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. समरजीत सिंह)

(3) क्या सरकार उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना करने वालों की स्वीकृतियां निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) भारत सरकार के पत्र दिनांक 11.11.2002 के अनुसार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से 25.00 लाख रुपये से अधिक के अंशदान की अपेक्षा वाले प्रस्ताव हेतु भारत सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है। उक्त बाबत भारत सरकार द्वारा जारी पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार उनके द्वारा 11.11.2002 के बाद ऐसा कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया जिस पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का 25.00 लाख रुपये से अधिक अंश लगा हो।

(3) ऐसी कोई स्वीकृतियां जारी ही नहीं हुयी हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कार्यक्रम से पूर्व शिक्षा

334. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार (टाइमटेबल) बी.ए. अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र इ.ई.जी.-02 की परीक्षा दिनांक 23.6.2001 को होनी थी और विश्वविद्यालय ने परीक्षा दिनांक 22.6.2001 को ही ले ली? यदि हां, तो इस प्रकार की कर्तव्य शिथिलता के लिये किन-किन अधिकारियों को दोषी ठहराया गया एवं उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से प्राप्त सूचनानुसार विश्वविद्यालय द्वारा जून, 2001 की समय सारणी में Structure of Modern English का प्रश्न पत्र दिनांक 22.6.2001 को तथा Language through literature का प्रश्न पत्र दिनांक 23.6.2001 को निर्धारित था तथा इन्हीं तिथियों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। त्रुटिवश उक्त दोनों ही प्रश्न पत्रों के कोड (EEG-01, EEG-02) गलत प्रिंट हो गये थे। जिन्हें हाथ से संशोधित कर छात्रों को समय सारणी भिजवाई गई थी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को किसी भी छात्र अथवा परीक्षा केन्द्रों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अत: कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के सहआचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

885. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डा.बी.पी. सारस्वत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय में सहआचार्य वाणिज्य विभाग के पद पर नियुक्त हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त की नियुक्ति उक्त विश्वविद्यालय में कब हुई तथा इन्होंने कार्यभार किस दिनांक को लिया? इससे पूर्व डा. सारस्वत किस पद पर कहां सेवारत थे?

(3) क्या डा. बी.पी. सारस्वत ने राजकीय शिक्षा सेवा से अपना त्याग पत्र देकर पद का कार्यभार गृहण किया था? यदि हां, तो त्याग पत्र किस दिनांक को दिया गया तथा उसे स्वीकार किस दिनांक को किया गया?

(4) निदेशक, कालेज शिक्षा राजस्थान का पत्रांक एफ.1(306)स्पा/नि. का. शि./91-22, दिनांक 11.8.2000 डा. सारस्वत को किस लिए जारी किया गया? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त पत्र पर अंतिम निर्णय क्या हुआ? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या डा. सारस्वत के विरुद्ध गम्भीर दुराचरण का मामला पाया गया? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(7) क्या यह सही है कि डा. सारस्वत विश्व हिन्दू परिषद् के प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर आसीन हैं तथा बजरंग दल के सदस्य हैं? क्या कुलपति से उक्त संगठनों में पद ग्रहण करने संबंधी अनुमति प्राप्त की गई? यदि हां, तो कब? अनुमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि डा. सारस्वत दिनांक 18 फरवरी, 2003 को गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में आयोजित त्रिशूल दीक्षा समारोह में प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ मंचासीन थे? क्या उक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कुलपति से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त की गई थी? यदि हां, तो अनुमति आवेदन पत्र तथा अनुमति प्रदान पत्र की सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डा. बी.पी. सारस्वत महर्षि दयानन्द सरस्वत विश्वविद्यालय अजमेर में सहआचार्य वाणिज्य के पद पर दिनांक 9.11.1998 अपरान्ह से कार्यरत हैं।

(2) डा. सारस्वत की महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में सह आचार्य वाणिज्य के पद पर नियुक्ति दिनांक 9.11.1998 को हुई तथा इन्होंने

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

दिनांक 9.11.1998 अपरान्ह को जोईन किया। इससे पूर्व डा. सारस्वत सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में लेक्चरर (ई.ए.एफ.एम.) के पद पर सेवारत थे।

(3) डा. बी.पी. सारस्वत ने दिनांक 9.11.1998 को अपना तकनीकी त्याग पत्र दिया था जिसे अभी तक राज्य सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

(4) निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान के द्वारा पत्र क्रमांक एफ. 1(306)स्था./निकाशि/81/22-24 दिनांक 11.8.2000 डा. सारस्वत के द्वारा त्याग पत्र स्वीकार हुये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में जारी किया गया था। प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(5) दिनांक 11.8.2000 के पत्र के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

(6) जी नहीं। कार्यवाही विचाराधीन है।

(7) विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचनानुसार विश्व हिन्दू परिषद् तथा बजरंग दल नामक संगठनों से विश्वविद्यालय को कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है कि डा. सारस्वत इन धार्मिक संगठनों के सदस्य अथवा पदाधिकारी हैं। विश्वविद्यालय के नियमों में यह आवश्यक नहीं है कि धार्मिक संगठनों में पद ग्रहण करने सम्बन्धी अनुमति कुलपति से प्राप्त की जाय।

(8) विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 18 फरवरी, 2003 को गुलाबपुरा भीलवाड़ा में दिन में एक धार्मिक कार्यक्रम तथा रात्रि में विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिये मुख्यालय छोड़ने की अनुमति डा. सारस्वत को प्रदान करते हुये एक दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकार किया गया था, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। विश्वविद्यालय ने अवगत कराया है कि उनको यह अधिकृत जानकारी नहीं है कि दिनांक 18 फरवरी, 2003 को गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में आयोजित त्रिशूल दीक्षा समारोह में प्रवीण भाई तोगडिया के साथ वे मंचासीन हुये या नहीं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

व्याख्याता इतिहास सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर को जारी आरोप पत्र की जांच

886. श्री कय्यूम खान (मसूदा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि व्याख्याता इतिहास सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर के विरुद्ध कोई आरोप पत्र सी.सी.ए.

(श्री कय्यूम खान)

रूल 16 के अंतर्गत जारी किया गया है? यदि हां, तो जारी करने वाला अधिकारी कौन है?

(2) क्या उक्त अधिकारी सी.सी.ए. रूल 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी करने के लिये अधिकृत नहीं है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है?

(3) उक्त व्याख्याता के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने का आधार क्या है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त व्याख्याता के विरुद्ध आरोप पत्र चीता-काठात को शहीद दिवस समारोह में भाग लेने के कारण लगाया गया था?

(5) क्या चीता-काठात कौम के शहीदों की याद में आयोजित शहीद दिवस समारोह गोपनीय आयोजन था? यदि नहीं, तो शहीदों के सम्मान में आयोजित समारोह में भाग लेने पर आरोप पत्र क्यों जारी किया गया?

(6) क्या सरकार उक्त आरोप पत्र के अनुसार उक्त व्याख्याता के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये जाते है जो सक्षम है।

(3) उक्त व्याख्याता के विरुद्ध आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है। बल्कि आरोप पत्र विचाराधीन है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। चीता-काठात कौम के शहीदों के सम्मान में आयोजित समारोह में भाग लेने पर आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है।

(6) प्रस्तावित आरोप पत्र में उक्त व्याख्याता दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

कृषक साथी योजना के तहत देय सहायता की समय सीमा

887. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषक साथी योजना के तहत कृषि कार्यों में दुर्घटनाओं पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कब से और अब तक कितनी-कितनी दुर्घटनाएं हुई तथा कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई? वर्षवार दुर्घटनाओं की संख्या व दी गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के तहत

(श्री हरजीराम बुरड़क)

सहायता देने के लिये कोई नियम/दिशा निदेश जारी किया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या? उक्त नियमों व आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सहायता देने के लिये कोई समय सीमा निश्चित है? यदि हां, तो कितनी?

(4) क्या जितने प्रार्थना पत्र बोर्ड को प्राप्त हुये उन सभी को मुआवजा राशि दे दी गई है? यदि नहीं, तो जिन को नहीं दी गई है वो बोर्ड कार्यालय में कब से लम्बित हैं? ऐसे प्रकरणों की सूची मय नाम सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि दुर्घटनाओं के मामले में तत्काल सहायता मिलनी चाहिए? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जायेंगे?

(6) क्या यह भी सही है कि जब निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही राशि देनी है तो कृषि मण्डी स्तर पर ही तत्काल भुगतान हेतु कोई आदेश जारी किये जावेंगे? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कृषक साथी योजना के तहत 5594 दुर्घटनाएं हुई, जिनकी मुआवजा राशि 984.31 लाख रुपये दी गई। वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। उक्त योजना के लिए वर्तमान में प्रभावी नियमों की प्रति परिशिष्ट 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) मण्डी समिति में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर एक माह में निर्णय करने की सीमा निश्चित है एवं निर्णय के पश्चात् 15 दिवस में वैध दावेदार को सहायता देने का प्रावधान है।

(4) कृषि उपज मण्डी समितियों के कुल 5594 प्रकरण मुआवजा राशि के पुनर्भरण के लिए बोर्ड को फरवरी, 2003 तक प्राप्त हुए, जिनकी मुआवजा राशि 984.31 लाख रुपये बोर्ड द्वारा दी गई। बोर्ड स्तर पर कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(5) राज्य सरकार से जारी दिशा निर्देशानुसार वांछित कार्यवाही पूर्ति कर मण्डी समितियों द्वारा तत्काल सहायता उपलब्ध करा दी जाती है।

(6) सम्बन्धित मण्डी स्तर पर ही दावे का नियमानुसार भुगतान किया जाता है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

प्रश्न संख्या-65

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-144

(स्थगित)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3 मार्च, 2003)

न्यायिक अधिकारियों की अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति

151. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि कुछ न्यायिक अधिकारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पद कार्यरत हैं और न्यायालयों में उक्त अधिकारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन न्यायिक अधिकारी, किस-किस विभाग में, कब-कब से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं और कौन-कौन से न्यायालयों में कब-कब से न्यायिक अधिकारियों के पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि कुछ न्यायिक अधिकारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हैं तथा यह भी सही है कि न्यायालयों में कुछ अधिकारियों के पद रिक्त हैं किन्तु यह सही नहीं है कि इन न्यायिक अधिकारियों के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण कुछ न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के पद रिक्त हैं।

जो न्यायिक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में कार्यरत हैं उनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" संलग्न है। वर्तमान में केवल सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग के ही कुल 108 पद रिक्त हैं और इस संवर्ग का एक भी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग में कार्यरत नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

प्रश्न संख्या-231

(स्थगित)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:

(1) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से तहसील कामां के ग्राम बोलखेड़ा के सारापहाड़ चरागाह की जमीन पर हो रहे गैर-कानूनी कार्य को रोकने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी की ग्राम पंचायत पड़ासौली एवं बडवा में अकाल राहत कार्यों के तहत गेहूं का वितरण नहीं होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(3) श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य की

(श्री अध्यक्ष)

ओर से सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा पुलिस प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है, प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरा राजस्थान बन्द है...

श्री उपाध्यक्ष : बैठने तो दो। बैठने तो देंगे कि नहीं? एक मिनट बैठने तो दो मुझे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के सारे व्यापारी आज इस सरकार के काले कानून के कारण हड़ताल पर हैं। उपाध्यक्ष महोदय...

डा. के.सी. चौधरी (ब्यावर) : यह दिल्ली का ही काम है, राजस्थान सरकार ने इसको पोस्टपोन कर दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह आनन-फानन के अन्दर सरकार ने वैट कानून इस राजस्थान की विधान सभा में अपने प्रचण्ड बहुमत के आधार पर पारित कराकर...(व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : राजस्थान सरकार ने तो इसे पोस्टपोन कर दिया है, आपकी सरकारों से स्थगित करवाइये। गुजरात में आपकी सरकार है उसने स्थगित नहीं किया है। गुजरात में नरेन्द्र मोदी से स्थगित करवाइये, राजस्थान सरकार ने तो इसे पोस्टपोन कर दिया है। यह काला कानून भारत सरकार ने बनाया है हिन्दुस्तान भर के लिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज राजस्थान बन्द है...(व्यवधान) व्यापारी हड़ताल पर हैं और आज इस सदन के समक्ष उनका संगठन मांग को लेकर आया है...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : ऐसा नहीं है। यह काला कानून भारत सरकार ने बनाया है। (व्यवधान) राज्य सरकार ने इसको पोस्टपोन कर दिया है। आप गुजरात से भी पोस्टपोन करवाइये इसको, राजस्थान सरकार ने तो पोस्टपोन कर दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस काले कानून को वापस लें। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का व्यापारी तबाह हो रहा है सरकार की गलत नीतियों के कारण।

डा. के. सी. चौधरी : राजस्थान सरकार ने तो अपनी मंशा साफ कर दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से सरकार से कि यह कानून...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री अरुण सिंह : माननीय राठौड़ साहब। माननीय राठौड़ साहब...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। (व्यवधान) बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : देश के अन्दर इस तरह की बात उभर रही है इसके लिए ये खुद अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि केन्द्र सरकार की क्या नीति है वैट के बारे में। व्यापारियों को केन्द्र सरकार परेशान करने जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज, आर्डर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह प्रश्न केवल राजस्थान सरकार का नहीं है, केवल राजस्थान बन्द नहीं है, सारा देश...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल राजस्थान का है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कोई जरूरी नहीं है कि राजस्थान सरकार भी इस कानून को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। बैठिये, बैठिये।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की गलती से राजस्थान का पावरलूम उद्योग बन्द हो गया है, आज कपड़े वाले...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इस काले कानून को निरस्त किया जाए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। आप बिराजिए। इसके उपरांत भी जीरो आवर के बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस पर स्टेटमेंट देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जीरो आवर के बाद इस पर स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट आ जाने दीजिये, उसके बाद फिर बात करेंगे।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : यह दिल्ली का डण्डा है, दिल्ली का। (व्यवधान) बांथे पड़ गया आपके, इसलिए बोल रहे हो।

एक माननीय सदस्य : इसके लिए पूरी तरह से भारत सरकार दोषी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक के बाद एक ऐसी घटनाएं समाचार पत्र–पत्रिकाओं में उजागर हो रही हैं, जिन्हें पढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में जिसकी थोड़ी–बहुत भी रुचि है या जिसको कुछ ज्ञान है वह अपने आप को शर्मिन्दा महसूस करता है। अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अधिकार इस हद तक जा रहे हैं तो सम्पूर्ण राजस्थान के नौ लाख बच्चों का भविष्य क्या होगा। उनका कोई जिम्मेवार व्यक्ति भी है कि नहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति करता तो समझ में आ सकता है। इतने गम्भीर आरोप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लगे हैं कि पढ़ने के बाद मन अपने आप को कचोटता है कि जिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिन्दुस्तान में इतनी अच्छी छवि है और प्रतिष्ठा है उसको इस बार की परीक्षा व्यवस्था में मटियामेट किया गया। आप स्टेटमेंट दिलाइये ताकि हम अपनी बात कह सकें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। एक मिनट, बिराजिए। माननीय सदस्य, आपको ध्यान होगा कि उस रोज माननीय शिक्षा मंत्रीजी से स्टेटमेंट देने की बात कही गई थी, लेकिन चूंकि हाउस एब्रप्टली एडजोर्न हो गया, वह स्टेटमेंट नहीं आ सका, आज उसका स्टेटमेंट दिलाएंगे।

डा. के.सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ में तीस हजार मजदूर बेरोजगार हो गये हैं दिल्ली सरकार की गलती से, कपड़े पर सैंट्रल एक्साइज लगा दिया गया है।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : किशनगढ़ का पूरा व्यापार, पूरे मजदूर बाल उपाड़ रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : तीस हजार मजदूर किशनगढ़ में बेरोजगार हो रहे हैं पावरलूम के, उपाध्यक्ष महोदय, इनकी गलती से, दिल्ली वालों की गलती से।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कितने बजे, कोई टाइम बता दें। स्टेटमेंट का कोई टाइम बात दें तो...

श्री उपाध्यक्ष : आप बता दें, कब दिलाना है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, आप जैसा ठीक समझें, आसन से जो ठीक समझें।

श्री उपाध्यक्ष : चार बजे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चार बजे।

श्री उपाध्यक्ष : चार बजे स्टेटमेंट देंगे।

एक माननीय सदस्य : 295.

श्री उपाध्यक्ष : सब पढ़ेंगे, चिंता मत करो। यह तो अभी तो...

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी है तो पहले यह आएगा न प्रायोरिटी पर।

श्री उपाध्यक्ष : 295 बुलाएंगे, पर्ची पर बुलाएंगे, सब बुलाएंगे, अगर आप बोलने देंगे तो सब बुलाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले एडजोर्नमेंट मोशन है, उसके बाद।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर राज्य

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें उन सब बातों को स्वीकार किया गया है कि बनीपार्क थाने के अन्दर एफ.आई.आर. नम्बर 43/2003 और एफ.आई.आर. नम्बर 128/2003, ये दो मुकदमे दर्ज हुए हैं भारत और जिम्बाव्वे के मैच पर सट्टा लगाने के विषय में। मूल विषय सट्टा लगाना अपराध है और पुलिस ने कार्यवाही की है, उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। पर, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह लिखा है, यह कथन सही नहीं है कि विधायकों के हस्तक्षेप अथवा दबाव में मुलजिमों को छोड़ा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहीं आरोप नहीं लगाया है कि विधायकों के हस्तक्षेप से कोई मुलजिमों को छोड़ा गया है। मैं सदन का ध्यान मेरे स्थगन प्रस्ताव की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। दो विधायक तो उन्हें छुड़वाने के लिए बनीपार्क थाने ही पहुंच गये, मैंने यह नहीं कहा कि इन्होंने इनके कहने से छोड़ दिया है...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौन?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यही तो पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। मेरे स्थगन प्रस्ताव का आधार सब समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार है। सट्टे वालों के लिए सत्ता वाले पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका में आस्ट्रेलिया एवं श्रीलंका के बीच खेले गये वर्ल्ड कप क्रिकेट के पहले सेमी फाइनल पर सट्टा लगाने के आरोप में बनीपार्क, रामगंज एवं शहर के अन्य इलाकों में पकड़े गये अभियुक्तों के कई जनप्रतिनिधियों से भी सम्बन्ध हैं। दो जन प्रतिनिधि तो उन्हें छुड़वाने के लिए बनीपार्क थाने ही पहुंच गये। पुलिस ने गुरुवार देर रात तक अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया। दूसरा यह है कि दो विधायक पहुंचे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थे, वे अभियुक्तों की जमानत होने तक थाने पर ही डेरा डाले रहे। कई जनप्रतिनिधियों ने पुलिस अधिकारियों को फोन करके पकड़े हुए लोगों को छोड़ने की मांग की। इस बीच पुलिस को पता चला कि यहां पकड़े गये एक जने के दिल्ली में भी कुछ नेताओं से सम्पर्क हैं। इस व्यक्ति ने श्याम नगर इलाके में राज्य के बड़े नेता से उनका मकान खरीद था। इस मकान में उनका मित्र रहता था। इन अभियुक्तों के मुम्बई एवं दिल्ली के बड़े सटोरियों से भी सम्बन्ध हैं। शेखावाटी अंचल में उन्हें खासा... तो ये दो विधायक कौन हैं, उपाध्यक्ष महोदय? सत्ता पक्ष के दो विधायक जाकर थाने पर बैठ गये और उन्होंने कहा कि जब तक इनको नहीं छोड़ोगे तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है और मैं, माननीय गृह मंत्रीजी, आपसे यह विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप ऐसे विधायकों के नाम उजागर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

क्यों नहीं करते हो? सत्ता पक्ष के अन्दर 153 विधायक हैं, आप सब विधायकों की छवि धूमिल क्यों करना चाहते हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : सही बात है, हमारे ऊपर...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कब कहता हूं? माहिर आजाद जैसे ईमानदार और बहुत बढ़िया आदमी बैठे हुए हैं। माहिर आजाद ने कांग्रेस इसलिए जोइन नहीं की है कि आप इनका नाम भी इसमें घसीटो। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा गम्भीर मसला है और मैं समझता हूं कि यह कोई जवाब पर्याप्त नहीं है। जब तक आप यह बात नहीं बताएंगे इस सदन को विश्वास में लेकर कि ये दोनों कौन से विधायक थे और उन विधायकों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जवाब पढ़ा है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, पढ़ा है न, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या लिखा है इसमें?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसमें यह लिखा है कि यह कथन सही नहीं है कि विधायकों के हस्तक्षेप अथवा दबाव में मुलजिमों को छोड़ा गया है। यह नहीं लिखा कि विधायक वहां आये नहीं, या हस्तक्षेप नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं लिखा। अगर यह जवाब होता कि कोई विधायक नहीं आया, कोई विधायक ने सिफारिश नहीं की, यह जवाब नहीं है, यह मेरा, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वहां जाते तो हस्तक्षेप होता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं। यह नहीं कहा। यह माना है उन्होंने। मेरा यह नहीं है। इनके विधायकों से भी सम्बन्ध हैं। दो विधायक तो उन्हें छुड़वाने के लिए बनीपार्क थाने ही पहुंच गये। मेरा यह मोशन है, आप उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मोशन पढ़ें, मैंने यह नहीं कहा कि विधायकों के कहने से छोड़ दिया। होम मिनिस्टर राजस्थान का इतना कमजोर नहीं है। कोई दो की जगह बीस विधायक जाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे, होम मिनिस्टर पर हमको विश्वास है। लेकिन होम मिनिस्टर की यह कमजोरी है, आप यहां बताते क्यों नहीं हो कि दो विधायक कौन हैं? और उन दो विधायकों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की आपने? इसमें हैं वो, नहीं तो आप अपने जवाब में कहते कि इसमें कोई विधायक नहीं आये। आपने यह नहीं कहा। समाचार पत्रों में यही समाचार प्रकाशित हुए हैं कि सत्ता पक्ष के दो विधायक बनीपार्क थाने पहुंच गये और वो बैठे रहे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : दोनों हाउस में नहीं हैं अभी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हाउस में हों या नहीं हों, आपको उनके नाम भी पता हैं। आप अपनी छवि साफ करना चाहते हो तो नाम बताएं। खड़े होकर अगर होम मिनिस्टर नहीं बताते तो आप बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री संयम लोढ़ा : आन ए पाइंट आफ इंफोर्मेशन, सर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के सब एम.एल.एज. पर संदेह की सुई घूमती है। केवल दो गड़बड़ कर रहे हैं, दो के नाम आ जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आपको किसने कहा बोलने को? आप बैठिये। अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। माननीय संयमजी, आप बिराजिये प्लीज।

श्री सांवर लाल : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : ये बोल रहे हैं, कोई चार बोलेंगे क्या एक साथ? आप बिराजिये। लैट हिम फिनिश।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी उन विधायकों के नाम पता हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरे पास सूचना सही नहीं हो। लेकिन यह सूचना सही है कि दो विधायक वहां मौजूद थे। अब उन विधायकें के नाम तो अधिकृत रूप से गृह मंत्री, राजस्थान बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। मैं किसी के करेक्टर का असेसिनेशन करने के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूं कि मैं अनावश्यक किसी का नाम बताऊं, बट निश्चित रूप से दो विधायक पहुंचे, सत्ता पक्ष के विधायक पहुंचे हैं। सब समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं। गृह मंत्रीजी, आपको इन दो विधायकों के नाम बताने पड़ेंगे और सदन को यह बताना पड़ेगा कि आपने इन विधायकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की। और विधायकों का सवाल नहीं है, जनप्रतिनिधि और रूलिंग पार्टी के लोगों ने इसमें मदद की है। रूलिंग पार्टी के इनके कनेक्शंस हैं, दिल्ली में कनेक्शन हैं, यह लिखा है इसके अन्दर या तो इनको करैक्ट ही नहीं करते। यह जवाब है आपका, आप इसमें साफ लिखते कि कोई विधायक ने हस्तक्षेप नहीं किया, कोई जनप्रतिनिधि ने हस्तक्षेप नहीं किया, कोई ताल्लुक नहीं है। आपने सिर्फ यह लिखा है कि उनके कहने से छोड़ा नहीं गया। ठीक है, आपने कानून की प्रक्रिया में छोड़ा। यह मैंने आरोप ही नहीं लगाया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

तो मेरी विनम्र प्रार्थना यह है, उपाध्यक्ष महोदय, अन्यथा एक मेसेज गलत जाएगा क्योंकि यह रोजाना की बात हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, हरेक काग्नीजेबल केस के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रूलिंग पार्टी के एम.एल.एज. अगर इस तरह से इंटरफियर करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। आप कितनी दफा कहेंगे यह बात? हो गयी न रूलिंग तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह सट्टे का सवाल नहीं है। यह हरेक थाने के अन्दर हो रहा है, हरेक के अन्दर हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नाम तो आने दो, उपाध्यक्ष महोदय, उन विधायकों का पता तो चले कौन से हैं विधायक वो।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री सांवर लाल : ऐसे पुलिस के कामों में हस्तक्षेप होगा तो कानून और व्यवस्था कैसे चलेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बहुत जरूरी है विधायकों का नाम आना।

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नाम तो आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पेयजल की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में।

(2) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य में ग्रामीण जनता के हित में जिला नेत्र भ्रमणशील इकाई सेवाओं को पूर्ववत संचालित करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से तहसील कोटपूतली के कस्बा पावटा की चरागाह भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने के सम्बन्ध में।

श्री सांवर लाल : पूरे कांग्रेस के एम.एल.एज. को क्यों बदनाम किया जाए, जो गये हैं उनका नाम बताएं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय गृह मंत्रीजी बताएं, नाम तो आना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : (4) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से तिकली नाका व धामरताली के अपूर्ण बाढ़ बचाव कार्य सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्य में स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(5) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से "विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम" के तहत स्वीकृत एवं निर्मित कार्यों के नामकरण के सम्बन्ध में।

(6) श्री गोवर्द्धन कल्ला, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर में इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में अन्य जिले के सामान्य आबंटियों को विनियम की कार्यवाही रोकने के सम्बन्ध में।

(7) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से जिला सिरोही के गांवों में रात्रि में बिजली की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य की ओर से अकाल राहत कार्यों के तहत पचपदरा में साल्ट की क्षतिग्रस्त खानों की खुदाई करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं की भी पदोन्नति करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री जगन्नाथ, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत जीवद तहसील बामनवास में वर्ष 1995 से 2000 में कराये गये विकास कार्यों का भुगतान करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रमजान खान, सदस्य की ओर से विधान सभा पुष्कर के ग्राम होकर में निर्माणाधीन स्टोन क्रेशर को बन्द करवाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री घनश्याम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बेगूं के पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के उन्नयन के सम्बन्ध में।

श्री प्रताप सिंहजी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री मदन दिलावर : सर, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। अभी 295.

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 127 के तहत...

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : नो सर, ऐसे थोड़े ही होता है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई डिबेट का इश्यू नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नियम 127 के तहत मैंने...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह डिबेट का सवाल नहीं है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : बीकानेर जिले के सिंचित क्षेत्र में सिंचाई शुल्क माफ करने के मुद्दे पर नियम 127 में विधान सभा में रैगुलर नोटिस दिया है।

श्री मदन दिलावर : पाइंट आफ इंफोर्मेशन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो दिन तो हैं, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये 295.

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियमित नोटिस दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपने क्या दिया है?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने नियमित नोटिस दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : काहे का?

श्री मानिक चन्द सुराना : 127 का विधान सभा में सिंचाई शुल्क की माफी। सिंचाई क्षेत्र में अकाल के दौरान सिंचाई शुल्क की वसूली हो रही है इसका मैंने नोटिस दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आपने 127 का भी दिया है और 131 का ध्यानाकर्षण भी दिया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने 131 का नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : 31 का।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने नियम 127 का नोटिस दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह नोटिस इन्दिरा गांधी नहर के सिंचित क्षेत्र में वसूली हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न एक मिनट।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा एक निवेदन सुन ले। मुझे कुछ कहने दो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जवाब दे रहा हूं न।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा निवेदन है कि हमने 41 हजार गांवों में अकाल घोषित किया है और सिंचित क्षेत्र में लैण्ड रेवेंयू की वसूली 17.12.2002 को स्थगित की है सरकार ने नोटिफिकेशन

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जारी करके। उसके बाद में अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन किया है और कल राजस्व विभाग ने कुओं से जो सिंचित क्षेत्र है उसकी लगान वसूली भी बंद की है राजस्व लगान की। मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न, खड़े क्यों हो?

श्री संयम लोढ़ा : आप अलाउ तो करें।

श्री उपाध्यक्ष : अलाउ करूंगा जब एक बोलने बंद होंगे तब करूंगा, नहीं तो कैसे करूंगा?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन यह कर रहा हूं जब हम तीन हजार–चार हजार करोड़ रुपये अकाल में खर्च कर रहे हैं और खरीफ की फसल का हमने अकाल घोषित कर रखा है सिंचित क्षेत्रों में।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हो?

श्री मानिक चन्द सुराना : हम अकाल का काम करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो?

श्री मानिक चन्द सुराना : तो मैं चाहता हूं कि वो सिंचाई शुल्क की माफी की जाए। सिंचाई शुल्क की माफी, उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी राज्य सरकार के आदेश से की गयी है। मेरे पास यह 8.11.2001 का नोटिफिकेशन है, गंग कैनाल में बीकानेर में जब सूंडी लगी थी नरमा में, कपास में...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : उस वक्त में यह नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने जारी किया था जिसमें सिंचाई शुल्क माफ किया गया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ आप अकाल का काम कराएं, एक तरफ हजारों लोगों को मजदूरी दें और एक तरफ उनसे सिंचाई शुल्क वसूलें, जबकि माननीय अकाल राहत मंत्रीजी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसको बोल रहे हो ये?

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई पैदा नहीं हुई है सिंचित क्षेत्र में उस वक्त उनसे सिंचाई शुल्क वसूल किया जाना सरासर अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक मिनट बिराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा है, उनका जवाब आया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए एक मिनट।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह मुख्य मंत्रीजी का पत्र है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी का पत्र है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये तो सही। अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, आप एक मिनट बिराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह अलाउ नहीं करूंगा। आपने नोटिस दिया 127 का, 127 एडमिट नहीं हुआ और आप बोले जा रहे हैं 127 पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट का जवाब आ जाने दीजिये उसके बाद आपको बोलने का अवसर देंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : लगा देंगे। जवाब आएगा गवर्नमेंट का उसके बाद लगाएंगे। आप तो बोल ही रहे हो फिर लगाएंगे क्या?

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आएगा जवाब। आएगा जवाब।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, 295 पढ़िये।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अलाउ करूंगा, मुझे मालूम है आप बोलना चाहते हैं, राइट टाइम पर अलाउ करूंगा। आप बिराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया आपको अलाउ करूंगा फिर भी आप कर रहे हैं, आप बैठिये प्लीज। माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। अंकित नहीं हो। आप बिराजिये प्लीज। अंकित नहीं हो

श्री मदन दिलावर : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की रीति

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं। आपका जवाब दे रहा हूं। आपने सुबह अध्यक्ष महोदय को यह दिया है, Let it be admitted, उसके बादे में आप बोलेंगे। आपने सुबह अभी अध्यक्ष महोदय, को यह दिया है, अध्यक्ष महोदय, ने कहा कि मैं इसको विचार करके एडमिट करूंगा और मौका दूंगा। उसके बाद आप बीच में ही बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता, साहब। तत्काल देना पड़ता है। यह नहीं, साहब, आप 157 पढ़ें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या होता है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ब्रीच आफ प्रिविलेज के मोशन में ऐसा नहीं होता जैसा आप बता रहे हैं। 157 में यह...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने विद्वान सदस्य हो, क्या बोल रहे हैं आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं ये, उपाध्यक्ष महोदय, इमीजिएटली...

श्री उपाध्यक्ष : Can anything lay out without the consent of Hon'ble speaker?

श्री सुरेन्द्र व्यास : Immediately after the question hour is over.

श्री उपाध्यक्ष : What?

श्री सुरेन्द्र व्यास :...and before the list of business is taken up.

श्री उपाध्यक्ष :...provided that the Speaker has allowed.

श्री सुरेन्द्र व्यास : That is right, Sir. रूलिंग आपको देनी पड़ेगी, अगर जो है, विधान सभा के 12 बजे पहले...

श्री उपाध्यक्ष : आपसे क्या बहस करें इस पर? कोई मसला स्पीकर की स्वीकृति के हल हो सकता है हाउस में?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना सुनिये। आप रूल 157–158 का मुलाहिजा करें।

श्री उपाध्यक्ष : सब पढ़ लिया मैंने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप पढ़ो इसको।

श्री उपाध्यक्ष : आप वापस पढ़ो इसको।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पढ़ लिया..."A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document..." आज यह विधान सभा के चालू होने से पहले इन्होंने दे दिया...

"159. Conditions of admissibility of the question of privilege.

(i) the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence;

(ii) the matter requires the intervention of the House.

160. The Speaker, if he gives consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall after the question and before the list of business is enter upon, call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege make a short statement relevant thereto."

श्री उपाध्यक्ष : आप 160 को पढ़िये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 160 ही पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें क्या लिखा है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसमें लिखा है कि क्वेश्चन आवर के बाद में और लिस्ट आफ बिजनस के...

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको पढ़ो न, सब समझ लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कंसेंट ठीक है लेकिन कंसेंट का मतलब यह है, the Speaker can rule. कि यह इनएडमिसिबल है आप रिजेक्ट कर दीजिए इसको। आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, मेरी विनम्र प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : Rule can be over ruled by the Speaker. He has given the motion to the Speaker. Speaker had told him thay he will examine it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं, उनको सब अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या कर रहे हैं आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह रिजक्ट कह देंगे। आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, आप यह रूल कर सकते हैं कि यह मोशन एडमिसिबल नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन आवर के बाद मोशन लेना पड़ेगा अगर मोशन आर्डर में है तो। अगर आप यह समझते हैं कि मोशन आर्डर में नहीं है तो आप रिजक्ट कर दीजिए। मैं यह कब कहता हूं कि आप रिजेक्ट नहीं कर सकते? ऐसा मेरा निवेदन नहीं है कि आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, आसन से यह व्यवस्था हो जाएं कि Motion is not in order.

श्री उपाध्यक्ष : इसमें लिखा है उसको पढ़िये आप–"Provided that where the Speaker has refused his consent under rule 157 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the notice of question of privilege and state that he refuses consent or holds that the notice of question of privilege is not in order;"

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कह दीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रोसेस हाउस में होना चाहिये था इन्होंने स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर कर लिया, बात खतम हो गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं यह before the commencement, of the sitting.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय का डिसीजन पार्ट आफ द हाउस है।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए मैंने डिसीजन दे दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप रूल 158 पढ़िये।..."Before the commencement of the proceedings. Notice in writing to the Secretary." उपाध्यक्ष महोदय, हमारे तो सब खतो-खतावत सैक्रेटरी के माध्यम से होते है..."Before the commencement of the sitting on the day the questions is proposed to be raised." इसलिए सैक्रेटरी को नहीं दिया इन्होंने और कमेंस्मेंट आफ प्रोसीडिंग के पहले दे दिया। अब यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। उसको मैं चुनौती नहीं देता हूं। आप रिजल्ट कर सकते हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप रिजेक्ट कर सकते हैं, आप यह कह सकते हैं कि आर्डर में नहीं है। यह मैं नहीं कहता हूं। आप यह कह सकते हैं कि मैं कंसेंट नहीं दे सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो प्लीज। It is between the Member and the Speaker.

श्री सुरेन्द्र व्यास : साहब, आप आसन पर विराजमान हैं तो आपको ही कहेंगे, स्पीकर साहब तो चले जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रजी राठौड़, 296।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा विनम्र निवेदन है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज वित्त मंत्री महोदय के खिलाफ पेश किये हुए हमें 10 दिन से अधिक का समय हो गया है। वैट का विधेयक पेश करने से पहले, 5 तारीख को विधेयक पेश हुआ और 6 तारीख को सारे अखबारों में रेटें जारी हो गई कि अप्रैल को क्या रेटें वैट के तहत की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पूर्व में सूचनाएं भेज दीं रिजेक्ट करके, आपको सूचना भेज दी।

श्री मानिक चन्द सुराना : मुझे सूचना क्या भेज दी आपने? आप यदि ब्रीच आफ प्रिविलेज को रिजेक्ट करते हैं तो मुझे यह सूचना नहीं मिली कि आपने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करेंगे तो भी मुझे कहने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर काहे की मिली आपको सूचना?

श्री मानिक चन्द सुराना : मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, 10 दिन हो गये।

डा. सी. पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : वैट लागू ही नहीं हो रहा है तो प्रिविलेज का इश्यू कहां बनता है? वैट लागू हो रहा हो तब तो बात बनती है, बाकी कैसे बनेगी?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय जोशीजी, वैट लागू नहीं हो रहा है इसकी अधिकृत घोषणा वित्त मंत्री महोदय आज करेंगे। अभी तक तो वित्त सचिव कुछ कह रहे हैं, वित्त मंत्री कुछ कह रहे हैं और सारे राजस्थान में कंफ्यूजन है कि वैट लागू होगा कि नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस हाउस की सैंक्टिटी इस हद तक मानता हूं कि कोई टैक्स रेट आप जारी करें नये एक्ट के तहत, वैट नया एक्ट है, सेल्स टैक्स पर आपको अधिकार दिया हुआ है, आप 2 परसेंट से लगाकर 25 परसेंट तक रेट जारी कर सकते हैं, हम उसमें राज्य सरकार का सम्पूर्ण अधिकार मानते हैं। नये एक्ट में आपने जो रेटे जारी की 6 मार्च को बिना वैट का एक्ट पास हुए, उस वक्त एक्ट पास नहीं हुआ और आपने यह घोषित कर दिया कि 1 अप्रैल से ये रेटे जारी होंगी। माननीय जोशीजी, 'नफा–नुकसान' में रेटे छप गईं और सैंट्रल आफ इण्डियन इकोनोमी मानिटरिंग जो दिल्ली से छपती है उसमें रेटे छप गई। इस सदन को तो मालूम ही नहीं कि रेटे क्या हैं और वे रेटे अखबारों में छप गई। बिना इस हाउस की सैंक्टिटी के, एक्ट पास नहीं हुआ उसके पहले रेट छाप दी गई। यह मुद्दा अलग है कि वैट लागू होगा कि नहीं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

होगा, पर सदन को बिना बताये जो रेट जारी की गई उसी सम्बन्ध में ब्रीच आफ प्रिविलेज हमने वित्त मंत्रीजी के विरुद्ध रखा है। हमने यह कहा है कि ये रेटे वित्त विभाग के द्वारा ही इन अखबारों को दी गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उसकी सूचना आपको भेज दी गई।

श्री मानिक चन्द सुराना : मुझे नहीं मिली।

श्री सुरेन्द्र व्यास : व्यवस्था नहीं आई। वह मेरा भी मोशन है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बिराजो, आप काहे को बोल रहे हो? यह बोल रहे हैं बहुत है।

श्री मानिक चन्द सुराना : इनका भी मोशन है, दोनों का जोइंट मोशन है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी पत्र मंगाया है आपको अभी बता देता हूं कि सूचना आपके पास पहुंची है या नहीं पहुंची है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, उसमें व्यवस्था नहीं दी सिर्फ सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपको बता देंगे कि सूचना आपके पास पहुंची है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने व्यवस्था नहीं दी।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, क्या ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन का इसी तरह डिस्पोजल कर दिया जाएगा। आप हाउस में कह दें कि यह आर्डर में नहीं है। आपको हाउस में कहना पड़ेगा कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन आर्डर में नहीं है। आपने हाउस को तो कोई सूचना दी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको स्वयं को चाहिये न सूचना?

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर इन प्रक्रियाओं की कोई सैंक्टिटी आप मानेंगे तभी होगी। जब रूल में यह प्रावधान है कि आप यहां कहेंगे कि हाउस आर्डर में नहीं है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : Before you enter the list of business.

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो या आप बोलो, एक तो बोलो, पता पड़े कौन बोल रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Before you enter the list of business. That is the most appropriate time. जब चेयर की तरफ से रूलिंग आनी चाहिये। (व्यवधान) वह अलग चीज है, 10 दिन हो गये उसको मूव किये...(व्यवधान) जोशीजी, आप हरेक मामले में दखल मत दिया करो।

डा. सी. पी. जोशी : यह क्या आर्ग्यूमेंट है, आप दखल मत दो? आपका प्रेरोगेटिव है क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको पता ही नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : क्या पता नहीं है? आप ही पढ़े हुए हो, हम अनपढ़ हैं? आप ही लिटरे हो, हम अनलिटरेट हैं क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : क्या पता नहीं है, यह किताब हमारे पास भी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बिना जानकारी के मत बोलो।

डा. सी. पी. जोशी : किसकी बिना जानकारी के, आपसे भी ज्यादा जानकारी है। थर्ड टाइम एम.एल.ए. हूं मैं किसी को भी अनपढ़ कह देते हो, यह क्या आर्ग्यूमेंट है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अच्छा आप बताओ क्या मोशन है? आप बताओ, क्या मोशन है?

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, किस बात का मोशन है, मैं बात बता रहा हूं स्पीकर की कंसेंट के बिना हाउस में कुछ नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अच्छा आप बताओ, बोलो, बोलो, बताओ।

डा. सी. पी. जोशी : क्या बताएं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : काहे का मोशन है?

डा. सी. पी. जोशी : लिखा हुआ है कि स्पीकर की कंसेंट के बिना कोई चीज रेज नहीं की जाती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रूल कोट करो आप।

डा. सी. पी. जोशी : 157 अनपढ़ आदमी हो गया, पढ़ कर आया करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पढ़ कर सुनाओ।

डा. सी. पी. जोशी : पढ़िये, पढ़िये 157, किताब है नहीं बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पढ़कर सुनाओ आप।

डा. सी. पी. जोशी : हां पढ़िये। क्या, राठौड़ी करना है क्या, पढ़िये 157 क्या है। आप सुनिए, इन्हें मालूम पड़ेगा। खाली अपने हिसाब से बात कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको प्रस्ताव के फैक्ट्स पता है क्या? नहीं पता तो फिर आप बिराज जाओ।

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक): यहां फैक्ट्स पर बात ही नहीं हो रही।

डा. सी. पी. जोशी : There is no need of knowing the facts.

श्री हरिसिंह (महुवा) : बात यह हो रही है कि the privilege motion only can be put before the House with the consent of the Speaker. That is all.

श्री सुरेन्द्र व्यास : हरिसिंहजी, मैं आपसे नहीं कह रहा। (व्यवधान) पहले प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो, एक मिनट। आप बिराजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : वित्त मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं उसको तो सुनने दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : क्या कहना चाहते हैं, जबरदस्ती आप उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। इस पर बहुत क्लीयर रूलिंग दी हुई है अध्यक्ष महोदय ने, इसको आप सुन लीजिए। 13 नवम्बर, 1957 को श्री बानेसिंह ने अपने विशेषाधिकार के प्रस्ताव को जिसकी सूचना पहले दिन दी गई थी, सदन में लिये जाने वाली मांग को उन्होंने यह भी निवेदन किया कि ऐसे प्रस्तावों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये, इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा...''It will be given priority but atleast there must be some considerations before it is presented before the House. There is no rule which binds the Speaker that it will be taken immediataly.'' अध्यक्ष महोदय की यह रूलिंग है, बात खतम हो गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह प्रस्ताव अलग है, यह प्रस्ताव अलग है। आप बैठो।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह मामला तो 10 दिन पुराना है। हमें नोटिस दिये हुए 10 दिन हो गये।

डा. सी. पी. जोशी : It depends upon the Speaker to decide that what is the binding. हमें बाइंड करना चाहते हैं, आप बातें करना चाहते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : 10 दिन में आप उसको आउट आफ आर्डर कहते हो यहां फर्मा देते कि यह आउट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : Hon'ble Deputy Speaker, Sir, this minister is behaving in a very indisciplined आप इनको कंट्रोल नहीं करते (व्यवधान) Most indisciplined man.

डा. सी. पी. जोशी : I don't require your certificate. आप डिसिप्लिंड हैं क्या? (व्यवधान) रोज इंटरप्ट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I take strong exception.

डा. सी. पी. जोशी : I don't require your certificate. I don't need your certificate.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Resume your seat.

डा. सी. पी. जोशी : क्या अधिकार है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी : जिंदगी में फस्ट्रेशन रहा है। (व्यवधान) फ्रस्ट्रेट रहोगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी, बिराजिए। (व्यवधान) अब दो प्रश्न हो गए हैं, पहला प्रश्न तो यह कि it cannot be taken up immediately.

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह अलग इश्यू हो गया, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा यह कि आपको सूचना नहीं मिली है। (व्यवधान) आपको सूचना मिली है। राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, 158 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार सूचित करना है कि आप द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्तित क्रय-विक्रय विधेयक, 2003 के पारित होने से पूर्व कर दी गई...(व्यवधान) समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गये विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को माननीय अध्यक्ष महोदय ने नियमानुसार नहीं माना है। यह सूचना आपको मिली है।

श्री मानिक चन्द सुराना : कौनसी तारीख को? मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं मिली, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : न तो मुझे मिली है, यह प्रस्ताव हम दोनों का है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा कट मोशन भी है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह प्रस्ताव हम दोनों का है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : What is this? I am answering to his question. आपको बाद में पूछ लेंगे। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसी तारीख को भेजी गई? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, मैं बता रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप कृपा करके यह बताइए कि कौनसी तारीख को भेजी गई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तारीख बता रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : बता दीजिए, कृपा करके बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कहेंगे जब बताऊंगा, तसल्ली रखो थोड़ी। (व्यवधान) दिनांक 21 मार्च, 2003 श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य विधान सभा को यह सूचना भेजी गई। आपको यह भेजी गई। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं?

श्री उपाध्यक्ष : क्या?

श्री मानिक चन्द सुराना : इस पर मेरे आफिस की रिसीट है? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मोशन हम दोनों का है।

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई रिसीट नहीं है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप यह कहो, डिसकस चाहिए...(व्यवधान) सुनिए, सुनिए। जो डाक आपके पास आती है... (व्यवधान) बिराजिए, बिराजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं संजीवगी से कह रहा हूं कि मुझे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : जो डाक आपके पास आती है, आपके पास भेजी, आप कह रहे हैं आई नहीं। (व्यवधान) इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप यदि इसको रिजेक्ट भी करते हैं तो भी हमें दो मिनट कहने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक बात बताएये, यह चिट्ठी आपको नहीं पहुंचाने में हमें क्या इंटरेस्ट है? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप इस हाउस के फाइनेंशियल कंट्रोल को तो स्थापित करेंगे। (व्यवधान) यदि वित्तीय नियंत्रण इस सदन के पास नहीं है...(व्यवधान) टैक्स की रेट्स सदन की जानकारी के बिना जारी कर दी जाती है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक्ट के पास होने से पहले जारी कर दी जाती हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। बात खतम हो गई। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : यह आरोप गलत और मिथ्या है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सदन के विशेषाधिकार का और कोई...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, 295.

श्री मानिक चन्द सुराना : मुझे बहुत अफसोस है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 295.

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): किस आधार पर कह रहे हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं इस आधार पर कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हैं कि नहीं? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इस सदन को वित्तीय नियंत्रण रखना है।

श्री उपाध्यक्ष : मानिक चन्दजी, आप बिराजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक्ट पास होने से पहले रेट्स जारी कर दीं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मोशन क्या है? Outrightly, it was rejected.

श्री मानिक चन्द सुराना : कहेंगे कि एक्ट भी लागू नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं है, आपका कोई मोशन है नहीं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : हम तो चाहते हैं आप कहें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह मोशन मेरा और मानिक चन्दजी दोनों का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक विनम्र बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई विनम्र नहीं है। बहुत हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक निवेदन सुनिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह मोशन मेरा और मानिक चन्दजी का था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई निवेदन नहीं है। अंकित नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपको निवेदन नहीं करने दे रहा हूं, आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : व्यासजी, बिराजिए। मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं, आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कोई सब्जैक्ट नहीं है। बात खतम हो गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हो गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान) चलिए बोलिए, आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई भी सदस्य विशेषाधिकार रखता है तो सदन के माननीय सदस्यों को भी पता लगना चाहिए कि निम्न बिन्दु पर विशेषाधिकार रखा गया है। (व्यवधान) विषय के बाद में अगर आसन इसको रिजेक्ट करता है तो सदन की जानकारी में आना चाहिए कि कौनसा विषय रखा गया था, यह विशेषाधिकार किस बात के लिए लाया गया और उसको रिजेक्ट किया गया। यह अकेले सुरेन्द्रजी का या मानिक चन्दजी का नहीं है। विशेषाधिकार का नियम हमेशा इस बात के लिए आसन को भी बाध्य करता है कि जो भी विशेषाधिकार आया वह ग्राह्य हुआ कि नहीं हुआ, उस विषय वस्तु की जानकारी सम्पूर्ण सदन को जरूर होनी चाहिए। क्या आपने इस विषय में सदन के सभी सदस्यों को इस बात की जानकारी दी? और नहीं दी तो पत्र के द्वारा विषय को रिजेक्ट करना न करना इस सदन के बाकी सदस्यों की जानकारी में आ ही नहीं सकता। आज मान लीजिए मदन दिलावरजी ने जो भी विशेषाधिकार का...(व्यवधान) आप उसकी जानकारी कब देंगे, क्या होगा उसके बारे में तो आसन निर्णय करेगा लेकिन विशेषाधिकार का विषय क्या था, किस बात के लिए लाया गया, यह सदन के माध्यम से बाकी लोगों को भी जानकारी जानी चाहिए कि इस कारण से रिजेक्ट हुआ। (व्यवधान) मैं सोचता हूं इतना बड़ा विषय जिससे सम्पूर्ण अर्थ तंत्र का मखौल हुआ है, जहां वैट 11 को पास कर रहे हैं, आप अपनी सूची उसके पहले जारी कर रहे हैं इससे भारी अनियमितता और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा विशेषाधिकार का सवाल...(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि आप रिजेक्ट करें, आपका अधिकार है, लेकिन इस सदन को भी यह जानने का

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अधिकार है कि आपने किस बात को रिजेक्ट किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बता दिया न यह तो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो विषय खड़ा हो गया। आपने तो अपनी तरफ से कागज पर ही खतम कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब तो बता दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस सदन को तो ये माननीय सदस्य खड़े हुए इस कारण से...(व्यवधान) हमें यह जानकारी नहीं थी कि यह विशेषाधिकार किस तारीख को रखा और कब इसको रिजेक्ट किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : मैंने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी उसको पढ़कर सुना रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : मैं उसको पढ़कर सुना देता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए पहले।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 157 के तहत विशेषाधिकार प्रश्न रखने का किसी माननीय सदस्य को अधिकार है, सदस्य के खिलाफ हाउस का कंटेम्प्ट (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि हमारे रूल में 160 (1) इसमें क्लीयर कट है, एंटायरली स्पीकर को ही अधिकृत किया गया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कौन मना कर रहा है इसके लिए? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : उनकी स्वीकृति से ही कोई मसला विधान सभा में पेश किया जाता है। मैं थोड़ा-सा आपकी जानकारी के लिए...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसको कोई मना नहीं कर रहा। (व्यवधान) स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, इसको ये डिनाई कर रहे। (व्यवधान) एक मिनट, बिराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई विवाद ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : विवाद ही नहीं है तो बात क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप समझ नहीं पा रहे। (व्यवधान) आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, बात यह है कि वह

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सारी कार्यवाही सदन के अन्दर होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना : विशेषाधिकारी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता, आप मुझे माफ करेंगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : सदन की सम्पत्ति है। सदन में स्वीकार...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : यह कौनसे नियमों में प्रावधान है कि उसका विधान सभा में सदन के अन्दर उल्लेख होना चाहिए? यह कौनसे सैक्शन में है, आप बताइये, आप कोट करें? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंहजी। (व्यवधान) इश्यू यह नहीं है। इश्यू यह है, जैसा माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने प्रश्न उठाया कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार करना, अस्वीकार करना स्पीकर साहब का अधिकार है। (व्यवधान) लेकिन इनका यह कहना है कि हाउस में उसे पढ़ा जाना चाहिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं है रूल्स...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं तो रूल बताइये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : चैम्बर तक रहता है...(व्यवधान) नॉट नैसेसरी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : विवाद है प्रक्रिया का, कंफ्यूज मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलाल साहब। (व्यवधान) आपका इश्यू नहीं है। Let him reply. आप बिराजिए। आप बैठिए न।

श्री हरिसिंह (महुवा) : 160 को कोट कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रोवाइजो पढ़िए। (व्यवधान)

"Mode of raising a question of privilege-(1) The Speaker, if he gives consent under rule 157..." अगर वह कंसेंट देते तो फिर आगे की प्रक्रिया होती। जब कंसेंट नहीं दे रहे तो, विपक्ष के नेता महोदय, यह हाउस में उसकी जानकारी देना जरूरी नहीं है। It is up to the Chair.

श्री सुरेन्द्र व्यास : जरूरी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह कहां लिखा हुआ है कि हाउस में बताना पड़ेगा?

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह तो बहुत क्लीयर है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह मेंडेटरी प्रोविजन है तो बता दीजिए आप If you have any mandatory provision, then speak.

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट, एक मिनट, "Provided that where the Speaker has refused his consent under rule 157 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the notice of question of privilege..." Read the question of privilege.

डा. सी. पी. जोशी : 'May', not 'shall'.

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह तो आपके विवेक का क्वेश्चन है

डा. सी. पी. जोशी : It is 'may', not 'shall'

श्री उपाध्यक्ष : ही मे है न?

डा. सी. पी. जोशी : आप मे को शैल मान रहे हैं। 'May', not 'shall'

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर वह आवश्यक समझे, अगर वह आवश्यक समझे।

श्री जुगल काबरा : यह बहुत साफ स्पष्ट कहा गया है– He may. Not 'he shall'.

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर वह आवश्यक समझे, they he may.

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Here 'may' means 'shall'.

श्री सुरेन्द्र व्यास : विवाद कहां है? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : No. No. Never. मे और शैल में कितना फर्क है? (व्यवधान) क्या बात कर रहे हो? मे और शैल में बहुत फर्क होता है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप एडवोकेट हैं, 'May' cannot be interpreted as 'shall'.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हाउस को अंधेरे में नहीं रख सकते हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा लगता है, आप सब सैटिस्फाइड हैं, विराज जाएं आप, प्लीज। You are also satisfied.

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, एक चीज है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सब पढ़कर सैटिस्फाइड हो गये, अब क्या प्राब्लम है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : Where is the controversy?

श्री उपाध्यक्ष : What is the meaning of 'may'?

श्री सुरेन्द्र व्यास : There is absolutely...

श्री मानिक चन्द सुराना : 'May' here means 'shall', Sir.

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह अलग है और शैल है मेंडेटरी के लिये। अभी शैल का प्रयोग हुआ है तो it means the provision is mandatory.

श्री मानिक चन्द सुराना : दोनों स्थानों पर मे का मतलब...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : The 'may' is discretion by the Speaker.

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेंडेटरी प्रोविजन के लिये ही शैल होगा, अदरवाइज कैन या मे होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये आप, बिराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : शैल... (व्यवधान)...प्रिंसिपल के अनुसार मैं निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मे मींस डिस्क्रिशनरी...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : मे मींस डिस्क्रिशनरी, ही मे।

श्री मानिक चन्द सुराना : 'May' means 'shall'.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 'May' means discretion, if it is judicious.

डा. सी. पी. जोशी : "...if he thinks necessary..."

श्री मानिक चन्द सुराना : लोक सभा में जितने भी विशेषाधिकार के प्रश्न किये गये हैं वे सब लोक सभा में पढ़े गये हैं और लोक सभा में पढ़ने के पश्चात् अस्वीकार किये गये हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : 'May' means total discretion, not mandatory in any way.

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का पहला प्रस्ताव नहीं है। इस तरह के प्रस्ताव पूर्व में भी आते रहे हैं और अध्यक्ष महोदय ने अगर उनको अस्वीकार किया तो वे सदन में नहीं पढ़े गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। I raise a point of order, Sir. बिना किसी नियम के...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको आग्रह भी नहीं कर सकते, यह क्या तरीका हुआ? आसन को आग्रह कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तरीका यह हुआ कि मैंने आपको पूरा सैटिस्फाई कर दिया। उसके बाद भी आप सैटिस्फाई नहीं हो सकते हैं उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। (व्यवधान) अगर आप मे को शैल मानते हैं तो शैल का मतलब क्या होगा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मे को तो छोड़िये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हाथ से, इस तरह से मत समझाओ, आपको अधिकार है उसमें आप व्यवस्था दीजिए। आप व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : दे दी न व्यवस्था।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी क्या व्यवस्था है इसके ऊपर, ताकि बोलना बंद हो जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बहुत अच्छी बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप व्यवस्था दे सकते हैं, मे का, शैल का डिफरेंस आप समझा सकते हैं, और आपकी क्या व्यवस्था है उसके बाद सब समझ जाएंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : व्यवस्था के पहले, एक मिनट, एक मिनट, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें, फिर बोल लेना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह मान लेते हैं यह डिस्क्रिशनरी है तो it should be judicious. डिस्क्रिशनरी भी जुडीशियस होना चाहिए, मनमर्जी नहीं होगी।

डा. सी. पी. जोशी : आप बहुत लर्नेड एडवोकेट हैं और आप मे को इंटरप्रेट कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं निवेदन कर रहा हूं, 'may' means discretion (व्यवधान) एक सैकण्ड।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप यह कहना चाहते हैं कि यह आर्बिट्रेरी हो रहा है। आप यह आर्बिट्रेरी कहकर चेअर पर प्रश्नचिन्ह लगाना चाहते हैं। (व्यवधान) निर्णय तो जुडीशियस ही होगा। (व्यवधान) आप आर्बिट्रेरी किसलिये कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं कह रहा हूं, 'May' means discretion, यही कहना चाहते हैं न आप?

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, आगे और पढ़िये। (व्यवधान) बाकी तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बताने तो दो, बोलने तो दो, यह क्या बात है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, एक मिनट, आप बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : म अगर डिस्क्रिशनरी है, अगर यह डिस्क्रेशनरी भी है, मान लीजिए, then it should be judicious.

श्री शैलेन्द्र जोशी : तो यह तो हर में आता है जुडीशियस।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Whether it is judicious? हाउस की प्रापर्टी है और उसे आप बता नहीं रहे हो।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सब जुडीशियस है।

डा. (श्रीमती) कमला : मे के आगे, '...if he thinks necessary...' यह और एक्सप्लेन कर दिया, मे के आगे और लिख दिया।

श्री जुगल काबरा : How the hon'ble member is saying that the decision of the Hon'ble Speaker in not judicious? On what grounds are you saying thay the decision is not judicious?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I am not saying that. I am only defining 'may'.

श्री रामनारायण चौधरी : That is the point. आप आक्षेप कर रहे हैं, आप अध्यक्षीय निर्णय को चुनौती दे रहे हैं। आप अध्यक्षीय निर्णय को चुनौती दे रहे हैं, अण्डर व्हाट रूल?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप अध्यक्षीय निर्णय को किस कानून के अन्तर्गत, किस नियम के आधार पर चुनौती दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप बैठिये, मैं बताता हूं आपको। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, आप बैठिये, मैं बता रहा हूं आपको। आप तशरीफ रखिये। (व्यवधान) आप तशरीफ तो रखिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप बिराजिये, आप बिराजिये तो सही।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष के निर्णय की यहां कोई चर्चा नहीं हो सकती है पक्ष या विपक्ष में। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं उनके निर्णय का विरोध नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तशरीफ रखे, जरा। उपाध्यक्ष महोदय, एक ब्रीफ आफ प्रिविलेज आया...(व्यवधान) हमसे जवाब मांगा। हमने सारा जवाब दिया। उसके बाद दोनों बातों को देखकर एक जुडीशियस निर्णय लिया। आप जो कहते हैं जुडीशियस है कि नहीं है, उसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, Number one.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Number two, keeping in view all the relevant facts...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : What are those?

श्री प्रद्युम्न सिंह : That you ask the Hon'ble Speaker.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : What are those?

श्री प्रद्युम्न सिंह : How can you challenge that? You can't challenge that.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं हम, जानकारी मांग रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, चैलेंज नहीं कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : चैलेंज नहीं कर रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं। केवल जानकारी मांग रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जानकारी नहीं मांग सकते हैं आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष के निर्णय के...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : स्पीकर साहब ने किस आधार के ऊपर निर्णय लिया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आप बिराजें, खतम करो इसको। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष के निर्णय के बारे में कोई जानकारी नहीं कर सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप भले ही मना कर दो, मांग सकते हैं हम। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। श्री राजेन्द्र राठौड़, 295.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के निर्णय को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, कोई चैलेंज नहीं कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज, अच्छा किया नहीं किया चैलेंज तो, बहुत कृपा की आपने। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आसन से विनम्र आग्रह है कि आप इतनी–सी बात को...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, आप बिराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आसन से विनम्र आग्रह यह है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन व्यवस्था तो दे चुका, अब आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप से सिर्फ विनम्र आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन व्यवस्था दे चुका, इस पर कोई बहस नहीं होगी। अत: समाप्त हो गया, प्लीज सिट डाउन। आप बिराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हमारा आग्रह यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था सदन में दी जानी चाहिए।

श्री मदन दिलावर : विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो मैंने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी, राठौड़, बोलिये प्लीज। नहीं तो मैं दूसरे को बुलवाता हूं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, यह मिसइम्प्रेशन सत्तापक्ष क्रियेट करना चाहता है कि हाउस में हम आसन के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : हम अध्यक्ष महोदय, के निर्णय को चुनौती नहीं दे रहे हैं।

श्री जुगल काबरा : नहीं, आप स्पष्टीकरण गलत दे रहे हैं। (व्यवधान) आपने अध्यक्ष महोदय के निर्णय को चुनौती दी। आप इस बात को गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : वह प्रस्ताव पढ़ कर अस्वीकार कर देते तो हम भी अपनी बात 2 मिनट कह लेते। इस प्रक्रिया की पालना, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव में आवश्यक है। (व्यवधान) आप लोक सभा में पिछले 3 सालों में जो भी, जैसा रिकार्ड है...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछकर कि किस आधार के ऊपर अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय सुनाया है, क्या यह न्याय पूर्ण है या नहीं, इस बात का प्रश्न उठाकर सदन के अन्दर इस बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, कि अध्यक्ष महोदय का निर्णय न्यायपूर्ण है अथवा नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : जो भी निर्णय हुए हैं उनको एग्जामिन करने की कृपा करें। हमें अधिकार है कि आपसे कहें कि आप अपने निर्णय को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, आपको अधिकार है यह कहने का। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अपने निर्णय को अध्यक्ष महोदय रिव्यू करें, उसका पुनर्विचार करें और लोक सभा के निर्णयों के सन्दर्भ में उस पर निर्णय करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं, मेरे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये...

श्री मदन दिलावर : जो मैंने प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियम 157 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया है...

श्री उपाध्यक्ष : दे दिया आपने।

श्री मदन दिलावर : उसको पढ़कर सुना देता हूं, आप चाहे जो निर्णय लेना।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पढ़कर सुनाने का सवाल नहीं है।

श्री मदन दिलावर : चाहे जो व्यवस्था देना इस पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई सुनाना नहीं, कोई पढ़ने का अलाउ ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : मैंने जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको इस सदन के पटल पर आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, आसन पैरों पर। क्या है यह? आप बैठिये।

श्री जुगल काबरा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : सुरेन्द्रजी व्यास, बिराजिये। प्लीज, मैं आदेश नहीं दे रहा हूं, आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दी मैं उस व्यवस्था पर कायम हूं, बिराजिये। आ जाएगा, आ जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आपस में चर्चा हो रही है कि किस तरह का प्रस्ताव आना चाहिए, आप बिराजिये, मैं बता रहा हूं ना आपको। मेरा निवेदन यह है कि इस पर आपस में चर्चा हो रही है किस तरह का प्रस्ताव आना चाहिए, यह इतना आसान प्रस्ताव नहीं है जिसको साधारणत: लाया जा सके। इस पर सारे पक्ष की, विपक्ष की सहमति के बाद लाना चाहते हैं, यह सबकी सहमति से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, आप बिराज जाइये। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, मेहरबानी करके हाउस को आर्डर में आ जाने दीजिए। Please, don't go beyond the limit. आप लिमिट से बाहर मत जाइये, बहुत हो गया।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न। आप अपना 295 पढ़िये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : डिस्पोज आफ हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न, आप अपना 295 पढ़िये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना 295 पढ़िये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : हो गया वह अध्यक्ष महोदय कर चुके हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना 295 पढ़िये। आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मदन दिलावरजी, प्लीज बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप 295 पढ़िये प्लीज। आप 295 पढ़िये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह गौड़। आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो ठीक है।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संचालित पद व इकाई की सेवा समाप्ति से उत्पन्न स्थिति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, राज्य में वर्ष 1998 से संचालित राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग ने 100 पद–आप्थेलमिक सहायक एवं 19 जिला नेत्र भ्रमणशील इकाई की सेवाएं समाप्त कर पद समाप्त कर दिये हैं। उक्त योजना में संचालित रहे इन पदों को विभाग के नियमानुसार नॉन प्लान में परिवर्तित नहीं किया गया। इस प्रदेश की जनता 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, इसमें बढ़ रही अन्धता की बीमारी को नहीं देखकर यह प्रदेश की ग्रामीण जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया गया है। टैक्निकल एक्सपर्ट द्वारा निर्मित उक्त योजना में आप्थेलमिक सहायक, भ्रमणशील नेत्र इकाई की पृथक उल्लिखित सेवाओं की समाप्ति पर राज्य में अन्धता का लक्ष्य 0.3 प्रतिशत लाया जाने का लक्ष्य पूरा किस प्रकार होगा? प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु, कुपोषण, गरीबी इत्यादि के कारण देश में राजस्थान एक सर्वाधिक अन्धता से पीड़ित राज्यों में से एक होने के कारण उक्त केन्द्रीय योजना में जिले स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में चिकित्सा केन्द्रों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा चिकित्सा केन्द्रों पर डार्क रूम बनाकर

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसे नेत्र रोग जांच सम्बन्धी औजार एवं उपकरणों से सुसज्जित किया गया था तथा सभी डार्क रूमों पर प्रदेश में बढ़ रहे अन्धता का प्रतिशत को देखते हुए आप्थेलमिक सहायक को पदस्थापित कर दिया गया था। उक्त राष्ट्रीय योजना में पद आप्थेलमिक सहायक एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ की सेवाएं ग्रामीण एवं शहरी चिकित्सा केन्द्रों, दोनों जगह दी जाती थीं। उक्त योजना में स्वीकृत पदों को समाप्त करने के निर्णय से ग्रामीण जनता उक्त योजना में मिल स्वीकृत पदों को समाप्त करने के निर्णय से ग्रामीण जनता उक्त योजना में रही नेत्र सेवाओं से पूर्णतया वंचित हो जाएगी।

मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से पुरजोर आग्रह है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय को निरस्त कर उक्त केन्द्रीय योजना में आप्थेलमिक सहायक एवं जिला नेत्र भ्रमणशील इकाई की सेवाओं को ग्रामीण जन हित को ध्यान में रखते हुए पूर्ववत संचालित करने की घोषणा की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह गौड़।

कोटपूतली तहसील के पावटा में चरागाह भूमि का आबंटन

श्री रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कस्बा पावटा (कोटपूतली) की चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा बाबत।

महोदय, ग्राम पावटा, तहसील कोटपूतली की सैकड़ों बीघा जमीन खसरा नम्बर 2248, 1030, 2220, 2031, 2228, 1860, 2125, 2229 तथा अन्य नम्बर गैर मुमकिन नदी पर चरागाह भूमि रिकार्ड में दर्ज है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है तथा इस पर लगातार काश्त की जा रही है। उपरोक्त भूमि गैर-मुमकिन नदी तथा चारागाह है जिसका आबंटन भूमिहीनों को ही कलक्टर द्वारा किया जा सकता है। किन्तु किन्हीं व्यक्तियों ने अपने धन का प्रभाव का उपयोग कर इस भूमि का आबंटन करवा लिया है, तथा और भी अपने परिवारजनों को आबंटन किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उपरोक्त खसरा नम्बरों वाली भूमि को भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को आबंटित कर क्षेत्र में फैले असंतोष को दूर करें।

पावटा में वर्षों से रह रहे गाड़ी-लुहारों ने इस क्षेत्र में भूखण्ड दिये जाने हेतु पंचायत में आवेदन किया है। अत: निवेदन है कि खसरा नम्बर 2248, 1030, 2220 (जिस पर अवैध कब्जा है) के अतिक्रमण को हटाकर इन गरीब भूमिहीन, आवासहीन गाड़ी-लुहारों को बसाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

(अनुपस्थित) श्री गणेशीराम मेघवाल।

जालौर में 'विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के तहत हुए कार्यों का नामकरण

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत जालौर विधान सभा क्षेत्र में "विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम" के तहत स्वीकृत एवं निर्मित कार्यों के नामकरण के क्रम में ध्यानाकर्षण।

महोदय, उपरोक्त विषय में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण कर निवेदन है कि माह दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 के दरमियान "विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम" के तहत विधान सभा क्षेत्र जालौर में नियमानुसार स्वीकृत करवाकर कार्य करवाये गये। अधिकतर करवाये गये कार्यों पर "विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम" आदि नामकरण नहीं किया गया है। जिन निर्मित कार्यों का नामकरण नहीं किया गया है, उनका नामकरण करवाया जाए। अभी तक नामकरण जिन अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है उन्हें इतने लम्बे समय के बाद नहीं करने के क्या कारण रहे, पूछा जाए।

अत: श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित कर निवेदन है कि दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 के बीच "विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम" के अधीन बने कार्यों का नामकरण पट्टी बनाकर सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जालौर विधान सभा क्षेत्र में चिपकाने की कृपा कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

जैसलमेर के उपनिवेशन क्षेत्र में अन्य जिलों के सामान्य आबंटियों को विनियम की कार्यवाही पर रोक

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के तहत जिला जैसलमेर में इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में चूरू, जोधपुर एवं नागौर जिले के सामान्य आबंटियों को विनियम की कार्यवाही रोकने बाबत विशेष उल्लेख।

महोदय, इन्दिरा गांधी नहर के उपनिवेशन क्षेत्र में चूरू, जोधपुर, एवं नागौर के भूमिहीन काश्तकारों को पूगल जिला बीकानेर में कमांड कृषि भूमि आबंटन हुई थी। उस भूमि को 50 प्रतिशत अनकमांड करके उन काश्तकारों ने विनियम का प्रकरण बनाया तथा अपने प्रभाव का प्रयोग करके अप्रैल, 2001 में जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ उपनिवेशन तहसील में 168 मुरब्बे आरक्षित करवा कर अधिकतर चक नम्बर 26, 27, 28 पाली वितरिका में आबंटन के आदेश उपनिवेशन विभाग से करवाये। स्थानीय काश्तकारों को जब इसकी जानकारी मिली तब इसका विरोध

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

किया गया तथा कुछ मुरब्बे अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे वाले काश्तकारों को आबंटन हुए जिन्हें भी निरस्त करने की कार्यवाही की गई।

तबादला प्रकरण में सामान्य आबंटन की प्रक्रिया होती है उसमें आरक्षण व मुरब्बे की मांग नहीं होती। पूगल तहसील के मूल आबंटन का तबादला मोहनगढ़ तहसील में करवाना बहुत बड़ी साजिश थी। जैसी जानकारी मिली, ये काश्तकार इन मुरब्बों पर अवैध काबिज हैं, जिनके विरुद्ध उपनिवेशन विभाग के अधिकारी कार्यवाही करने में अक्षम हैं। काश्तकारों ने पुनः प्रयास कर राज्य सरकार से विनियम के आदेश निकलवाये। उप शासन सचिव के पत्रांक 46(1)2/34/192/पार्ट, दिनांक 10.5.2002 के क्रियान्वयन में आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर ने अपने आदेश संख्या 5/सी(15)उपनि/2001/बी. 8742, दिनांक 13.9.2002 द्वारा पैंडिंग पत्रावलियों के विनयम के निस्तारण का आदेश पारित किया। यह सारी कार्यवाही इन प्रभावशाली काश्तकारों को फायदा देने हेतु की गई। जैसलमेर जिले के काश्तकारों का विनियम किया जाता है, जिसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। गत वर्षों में सैकड़ों विनियम हुए हैं उन्हें यह 26,27 चक वाली वितरिका की भूमि दी जा सकती थी।

अतः माननीय उपनिवेशन मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो असंवैधानिक भेदभावपूर्ण कार्यवाही की गई है, उसकी जांच करवाएं तथा प्रसारित आदेशों को निरस्त करवाकर न्याय दिलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंहजी चौहान।

तिकली नाका व धामरताली के अपूर्ण बाढ़-बचाव कार्यों की स्वीकृति

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख बाबत वर्ष 2000-2001 का अपूर्ण बाढ़-बचाव कार्य तिकली नाका व धामरताली के लगातार जमीन के कटाव का पूर्व वर्षों का अपूर्ण बाढ़ बचाव कार्य सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्य में स्वीकृत न करने से उत्पन्न स्थिति।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि माह अगस्त, सितम्बर, 2002 के अकाल राहत कार्य तथा लगातार सिंचाई विभाग के कनिष्ठ व सहायक अभियंता, जैतारण के अलावा उप खण्ड अधिकारी, जैतारण तथा पिछले दिनों में कंट्रोलिंग अधिकारी, रायपुर को मेरे द्वारा लिखित में देते हुए बताया गया कि तिकली नाका बाढ़ बचाव वर्ष 2000-2001 का केवल 500 मीटर लम्बाई का शेष रहा है, तथा धामरताली नदी किनारे 20 काश्तकारों की जमीन कट कर बह रही है जो कार्य भी

(श्री हीरासिंह चौहान)

रामा पटेल व अन्य काश्तकारों का 10-15 वर्षों पूर्व स्वीकार हुआ लेकिन राहत कार्य बंद होने से लगभग 500 से 300 मीटर लम्बाई का बाढ़ बचाव कार्य अधूरा रहने से पूरा करना जरूरी है। मेरे द्वारा निवेदन किया गया था कि केवल श्रमिक संख्या स्वीकृत होने से उपलब्ध पत्थरों से दोनों बाढ़ बचाव कार्य पूर्ण हो जाएंगे।

पिछले महीने में लगातार निवेदन बाद भी महत्वपूर्ण कार्य सहायता विभाग, पाली के पास प्रस्ताव सिंचाई विभाग द्वारा नहीं जाने से स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है। इसी प्रकार अगस्त व सितम्बर, 2002 में सन् 1970 का छोटा-सा 5 मीटर ऊंचाई का तिकली नाके का वर्ष 1990 में एक तरफ से टूटे एनीकट की स्वीकृति सहायता विभाग, पाली द्वारा पुन: निर्माण की स्वीकृति जारी की गई लेकिन बिना उचित जांच किये गलत व्यक्तियों के विरोध के कारण कार्य रोक दिया गया जिसको पुन: जांच कर तत्काल प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है अन्यथा कानूजा के पीड़ित 15 कूपों के काश्तकार उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका करके स्वीकृत एनीकट को जन हित याचिका के द्वारा करवाने को बाध्य होंगे क्योंकि 5 मीटर तक ऊंचाई के एनीकट को नया बनाने व पुराने की मरम्मत करने की राज्य सरकार की कोई रोक नहीं है।

(13.00 बजे)

यहां विशेष उल्लेख करना आवश्यक है कि पाली जिले के अन्य क्षेत्रों में तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र रायपुर में अकाल राहत में स्वीकृत एनीकट बिराटिया खुर्द, कलाली फीडर, अमरपुरा एनीकट, कैलवाद एनीकट, यादव एनीकट, हाजीवास व अन्य एनीकट के निर्माण कार्य इसी वर्ष राहत कार्यों के अन्तर्गत पूर्ण कर दिये गये हैं। ये सभी एनीकट जसवन्त सागर, बांध पिचपाक व हेमावास तथा अन्य बांधों के ऊपर केचमेंट एरिये में बनाये गये हैं, क्योंकि इन सबकी भराव क्षमता भी पांच फीट से ऊपर नहीं है। लेकिन तिकली नाका एनीकट कानूजा पर कार्य प्रारम्भ करके बिना किसी उचित औचित्य के, बिना किसी उचित जानकारी के रोका हुआ है जिसे तत्काल प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है।

अत: विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि तिकली नाका एनीकट कानूजा तथा अपूर्ण बाढ़ बचाव के दोनों कार्य स्वीकृत नहीं करने के कारणों से अवगत करावे तथा यह भी बतावे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसके कहने से राहत कार्यों का प्रस्ताव स्वीकृत होता है और अब तक इन पर उचित कार्यवाही नहीं होने की लिये कौन जिम्मेदार है? वस्तुस्थिति से अवगत करावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही के ग्रामीण क्षेत्र में रात्रिकाल में बिजली आपूर्ति

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत वन्य जीवों से नागरिकों के जीवन को उत्पन्न संकट को देखते हुए सिरोही जिले के गांवों को रात्रिकालीन बिजली आपूर्ति के सम्बन्ध में आपके माध्यम से विद्युत मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

निवेदन है कि सिरोही जिले के गांवों में रात्रिकालीन विद्युत आपूर्ति की महत्ती आवश्यकता है। सिरोही जिले में राज्य में सर्वाधिक 31 प्रतिशत वन क्षेत्र है। इसमें वन्यजीव हैं जिनके सामने लगातार अकाल से कई कठिनाइयां हैं इसलिए वन्यजीव अक्सर आबादी क्षेत्र के गांवों में आ जाते हैं। यद्यपि माली वैलफेयर सोसायटी, सिरोही ने वन क्षेत्र में पानी की व्यवस्था सेवा भावना से कर रखी है।

राज्य में अंधेरा होने से गांव में वन्यजीव के आने से कोहराम मच जाता है, भय फैल जाता है। गत वर्ष भी वन्यजीव के हमले से सिंदरथ पंचायत में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। इसी तरह आम्बेश्वरजी में शंभुनाथजी महाराज के आश्रम में पैंथर आ गया था। वन्य जीव रैबारी समाज के मवेशियों पर भी हमला कर देते हैं। रात के अंधेरे का चोर भी लाभ उठाते हैं और चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। मेवाड़ क्षेत्र के कई चोर रैबारी समाज के मवेशियों को लेकर भाग जाते हैं। इस बाबत पुलिस में भी मामले दर्ज हुए हैं। इससे रैबारी समाज को भी पशु धन की क्षति हुई है। इसके अलावा बच्चों की परीक्षाओं का समय भी चल रहा है जिससे उन्हें भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि पूरे राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति की जा रही है लेकिन सिरोही जिले में वन्य जीवों से नागरिकों की जिन्दगी के लिये उत्पन्न खतरे को देखते हुए सिरोही जिले में रात्रिकालीन विद्युत आपूर्ति बहाल करने का कष्ट करें, जनहित में यह अत्यन्त आवश्यक है। सरकार इस सम्बन्ध में जोधपुर, विद्युत वितरण निगम को तुरन्त निर्देश प्रदान करे जिससे इंसानी जिन्दगी की हिफाजत सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

पचपदरा साल्ट की क्षतिग्रस्त खदानों की अकाल राहत के तहत खुदाई

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत अकाल राहत कार्यों के तहत पचपदरा साल्ट में साल्ट की क्षतिग्रस्त खानों की खुदाई हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 295 के तहत निम्न निवेदन है :

(श्री अमराराम चौधरी)

1. यह कि पचपदरा साल्ट जिला बाड़मेर में करीब चार सौ से अधिक खानें हैं। इन खानों से खारवाल जाति के कृषक पीढ़ियों से नमक निकालते आ रहे हैं।

2. यह कि नमक की खानें करीब 100 फीट से अधिक लम्बाई में तथा 20 फीट से 25 फीट गहराई में होती हैं तथा 40 से 50 फीट चौड़ी होती हैं।

3. यह कि रेगिस्तान क्षेत्र में आंधियां चलने से कई खानों में रेत आ जाने से खानें नष्ट हो गयी गयी हैं। उनमें से रेत बाहर निकालकर सफाई कराना नितान्त आवश्यक हो गया। है

4. यह कि अकाल पड़ने के कारण नमक पैदा करने वाले कृषकों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गयी है जिसके कारण वे अपनी क्षतिग्रस्त खानों को ठीक नहीं करवा सकते।

अत: निवेदन है कि अकाल राहत कार्यों के तहत इन नमक की खानों को खुदवाने व सफाई करने की स्वीकृति दिलाने का निर्देश सरकार को देने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में लगभग 6 वर्ष से कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता की पदोन्नति नहीं हुई है क्योंकि वर्ष 1997-98 से 2002-2003 तक की डी.पी.सी. होना शेष है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि विभाग द्वारा केवल डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं की डी.पी.सी. वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक की ही करवायी जा रही है। जबकि वर्ष 1996-97 की डी.पी.सी. की आर.आर. सूची के 62 सहायक अभियन्ता (सिविल डिग्रीधारी. अभी तक तदर्थ चले आ रहे हैं, लगभग पांच वर्ष हो चुके हैं। इनमें अनुसूचित जाति के 13 एवं अनुसूचित जनजाति के 9 सहायक अभियन्ता हैं। इनके अतिरिक्त विभाग में हर वर्ष रिटायर हुए सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता (सिविल) से पदोन्नत हुए अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद रिक्त हुए हैं जिनकी वर्षवार गणना निम्न प्रकार है :-1997-98 के 64 पद, वर्ष 1998-99 में 48 वर्ष, 1999-2000

(श्री कन्हैया लाल)

के 67, 2000-2001 के 46, 2001-2002 के 44 एवं 2002-2003 में 49 पद सहायक अभियन्ता (सिविल) के, कुल 318 इन पदों की भी डी.पी.सी. होना शेष है।

अनुसूचित जाति-जनजाति की कैडर स्ट्रेंथ हमेशा 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुसार होनी चाहिये। यह प्रावधान डी.ओ.पी. के नोटिफिकेशन नम्बर एफ. 7(2)डी.ओ.पी./ए-II/81, दिनांक 13.11.1996 द्वारा लागू कर दिया था। लेकिन विभाग ने अभी तक अनुसूचित जाति/जनजाति की कैडर स्ट्रेंथ पूर्ण नहीं की है। आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 30.6.1998 को स.अ. (सिविल) के लिये कैडर स्ट्रेंथ 897 दर्शाई गई है। इसके अनुसार अनुसूचित जाति के डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता 39 एवं जनजाति के 29, सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत होने चाहिये थे, लेकिंन 1996-97 की डी.पी.सी. द्वारा अनुसूचित जाति के केवल 26 एवं जनजाति के 21 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया। 1.4.1997 को विभाग में कैडर स्ट्रेंथ लगभग 925 थी, उसके अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता डिग्रीधारी अनुसूचित जाति के 40 पद, अनुसूचित जनजाति के 30 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी पदोन्नत होने चाहिये थे।

वर्ष 1996-97 की डी.पी.सी. में अनुसूचित जाति के 14 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी एवं जनजाति के 9 और पदोन्नत होने चाहिये थे, जो कि डी.पी.सी. की मेन लिस्ट में आने चाहिये थे, जबकि विभाग द्वारा इन्हें रिव्यू एण्ड रिवीजन (आर.आर.) लिस्ट में ही लिखा गया। यह अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अत: वर्ष 1996-97 की डी.पी.सी. रिव्यू करके इन्हें मुख्य लिस्ट में शामिल किया जाए।

वर्ष 1997-98 से 2002-2003 तक सहायक अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पद 318 हैं, इनकी डी.पी.सी. विभाग द्वारा नहीं की गई है। चूंकि सीधी भर्ती के पदों की संख्या कैडर स्ट्रेंथ से अधिक है, अत: 318 रिक्त पद सिर्फ पदोन्नति द्वारा ही भरे जाने चाहिये। इनमें 60 प्रतिशत डिप्लोमा एवं 40 प्रतिशत डिग्री के पद बनते हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति के 15 पद एवं अनु.जाति के 20 पद बनते हैं, जिन्हें पदोन्नत किया जाना शेष है।

अत: विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि सिर्फ डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं की डी.पी.सी. नहीं की जाए अपितु अनुसूचित जाति/जनजाति के डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल) को भी शामिल करते हुए वर्ष 1997-98 से 2002-2003 तक डी.पी.सी. करने का कष्ट करें जिससे कि अनुसूचित

(श्री कन्हैया लाल)

जाति/जनजाति के डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं को न्याय मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान।

पुष्कर के ग्राम होकरा में निर्माणाधीन स्टोन क्रेशर

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम होकरा में निर्माणाधीन अवैध क्रेशर के निर्माण को बन्द करवाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के तहत निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम होकरा के खसरा नम्बर 761 से 765 जिसका रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा में श्री टी.एल.टी. छतवानी, निवासी वैशाली नगर, अजमेर अवैध तरीके से जिला कलक्टर, अजमेर से स्वीकृति प्राप्त कर अवैध स्टोन क्रैशर के निर्माण का कार्य करवा रहा हैं। इस सम्बन्ध में मेरा आपके माध्यम से माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह स्टोन क्रैशर आबादी क्षेत्र में है जहां गांव की करीबन एक हजार की आबादी निवास करती है और उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन इसके बिलकुल 100 मीटर की दूरी पर बना हुआ है, स्टेट हाई-वे 70 मीटर की दूरी पर से जा रहा है। जिस जगह यह अवैध क्रैशर का निर्माण करवाया जा रहा है, इस जगह का जिला कलक्टर, अजमेर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर (प्रशासन) उप खण्ड अधिकारी, अजमेर, नायब तहसीलदार, पुष्कर ने मौका मुआयना किया, सभी अधिकारियों ने इसे अवैध निर्माण माना है। विशेषकर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर ने अपनी लिखित रिपोर्ट में इसे आबादी के भीतर माना है। इस क्रैशर के अवैध निर्माण की स्वीकृति भी प्रशासन को धोखा देकर प्राप्त की गयी है जिसके कुछ तथ्य मैं मंत्री महोदया के समक्ष रखना चाहूंगा :

1. ग्राम पंचायत खोरी के सरपंच से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं करके उप-सरपंच के हस्ताक्षर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया। जिसे ज्ञात होने पर दिनांक 26.1.2003 को ग्राम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया।

2. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाड़ा ने बगैर मौका देखे स्टोन क्रैशर बनाने की दिनांक 31.10.2002 को श्री छतवानी के झूठे हलफनामे के आधार पर स्वीकृति दे दी। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाड़ा ने प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1981 एवं ई.पी.एक्ट 1986 की धारा 21 का उल्लंघन किया है। इस धारा में स्पष्ट प्रावधान है कि स्टेट हाई-वे से 100 मीटर दूर होना चाहिए, आबादी से 300

(श्री रमजान खान)

मीटर से एक किलोमीटर की दूरी होनी जरूरी है जबकि आबादी से 50 मीटर की दूरी भी नहीं है और स्टेट हाई-वे भी 70 मीटर की दूरी पर से जा रहा है। इन नियमों की भी स्वीकृति देते वक्त अनदेखी की गयी है। इस क्रैशर के आसपास 50 मीटर की दूरी पर 1000 से अधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है।

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाड़ा की स्वीकृति के आधार पर ही जिला कलक्टर, अजमेर ने स्वीकृति जारी कर दी। न्यायालय में भी श्री छतवानी ने स्टे ले रखा है परन्तु न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि यदि नियमों की पालना नहीं हो रही है तो निर्माण कार्य नहीं करवाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, गलत तरीके से स्टोन क्रैशर की ली गयी स्वीकृति को तुरन्त बन्द नहीं करवाया गया तो ग्रामवासियों का जीना दूभर हो जाएगा। बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकेंगे, पूरे गांव की कृषि भूमि की बरबाद हो जाएगी और गांव की जनता में बीमारी फैल जाएगी। इन सभी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर की रिपोर्ट के आधार पर तुरन्त इस स्टोन क्रैशर के निर्माण पर रोक लगावे एवं प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाड़ा को मौके का निरीक्षण करने का आदेश दें ताकि वस्तुस्थिति सामने आ सके। स्टोन क्रैशर मालिक श्री टी. छतवानी जिन्होंने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर क्रैशर निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की है, के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा कर सख्त कानूनी कार्यवाही की जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन।

बेगूं के पर्यटन व धार्मिक स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों का उन्नयन

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत मैं विधान सभा क्षेत्र बेगूं के पर्यटन व धार्मिक स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों के उन्नयन व नवीनीकरण कराने के सम्बन्ध में माननीय पर्यटन व सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने गत वर्ष के बजट में भी ''केन्द्रीय सड़क निधि योजना'' के तहत धार्मिक व पर्यटन स्थानों की सड़कों के उन्नयन व नवीनीकरण करने हेतु बजट में प्रावधान रखा था एवम् इस वर्ष भी इस हेतु 76 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। मैंने गत वर्ष भी तत्कालीन पर्यटन मंत्री श्रीमती बीना काकजी को मेरे क्षेत्र बेगूं के महत्वपूर्ण पर्यटन व धार्मिक क्षेत्रों को ऐसी सुविधा

(श्री घनश्याम जैन)

उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया था मगर आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इस वर्ष के बजट में भी प्रावधान नहीं रखने से मेरे क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। मेरे क्षेत्र में निम्नांकित महत्वपूर्ण पर्यटन व धार्मिक क्षेत्र हैं जहां हजारों यात्री व पर्यटक आते हैं मगर सड़क व अन्य सुविधाएं नहीं होने की स्थिति में वहां जाकर मायूसी महसूस करते हैं। ये स्थल निम्नांकित हैं:-

1. **पाड़ाझर महादेव :** पाड़ाझर महादेव तहसील रावतभाटा में है। यह बहुत ही सुरम्य स्थल है। यहां विश्व प्रसिद्ध झरना मैनाल की तरह 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यहां का दृश्य देखते ही बनता है। गुफा में नैचुरल शिवालय भी बना हुआ है मगर सड़क सुविधा नहीं होने की वजह से व अन्य सुविधा नहीं होने से यात्रियों का आना-जाना कम होता है। यह रावतभाटा से 15 किलोमीटर दूर है।

2. **राजगढ़ तालाब :** राजगढ़ तालाब तहसील बेगूं की पंचायत मेधापुरा के अन्तर्गत आता है। बहुत ही प्राचीन तालाब है एवं तालाब के अन्दर प्राचीन महल व शिवालय है। दृश्य बहुत ही मनोहर है। यह स्थल बेगूं से करीब 7 किलोमीटर दूर है।

3. **झरिया महादेव :** झरिया महादेव तहसील बेगूं की राजगढ़ पंचायत में आता है। गुफा में शिवालय बना है एवं झरने के नीचे भीग कर ही शिवजी के दर्शन किए जाते हैं। पूरा क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं।

तीनों क्षेत्र धार्मिक व पर्यटन में अपना विशेष महत्व रखने के बावजूद भी इनका सड़क सुविधा में नाम नहीं आने से क्षेत्र के निवासियों व खास तौर से पर्यटन पर आने वाले पर्यटक बड़े हतोत्साहित होते हैं। मैं तीनों स्थलों के फोटो व परिचय भी तत्कालीन मंत्री महोदय को दे चुका हूं।

अतः निवेदन है कि इन तीनों स्थलों को यदि सड़क व अन्य सुविधा मिलती है तो पर्यटन व धार्मिक दृष्टि से उपरोक्त स्थान भारत में अपना विशेष स्थान ले पाएंगे। आशा है कि माननीय मंत्री महोदय अपना ध्यान इस ओर फर्मा कर इन क्षेत्रों को भारत के मानचित्र पर लाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

'स्पेशल योजना' के विद्युत कनेक्शन

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी और सदन का ध्यान

(श्री कन्हैया लाल)

आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि जनवरी, 2000 से दिसम्बर, 2000 तक विद्युत विभाग ने किसानों से स्पेशल योजना में-पहले चारा योजना, फिर चोर योजना और नर्सरी योजना इन सब को खतम करने के बाद स्पेशल योजना चालू की, स्पेशल योजना में 12000 रुपये प्रति किसान आवेदन के पर लिये गये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 930 किसानों से पैसा लिया गया लेकिन जनवरी, 2000 से लेकर अब तक उन किसानों को कनेक्शन नहीं दिये गये। अभी दो-तीन दिन पहले एस.ई साहब ने कहा कि इसमें शुरूआत कर रहे हैं। चालू करने के आदेश आये हैं कि जो स्पेशल योजना में कनेक्शन हैं उनको चालू किया जाए। गांवों में जो किसान अकाल की विभीषिका से वैसे ही त्रस्त थे, उन किसानों ने सोचा कि 12000 रुपये जमा करा कर भी, लाखों रुपये जमा कराने के बाद भी उनको कनेक्शन मिल जाएं तो वे अपने पशुओं को बचाने के लिए चारा पैदा कर सके, कुछ सब्जी पैदा कर अपने जीवन-यापन का सहारा बना सके, अपने पशुओं को पानी पिला सके, ऐसी व्यवस्था के लिए उन्होंने बारह-बारह हजार रुपये जमा करा कर आशा की थी कि कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी दो-तीन दिन पहले आदेश दिये बताये कि अभी स्पेशल योजना वाले कनेक्शन जारी कर दिये जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, स्पेशन योजना में कनेक्शन जारी किये। मैंने पूछा कि सब किसानों को डी.एन.जारी कर दिये जाएं, उन्होंने कहा कि सब किसानों के डी.एन. तो जारी नहीं हो सकते, इसमें से 62 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनका बी.आर. नहीं बैठता है और सरकार ने आदेश दिये हैं कि जिन्होंने 12000 रुपये वर्ष 2000 में जमा कराये थे, उनको वर्ष 2003 में वे 12000 रुपये वापस लौटा दिये जाएं। मैं कहता हूं कि यह किसानों के साथ घोर अन्याय होगा। 8 प्रतिशत से एबव बी.आर. नहीं बैठता है, 62 प्रतिशत किसानों का बी.आर. बैठता नहीं है। 62 परसेंट किसानों ने जनवरी, 2000 में पैसे जमा करवा रखे हैं और दो साल हो गये, वे इस आशा में थे कि हमको कनेक्शन मिलेगा, लेकिन आज उन किसानों को पैसा लौटाने के लिए माननीय विद्युत मंत्री महोदय ने आदेश दे दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन किसानों के जो पैसे हैं वे वापस नहीं लौटाये जाएं और कोई सिस्टम ऐसा डवलप किया जाए, सिस्टम में परिवर्तन किया जाए कि अगर बी.आर. नहीं बैठती है तो उन किसानों को कनेक्शन दिये जाने चाहिए ताकि वर्तमान में अकाल की विभीषिका है, वे चारा उत्पन्न कर सकें। टमाटर वगैरह कुछ भी हो, सब्जी उत्पन्न कर सके, उनको कनेक्शन दिए जाएं।

(श्री कन्हैया लाल)

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक देवगढ़ गांव है वहां 33 के.बी. का जी.एस.एस. चालू करने का था, यह कहा था कि हम फरवरी, 2003 तक चालू कर देंगे, लेकिन अब तक 33 क़े.वी. को चालू नहीं करने से आज यह स्थिति किसानों के साथ हो रही है। माननीय विद्युत मंत्रीजी ने आदेश जारी किये थे कि राजस्थान में पांच हजार से ज्यादा की आबादी के जो गांव हैं उनको सिंगल फेस बिजली 24 घंटे दी जाएगी। यह बड़ा दु:ख का विषय है कि जितने भी पांच हजार से अधिक की आबादी के गांव हैं उन किसी भी गांव में आज सिंगल फेस बिजली नहीं दे रहे हैं। दस बजे तक सिंगल फेस दी जाती है। बच्चों की परीक्षाएं हैं, विद्यार्थी अंधेरे के अन्दर क्या पढ़ाई कर पाएंगे, और क्या परीक्षा दे पाएंगे? मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कम से कम पूरी रात्रि, जब तक विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं, सिंगल फेस बिजली दें। करीब 80 प्रतिशत किसानों ने 20-25 प्रतिशत खेती की थी उसको करीब-करीब काट लिया है, वह सूख गयी है, ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को रात्रिभर सिंगल फैस लाइट दी जाए। मेरा आपके माध्यम से विद्युत मंत्रीजी से और सदन से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था करायी जाए। सिंगल फेस लाइट नहीं मिलने से विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दिनों में परेशानी हो रही है, उनको तैयारी करने में परेशानी आ रही है। विद्यार्थी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री कन्हैया लाल : मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा माननीय मंत्रीजी से कि जब तक परीक्षाएं हैं तब तक तो सिंगल फेस लाइट दे दें। धन्यवाद।

श्री रमजान खान : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल जो उठाया है, बहुत सीरियस है। काश्तकारों के 12-12 हजार रुपये चारा योजना के तहत तीन वर्ष जो जमा करवाये गये, अगर उनको वापस वगैर ब्याज के ऐसे ही लौटा दिया गया तो हजारों किसानों का अहित होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय रमजान खानजी, आप क्या कह रहे हैं, कह दिया न उन्होंने।

श्री कन्हैया लाल : किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। श्री संयम लोढ़ा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि किसानों ने इस योजना की...

श्री उपाध्यक्ष : अमरा रामजी, आप नियम को समझिए। प्लीज बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : सरकर ने आदेश जारी कर दिया, उसका क्या होगा? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 12 हजार रुपये ही नहीं, तीन लाख रुपये ट्यूब वैल के रिफण्ड करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। जैसे ये पर्ची लाये, आप भी लाओ पर्ची। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : यह बहुत सीरियस मैटर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिए। श्री संयम लोढ़ा।

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान के 15 हजार किसानों ने दिया है उनके बकाया हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं? वह कह चुके न यह बात। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बारह हजार रुपये रिफण्ड करने के लिए कह दिया, मैं मन से नहीं कह रहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह चुके न वह बात।

श्री अमराराम (धोद) : उसके अलावा कह रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे नहीं कह सकते। बिराजें।

(आसन द्वारा संकेत से अंकित नहीं करने के आदेश)

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री रमजान खान : XXX

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री संयम लोढ़ा : अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। अंकित नहीं हो।

श्री रमजान खान : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाह रहे हो?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कोई तरीके से बोलो। (व्यवधान) अपनी बात कह दी उन्होंने।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री कन्हैया लाल : XXX

श्री रमजान खान : XXX

श्री केसाराम चौधरी : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री रमजान खान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। बैठिए। संयमजी, बैठो।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्यों से यह जानना चाहती हूं कि आपको यह जानकारी कहां से हुई कि जो साढ़े बारह हजार रुपये काश्तकारों के जमा हैं वे वापस लौटाये जाएंगे? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आदेश निकला है।

डा. (श्रीमती) कमला : कहां निकला? (व्यवधान) किसी के नोटिस आया है क्या?

श्री अमराराम (धोद) : हां, नोटिस है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : मैं बात कह रही हूं।

श्री अमराराम (धोद) : आठ परसेंट से ज्यादा जिनके बी.आर. है उनको कम्पनी ने नोटिस भेजा है कि आपको बी.आर. अधिक होने के कारण नहीं मिलेगा, इसलिए आप रिफण्ड ले लें। तभी तो मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी, आप बिराजो।

डा. (श्रीमती) कमला : फिजिबल नहीं बनता है। (व्यवधान) सुनिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, अब इस प्रश्न पर आप जानकारी प्राप्त करके बिजली मंत्रीजी को कह दीजिए, कल स्टेटमेंट दे देंगे। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर देती हूं। हमारा सामूहिक निर्णय है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का जो निर्णय है वह मैं बोल रही हूं। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया हुआ है कि जिनके डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा हैं उनको 31 मार्च, तक कनेक्शन दे दिए जाएंगे। जिनके डिमाण्ड नोटिस जारी हो चुके हैं और पैसे जमा होने हैं, उनको जून एण्ड तक कनेक्शन दे दिए जाएंगे। और एप्लीकेशन के जिनके साढ़े बारह-साढ़े बारह हजार रुपये जमा हैं उनको उसके बाद कनेक्शन दिऐ जाएं। लेकिन यह जो आप बता रहे हैं वह इसलिए है कि

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. (श्रीमती) कमला)

बी.आर. पूरी नहीं होने के कारण से वे फिजिबल नहीं बन रहे हैं इसलिए उसके ऊपर रोक लगायी गयी है या उसके लिए नोटिस दिए हैं। बाकी यह कोई निर्णय नहीं है कि जिनके साढ़े बारह हजार रुपये जमा हैं उनको सबको वापस लौटाये जाएंगे। (व्यवधान) सुनिए। पूरी बात सुनिए। जो बी.आर. के कारण से काश्तकारों को कनेक्शन नहीं दिए जा सकते हैं और उनका नोटिस जारी हुआ है, उसकी क्या वस्तुस्थिति है उसकी जानकारी करके माननीय मंत्रीजी आपको फिर बता देंगे। बाकी ये तीनों निर्णय ज्यों के त्यों हैं। कोई निर्णय ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन के जो पैसे जमा हैं वे सब वापस कर दो और उनको न कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। बी.आर. के कारण से जो नोटिस गये, वह अलग बात है।

श्री केसाराम चौधरी : साधारण श्रेणी में जिस तरह से छूट दी गयी है बी.आर. की उसी तरह से स्पेशल कैटेगरी और हरी घास के तहत कनेक्शन जो हैं उनको छूट प्रदान की जाए। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : उप मुख्य मंत्री महोदया, वापस लौटाने के आदेश दिए हैं।

श्री केसाराम चौधरी : बी.आर. की छूट दिलवा दो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सरकार ने जवाब दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री केसाराम चौधरी : बी.आर. की छूट देने की बात है। साधारण श्रेणी में जिस तरह से छूट दी है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, मैंने आपसे निवेदन किया, आप बिराजो।

श्री केसाराम चौधरी : तो यही तो बात कहलवा दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजो।

श्री केसाराम चौधरी : उप मुख्य मंत्रीजी, यह जवाब दे दें न।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो उप मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, जितनी जानकारी थी उनको, उन्होंने दे दी। जो शेष जानकारी है, कल बिजली मंत्रीजी का स्टेंटमेंट करवाकर आपको सम्पूर्ण जानकारी दिलवा देंगे।

श्री केसाराम चौधरी : ठीक है, धन्यवाद साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक छोटा-सा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या हो गया?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो विद्यार्थियों के लिए लाइट की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या लेना-देना है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : विद्यार्थियों को रात भर लाइट देने की जो बात है, इन परीक्षा में कुछ समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कल आ जाएगी न। सारी बात कल आ जाएगी।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एक सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है कि चूंकि अब फसलें कट चुकी हैं और सब्जी वगैरह का प्रैशर अभी भी रहेगा, लेकिन उस पृष्ठभूमि में खेती को अभी बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई स्पेयर बिजली अगर हो रही है और दी जा सकती है तो निगम के अधिकारियों से बात करने पर अवगत करा दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : दे सकते हैं, उप मुख्य मंत्री महोदया।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या कह रहे हो आप? जब बात हो गयी, कह रहे हैं कल सारी व्यवस्था, क्या सरकार की व्यवस्थाएं हैं, कैसे बिजली मिलेगी विद्यार्थियों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा और क्या नहीं होगा, बिजली मंत्रीजी से कल स्टेटमेंट दिला देंगे। फिर क्या बात है? श्री संयम लोढ़ा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कब आएगा?

श्री कन्हैया लाल : कल से एक महीने के लिए सिंगल फेस की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : कल नहीं देंगे तो फिर कब देंगे?

राजस्थान प्री-इंजीनियरिंग टैस्ट (आर.पी.ई.टी.) की प्रासंगिकता

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से सरकार का ध्यान आर.पी.ई.टी. की जो परीक्षा राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, उस सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का नेतृत्व सम्भालने के बाद इस दिशा में सोचा कि राजस्थान को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी प्रदेश के रूप में कैसे लाया जाए और कैसे राजस्थान को आगे बढ़ाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में निजी क्षेत्र को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अवसर देने के लिए मौजूदा सरकार ने पहल की, उनको प्रोत्साहित दिया, सहयोग दिया और हमें इस बात की खुशी है कि राजस्थान में जब हम सरकार में आये तब इंजीनियरिंग में जितनी सीटें थीं, आज वे पढ़कर पन्द्रह गुना तक पहुंच गयी हैं। इस साल में दस निजी क्षेत्र के कालेजों को राजस्थान सरकार ने और इजाजत दी है। इस तरह राजस्थान में करीब बारह हजार विद्यार्थी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

(श्री संयम लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम कई फैसले करते हैं और उसके बाद जो परिस्थिति आगे सामने आती है उसके अनुरूप बदलाव लाना भी आवश्यक हो जाता है। पिछले साल आर.पी.ई.टी. की परीक्षा हुई, हजारों की तादाद में विद्यार्थियों ने तैयारी की और प्रविष्ट भी हुए, लेकिन जितनी सीट क्षमता राजस्थान के पास है, आर.पी.ई.टी. की परीक्षा के माध्यम से भी सरकार उसको भर नहीं सकी और स्थिति यहां तक आयी कि बारह प्रतिशत तक जो आर.पी.ई.टी. के परीक्षार्थी थे सत्रह प्रतिशत के, उनको इंजीनियरिंग के अन्दर प्रवेश दिया गया। इतना ही नहीं, जो प्रविष्ट नहीं हुए और सामान्य परीक्षा जो बारहवीं तक की है उसमें जिनके 45 प्रतिशत तक अंक आये थे उनको भी प्रवेश देना पड़ा और उसके बाद भी सीटें खाली रहीं। जब इस साल में दस नये कालेजों को और अनुमति देने जा रहे हैं तो राजस्थान का क्या परिदृश्य, उपाध्यक्ष महोदय, बनेगा?

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और दूसरे बोर्ड की बारहवीं तक की परीक्षा है उसमें जो अंक आते हैं उसके आधार पर आप प्रवेश की व्यवस्था कीजिए। आर.पी.ई.टी. की परीक्षा की तब अपनी कोई प्रासंगिकता नहीं रही जब आप उसमें बारह प्रतिशत तक के विद्यार्थी को अनुमति दे रहे हैं। जो विद्यार्थी उसमें एपीयर नहीं हुआ उसको भी आप लेने को बाध्य हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब एक नये दर्शन के साथ में, एक नये सोच के साथ में आपने राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अलाउ किया है तो आपको दूसरे प्रदेशों की तरफ भी देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से इस व्यवस्था को न केवल बनाया है बल्कि आगे बढ़ाया है। आज महाराष्ट्र जैसा प्रदेश इंजीनियरिंग और मेड़िकल के क्षेत्र में अग्रणी हैं, जहां निजी क्षेत्र का शानदार काम है, वहां भी इस तरह का कोई स्टेट लेवल का प्री इंजीनियरिंग टेस्ट नहीं होता है और जो वहां के बोर्ड की अंक तालिका है, अंक हैं उसके आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं दिख रही। राजस्थान में इतनी बड़ी तादाद में सीटें जब उपलब्ध हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार आर.पी.ई.टी. की परीक्षा के लिए पचास से सत्तर लाख रुपया जो राजस्थान की गरीब जनता का है, वह क्यों बरबाद करना चाहती है? वे सारे विद्यार्थी जो आर.पी.ई.टी. में प्रविष्ट होना चाहते हैं, उनके फार्म भरने के लिए राजस्थान की सरकार प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लाखों रुपये गरीब विद्यार्थियों की जेब से निकालती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान

(श्री संयम लोढ़ा)

सरकार इस आर.पी.ई.टी. की परीक्षा बन्द करे और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सैंट्रल बोर्ड के जो अंक हैं उनके आधार पर प्रवेश को अलाउ करे जैसा महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों में होता है, पचास से सत्तर लाख रुपया है इसको व्यर्थ बरबाद नहीं करे और छात्रों को भी उस मानसिक प्रताड़ना से बचाए जो इस प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट के माध्यम से होती है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बैठे हैं, कम से कम...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, आप बिराजो।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीर बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री संयम लोढ़ा : पूरी आर.पी.ई.टी. एग्जाम की सैंक्टिटी ही नहीं रही कोई। जब बिना उसमें एपीयर हुए विद्यार्थी को आप प्रवेश दे रहे हैं तो फिर इस प्रवेश परीक्षा का क्या चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में नहीं बोलना चाहते हो आप? बिराजिए, मंत्रीजी सुन रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : उच्च शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुन रहे हैं, वह देना चाहे तो दे देंगे जवाब। मैं रोक रहा हूं क्या?

श्री संयम लोढ़ा : आप दिलवाओ, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दिलवा नहीं सकता इस पर्ची पर। बिराजो।

श्री संयम लोढ़ा : कंडक्ट तो यूनिवर्सिटी ही करती है एग्जाम को।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप।

बीकानेर डिवीजन के अकाल से नष्ट फसल के प्रभावित किसानों को सहायता

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लगातार पिछले चार-पांच सालों से भयंकर अकाल के दौर से गुजर रहा है और इस साल का अकाल है उसके लिए अपन ऐसा मानते हैं कि सदी का भीषणतम अकाल है। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन भगवान मेहरबान हुआ और जनवरी के आखिर में अच्छी बरसात हुई। कम से कम बीकानेर डिवीजन की मैं बात करूं, पूरे बीकानेर डिवीजन में अच्छी बरसात हुई। लेकिन उस मौके पर और कोई फसल नहीं बचती है, सिर्फ तारामीरा एक ऐसी फसल है जो उस वक्त में बोई जा सकती है। तारामीरा ही एक ऐसी फसल है, अगर अच्छी बरसात हो जाए तो बाद में बिना सिंचाई के, बिना

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के किसानों को दे दें कि उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, उचित मुआवजा दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह मैंने नहीं कहा, उचित मुआवजा दिया जाएगा। आप बिराजिये प्लीज। आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सारे राजस्थान का किसान आपका आभार व्यक्त करेगा, बीकानेर सम्भाग के उन किसानों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने सरकार को एक स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार जांच कराए और इनको मुआवजा दे। आपके मन में किसान है, वह किसान की बात का आपने मुंह खोला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं। जब आपको स्पष्ट कह दिया, आप कब तक मुआवजा बांट देंगे, बताओ?

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये। काम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, क्यों आप इसको...(व्यवधान) डाल देंगे। इतनी सीरियस बात कही जिसको आप डाइल्यूट कर रहे हो। क्या बात है? श्री अमरारामजी। जबरदस्ती आप कर रहे हो। आप जैसे बोलते हो, हम नहीं जानते क्या?

श्री रामप्रताप : राजेन्द्रजी, इससे ज्यादा स्पष्ट उपाध्यक्ष महोदय, क्या कहेंगे? इनका मेनसरिया यही है कि राज्य सरकार व्यवस्था करे, मुआवजा दे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जोधपुर के बीज निगम अधिकारियों द्वारा किसानों को अरण्डी के अप्रमाणित बीज का वितरण

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) **:** उपाध्यक्ष महोदय, "उत्तम खेती, मध्य व्यापार, नीच नौकरी, भीख बेकार" लेकिन मेरा निवेदन है कि यह उलटा हो गया। आज खेती के लिये किसानों को क्या क्या कठिनाई आती है-घटिया किस्म का बीज, बिना सर्टिफाइड बीज, खाद में पेस्टीसाइड फर्जी, दवाएं फर्जी, अब किसान का भगवान भी रूठ गया सो बरसात का न होना।

मेरा निवेदन है कि जोधपुर के बीज निगम के अधिकारियों द्वारा किसानों को अरण्डी का बीज फर्जी दिया गया, नाट सर्टिफाइड। मैंने 131 के तहत ध्यान आकर्षित किया, उसका भी जवाब नहीं आया। 295 के जरिये भी पूछा, उन्होंने बड़ा मिथ्या जवाब सदन में पेश किया। किसानों को बीज नहीं देकर इतना धोखा किया, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ 420, 467 और 471 का मुकदमा चलाना चाहिये। लेकिन आज दिन तक बार बार रट लगाने के बाद भी इनकी जांच नहीं हो रही है। बालोतरा के एक वितरक हेमकिरण एजेंसी को जोधपुर से बीज भेज दिया जो कि सर्टिफाइड नहीं था। इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर ने यह प्रमाण पत्र दिया

(श्री अमराराम चौधरी)

कि जो लाट भेजा गया था, अजमेर का तबीजी फार्म है वहां से यह लॉट गया, यह लॉट सर्टिफाइड नहीं था। बिना सर्टिफाइड किये वितरक के यहां बीज डाल दिया और वितरक ने आगे लोगों को दे दिया, तो काश्तकारों के जो अरण्डी पैदा होनी चाहियें थी पैदा नहीं हुई। उन्होंने कहा, हमने जांच करा दी। कुछ काश्तकारों ने इस प्रकार से बोई थी, यूं बोई थी, इस प्रकार की गलत दरखास्तें पेश की गयी हैं। प्रमाण पत्र की फोटो कापी मेरे पास है। राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेशन, जयपुर ने जो प्रमाण पत्र दिया है, उसी के आधार पर बीज हेमकिरण एजेंसी को दिया गया था, बिना प्रमाणीकरण के घटिया किस्म का बीज दिया गया। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसकी अच्छी तरह से जांच करायी जाए, तबीजी फार्म से यह बीज गया या नहीं गया। अरण्डी के बीज के सम्बन्ध में उन्होंने लैटर लिखा है, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके पास गत वर्ष का अरण्डी का बीज जी.एस.40 लॉट नम्बर 2062 बचा हुआ है, उसकी अंतिम प्रमाणीकरण धारा 9 के तहत राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी नहीं किया गया था, कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया ऐसे ही भेज दिया गेहूं का, बाजरे का, अरण्डी का, अब काश्तकार कहां जाए? आपसे निवेदन है कि काश्तकारों के लिये हमदर्दी है तो आप कुछ न कुछ एक्शन लें, मुकदमा दर्ज करावें ताकि मिलावट करने वाले, फर्जी काम करने वाले सरकार से बचकर नहीं जा सकें। ओले भी पड़ते हैं, अकाल भी पड़ता है, काश्तकार कहां-कहां लुट रहा है इसलिये अब यह उत्तम खेती नहीं रही है, यही मेरा निवेदन है।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इंफोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री मानिक चन्द सुराना ध्यान आकर्षित करेंगे। (अनुपस्थित) माननीय वित्त मंत्रीजी। आप बिराजो। प्लीज। सुन लिया तो...(व्यवधान) I will allow you. बिराजो। मुझे मालूम है।

शासकीय व्यक्तव्य

राज्य में 1 अप्रैल, 2003 से 'वैट' (VAT) लागू किया जाना स्थगित

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 5 मार्च को बजट भाषण में सदन को यह अवगत कराया था कि वैट विधेयक को पारित करने के पश्चात् राजस्थान में भी अन्य राज्यों के साथ 1 अप्रैल, 2003 से वैट लागू किया जा रहा है। वैट विधेयक पर चर्चा के दौरान मैंने सदन को आश्वस्त किया था कि हम राष्ट्रीय सहमति के अनुरूप वैट

(श्री रामप्रताप)

पानी के भी कुछ न कुछ वह दे जाती है। पूरा बीकानेर डिवीजन, उपाध्यक्ष महोदय, जहां से भी आप गुजरो तो तारामीरा के फूलों से पीला नजर आ रहा था और एक किस्म की किसानों में एक आस जगी थी कि इससे हमें कुछ न कुछ हासिल होगा। उन्होंने रात-दिन एक करके, जिसके पास जो साधन था, नहीं था तो किराये पर लेकर बुवाई की। लेकिन उसके बाद अचानक तैलिया नामक बीमारी का प्रकोप हुआ और इतना भयंकर रूप से हुआ कि फसल जब खड़ी दिख रही थी तो उन्होंने और उधार लेकर उसमें कीटनाशक का छिड़काव भी किया लेकिन नतीजा यह निकला कि लाखों बीघा क्षेत्र के अन्दर जो फसल खड़ी थी उस फसल को तैलिये की बीमारी ने बिलकुल बरबाद करके रख दिया और हालत यह हो गयी कि आज उस किसान की आंखें पथरा गयी हैं, उसकी आंख में आंसू भी सूख गये हैं। वह मजबूर है, हताश हो चुका है कि ऐसी स्थिति में जो कर्जा लिया, मैंने जो इनपुट दिया उसकी भरपाई मैं किस तरीके से कर पाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चुनावों के वक्त में कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया था, मैं उसका हवाला देना चाहता हूं। उसमें आपने पेज-18 पर फर्माया था, बिंदु-4, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। मेरे खयाल से, उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी प्राकृतिक आपदा कोई नहीं हो सकती। इसलिये मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि ऐसी परिस्थिति में किसानों को हम थोड़ा बहुत सम्बल प्रदान करें जिससे अकाल की स्थिति में कम से कम वे जिंदा तो रह सकें।

माननीय अकाल राहत मंत्रीजी यहां बैठे हैं, इसमें अगर कुछ आप कर सकें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है...

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है आप बोलोगे।

श्री सांवर लाल : बोलेंगे नहीं, साहब, जीरा की फसल नष्ट हो गयी, तारामीरा की फसल नष्ट हो गयी।

श्री मदन दिलावर : इस अकाल के समय में थोड़ी बहुत फसल भी हो और वह भी कीड़ा खा जाए, प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाए और उस पर सरकार कोई ध्यान न दे...

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है न आप बोलोगे। आप बैठो न। यह तो मुझे मालूम है अब आप बोलोगे। अब सिवाय किसानों के है नहीं। आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : उसको कांग्रेस पार्टी की घोषणा के अनुसार मुआवजा देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : तो बैठिये न। इन्होंने क्या कहा, माननीय सदस्य ने क्या कहा...

श्री मदन दिलावर : यही कहा है, पर दिया नहीं जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने यही कहा है देना चाहिये, पर दिया नहीं जा रहा है। बड़ी-बड़ी फोटो छपवाकर जब तो कह दिया कि प्राकृतिक आपदा में हम देंगे...

श्री रामप्रताप : एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है...

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजो। माननीय सदस्यं, आप बिराजो तो मैं उनको कहूं। यह खड़े हो गये, वह खड़े हो गये, चाहते क्या हो आप?

श्री रामप्रताप : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कम पढ़े-लिखे हैं क्या आपसे, आप इनकी पैरोकारी कर रहे हो?

श्री मदन दिलावर : गांव के बारे में मेरे से ज्यादा हैं। मेरे से ज्यादा पढ़े-लिखे हैं यह। मैं तो अनपढ़ की भाषा में, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को समझा रहा हूं, अनपढ़ है इसीलिये तो समझा रहा हूं।

श्री सांवर लाल : किसान की बात में पैरोकारी तो बहुत वर्षों से हो गयी। पढ़ा-लिखा तो मुख्य मंत्री भी नहीं बनता साहब। पढ़ाई-लिखाई से कोई सी.एम. बनता है क्या? किसान की समस्या है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। चार साल से परेशान हैं। थोड़ी बहुत फसल होती, वह भी नष्ट हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : I know all the difficulties...(interruptions)... आप ऐसे मत समझो कि आप ही किसान हो। आप बिराजिये।

माननीय अकाल सहायता मंत्रीजी, जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी जांच करा कर जो भी सरकार सहायता कर सके। किसानों की, वह व्यवस्था करे। श्री अमराराम चौधरी। आप ही अकेले... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह हुई बात।

श्री सांवर लाल : इस घोषणा पत्र को आग लगा दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां तो कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : ना तो कहा ही नहीं उन्होंने। माननीय सदस्य, ना तो कहा ही नहीं उन्होंने।

श्री मदन दिलावर : लेकिन हां भी नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने ना कहां कहा है? उन्होंने कहा है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो इसका मतलब, उपाध्यक्ष महोदय, आपका यह संदेश हम...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। आप बिराजिये न।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लागू कर रहे हैं। इसके अलावा 11 मार्च को सदन में वैट विधेयक को पारित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2003 से वैट प्रणाली लागू करने की समस्त तैयारियां कर ली हैं लेकिन यह ज्ञात हुआ कि हमारे निकटवर्ती कतिपय राज्यों में वैट प्रणाली 1 अप्रैल से लागू नहीं की जा रही है। देश के अधिकांश राज्यों में वैट प्रणाली लागू करने के बारे में एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई। यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि 1 अप्रैल, 2003 को राज्यों में वैट प्रणाली लागू होने के साथ केन्द्रीय बिक्री कर की दरें भी 4 प्रतिशत से घटा कर 2 प्रतिशत कर दी जाएगी। इस सम्बन्ध में भी अभी तक भारत सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है। ऐसी परिस्थिति में हम राजस्थान में 1 अप्रैल, 2003 से वैट प्रणाली लागू नहीं कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): और बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 8 अप्रैल, 2003 को राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की जा रही है, इसमें वैट लागू करने की तिथि व तैयारी बाबत विचार विमर्श किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम राष्ट्रीय सहमति के अनुसार राज्य के उद्योग, व्यापार एवं राजस्व हितों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर वैट प्रणाली को लागू करेंगे। वर्तमान व्यवस्था में कुछ वस्तुओं की बिक्री कर की रियायती कर-दर अथवा कर-मुक्ति 31 मार्च, 2003 को समाप्त हो रही है, मैं इन्हें अब 31 मार्च, 2004 तक अथवा वैट प्रभावी होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, बढ़ा रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इंफामेशन।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो आप, स्टेटमेंट तो समाप्त होने दो।

श्री संयम लोढ़ा : हो गया न।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वैट को आप पोस्टपोन कर रहे हैं, पर जब आठ तारीख को मीटिंग हो तब उसमें यह सुझाव रखा जाए कि एक सशक्त प्राधिकरण का गठन किया जाए कि राष्ट्रीय बाजार में किस प्रकार से स्टेट टिक सकते हैं। अपने यहां की भौगोलिक स्थिति, अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग भौगोलिक परिस्थिति है, प्राधिकरण का गठन होकर जब तक वह सशक्त और अधिकार सम्पन्न नहीं होगा तब तक कोई निचोड़ नहीं होगा और इस वैट लगाने से ये के ये आगे रगड़े होते रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सजेशन रखा जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जानना चाहूंगा कि आपने बजट प्रस्ताव के अन्दर कर प्रस्ताव नये नहीं रखे, किन्हीं कारणों से आपने कमी नहीं की, क्योंकि सम्भावित वैट लगने वाला था। अब चूंकि आपने अभी-अभी सदन में घोषणा की है कि आप राजस्थान में वैल्यू एडेड टैक्स प्रणाली को लागू नहीं कर रहे हैं तो क्या पूर्व में आपकी अलग-अलग वस्तुओं पर जो कर प्रस्ताव थे, उनमें किसी तरह का संशोधन का तो प्रस्ताव नहीं है? यह तो नहीं कि कल सदन साइने डाई हो जाएगा उसके बाद पिछले दरवाजे से कहीं आप टैक्स को बढ़ाएंगे, कहीं टैक्स कम करेंगे? वर्तमान परिस्थितियों के अन्दर चूंकि कर प्रस्ताव आप इस बार इसलिए लेकर नहीं आए कि वैल्यू एडेड टैक्स प्रणाली को लागू करना चाह रहे थे, अब क्या स्थिति रह गई, कृपया उस स्थिति को स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। आप क्या कह रहे हैं, जुगलजी?

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आठ तारीख को दिल्ली के अन्दर वैट के सम्बन्ध में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक आम-सहमति के लिए हो रही है, हम राजस्थान के निवासी यह निवेदन करना चाहते हैं राज्य सरकार से कि यदि दूसरे प्रदेश वैट प्रणाली लागू नहीं करें तो उसके लिए भारत सरकार के दबाव में आकर राजस्थान इस बात को स्वीकार नहीं करे कि राजस्थान के अन्दर वैट प्रणाली लागू कर दी जाए और दूसरे राज्य इस बात को स्वीकार नहीं करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको समझ नहीं पाया हूं, ऐसा अगर दबाव होता तो आप यह विथड्रा कर सकते थे क्या? क्यों गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं हर बात के लिए? आप पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है। उस दिन भी हमने कहा कि जो पैनल्टी इम्पोज कर रहे हैं कुछ समय के लिए वैट करिए, लोगों को समझने दीजिए। आपके बोलने का मकसद तो यही था कि जो कुछ कर रहे हो, केन्द्र की वजह से, अगर केन्द्र के दबाव से कर रहे हो तो आज विथड्रा क्या केन्द्र से पूछ कर किया है?

श्री जुगल काबरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार को जो अधिसूचना जारी करनी थी, कर नहीं पाई इसलिए राज्य सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। शुरूआत में वैट के प्रस्ताव का इनीशिएशन केन्द्र सरकार के द्वारा किया गया। विदेशों के अंदर वैट प्रणाली लागू है जिसकी कापी करते हुए भारत सरकार हिन्दुस्तान के अन्दर वैट प्रणाली लागू करने का राज्यों के ऊपर पूरी तरह से दबाव दे रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य, यह क्यों भूल जाते हैं कि वैट प्रणाली की शुरूआत अगर किसी ने की तो मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बनी समिति ने की जिसके अन्दर 16 राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की थी। अगर आप वैट नहीं लाना चाहते थे तो सदन में प्रस्ताव लेकर क्यों आये? आप राजस्थान के व्यापारियों का गला काटना चाह रहे हैं, आप राजस्थान के व्यापार को समाप्त करना चाह रहे हैं और वैट विथड्रा किया है तो अब हमारे स्तर पर किया है, उन व्यापारियों के आंदोलन के कारण किया है और भारतीय जनता पार्टी के कारण किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बिराजिए।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : आपके राज में गुजरात में तो हटवा लो।

श्री संयम लोढ़ा : गुजरात में आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं हटवा रहे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके प्रांत गुजरात में लागू हो रहा है, उसको रोको न पहले।

डा. के. सी. चौधरी : वहां नहीं रोक रहे, गुजरात में नहीं रुक रहा आपसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में वैट प्रणाली लागू की गई, आप रोको न महाराष्ट्र के अन्दर जाकर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप रोको न गुजरात में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप रोको न महाराष्ट्र को।

श्री जुगल काबरा : आप यह बताइए कि आप वैट के पक्ष में हैं या खिलाफ में? महाराष्ट्र में वैट लगवाने की बात कर रहे हैं और राजस्थान में कह रहे हैं कि वैट नहीं लगना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय काबरा साहब, बिराजिए। (व्यवधान) बैठो, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, लागू होगा तब देखा जाएगा। बिराजो न आप।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो खाली आपसे इतना-सा निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान के व्यापारियों को बी.जे.पी. वाले भ्रमित कर रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का राज गुजरात में है और उसको पोस्टपोन आपने करवाया है क्या? हमने तो राजस्थान में करवा दिया, गुजरात में आपने करवाया क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) राजस्थान के व्यापारियों की एकता के आगे सरकार झुकी है।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : यह कल्याणकारी सरकार है, उचित समय पर निर्णय लेती है, उचित समय पर उचित निर्णय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। माननीय चौधरीजी, बिराजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जन भावनाओं का लोकतंत्र के अन्दर आदर करना चाहिए।

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले ही कह दिया था कि अगर किसी दूसरे प्रदेश के अन्दर वैट लागू नहीं होगा तो राजस्थान के अन्दर लागू नहीं होगा। आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कर प्रस्ताव तो बताओ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। माननीय संयम लोढ़ा, आपका पाइंट आफ इंफार्मेशन क्या है?

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अमानवीय घटना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आबू रोड से दिल्ली–अहमदाबाद जो ट्रेन जाती है, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के दो यात्रियों को एक साम्प्रदायिक संगठन के कार्यकर्त्ता ने जो दिल्ली से अपने कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे थे, गाड़ी से नीचे फेंक दिया इसलिए उन्हें बहुत गम्भीर चोटें आई हैं। बाद में जब जम्मू तवी से ट्रेन वापस लौट रही थी अहमदाबाद वाली, उसके ड्राइवर ने जब उन्हें पड़े हुए देखा तो उनको लेकर आबू रोड उपचार के लिए पहुंचा। दो यात्री जिनके लगी उनमें एक तो राजस्थान का ही निवासी है, जेन आबेदीन जो आबू रोड की चांदमारी कालोनी में रहता है। दूसरा बाबूखां, जो बैंगलोर का निवासी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि किसी भी तरह का अन्याय और अत्याचार लोगों के साथ नहीं होगा और आज साम्प्रदायिक आधार पर दो लोगों को ट्रेन से नीचे फेंक दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। कोई भाषण नहीं। आप पाइंट आफ इंफार्मेशन में क्या इंफार्मेशन सरकार को देना चाहते हो, वह दे दो।

श्री संयम लोढ़ा : उसका पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आप इंफार्मेशन क्या देना चाहते हो गवर्नमेंट को, यह बताओ?

श्री संयम लोढ़ा : मैं इंफार्मेशन यह देना चाहता हूं कि इस तरह धार्मिक आधार पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जान की हिफाजत नहीं है, उनका यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। इस तरीके का अत्याचार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह बहुत गम्भीर बात है। भारतीय रेलों के अन्दर धार्मिक आधार पर एक नागरिक को उतारा गया...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सिर्फ इसी आधार पर कि उनके बढ़ी हुई दाढ़ी थी। (व्यवधान) और जब नाम बताया बाबूखां... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री जुगल काबरा : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल किस पर रहे हैं? आप बिराजो प्लीज।

श्री जुगल काबरा : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : क्या इन्होंने इश्यू उठाया है, उनको पूरा बोलने नहीं दिया उससे पहले आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? आप बिराजिए। हो गई बात। आप बोलेंगे ऐसे कभी अलाउ नहीं करूंगा। आप बिराजिए। लेट दी गवर्नमेंट कम नाऊ, बिराजिए। कहीं इसका एण्ड तो करिए बात का। आप दस दफे बात को रिपीट करो, बात तो वही की वही है। माननीय गृह मंत्रीजी, आप इसकी जानकारी प्राप्त करके सदन को सूचित करिए। आज नहीं, कल कर दीजिए। (व्यवधान) जानकारी हो तो बता दीजिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भिक जानकारी तो मेरे पास है और यदि कल चाहते हैं तो मैं कल भी स्टेटमेंट दे सकता हूं। (व्यवधान) मैं इस सम्बन्ध में कल स्टेटमेंट दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। कमाल है। इतनी-सी बात पर इतना उत्तेजित क्यों होते हो, पता नहीं, समझ में नहीं आती बात। डाक्टर करण सिंह यादव।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी नहीं हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई बात नहीं है, साहब, मंत्रीजी आ जाएं...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, अब नहीं अलाउ कर सकता। आई एम सारी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : साहब, 131 बहुत मुश्किल से तो लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : होता ही नहीं है। आई एम सारी। डाक्टर करण सिंहजी।

(14.00 बजे)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा निवेदन है कि आपने इसको सप्लीमेंटरी में डाला है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नियम है उसका, ऐसे थोड़े ही हो जाएगा? आप बिराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : सप्लीमेंटरी में डाला है आपने और मैं इसी इम्प्रेशन में हूं कि सारे बिल्स आने के बाद में ही यह लिया जाएगा।

याचिका का उपस्थापन

बहरोड में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहरोड (अलवर) में कृषि उपज मण्डी की स्थापना एवं निर्माण करने के बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप किसका ध्यानाकर्षित करोगे, मंत्रीजी तो उपस्थित ही नहीं हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : मंत्रीजी आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कहां से आ जाएंगे? बाद में यह थोड़े ही है कि आपका इतंजार किया जाए?

श्री मानिक चन्द सुराना : जिस वक्त यह लिस्टेड था, आपने सप्लीमेंटरी में लिस्ट किया है और मुख्य कार्य जितने होते हैं वो अभी होने बाकी हैं। जब वो आ जाते हैं तो आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर बार यही होगा, कोई नहीं आएगा फिर वापस कहेगा रखो। यह कोई तरीका थोड़े ही है, आपको बैठना चाहिए यहां।

श्री मानिक चन्द सुराना : कुछ तो गौर फर्माओ, यह सप्लीमेंटरी में है, मैं जिद्द नहीं करता हूं लेकिन यदि वो आ जाते हैं तो आप अलाउ करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री शैलेन्द्र जोशी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुन:स्थापन

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधयेक, 2003

श्री शैलेन्द्र जोशी (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (2003 का अध्यादेश संख्या–1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2003

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003

श्री शैलेन्द्र जोशी (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कोटा विश्वविद्यालय वाला भी है।

कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003

श्री शैलेन्द्र जोशी (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : व्हाट इज योअर पाइंट आफ आर्डर?

श्री मानिक चन्द सुराना : पाइंट आफ आर्डर यह है कि यह बिल 2 बज कर 02 मिनट पर पेश हुआ है और यदि यह बिल कल लिया जाता है तो संशोधन देने का समय ही नहीं है क्योंकि एक बजे तक संशोधन...

श्री उपाध्यक्ष : सब आ रहा है, आप तसल्ली रखो।

श्री मानिक चन्द सुराना : संशोधनों के लिए आप व्यवस्था कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजो, सब आ रहा है। सहकारिता मंत्रीजी।

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय तकीउद्दीन अहमद।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री तकीउद्दीन अहमद (स्वायत्त शासन राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, में

(श्री तकीउद्दीन अहमद)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तकीउद्दीन अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन में संशोधन

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 218 के अन्तर्गत कार्य सलाहकार समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 1 अप्रैल, 2003 को निम्नांकित विधेयकों को विचारार्थ लिया जाकर पारित किया जाय :

(1) राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003

(2) बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003

(3) कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003

(4) राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2003

(5) राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति) के लिए चयन (संशोधन) विधेयक, 2003

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया के नियम-71 में शिथिलता प्रदान करते हुए उपरोक्त विधेयकों में माननीय सदस्यों की ओर से किसी संशोधन की सूचना देने हेतु आज सायं 5.00 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया जाए। उपरोक्त विधेयकों की प्रतियां माननीय सदस्यों के उपयोग के लिए उन्हें पूर्व में ही उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : इसको थोड़ा-सा संशोधन कर दें, 7 बजे तक का कर दें। इन्होंने 5 बजे का कहा है, मेरा यह निवेदन है कि आप 7 बजे तक तो संशोधन लें। इसमें टाइम एक्सटेंड कर दें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी 7 बजे तक का समय सदन के पास है ही नहीं, समय तो 5 बजे तक का ही है न। 5 बजे के बाद तो सदन को समय बढ़ाने का अधिकार है।

श्री मानिक चन्द सुराना : सदन तो 7 बजे तक का समय भी निर्धारित कर सकता है। वह काम कार्यालय का है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पहले 7 बजे तक का समय बढ़े...

श्री मानिक चन्द सुराना : 7 बजे चाहे सदन बैठे या न बैठे पर सदन यह तो कह ही सकता है कि संशोधन 7 बजे तक आ जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहां दिक्कत है? आखिर ये विश्वविद्यालयों के संशोधन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो प्रस्ताव वह रखा है जिसको माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमोदित करके पेश किया है। इसको एक्सटेंड कौन करे?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं समझ रहा हूं कि आप अध्यक्ष हैं अभी, आप अध्यक्ष हैं, हाउस यहां बिराजमान है।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस से पूछना पड़ेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, तो हाउस से पूछो। मेरा संशोधन है कि यह 7 बजे किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस 7 बजे तक की सहमति देता है क्या? माननीय हरिसिंहजी, बिराजो एक मिनट।

जो प्रस्ताव मानिक चन्दजी सुराना ने किया है, वे यह चाहते हैं कि संशोधन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाए, क्या हाउस अनुमति देता है?

(स्वीकृत)

ठीक है, 7 बजे तक बढ़ा देते हैं। हो गया 7 बजे तक। तसल्ली।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है उसे संशोधित रूप में स्वीकृत किया जाए?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आपने हमको आज की कार्य सूची दी है, इस कार्य सूची का जो क्रम था उस क्रम के अनुसार इसके पीछे एक और अनुपूरक कार्य सूची लगाई है और अनुपूरक कार्य सूची का पहला बिन्दु है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ये सारे काम उसके पहले थे। जैसी आपने हमको कार्य सूची दी है उसी क्रम से माननीय सदस्य के ध्यान में था कि पहले ये सारे बिल इंटोड्यूज होंगे और उसके बाद यह जो सप्लीमेंटरी कार्य सूची दी हुई है उसके अनुसार आज का बिजनस लेंगे। इस कारण माननीय सदस्य उस समय बाहर थे। जैसा आपने हमको रिकार्ड पर दिया है उसके तहत तो इन सब कामों को निपटाने के बाद यह आपकी अनुपूरक सूची है और उसमें सबसे पहला जो बिन्दु है वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इसलिए वो समय पर उपलब्ध नहीं थे। मेरी प्रार्थना है कि...

श्री उपाध्यक्ष : जो नीचे लिखा है वह पढ़ो न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नीचे-यह आइटम मूल कार्य सूची के आइटम संख्या-1 के पश्चात् लिये जाएंगे। मैं सोचता हूं कि गलतफहमी यही थी। यह जिस क्रम में था उस क्रम के कारण से गलतफहमी हो गई।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आप गौर फर्माएं। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बहुत देरी से लगता है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें, एक मिनट। यह कोई बहस का बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमेशा ध्यानाकर्षण यहां रहते हैं और वैसे ही लाये जा रहे हैं और वैसे ही कार्य सूची में यहां दर्ज हैं और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पर्ची के बाद में हम इनको लेते हैं। अब माननीय सदस्य नहीं आये इसलिए इस पर इतना जोर देना मैं समझता हूं कि वाजिब नहीं है। आप इस बात को समाप्त कीजिये, आप किसी और तरीके से लाएं। न तो अब मंत्रीजी हैं, आप किसका ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बैठे हैं, कई मंत्रीजी हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, ध्यान तो सरकार का आकर्षित करना है। ध्यान इस सदन का आकर्षित करने का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तकीउद्दीनजी, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप कृपया मुझे ध्यानाकर्षण के मुद्दे को उठाने की अनुमति प्रदान करें। सदन ही काफी है।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री तकीउद्दीन अहमद (स्वायत्त शासन राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लिये न, आई काल्ड अपोन हिम।

श्री मानिक चन्द सुराना : पूरी सरकार बैठी है। मैं मानता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आगे बिजनस चल गया है, सवाल खतम हो गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : बिजनस तो अनुपूरक सूची में बाद में ही था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 को एक माह के लिये जमनत जानने हेतु परिचालित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री शिवनाथ सिंह)

इस बिल में जो प्रावधान हैं उनमें दो खास बिन्दु हैं, एक हाउस टैक्स की जो प्रक्रिया आज तक चलती आ रही थी, उस प्रक्रिया के अधीन चाहे रेंटल वैल्यू पर हो, अलग अलग तरीके से हाउस टैक्स वसूल होता था, उसकी डिमाण्ड कायम होती थी। अब

(14.11 बजे)

(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)

सरकार की नीति बदली और सभी जगह चाहे नगर परिषदें हो, नगरपालिकाएं हों, उनमें एकरूपता लाने के लिए हम दूसरे रूप का अवलंबन कर रहे हैं। यह स्वागत योग्य कदम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके आधार पर क्या हम हाउस टैक्स वसूल कर पाएंगे? उपाध्यक्ष महोदय, आज जो राजस्थान में नगरपालिकाओं की स्थिति है, चुंगी समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने अपने ऊपर कर्मचारियों को वेतन भत्ते आदि देने का वचन लिया था और एक सीमा तक उसका हमने भुगतान कराना शुरू किया। लेकिन आज सरकार की तरफ से वेतन, भत्तों आदि के लिए जितनी धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है वह पूरी तरह से मांग की पूर्ति नहीं कर रही है। परिणाम यह हुआ कि जहां कहीं भी यह गृह कर वसूल किया जा रहा है उसका अधिकांश भाग कर्मचारियों की तनखाह पर लग जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, गृह कर का उद्देश्य है कि यह वसूल करके उस नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के विकास के लिये खर्च किया जाएं। आज वह धन वहां पर खर्च नहीं होकर तनखाहों में चुकता है और उसके बाद भी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। मैं यह मानता हूं कि गृह कर वसूल करना काफी कठिन है और सभी नगरपालिकाएं इस सम्बन्ध में कठिनाई का अनुभव कर रही हैं। चुनी हुई संस्थाएं हैं और उसके हिसाब से वे गृह कर को प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पा रही हैं। आपने इसमें प्रावधान भी किया है, सख्त प्रावधान भी किया है, गृह कर जो नहीं देगा उस पर पैनल्टी भी आपने कायम की है। लेकिन आज जो स्थिति नगरपालिकाओं की है क्या वे यह गृह कर वसूल कर पाएंगी? आज आपकी नगरपालिकाओं में कार्यकारी अधिकारी नहीं हैं, बहुत-सी नगरपालिकाएं बिना एक्जीक्यूटिव आफिसर के चल रही हैं। कहीं आपने यू.डी.सी. को चार्ज दे रखा है, कहीं आपने आर.आई. को चार्ज दे रखा है। क्या उस यू.डी.सी. की हैसियत है कि वह गृह कर वसूल कर पाए? सरकार के पास वहां जिस श्रेणी का कर्मचारी होना चाहिए वह नहीं लग पा रहा है। नगरपालिकाओं के पद खाली पड़े हैं और हमारी सरकार असहाय है। सरकार के सामने जब मुद्दे आते हैं तो सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर कि हम यह करने जा रहे हैं, कर देंगे, फलां हैं, कोई भी प्रभावी कदम उठा नहीं पा रही है। मैं अपने यहां की नगरपालिका का

(श्री शिवनाथ सिंह)

उदाहरण देना चाहूंगा, उदयपुरवाटी झुंझुनुं जिले में है, वहां कोई भी कार्यकारी अधिकारी जो सक्षम हो, पिछले आठ महीनों से नहीं लगाया जा रहा है, पद रिक्त है। तहसीलदार को कभी चार्ज दिया गया तो लोगों ने आकर कहा कि तहसीलदार हमें सूट नहीं करता है। 45 किलोमीटर दूर नीमकाथाना का जो अधिकारी है उसको वहां का चार्ज दे दिया। वह वहां आता नहीं है, एक दिन भी आफिस में आकर नहीं बैठा है। लोगों ने मंत्री महोदय से आकर कहा कि हमारे यहां कठिनाई है, कोई कदम उठाएं। मंत्रीजी ने कहा कि मेरे बस का रोग नहीं है, डायरेक्टर मेरी मानता नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किसने कहा है, आपने कहा है?

श्री शिवनाथ सिंह : मुझे पता नहीं है। यह जो दयनीय स्थिति है नगरपालिकाओं की, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और प्रभावी अधिकारी वहां कायम रहे, तहसीलदार ग्रेड का अधिकारी वहां लगाया जाएं। इस काम के लिये मैं एक नगरपालिका की नहीं कह रहा हूं, यदि आपको गृह कर वसूल करना है तो उसके लिये एक अलग फण्ड कायम करना पड़ेगा। उस फण्ड का किसी भी सूरत में गांव के विकास के अलावा खर्च नहीं होगा, यह आपको प्रावधान करना पड़ेगा। यह प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। उच्च श्रेणी का अधिकारी नहीं लगे और एल.डी.सी., यू.डी.सी. और आर.आई. से हम यह उम्मीद करें कि वे यह गृह कर वसूल कर लेंगे, यह सम्भव नहीं है।

सभापति महोदय, दूसरा प्रावधान आपने रखा कि सीवरेज सिस्टम हम लागू करेंगे। आज राजस्थान में क्या स्थिति है? आपका जयपुर नगर है उसमें इस सिस्टम को हम लागू नहीं कर पाये हैं। बजाज नगर में हम रहते हैं, माननीय मंत्री महोदय को भी वहां कुछ दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, शहर के बिलकुल बीच में है, डवलप कालोनी है उसको भी हम सीवरेज लाइन से नहीं जोड़ पाये हैं तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि 15 हजार–20 हजार की आबादी वाली नगरपालिकाएं हैं वहां सीवरेज सिस्टम होगा? आने वाले 50 साल तक हम यह सब वहां लागू नहीं कर सकते हैं। आज वहां सड़कों पर पानी बिखरता रहता है, जहां से भी घरों से सड़क पर पानी फेंक दिया। जब तक सीवरेज सिस्टम आपका लागू नहीं हो सके, उस बीच में आपको यह लागू करना चाहिए, यह सिस्टम बनाना चाहिए कि किसी भी घर का पानी सड़क पर नहीं आएं। हर साल सड़क बनती है, पानी आ गया, वह टूट जाती है। हर साल उसकी रिपेयर होती रहती है। आपको जहां मुख्य सड़कें हैं वहां ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, आपको करनी पड़ेगी कि

(श्री शिवनाथ सिंह)

कोई भी घर वाला अपने यहां का पानी सड़क पर नहीं लाए। इसमें बहुत खर्चा नहीं है, पांच-सात हजार का खर्चा वह कर देगा। खड्डा खुदवाए और उसमें वह अपना पानी डाल दे तो सड़क पर पानी नहीं आएगा। यह व्यवस्था व्यावहारिक है, वह व्यावहारिक व्यवस्था तो हम करना नहीं चाहते हैं और सीवरेज सिस्टम हम लाना चाहते हैं जिसकी कल्पना ही हम आज कर नहीं सकते।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हम बना देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : आपने पहले भी किया होगा। आप पहले थे, पहले बहुत किया होगा।

सभापति महोदय, पहले छूट थी कि खाम हाउस और दूसरों पर हाउस टैक्स नहीं ले सकेंगे। सिर्फ खाम हाउस को छोड़कर बाकी जो प्रावधान है उसके ऊपर हाउस टैक्स ले नहीं सकेंगे। वह सब आपने डिलीट कर दिया। आज काम्प्लीकेशन हो सकते हैं, एक पक्का मकान है, 500-700 गज का प्लाट है, बाकी सब छपरे हैं, कच्चे ही हैं, उसकी वैल्युवेशन कैसे होगी? नहीं हो सकती है। इन प्रावधानों को भी आपने देखा नहीं और देखकर उसकी समुचित व्यवस्था करने की चेष्टा नहीं की।

माननीय सभापतिजी, आज नगरपालिकाओं में नालियां बनी हुई हैं। नालियां बनाने वालों ने बना दीं, लेकिन लेवल में नहीं हैं और नगरपालिकाएं उनकी सफाई नहीं कर पा रही हैं। उनकी सफाई करने की व्यवस्था नगरपालिकाओं में नहीं है। मिट्टी भरी हुई है और सब पानी सड़क पर आ रहा है। तो जिस प्रकार की नगरपालिकाओं की स्थिति हमारे यहां है उन स्थितियों को देखते हुए हम पहला कदम यह उठाएं कि जो व्यवस्था हमारे यहां सफाई की हो सकती है उसको हम पहले लें। आपने तो एक आदर्शवादी प्रावधान इसमें सीवरेज का रख दिया। कहने के लिए अच्छा कानून है और प्रगतिशील कानून हम अखबारों में दे सकते हैं, और कहीं भेज सकते हैं कि हमने ऐसा प्रगतिशील कानून बना दिया है, लेकिन यह प्रगतिशील कानून हमारी पीढ़ी के तो काम आएगा नहीं। तो, माननीय सभापतिजी, मैं विशेष समय न लेता हुआ यही निवेदन करना चाहूंगा, आज जो सफाई की व्यवस्था है, आज जो नगरपालिकाओं में विकास की व्यवस्था है उसको पहले सुदृढ़ कीजिए और हाउस टैक्स वसूल कीजिए, लेकिन उसके लिए प्रभावी कदम हमारे पास हों, प्रभावी अधिकारी हमारे पास हों। उसके बिना पहले भी हमारा प्रावधान था हाउस टैक्स वसूल करने के लिए, माननीय मंत्रीजी अपना जवाब दें उस वक्त बताएं कि

(श्री शिवनाथ सिंह)

कितना हाउस टैक्स बकाया है और यह जो प्रावधान आप कर रहे हैं उससे कितना हाउस टैक्स हमको मिलने वाला, कितना हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और तीसरी बात, यह हाउस टैक्स का रुपया जो भी होगा वह विकास के अलावा किसी भी काम में खर्च नहीं होगा। ये दो-तीन बातें माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में मैं लाना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क। (अनुपस्थित) माननीय श्री हीरासिंहजी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सभापति महोदय, यह जो अमैण्डमेंट लेकर आये हैं इसके स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस में इन्होंने दिया है-"To make the system of sanitation sound and affective, it has been considered necessary to make it mandatory for the owners and occupiers of the buildings and lands situated in municipal areas to make connection from the sewerage system as soon as it is laid in that area and provide for minimum fine..." सभापतिजी, पहले minimum fine was only Rs. 25/-, अब इन्होंने एक्सटेंड करके क्या किया है-"...minimum fine and also to enhance the maximum limit of fine for not taking connections or discharging sewage etc. Therefore, sections 176 and 220 are proposed to be amended to make aforesaid provisions." इसमें क्या किया, सभापतिजी? इन्होंने किया है- "...drain or be thrown into a surface drain in any street, without the permission in writing of the board, or who fails to comply with any conditions..." यह पानी नालियों में डालकर सीवरेज लाइन में नहीं डालता है, यह तो फिर फेंक देता है "...prescribed in such permission, shall be punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees..." एक हजार रुपया जुर्माना- "...but which may extend to five thousand rupees," और उसको एक्सटेंड उन्होंने पांच हजार रुपये तक किया है।

माननीय सभापति महोदय, ये वैट प्रणाली लागू कर रहे थे, लेकिन यह भी कहा कि व्यापारियों के समझ में नहीं आई है। बार-बार वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा इससे बड़ी दिक्कत आएगी। राजस्थान के नागरिक जो हर मौहल्ले, हर गली में, शहरों में रह रहे हैं, नगरवासी हैं, और जैसा माननीय शिवनाथ सिंहजी फर्मा रहे थे, अभी आपने सिस्टम ही इंट्रोड्यूस नहीं किया बहुत सारी जगह। Without

(श्री हीरासिंह चौहान)

introducing the system of sanitation, आप इस प्रकार का फाइन कम्पोज करते हैं, मैं सोचता हूं, इस पर सरकार को पुन: सोचना चाहिए। यह क्रूअल्टी होगी, यह तो बहुत ज्यादा ज्यादती है एक हजार रुपये और पांच हजार तक। अब आपके अधिकारी कैसे बैठे हैं? सिस्टम क्या होगा? आपने जो किया है मैं सोचता हूं इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है। कानून को बनाते समय कानून का व्यावहारिक अंश का अंग देखना बहुत जरूरी है। केवल हम कानून बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। मद्य निषेध का बना दिया, तम्बाकू, बीड़ी, गुटका का बना दिया, पहले हमारे राजेन्द्रजी चौधरी स्वास्थ्य मंत्रीजी थे, कई जगह पकड़ा-धकड़ी हुई। कानून तो हमने बना दिया, कानून इफैक्ट में है, लेकिन उसकी पालना कौन कर रहा है? कानून बनाने वाले और कानून का एक्जीक्यूशन करने वाले हैं वे भी उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार का धूम्रपान निषेध फिर भी नहीं हो रहा है।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, यह बहुत सुन्दर तरीके से सम्माननीय भंवरलालजी शर्मा बताएंगे, लेकिन मेरे जितने समझ में आया, आपने अमेंडमेंट किया। Amendment of section 104, उसमें आपने लिखा है-"In sub-section (1) of section 104 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959..., hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing clause (1), the following shall be substituted, namely:-..." यह सब्स्टीट्यूशन किया आपने। मैंने देखा, जो आलरेडी है वह किसके स्थान पर किया? पहले वाला एज इट इज है और जो सब्स्टीट्यूशन किया वो किसके स्थान पर किया है? सब्स्टीट्यूट क्या किया है?

"...a tax on buildings or lands or both situated within the municipal limits, either on their annual letting value or on capital cost or at flat rate or by unit area base method or by any other method;..." अब आपने जितने भी मैथड काम में लिये जा सकते हैं वे सारे के सारे ले लिये। आपको टैक्स का वैल्युएशन करना है तो पहले तो आप साल भर का किराया देते, उसके अनुसार करते, लैण्ड का करते। आपने तो कह दिया कि जो भी मैथड काम में आ सकता है उस मैथड को काम में लिया जाए और आप तो टैक्स इम्पोज कीजिए। आखिर कानून हम बनाते हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समय कोरम पूरा नहीं है और कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती, यह प्रक्रिया नियमों में लिखा हुआ है। मेरा निवेदन है कि सदन में आप देख लें, आप गिन लें। सभापति महोदय, सरकार कितनी गम्भीर है, यह आप देखिए। नहीं, सभापति महोदय, गिनिए आप, कोरम नहीं है।

श्री सभापति : आप बैठिए। कोरम की घंटी बजाइए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : या तो स्थगित कीजिए सदन को।

श्री सभापति : कोरम की घंटी बजवा रहा हूं। आप बैठिए।

(कोरम गणपूर्ति घंटी)

माननीय हीरासिंहजी, बिराजिए आप। (व्यवधान) कोरम पूरा हो गया, गिन लें आप। 5 और 5, 10,10 और 2,12 और 2,14 और 3,17 और 3,20,23 हो गए। बोलिए, हीरासिंहजी, कोरम पूरा है। माननीय हीरासिंहजी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : खैर, वे तो आएंगे ही, साहब, घंटी बजेगी तो। लेकिन इनका संकेत भी सही था, कोरम पूरा नहीं होता है तो सभापति महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह सत्ता पक्ष कितना गम्भीर है? यह विधेयक लेकर सत्ता पक्ष आ रहा है, सत्ता पक्ष चाहता है इस पर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो। यह देखिए आप, उप मुख्य मंत्रीजी आ रहे हैं जैसे पार्क में टहलते हुए आ रहे हैं।

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हो? बिराजिए, राजेन्द्र सिंहजी साहब। यह क्या बात हुई? और कई वरिष्ठ मंत्री बैठे हुए हैं। जरूरी थोड़े ही है? उप मुख्य मंत्रीजी की कहीं आवश्यकता भी हो सकती है। बोलिए, हीरासिंहजी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापतिजी, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, नगरपालिका सीमाओं के भीतर स्थित भवनों या भूमियों या दोनों पर या तो उनके वार्षिक भाटक मूल्य पर या पूंजीगत लागत पर या सपाट दर से या इकाई क्षेत्रफल आधारित पद्धति या किसी भी अन्य पद्धति से कर इंपोज करेंगे। माननीय मंत्रीजी, हम कोई कानून बनाते हैं तो कानून हमको साफ डाइरेक्शन तो देवे। सारे पहलुओं में चाहे जो भी लागू करना है, कर दीजिए। I think, it is a very 'jangali kanoon'. It will not be the proper law. लॉ फेवरिंग होगा, बहुत पुअर है। यों ही ड्राफ्टिंग बहुत पुअर चलती है यहां। हम पहले के जो एक्ट पढ़ते हैं और आजकल की ड्राफ्टिंग जो आती है, कई बार तो हमको हंसी आती है कि किस प्रकार की पुअर ड्राफ्टिंग करके हमारी असैम्बली में पेश किया जाता है। और यह एक ऐसा

(श्री हीरासिंह चौहान)

दिग्भ्रमित करने वाला आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, There must be definite... आप कहिये कि हम इन-इन को लेंगे। कोई भी लागू कर दो, आपकी लैंग्वेज कह रही है कि इस पद्धति या किसी भी अन्य पद्धति से, किसी प्रकार की पद्धति लगाकर इसको लागू करेंगे तो यह तो आपके अधिकारियों की रहम पर रहा फिर, कहीं भी नोटिस ठोक देगा और जैसा चाहेगा वैसा करेगा। मैं चाहता हूं कि वापस इस कानून को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए भेजे हैं। लोगों को यह जानकारी भी हुई नहीं और बहुत जल्दी ही आप लागू करेंगे इसे आपकी सीवरेज लाइन वगैरह बनी नहीं हैं और हमने हमारे नागरिकों को कितना सभ्य किया, कितना सिविक सैंस दिया है, अभी तक उसका भी पूरा हो नहीं रहा है। अंधाधुंध नकल कर रहे हैं, ताबड़-तोड़ चल रहा है। चरित्र का निर्माण करना है, कर पद्धति को इम्पोज करना है, जैसा फोरेन कंट्रीज में है। बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है। यहां तो कोई कर लगाते हैं ताबड़तोड़ लग जाता है, सरकार भी डर जाती है। कुछ कर लगने चाहिए, जरूरी है, सरकार के पास पैसे नहीं हैं, बिना कर चल नहीं सकता लेकिन हम पता नहीं किस प्रकार के तौर-तरीकों के बन गये हैं, बड़ा भय खाते हैं। फिर स्टेट के पास पैसे नहीं हैं, फिर वैलफेयर तरीके के लिए ज्यादा पैसे मांगते हैं, तो कुछ तौर-तरीके हमारे सोबर होने चाहिए। उसे लागू करने के लिए सिस्टम कर दीजिए। लोगों को फार्म हाउस आपने और दे दिया। अभी शिवनाथ सिंहजी कह रहे थे फार्म हाउस का, कच्चे घर का अब कितना उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, कितना नहीं बना हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, इसको जनमत जाने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : माननीय प्रताप सिंह सिंघवी, (अनुपस्थित) श्री रामनारायण विश्नोई, (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 विचारार्थ है, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ही घंटों के पश्चात् यह विधेयक पारित भी हो जाएगा। मैं, मंत्री महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को लाने के पीछे मुख्य मकसद तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 104 में संशोधन लेकर आने का था। निश्चित तौर पर इस संशोधन के जरिये आप भवन और भूमि पर कर,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पूर्व में वार्षिक किराया पद्धति से जिसका निर्धारण होता था उसको आप क्षेत्रफल के आधार पर वसूलने का अधिकार ले रहे हैं।

मंत्रीजी, आपने लम्बी-चौड़ी घोषणाएं इसी सदन में एल.बी.टी. समाप्त करने की थीं। एक तरफ तो आप लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स को समाप्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान के शहरों में रहने वाले लोगों से आप क्षेत्रफल के आधार पर हाउस टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि लैण्ड और बिल्डिंग टैक्स को आपने माफ करने का जो प्रपंच किया था उससे ज्यादा आप इस क्षेत्रफल आधारित टैक्स की वसूली से राजस्थान की जनता से पैसे लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। सभापति महोदय, जिस तरह गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, हाउस टैक्स कलेक्शन की जो पद्धति है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान में वार्षिक किराया दर पर जिस तरह हाउस टैक्स का निर्धारण होता है, मार्केट वैल्यू पर किसी भी सम्पति का निर्धारण करके उसका 10 प्रतिशत और 10 प्रतिशत का सवा 6 प्रतिशत, मंत्री महोदय, आप हाउस टैक्स के रूप में असैस करते हैं, आपका असेसर असैस करता है। परन्तु आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हाउस टैक्स का संग्रहण करने की जो आपकी पद्धति है, राजस्थान के अन्दर वर्तमान में 33 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हाउस टैक्स का कलेक्शन होता है उसमें से 14 करोड़ रुपये मात्र आपका हाउस टैक्स कलैक्ट करने में खर्च हो जाता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप, मंत्री महोदय, संशोधन तो लेकर आये हैं धारा 104 में और क्षेत्रफल पर आधारित पद्धति लेकर आये हैं, आपने रूल्स बनाये हैं और आप थोड़ी देर बाद जब अपना उत्तर देंगे तो उसमें साफ भी करेंगे। जो निर्मित क्षेत्र है जहां भवन बना हुआ है, वहां 50 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारण किया है। इसी तरह दूसरी कैटेगरी इन्होंने रखी है, सभापति महोदय, रिक्त स्थान पर लेंगे 40 पैसा प्रति वर्ग फुट, जहां मकान बना हुआ नहीं है। नगरपालिका क्षेत्र में 30 पैसा प्रति वर्ग गज निर्मित में और 30 पैसा प्रति वर्ग फुट रिक्त स्थान में। और छोटी नगरपालिकाओं में 20 रुपये। यानी नगर निगम क्षेत्र के अन्दर चाहे वह इलाका कैसा भी हो, आप समान दर पर क्षेत्रफल के आधार पर ऋण वसूलने का प्रस्ताव लेकर आये हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप दूर मत जाइये, आप जयपुर में ही चले जाएं, जयपुर के अन्दर सी-स्कीम में कोई व्यक्ति रहता है और उसने सी-स्कीम में आलीशान मकान बना रखा है, पांच सितारा होटलनुमा मकान बना रखा है उससे भी आप टैक्स वसूल करेंगे।

(श्री राज़ेन्द्र राठौड़)

50 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्मित में और 50 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से रिक्त स्थान में। और एक व्यक्ति जयपुर से दूर कानोता में रहता है, कच्ची बस्ती में रहता है उससे भी आप उतना ही पैसा वसूल करेंगे। यह कहां समानता की बात है? मतलब धन्ना सेठों से भी उतना ही पैसा और गरीब से भी उतना ही पैसा लोगे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्षेत्रफल पर आधारित हाउस टैक्स वसूलने की बात पटना में हुई थी वहां परन्तु उन्होंने जोन बनाये। जोन में मकान जहां बना हुआ है उसके सामने कितनी चौड़ी सड़क है, मकान जो बना हुआ है...

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी। माननीय डा. के.सी. चौधरी, आप भी अपनी जगह पर जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय रामस्वरूपजी, इस बार सदन में जब अन्तिम दिन होगा हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और हमारी सब की मांग होगी, आपका भाषण भी करवाएंगे परन्तु आप पहली बार गैर गम्भीर हो गये।

श्रीमती कमला बृजलाल : आपकी तमन्ना थी कि रामस्वरूपजी बोलें तो रामस्वरूपजी बोल रहे थे। सभापति महोदय ने नाम लिया तो अब तो आपकी तमन्ना पूरी हो गई।

श्री सभापति : लेकिन आसन से नहीं बोल रहे थे, आप से बोल रहे थे, इस पर आपत्ति है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा तो आपसे निवेदन है कि रामस्वरूपजी जैसा मर्मज्ञ विद्धान...

श्री सभापति : आप तो इस पर बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मर्मज्ञ विद्धान का भाषण हो जाए।

श्री सभापति : आप इसको जनमत जानने के लिए भाषण दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो मैं निवेदन कर रहा था कि हिन्दुस्तान के कई शहरों में लगा है, वहां जोन बनाये गये हैं। सभापति महोदय, कहां न्याय की बात होगी कि सी-स्कीम में कोई रह रहा है उससे भी उतना पैसा ले रहे हो और कोई गरीब कानोता के पास रह रहा है उससे भी उतना ही पैसा ले रहे हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको जब आप लें तो आप बड़े मन से इसके बारे में सोचें।

इसके अलावा, मंत्री महोदय, आपके यहां दो तरह के परिसर हैं, वाणिज्यिक परिसर भी हैं, रिहायशी परिसर भी हैं। आप स्पष्ट करें जब आप उत्तर दें कि आप रिहायशी परिसर का कितना गुणा ज्यादा हाउस टैक्स लेना चाहते हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके अलावा, हाउस टैक्स वसूलने की इस पद्धति से पूर्व जो एनुअल लैटिंग पद्धति से निर्धारण होता था उसमें कुल हाउस टैक्स जो वसूली योग्य बनता था उसका डेढ़ गुणा से ज्यादा आप नहीं लेंगे, परन्तु इसके पीछे आपने जाकर देखा कि इसका इम्पैक्ट कहां आएगा? इस बार तो मान लो, सभापति महोदय, मैं एक हजार रुपये हाउस टैक्स दे रहा हूं, वार्षिक किराया पद्धति से और आपने निर्धारण कर दिया क्षेत्रफल के आधार पर कि उससे डेढ़ गुणा ज्यादा आप करेंगे नहीं, 1500 रुपये ले लेंगे, पर अगले साल से दुबारा आप 1500 का डेढ़ गुणा लेंगे, साढ़े 1700 रुपये हो जाएंगे। राजस्थान के लोगों पर यह एक रूप में जजिया कर कहूंगा मैं तो, आप उनकी जेब काटने का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं इसमें आपको संशोधन करना चाहिए।

इसके अलावा, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट निश्चित तौर पर जन कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, आपने उसको भी कहीं कैटेगराइज नहीं किया। आप बताएं कि आप उसके अन्दर किस तरह की कैटेगरी करना चाहते हो। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से कितना हाउस टैक्स लेना चाहते हैं, कितना एक्जम्पशन होगा, इन सारी चीजों को, मंत्री महोदय, आप बताएं।

इसके अलावा, सभापति महोदय, इसके अन्दर जो दूसरा संशोधन मंत्री महोदय लेकर आये हैं, वह लेकर आये हैं नगरपालिका अधिनियम की धारा 176 में और उसके माध्यम से ये राजस्थान के नागरिकों को सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के साथ अपने घर का जल सम्बन्ध बनाने, जोड़ने का प्रावधान बाध्यकारी करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं समझता हूं, इस राजस्थान के बारे में जितना ज्ञान आपको है शायद इस सदन के अन्दर कम सदस्यों को होगा, क्योंकि आप शेखावाटी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब आप भरतपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहां जयपुर में बिराजते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, आप झुंझुनुं में बिराजते थे क्या झुंझुनुं में ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है? चूरू में ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम नहीं। जयपुर के अन्दर भी सारे नागरिकों को इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसमें जो प्रावधान लेकर आये हैं, धारा (220) के अन्दर दण्डात्मक प्रावधान पहले 25 रुपये था, अब 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक, इसका मतलब क्या हुआ? सभापति महोदय, कोई भी सैनिटरी इंस्पैक्टर जाएगा और जाकर एक नोटिस देगा, मैं लिख रहा हूं कि आपके घर की रसोई का पानी सड़क पर आ रहा है और सड़क पर आ रहा है तो या तो मैं आप पर फाइन करूंगा 5000 रुपये और या आप मुझे 1000 रुपये दे दो। जिस तरह का सिस्टम है, वह 1000 रुपये दे देगा। मैं समझता हूं कि आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इंस्पैक्टर राज को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं, आप रिश्वतखोरी को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं? मैं समझता हूं बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इस तरह के विषय के ऊपर जन शिक्षा होनी चाहिए। जन शिक्षा के साथ, मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप और तो छोड़ो, जयपुर महानगर के अलावा भी आपके जो जिला मुख्यालय हैं उनके अन्दर आपका ड्रेनेज और सीवरेज का सिस्टम है क्या? आपने बजट के अन्दर कोई प्रावधान किया है क्या? आज नगरपालिकाओं, नगर निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चूरू के अन्दर 3.25 करोड़ रुपये की योजना बनी और हुडको से लोन लेना तय किया गया, सरकार जब बदली तो न जाने क्यों सरकार ने जो गारंटी दी थी हुडको से लोन लेने के लिए, वह गारंटी विदड्रा कर दी। चूरू के अन्दर आप कई बार पधारते हैं, जिस तरह की नारकीय हालत है, आज गंदे पानी के निकास की कोई योजना नहीं है।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप कानून को लेकर आये हैं, ये संशोधन लेकर आये हैं और ये संशोधन पारित भी हो जाएंगे क्योंकि ब्रूटल मैजोरिटी आपके पास है, परन्तु आप अपनी गिरहबान में झांक कर देखें कि सरकार ने ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम के लिए राजस्थान में कहीं बजटीय प्रावधान किया है क्या? यह काम जो नगरपालिकाओं और नगर निगमों का है, पूरा का पूरा या तो जो फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमण्डेशन का पैसा मिलता है उससे चलता है या जो सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स हैं उनसे चलता है। आप तो इनके मनोरंजन कर का पैसा भी देते नहीं हो। आपकी खुद की ग्रांट है, आप बजट के अन्दर जितनी ग्रांट का प्रावधान करते हैं, उसका 60 प्रतिशत से ज्यादा आप पैसा देते नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये दोनों संशोधन जो सरकार लेकर आई है, ये पूर्णतया अव्यावहारिक हैं, इनका कोई मकसद नहीं है।

आप जो क्षेत्रफल के आधार पर हाउस टैक्स वसूलने की बात कह रहे हैं, आप समझते हैं कि राजस्थान की जनता समझेगी नहीं? राजस्थान की जनता समझ रही है कि इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। आप बड़े लोगों को बचाना चाहते हो, आप धन्ना सेठों को बचाना चाहते हो। आप उन लोगों की पैरोकारी करते हो तो आलीशान मकान बनाकर रहते हैं। उनके साथ आपने तुलना की है उस गरीब की, उस मध्यवर्गीय व्यक्ति की। मैं समझता हूं आपको इसके अन्दर दुबारा सोचना पड़ेगा। आपको व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, आपको अलग-अलग इलाकों में, अलग-अलग शहरों में जोनवाइज करना चाहिए। आप क्षेत्रफल के हिसाब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से लेकर आये हैं तो एक शहर के अन्दर क्या कच्ची बस्ती नहीं है? आज जयपुर के अन्दर देख लें, चूरू के अन्दर देख लें, एक इलाका पाश इलाका होगा, दूसरा इलाका ऐसा होगा जिसमें मध्यमवर्गीय आदमी रहते हैं। सभापति महोदय, उसमें यह प्रावधान भी नहीं किया, एक मकान एक व्यक्ति इटालियन मार्बल का बनाता है, एयर-कंडीशनर मकान बनाता है, उससे भी उतना ही टैक्स और एक मध्यम वर्गीय अपना ऋण लेकर मकान बनाता है, उससे भी उतना ही टैक्स ले रहे हैं। यह व्यावहारिक कानून मैं समझता हूं, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य, आप वकील भी हैं और आप आदमी भी ठीक हो, इस विभाग के अन्दर जो भी आया है उसकी बाद में किस तरह की छवि बनती है, उस पर नहीं जाना चाहता परन्तु अब तक आपके बारे में मेरी व्यक्तिश ओपिनियन ठीक है, मैं उस इलाके से आता हूं, आप वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं इसलिए आप बिना किसी की राय लिये हुए, इसमें मैं समझता हूं कि सदन का समय जाया नहीं होगा, मेरे बैठते ही खड़े होकर कह दें कि यह अव्यावहारिक कानून था, इस कानून के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं थी। इस कानून के बारे में जिन अधिकारियों ने आपको गुमराह किया, आप उनके खिलाफ तो कार्यवाही करें और इसको जनमत जानने की बात को कहकर आपको डैफर कर दें। दुबारा जब कभी भी मिलेंगे, और दुबारा आप और हम मिलने वाले भी नहीं हैं, हम ही आएंगे उधर, आप न जाने किन वादियों में गुम हो जाएंगे परन्तु फिर भी जब कभी दुआ-सलाम होगी, तब हम आपको कहेंगे, आपने उस समय बहुत अच्छा काम किया था। मैं समझता हूं कि आप उत्तर देंगे तो मैंने जो बिन्दु उठाये हैं उनका बिन्दुवार जवाब देंगे। सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : श्री हरीशचन्द्र कुमावत, (अनुपस्थित)। माननीय श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, हाउस टैक्स एक अनिवार्य टैक्स है और यह बात भी सही है कि अगर यह नहीं लगेगा तो नगरपालिकाओं का चलना कठिन है। लेकिन यह सारा ही वजन इस टैक्स के आधार पर जनता पर लगाया जाए, यह ठीक नहीं है। इसको आप क्यों लाये हैं, उसका मेमोरण्डम दिया है आपने, कृपया मंत्री महोदय उसको जरा पढ़ लें मेरे साथ साथ तो ठीक रहेगा। यह क्यों लाये हैं आप? यह इसलिए आया है...

श्री रामनारायण चौधरी : आपके नगर निगमों को सुदृढ़ बनाने के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : विचार तो यही है, पर हो क्या रहा है?

श्री रामनारायण चौधरी : वही हो रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्रिमण्डल में यह विभाग क्यों दिया था आपको? ठीक करने के लिए दिया था। दिया तो इसीलिए था पर हुआ क्या? बताऊं, बताऊं?

श्री रामनारायण चौधरी : ठीक कर रहे हैं न। जिस नीयत से दिया है, वही कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : लोग ठीक कर रहे हैं आपको आजकल। अच्छा, कोई बात नहीं। तो, मंत्री महोदय, आप इसको पढ़ेंगे–"The tax on buildings and lands leviable under section 104 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 can be levied only on the basis of the annual letting value of such buildings and lands." अभी कानून तो यह है कि इसकी जो वार्षिक किराये की आय है उस पर निर्धारित करते हैं। यह आपको सूट नहीं कर रहा है तो–"For some time past, it has been felt that this method is neither sufficient nor feasible in all circumstances. Therefore, it has been considered appropriate that certain alternative methods of levy of tax should also be provided for so as to make the procedure of levy of tax flexible and easy." यह आपको सूट नहीं कर रहा था इसलिए आप इसको हटाकर कुछ करना चाहते थे। अब आपने किया क्या इसमें, वह मैं पढ़ देता हूं आपको जो आपका पहला अमैंडमेंट है। अब आपने यह तय कर दिया है–"...for the existing clause (1), the following shall be substituted, namely :-

(1) a tax on buldings or lands or both situated within the municipal limits, either on their annual letting value or on capital cost or at flat rate or by unit area base method or by any other method;..." पहले तो आप यह कह रहे हैं कि एनुअल लैटिंग वैल्यू तो ठीक नहीं है। इसलिए आप ला रहे हैं न इसको? "तो" तो आपने लगा दिया है इसमें, वह तो इसमें है ही, अब भी है। और यह भी कह दिया कि यह जो मैथड लिख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इसी को माना जाए। आपकी जो मर्जी है, आप कुछ और कर देना, एनी अदर मैथड। एनी अदर मैथड क्या होगा? कोई बोली चलाएंगे, नीलामी निकालेंगे? एनी मैथड और क्या होगा? अगर आपको यह करना था तो आप खाली शब्द हटाकर लिख देते कि एनी मैथड, किसी से जबरदस्ती नहीं। चार बातें और लिख रहे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हैं आप, यह भी कर सकते हैं, यह भी कर सकते हैं, यह भी कर सकते हैं, आप और दे दो, कुछ भी करो। ऐसा कोई कानून है? आपको पढ़ लिया इसको है न इसमें एनी अदर मैथड? आप जब अपना वक्तव्य दें तो एनी मैथड को डिफाइन करें कि आप क्या करेंगे मनी मैथड में।

श्री तकीउद्दीन अहमद : डिफाइन कर देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कर दिया, कर दोगे, मुझे मालूम है। एनी मैथड में यह भी हो सकता है कि हमने ये पांच आदमी नियुक्त कर दिये हमारे अधिकारी, इनसे बात कर लो और मर्जी आए जो टैक्स दे दो। यह भी मैथड हो गया एक? यह भी एक मैथड हो गया कि आपके अधिकारियों को और जो टैक्स पेयर हैं, इनको दोनों को छोड़ दें, आप दोनों तय करके ले आना, वही हम टैक्स लगा देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी बात मान ली, अब पास कराओ तो। आपने जो सुझाव दिया, मान लिया इन्होंने। उसको स्वीकार कर लिया न इन्होंने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी सुझाव दिये कहां हैं मैंने तो?

श्री रामनारायण चौधरी : दे दिया न यह, और क्या दोगे?

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, अभी थोड़ी देर पहले कोरम नहीं था, कोरम का अभाव अब भी है।

श्री सभापति : पूरे हैं, 20 हैं। गिन लीजिये आप।

श्री हीरासिंह चौहान : देखिये प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य, आपके भंवरलालजी शर्मा बोल रहे हैं...(व्यवधान) तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? कोरम है और आपके माननीय वयोवृद्ध नेता बोल रहे हैं। आप पुराने डिप्टी स्पीकर हैं, आपको क्या कठिनाई है?

श्री हीरासिंह चौहान : हां, बोल लें But there must be a quorum. यह तो कम्पलसरी है। माननीय विद्युत मंत्रीजी, कोरम के अभाव में हाउस चलेगा क्या? मैं बात दूसरी कह रहा हूं...

श्री सभापति : माननीय हीरासिंहजी चौहान, 20 हैं। माननीय भंवरलालजी, बोलें आप। आपने राठौड़ साहब को बाहर भेज दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : बोलो, बोलो।

श्री हीरासिंह चौहान : वह तो अब हो गये हैं, आ गये हैं वह तो, उस समय नहीं थे। मैं काहे को राजेन्द्रजी को बाहर भेजूंगा? आप भी कैसी बात कर रहे हैं, सभापति महोदय? मैं कोई आज का एम.एल.ए. हूं क्या, 1985 से हाउस में आ रहा हूं, जब कोरम का अभाव होता है तो उसके लिए तो कहना ही पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय भंवरलालजी शर्मा, आप बोलिये।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसा है, कोरम समझ लिया जाएगा।

श्री सभापति : आपके भी तीन मैम्बर ही बैठे हैं, सब तरफ सारे माननीय सदस्य नहीं हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों ही गम्भीर नहीं हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : तो आप चाहते हैं कि कोरम के अभाव में भी हाउस चलता रहे?

श्री सभापति : नहीं, वह तो नियमों से ही चलेगा, बिना कोरम के नहीं चलेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई नुकसान नहीं हो रहा था, कोरा भाषण हो रहा था।

श्री हीरासिंह चौहान : कोरम की घंटी आप तो कभी कभी बजाया करते हैं लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि आपको कम से कम इस बात की सूचना दें।

श्री रतनाराम चौधरी : माननीय सदस्य, पूरा कोरम है। कहां कोरम का अभाव है? बिना गिनती आप यों ही कह रहे हैं कि कोरम नहीं है? आपने गिनती सही नहीं की है, पूरा कोरम है।

श्री सभापति : माननीय रतनारामजी, आप अपने स्थान पर जाइये। माननीय भंवरलालजी।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सदस्य और सभापति महोदय, विद्युत मंत्रीजी, हम कभी भी गलत बात को इस हाउस में नहीं उठाया करते हैं।

श्री सभापति : माननीय हीरासिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान : जहां पर सब प्रकार की प्रजेंस होती है, हम सभापतिजी को इस प्रकार का कह सकते हैं क्या?

श्री सभापति : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, बिराजें। माननीय हीरासिंहजी, बिराजिए। माननीय भंवरलाल शर्मा साहब।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं एक बात का निर्णय चाहूंगा आपसे, जिस समय मैंने कोरम की बात उठाई थी उस समय कोरम था क्या?

श्री रामनारायण चौधरी : था।

श्री हीरासिंह चौहान : We were only 19 here.

श्री रामनारायण चौधरी : था, और नहीं था तो भी कोई नुकसान की बात नहीं थी।

श्री सभापति : कोरम पूरा था।

श्री हीरासिंह चौहान : इस प्रकार आप हमें दबा नहीं सकते। कोरम कम होना, हमारा कहने का अधिकार है और सही बात को हाउस में लाएंगे।

श्री सभापति : माननीय हीरासिंहजी चौहान साहब, जब कोरम की बात आपने उठाई, सदन में कितने सदस्य थे?

श्री हीरासिंह चौहान : 19 only.

श्री सभापति : और मुझे मिलाकर बीस थे, कोरम में चेयरमैन भी इनक्लूड होता है। माननीय भंवरलालजी शर्मा साहब, जारी रखें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें ताली बजाने की क्या बात है, साहब? मान लीजिये, अगर यह कहते हैं कि कोरम नहीं था और आपने कहा है तो क्या हो गया इसमें? विवाद क्या हो गया इसमें?

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, यह संसदीय परम्परा है कि कोरम का मामला बहुत कम उठाया जाता है। यह परम्परा है, अण्डरस्टेंडिंग है दोनों तरफ की।

श्री सभापति : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, कोरम होना भी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह भी परम्परा इन्होंने शुरू की है।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, कोरम था। आप सहित कोरम था। मैं कह रहा हूं कि आप सहित...

श्री सभापति : हां, मेरे समेत था। तो मैंने व्यवस्था दे दी। Including myself, there were 20 members in the House. And 20 members are sufficient for the quorum.

श्री रामनारायण चौधरी : सही है।

श्री सभापति : माननीय भंवरलाल शर्मा साहब, जारी रखें।

श्री रामनारायण चौधरी : सही है बात, फिर भी यह परम्परा रही है, मान्यवर, कोरम का अभाव हो तब भी उधर से बोल रहे थे विपक्ष के और वही उठा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों नहीं उठाएंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : बोल तो वही रहे थे।

श्री हीरासिंह चौहान : यह हमारा अधिकार नहीं है?

श्री रामनारायण चौधरी : क्या अधिकार, कौन-सा अधिकार?

श्री हीरासिंह चौहान : यह हमारा अधिकार नहीं है क्या? Do I have no right at all? यह भी कोई बात हुई। यह बहस का विषय होता है, माननीय सभापतिजी।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या अधिकार था?

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, अब इसको मुद्दा न बनाएं। आसन से व्यवस्था दे दी गयी है।

श्री हीरासिंह चौहान : It is a question of argument, क्या बात करते हो आप? यह संसदीय परम्परा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आप चाहोगे इस तरह सदन चले? आप जैसे आदमी से हम अपेक्षा रखते हैं...

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, हीरासिंहजी साहब, बिराजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : हम बैठ जाएंगे लेकिन इस बात को उठा नहीं सकते, यह कैसे किसने कहा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपको सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक को बुलाकर प्रताड़ित करना चाहिए।

श्री हीरासिंह चौहान : It is an arguable point.

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक को बुलाकर कहना चाहिए, यह तरीका है? मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो कई सदनों के साक्षी रहे हैं, यह परम्परा रही है कि कोई बहस चले और आप देख लो उपस्थिति।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप को तो उलटे खुद को तकलीफ हो रही होगी मन में। मन में तो हो रही है आपको।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, बिराजिए। माननीय भंवरलालजी शर्मा, साहब, जारी रखें।

श्री रामनारायण चौधरी : आप ही के सदस्य बोल रहे थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपस्थिति देखो न आप, आप जैसे विराज रहे हैं दो-चार ढंग के आदमी, बाकी देखो।

श्री रामनारायण चौधरी : हम बैठे हैं, रामस्वरूपजी बैठे हैं, माननीय खुद मंत्रीजी बिल पायलट कर रहे हैं वह बैठे हैं, कितनों को चाहते हो आप? हाउ मैनी? कितनों की आपको दरकार है, उतने और आ जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, हमें तो रामस्वरूपजी की जरूरत है, रामस्वरूपजी बैठे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हम तो अगली बार आपके ज्यादा से ज्यादा पचास चाहते हैं। अगली बार ज्यादा से ज्यादा पचास चाहते हैं आपको।

श्री रामनारायण चौधरी, : अगली बार तो खतरे में होंगे, आप तो पक्के खतरे में हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमसे पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूं मैं तो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप इकट्ठे ही सौ को साफ कर रहे हो।

श्री सभापति : नहीं, आप कम्प्लीट कर चुके क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ऐसे कैसे तो, साहब, मेरा अभ्यास नहीं है टोकाटाकी में बोलने का।

श्री सभापति : जारी रखें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, आपने लिखा है आन कैपिटल कास्ट, यह कैसे निकालेंगे? जब आप अपना वक्तव्य दें, अच्छा तो यह होता कि कैपिटल कास्ट मींस व्हाट, आप इसमें लिखते तो समझ में आ जाता कि कैपिटल कास्ट का मतलब क्या है। यानि एक मकान बना लिया किसी ने, अब उसका कितना पैसा लगा, यह उससे पूछोगे या कैपिटल कास्ट का क्या करोगे आप? कैपिटल कास्ट कैसे निकालोगे आप? फिर एरिये वाइज अंतर पड़ेगा। मेरा मकान यदि दो तरफ रास्ता है और नुक्कड़ पर मकान है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और मेरे पड़ोस में ही दूसरा मकान है उसकी वैल्यू नैचुरली कम होगी, तो कैपिटल कास्ट का मतलब क्या है फिर? And how will you ascertain it? कौन उसको तय करेगा? हाउस टैक्स के इंसपैक्टर्स जो हैं उस लेवल के लोग ही तय करके ले आएंगे इसको। उसकी क्या व्यवस्था करेंगे आप, डिस्प्युट है तो कैसे तय कर देंगे? यह अमाउंट निर्धारित कैसे होगा? आप, सभापति महोदय, समझ रहे होंगे इस बात को। तो इसका अर्थ क्या निकलने वाला है, How will it be implemented? कितना अव्यावहारिक होगा यह। फिर इसके बाद आपने कह दिया capital cost or flat rate. यह फ्लैट रेट क्या हो गई? फ्लैट रेट बिजली में तो सुन रहे थे, हाउस टैक्स में फ्लैट रेट क्या हो गई? कि तेरी मर्जी में आएं वह दे दे? क्या हो गई यह फ्लैट रेट? मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने कानून देखा नहीं है, मंत्री महोदय, आप इतने कमजोर नहीं हो। यह फ्लैट रेट क्या होती है, आप समझ रहे हैं क्या फ्लैट रेट? कि भई, इतना तो कम से कम देना ही पड़ेगा, यह है फ्लैट रेट। फ्लैट माना इतना तो कम से कम देना ही पड़ेगा। अब मेरा मकान तो छोटा है, इनका बड़ा है, फ्लैट रेट कर दो आप। मेरे को तो सौ रुपये देने पड़ेंगे, इनको भी सौ ही देने पड़ेंगे। यह भी कह देंगे, साहब, मैं तो फ्लैट रेट से आऊंगा, तो आपका यह कानून ही फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट रेट रख दी आपने। और एक और रखा था आपने।

श्री हरिसिंह (महुवा) : काम तो सब अच्छे-अच्छे ही कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं कब कह रहा हूं अच्छे-अच्छे नहीं कर रहे हैं आप? यह तो अगली बार जब बाहर मिलोगे तब पता लगेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं मानेंगे दुःख पाएंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, दुःख पाएंगे ही। दूसरा लिखा है

(श्री भंवरलाल शर्मा)

"...or by unit area base..." आप समझ गये न इसको? यह तो मेरे समझ में नहीं आया, यूनिट एरिया बेस क्या होगा। यूनिट एरिया बेस, एक मैथड यह बता दिया आपने। यह क्या कानून बनाया है या तमाशा किया है इसको? जिसका आप विरोध कर रहे थे, जिससे आप परेशान थे, एनुअल लैटिंग वैल्यू से परेशान थे वह भी आपने जोड़ दी इसमें। आपने जो जोड़ा है उसमें एनुअल लैटिंग वैल्यू से भी टैक्स लग सकता है, कैपिटल कास्ट से भी लग सकता है, फ्लैट रेट से भी लग सकता है और एरिया बेस पर भी लग सकता है, जैसा मैंने पहले कहा, इनसे किसी का मन नहीं भरे तो मर्जी में आवे उस तरह लगा सकते हैं आप। ऐसा तो कानून कभी देखा नहीं कि मर्जी में आवे जो ही आप तय कर दो। माननीय मंत्री महोदय, ठीक है कि कानून तो आप ले आये, लेकिन जैसे यह माननीय सदस्य कह रहे थे आपको, यह अच्छी सलाह थी कि इतनी जल्दी किस बात की है? आज भी टैक्स लग रहा है, वसूल हो रहा है, वह तो कोई स्थगित हो ही नहीं रहा है, एक बार इसको अगर आप जनमत जानने के लिए भेज देंगे और लोगों की राय आ जाएगी तो मैं समझता हूं, What is the harm in it? आखिर में नगरपालिकाओं को इतना संकट में डाल दोगे आप कि उनको यह वसूलना मुश्किल हो जाएगा।

फिर आपने यह पाबंदी नहीं की, यानि राजस्थान में जितनी नगरपालिकाएं हैं उन पर यह पाबंदी नहीं है कि एक ही प्रकार का कानून लगाएं, सब नगरपालिकाएं स्वतंत्र हैं। कोई एनुअल रेट पर लगाएंगी, कोई कास्ट बेसिस पर लगाएगी, कोई कैसे लगाएगी, तो जो एक प्रकार की समानता चाहिए कानून में टैक्स वसूली में, वह भी नहीं हो पाएगी। उधर तो वैट कानून बना रहे आप कि पूरे देश में कीमतें सब की बराबर हों, उसको आप अच्छा करके ला रहे हो और जो नगरपालिकाएं बेचारी स्माल यूनिट हैं उनको आपने इतने रास्ते बता दिये कि किसको करें, किसको न करें। सब की समानता तो आएगी नहीं इसमें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको जनमत जानने के लिए भेजो, It is one of the grounds.

फिर आपने आगे लिखा है–"...the tax under clause (1) shall not be levied on kham houses..." खाम हाउस की डेफिनेशन क्या है? इस एक्ट में कहीं डेफिनेशन है क्या खाम हाउस की, यह मुझे तो मिली नहीं है।

श्री तकीउद्दीन अहमद : कच्चा मकान।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो हिन्दी हो गई।

श्री तकीउद्दीन अहमद : बस यही है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यही आपकी हिन्दी है। सवाल यह है कि खाम हाउस किसको कहेंगे हम, क्योंकि उसमें एग्जम्पशन दे रहे हो आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कच्चा मकान तो बहुत बड़ा हो सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसको एक्जम्पशन दे रहे हैं आप। अब जमीन खूब बड़ी सारी है उसने उससे बचने के लिए डोली खड़ी कर दी कुछ भी, वह खाम हाउस हो गया, उसको मुक्त कर देंगे? Who will decide it? What is the definition of 'kham houses'? आप खाम हाउस को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक यह डिस्क्रिशन किस पर छोड़ेंगे आप? जो वर्तमान कानून है, यह प्रोवीजो समझ में नहीं आया, यह प्रोवीजो है कहां इसमें? वन में तो प्रोवीजो है नहीं, आगे जाकर तीन में आपने यह लिखा है-"...the tax under clause (1) shall not be levied on kham houses..." यह तो आलरेडी था। अगर इसको आप मानते हो तो यह तो आलरेडी आपके एक्ट में लिखा हुआ है। यह एक्ट में लिखा हुआ है, यह आपको मिल गया क्या? "...the tax under clause (1) shall not be levied on kham houses..." यह तो आलरेडी इसमें है लिखा हुआ। यह जो आलरेडी था इसको आपने क्यों रिपीट किया यहां पर? जैसा मैंने कहा, खाम तो कहीं डिफाइन नहीं है फिर भी। इसमें भी नहीं है और आपने भी नहीं किया। तो यह डिस्क्रिशन किसका रहेगा इसको छोड़ने के लिए? यह खाम हाउस पूरा होना चाहिए या पूरी बड़ी बिल्डिंग में, एरिया में एक-दो छप्पर डाल लिये किसी ने, कच्चा घर बना लिया तो वह पूरा मुक्त होगा या कैसे होगा? या वह इतना-सा एरिया मुक्त करोगे आप? पूरे पांच सौ गज का, हजार गज का मकान है, मकान बने हुए हैं, चार झोपड़े डाल दिये उसने, तो वो खाम हाउस हो गये? जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे खाम हाउस को तब तक इसका मिसयूज होगा, चाहेंगे उसको छोड़ देंगे।

फिर आपने एक और विचार किया, और काफी जबरदस्त किया है आपने, इधर आपने कहा है कि एनुअल लैटिंग वैल्यू पर भी हाउस टैक्स देय होगा, और आगे जहां-जहां एनुअल लैटिंग वैल्यू आयी उसको डिलीट कर दिया आपने। ये तो कांसीक्वेंशल सैक्शंस हैं वो फ्रेज है, यहां तो लैटिंग वैल्यू को अजाउ कर दिया आपने कि एनुअल लैटिंग वैल्यू पर भी हम हाउस टैक्स लेंगे, लेकिन कानून के अन्दर और जहां-जहां भी यह लैटिंग वैल्यू आयी उसको आपने डिलीट कर दिया। यह कैसे चलेगा? How did you do it? जैसे आपने 115 में लिखा है-"...for the existing clause (i) of sub-section (1) the following..." दो में लिखा है

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आपने–"...in sub-section (2) for the existing expression 'determine' the annual letting value of such building or land..." यह आपने डिलीट कर दिया। इधर तो आपने कहा कि रेंटल वैल्यू पर भी लिया जाएगा और जहां-जहां भी वो आया आगे हर सैक्शन में, आपने वो डिलीट कर दिया, तो कैसे होगा यह? रिडंडेंट हो गया यह तो। You are catching my point or not?

श्री तकीउद्दीन अहमद : I will answer your question.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, सुनो तो दोगे ही। मैं चाहता हूं कि आप आन्सर दें, क्लीयर करें। कंफ्यूजन दूर करिये। कोई बात नहीं है।

उसी प्रकार से सैक्शन 117 है उसमें भी आपने लिख दिया–"...in sub-section (1), the existing expression 'valuation...'..." यह भी आपने डिलीट कर दिया। उधर आपने वैल्यू में रख दिया, यहां वैल्युएशन हटा दिया फिर "...in sub-clause (i), the existing expression 'the annual letting value or other valuation of' shall be deleted;..." आपने उसको डिलीट कर दिया।

फिर इसका बी है उसमें भी आपने लिख दिया–"...in sub-clause (ii), the existing expression 'the annual letting value of' shall be deleted." इसको भी हटा दिया आपने।

फिर आपने सैक्शन 119 है उसमें लिखा है–"In sub-section (1) of section 119 of the principal Act, the existing expression 'valuation and' shall be deleted." वहां वैल्युएशन हटा दिया फिर आपने। फिर अगला सैक्शन है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एलएल.बी. कहां से की थी?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यहीं से की थी, हमारे साथ ही की थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, एलएल.बी. कहां से की है आपने?

श्री हीरासिंह चौहान : एलएल.एम. की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एलएल.एम. की है। उस यूनिवर्सिटी का नाम बताएं।

श्री हीरासिंह चौहान : यह तो आफिसर ड्राफ्ट करके देते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम बताएं जहां से एलएल.एम. की है, मंत्री महोदय।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, एलएल.एम. नहीं की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं किया न एलएल.एम.?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वो इन्होंने किया है, सभापतिजी ने किया है।

श्री मदन दिलावर : तो जो कुछ किया है वो बता दें। (व्यवधान) जो कुछ किया है वो बता दें, पता चल जाए हमको।

श्री सभापति : आप बैठिये। आपके इतने वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : हां, वो तो ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : He is helping me. वो मेरी मदद कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, यह तो बिलकुल ठीक बात है, सभापति महोदय, जिस तरह यह एक्ट ड्राफ्ट होकर आया है यों लगता है...

श्री सभापति : आप अपनी बात कह चुके, अब आपको दुबारा अवसर नहीं देंगे। आप भूल गये थे क्या यह बात?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, इनके नाम के आगे एलएल.बी. लिखा है। सिर्फ इतनी-सी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि एलएल.बी. आपने कौन से विश्वविद्यालय से की है?

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम उस विश्वविद्यालय का नाम पता करके उस विश्वविद्यालय के प्रति अपना सम्मान करना चाहते हैं।

श्री मदन दिलावर : हमारा ज्ञानवर्द्धन होगा, श्रीमान्, यह थोड़ी जानकारी हो जाएगी तो।

श्री सभापति : अभी बता देंगे। सदस्य परिचय पुस्तिका पढ़ लीजिये आप, पुस्तकालय में मौजूद है।

श्री अमराराम (धोद) : उसमें विश्वविद्यालय नहीं है।

डा. जितेन्द्र सिंह : आप वाली यूनिवर्सिटी ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, हमारे वाली हो ही नहीं सकती।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरे साथ पढ़े हैं, साहब। क्या हो गया उसमें? एक क्लास में पढ़ने वाले फेल पास नहीं होते क्या? यह क्या बात है? डिवीजन भी आते हैं, कई लोगों के डिवीजन नहीं आते हैं, फेल होते हैं।

श्री महादेव सिंह : फेल पास में केवल एक नम्बर का ही फर्क होता है, साहब। एक ही नम्बर का फर्क होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : महादेव भाई को इसका ज्यादा एक्सपीरिएंस है।

श्री महादेव सिंह : मैं तो हमेशा ही विद टू बाडी गार्ड्स पास हुआ हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नाउ सैक्शन 119 है-"In sub-section (1) of section 119 of the principal Act, the existing expression 'valuation and' shall be deleted." उसमें भी आपने हटा दिया इसको।

Now section 124. "In sub-section (1) of section 124 of the principal Act, the existing expression 'the annual letting value of' shall be deleted." उसमें भी हटा दिया आपने।

फिर सैक्शन 125 है उसमें लिखा है आपने-"In section 125 of the principal Act, (i) in sub-section (1), the existing expression 'the annual letting value of' shall be deleted;..." इसको भी हटा दिया आपने।

फिर 139-"In section 139 of the principal Act, for the existing expression 'upon the annual letting value of', the word 'on' shall be substituted." यह भी हटा दिया आपने।

Now section 140. "In clause (a) of section 140 of the principal Act, the existing expresssion' the annual letting value of' shall be deleted." वहां भी डिलीट कर दिया आपने। अब आप एक नया सैक्शन लाये हैं। यह तो आपने किया है टैक्सेज के लिए, अब जो दूसरा क्लाज लाये हैं कि गन्दगी फैलती है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो आपने नया सैक्शन जोड़ा है 176 में सब सैक्शन 4, उसमें आपने लिखा है-"Notwithstanding anything contained in foregoing sub-sections, it shall be mandatory for every owner or occupier of a building or land to take connection, in the prescribed manner, from the sewerage system as soon as it is laid in that area by any agency for proper discharge of waste water from toilet, kitchen and bathroom." अब पानी कौन-सा निकालेंगे? ये सीवरेज में कौन-सी चीज डालेंगे, वेस्ट वाटर What is waste water? घर में कई बार दो बाल्टी भर लेते हैं, एक फालतू हो जाती है वो वेस्ट वाटर हो गया। You are confining this only for waste water, गन्दगी के लिए नहीं है। अगर पानी बहता है केवल वो ही इसमें कंवर होगा। वेस्ट वाटर का मतलब तो जो पानी बच जाता है एक्स्ट्रा या खराब हो गया। अब मान लीजिये कोई अपनी भैंस के गोबर को धोकर फेंकता है, वो वाटर कौन-सा होगा? कहां-कहां से निकलना चाहिए? इन्होंने पाबंद किया

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है टॉयलेट वाटर फ्रॉम टायलेट, किचन एण्ड बाथरूम, इसके बाद अगर भैंस नहलाता है, कोई गाड़ियां धोता है और पानी बहता है तो उस पर लागू नहीं होगा। यह किस प्रकार का वेस्ट वाटर आप मानते हो? वो कहीं से भी निकले घर से, वो कवर करें तो ठीक है, पर आपने कहा कि नहीं, नहीं, वो तो आप कर सकते हो, वेस्ट वाटर फ्राम टायलेट। अब कहीं-कहीं कई लोग जंगल में ट्टटी जाते हैं, टायलेट रहते ही नहीं उनके यहां। रसोई का पानी निकलेगा बाहर एण्ड बाथरूम, बस इन पर लागू है और किसी पर लागू नही है।

श्री हीरासिंह चौहान : तीनों पर किया है यह।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, बाक़ी और पर नहीं है। अगर आपके मकान में आपका ग्राउंड है खुला और वहां नल है जैसे कई लोगों के होता है, बड़े-बड़े बंगले होते हैं, वो पानी बहेगा तो उस पर लागू नहीं होगा, क्यों? न तो वो टायलेट से आ रहा है और न वो किचिन से आ रहा है, और न बाथरूम से आ रहा है। वो तो चौक में से निकल रहा है पानी, बरामदे में से या बाउडरी में से, उस पर लगेगा नहीं ये। यह कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप कि यह तो वहां से निकला है? इसकी कोई लेबोरेटरी में जांच कराएंगे क्या कि यह पानी कहां से आया, बता भई? कैसे करोगे आप, यह जरा समझाए तो सही हमको।

श्री तकीउद्दीन अहमद : समझोगे तभी समझाएंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब आपने जो क्लाज लगाया है 220 का, आपने लिखा है इसमें 176 में कि आप जुर्माना किस पर करोगे। ओनर होगा, आक्यूपायर होगा आफ दी बिल्डिंग। अब अगर कोई बिल्डिंग 145 दफा में कुर्क कर रखी है और पुलिस के कब्जे में है और पानी बह रहा है तो कैसे करोगे इसमें? यह तो होता है, कमिश्नर बैठ जाते हैं, पुलिस के कब्जे में जाता है, तो किस पर जुर्माना करोगे आप? आक्यूपायर और ओनर...(व्यवधान) इसमें लिखा नहीं है, काहे को लाये हो। फिर काहे को लाये हो इसको? यही कहो इनको कि सूखा पड़ा है, पानी है ही नहीं और अभी 6-7 महीने आएगा भी नहीं। यह आपने जो लगाया है यह सबको कंवर नहीं करेगा और यह जो वेस्ट वाटर है वह भी केवल वाटर से काम नहीं चलेगा। जो व्यक्ति यह नहीं करेगा उस पर आप क्या करोगे?

सीवरेज, यह जो आपको स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट है उसमें आपने लिखा है "...limit of fine for not taking sewage. connections or discharging seweage." और उधर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लिखा है सीवरेज ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? स्पेलिंग मुझे इसमें समझ में नहीं आई। एक आपने लिखा है डिस्चार्जिंग एस.ई.डब्ल्यू.ए.जी.ई. और यहां लिखा है, सीवरेज या तो यह टाइप में गलती रह गई या पता नहीं क्या है, देखिए इसको आप। आपने लिखा है "...system as provided in section 176 or causes or allows the water of any sink or sewer, any other liquid or other matter which is or which is likely to become offensive, from any building or land under his control..." उस पर अपने जो मिनिमम जुर्माना रखा है, यानि इससे तो कम कर ही नहीं सकते "...one thousand rupees but which may extend to five thousand rupees." अगर कोई महिला है और कहीं गलती से उसका पानी बाहर आ गया, बह गया, अपना जीवन चलाने के लिये भैंस रखती है और भैंस ने जेवड़ा तुड़ाकर घड़ा फोड़ दिया, पानी बाहर आ गया तो उसको कहोगे, देवी, कम से कम एक हजार रुपया जुर्माना दे। वह जज भी कहेगा कि मेरी तो पावर नहीं है। विधान सभा में 200 विद्वान बैठ रहे थे उन्होंने कानून बनाया है, मैं क्या करूं। मंत्री महोदय भी एडवोकेट थे, उन्होंने कम से कम जुर्माना रखा है एक हजार रुपया, यानि इससे कम कर ही नहीं सकते वह। मान लो, आपके पास ही यह मैटर आ जाएं और आप कहो कि वाकई यह अनाथ है, गरीब है, कोई खास गलती नहीं थी, बोनाफाइड मिस्टेक है तो आप भी रियायत नहीं कर सकते। और पहले क्या था? पहले 25 रुपया था। जब आपके पिताश्री...

श्री तकीउद्दीन अहमद : जब आप स्वायत्त शासन मंत्री थे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तब 25 रुपये रखा था मैंने तो, यह 1000 तो आप लाये हो, महाराज।

श्री तकीउद्दीन अहमद : उसकी परेशानी से ही यह सब कुछ किया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : रखो, मैं मना नहीं करता, आप बढ़ा दो। पर आपने कहा, इससे कम कर नहीं सकता। यानि कैसा भी ग्राउंड हो, अगर वह जज यह भी समझ ले कि इसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, यह नहीं करना चाहिये, उसको माफी दे दे अगर उसके बस में हो तो, तो भी वह नहीं होगा इसमें तो। छोटे छोटे मुकदमों में माफी हो जाती है, ऐसा क्या हो रहा है। एक थप्पड़ मार दिया किसी के, उन्होंने कहा, चलो, आइंदा मत करना, भागों यहां से। वह उसको छोड़ देता है। अब यह पानी का घड़ा–वह गया, एक बेचारी भैंस ने

(श्री भंवरलाल शर्मा)

टक्कर मार दी तो आप उस पर कम से कम हजार रुपया जुर्माना करोगे। ऊपर तो मारो गोली, कम से कम इतना तो उसको करना ही पड़ेगा। कोई बड़ा अपराध करना हो, किसी से बैर निकालना हो, कोई वोट खिलाफ देता हो तो उसके 5000 भी करो। जो गरीब आदमी है, वास्तव में कोई बोनाफाइड मिस्टेक है, उसको आप ऐसा पाबंद क्यों करते हो? हजार रुपया जुर्माना किस बात का? अच्छा, हजार रुपया जुर्माना करो आप, मेरे घर से जो पानी बहता है उसको तो करोगे, पर नाली के बाहर जो ओवर फ्लो होता है उसका क्या करोगे, उसका बताओ? अभी सब बता रहे थे आपको और आप भी जानते हो, अभी आप 10 दिन पहले दौरा करने गये थे, पकड़ लिया लोगों ने आपको कि देखो, साहब, यह बह रहा है, उसका क्या करोगे? रोज पानी बहता रहता है, सड़कों पर बहता है, नगरपालिका के कब्जे रिकार्ड में बहता है, उन पर क्या जुर्माना करोगे आप? मेरे तो एक घड़े के पानी पर आप हजार रुपया कम से कम करोगे, पर जो वहां बहता है उसका क्या करोगे? उसका कहीं इसमें प्रोविजन करना चाहिये था कि हमारा यह प्रोविजन है कि हमारे कर्मचारी की लापरवाही से, उसकी निष्क्रियता से अगर गंदा पानी बाहर आएगा तो हम उसको यह दण्डित करेंगे। अच्छी बात होती। कई बार तो ऐसा होता है जब पानी बहता है, हमारे एरिया में गोविंद देवजी का मन्दिर है, गणेशजी का मन्दिर है, गोपीनाथजी का मन्दिर है, वहां नालियां चोक हो जाती हैं और पानी बहता है, उधर से आपका स्कूटर आता है और वह मेरी बूढी मां पूजन करने जा रही है, नहा-धो कर आई है, कोई अड़ नहीं जाएं, कोई छू नहीं जाएं उसका तो परहेज करती है, पर आपने स्कूटर निकाला वह सारा पानी उसके माथे पर जाकर पड़ता है, पूजन के बर्तन में पानी जाता है। वह अपराध है, उसका क्या करोगे आप? कनेक्शन नहीं लेगा तो उस पर जुर्माना करोगे आप, लेकिन 10 साल तक कनेक्शन नहीं डालोगे तब क्या होगा? कनेक्शन तो आपकी मर्जी पर डलेगा न। उसके गंदे पानी को बहाने की व्यवस्था तो आप करोगे और वह जब तक करो तो करो, नहीं मत करो, यह आपकी मर्जी की बात है। उससे भले ही आदमी सड़ता रहे, इलाका सड़ता रहे, उसकी तो व्यवस्था करोगे नहीं आप और एक बार में ही कहोगे कि हजार रुपया जुर्माना दे जाओ। यह कैसा कानून बनाया है आपने, ऐसी क्या मंशा हैं आपकी? जितनी नगरपालिकाएं हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कनक्लूड करो, साहब, जनमत जानने के लिए प्रस्ताव करो। बहुत ज्ञानवर्धन कर दिया आपने, मंत्रीजी का जवाब आ जाएगा अभी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : साहब, आपकी ऐसी मर्जी है तो यह लो।

श्री सभापति : नहीं, कनक्लूड करो, मैं यह थोड़े ही कह रहा हूं कि बंद कर दो आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जब से आप नगरपालिका के मंत्री बने हो, नगरपालिकाओं की क्या हालत है? आपकी पार्टी की जो नगरपालिकाएं हैं वे तो निरंकुश हैं और आपकी पार्टी के खिलाफ की पार्टी की जो नगरपालिकाएं हैं उनको आपने आतंकित कर रखा है। कमिश्नर को पावर दे दिये, 50 लाख रुपये के वह फैसले करेगा। जयपुर नगर निगम में आपने यह किया। 50 लाख के काम सी.ई.ओ. सैंक्शन कर देगा न मैम्बर से पूछेगा, न चेयरमैन से पूछेगा न मेयर से पूछेगा। 50 लाख से ऊपर के काम नगरपालिकाओं में होते कौनसे हैं? तो आप यह कहो न कि सारे काम वही करेगा, हटाओ मेयर को 50 लाख के पावर देकर आपने उस मेयर को तो बिलकुल बेकार कर दिया। 50 लाख तक के पावर दे दिये, वह अपने आप सैंक्शन करता रहता है, न मेयर से पूछे, न किसी से पूछे और और कोई प्रपोजल आ जाएं तो भेजो मंत्री साहब को, वह करेंगे। तो जो आपकी नगरपालिकाएं हैं उनको तो आपने निरंकुश कर दिया और जो आपके खिलाफ हैं उनको आतंकित कर रखा है, उनको सिकोड़ रखा है।

अन्त में एक उदाहरण देना चाहता हूं, उदाहरण तो बहुत मिलेंगे लेकिन सभापति महोदय ने घंटी बजायी है, आपके सभापतित्व में तो पहली बार बोल रहा हूं, पर फिर भी आप घंटी बजाओ तो बजाओगे ही, आइ विल ओबे दैट, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात पूरी करूंगा। यह मामला सुजानगढ़ नगरपालिका का है, सुजानगढ़ नगरपालिका आपकी है। उन्होंने करीब 5-6 महीने से कोई मीटिंग नहीं बुलाई और जब अंतिम समय आया मार्च का, तो एक मीटिंग बुलाई। उसका नोटिस देना चाहिये था, उसमें से 4 दिन का नोटिस पकड़ाया। मैम्बर को नोटिस जाना चाहिये 7 दिन का, 4 दिन का समय दिया। और आप ताज्जुब करोगे, मैं समझता हूं कि नगरपालिका के इतिहास में पहली मीटिंग होगी जिसमें उन्होंने विचारार्थ जो एजेंडा रखा है उसकी संख्या है, 52 विचार के लिये 52 बिन्दु हैं। और इन 52 में भी किस किस के एजेंडे हैं? जो काम करा लिये हमने बिना सैंक्शन के, बिना फण्ड्स की अनुमति लिये, उनको अब सैंक्शन कराना है यहां पर। 52 में से 12 मामले ऐसे हैं जिनमें आपने खूब खर्च कर दिया, बिना अनुमति के खर्च कर दिया, अब आप खर्च करने के बाद बोर्ड से परमिशन ले रहे हैं। 31 मामले ऐसे हैं जिनमें आप नई स्वीकृति दे रहे हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं होगा, आप भी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

क्यूनिसिपैलिटी के मैम्बर रहे हो, 52 मामले एक साथ एक दिन में एजेंडे में जिनमें से भी मैंने बताया 12 तो ऐसे हैं जिनमें आपने काम खतम कर दिया, पूरा करवा लिया, सैंक्शन नहीं थी, कुछ नहीं थी, जो खर्च होना था उससे ज्यादा खर्च हो गया, उसकी सैंक्शन लेनी थी और 31 मामले ऐसे थे जिनमें नई सैंक्शन देनी थी। उसकी मीटिंग बुला ली आपने, ऐसा करके 52 बिन्दु एक दिन में एजेंडे में रख लिये, और जैसे आप यहां बजट पास कराते हो, बिना सुने सबको पास कर दिया एक घंटे में। रिपोर्ट गई, आपत्ति की कि आप यह कैसे कर रहे हो, कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर मजबूर होकर लोग हाई कोर्ट गये, हाई कोर्ट में यह बात रखी, इस तरह का अन्याय हो रहा है, इस तरह की मनमानी कर रहे हैं। आपके डायरेक्टर साहब को आदेश दिया हुआ है कि इनकी जांच करो। यहां तक तो हो गया, अब मामला आ गया आपके पास। डायरेक्टर लोकल बाडी ने आप से पूछा कि हाई कोर्ट से आदेश आया है क्या करें। आपने कहा कौनसी नगरपालिका है, किसकी है? हूजूर, यह तो आपकी ही है। कि दबाए रखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह आप कह रहे हैं। हाई कोर्ट ने आपसे कहा, मंत्री महोदय, मैं समझता हूं नगरपालिका के इतिहास में पहला ऐसा मौका होगा एजेंडे में 52 आइटम, केवल सैंक्शन मकान बन गये, सड़कें बन गयीं सब कुछ कर दिया आपने। अब क्योंकि आप खर्च कर चुके थे, इल्लीगल खर्च किया, पास करने के लिए, लीपापोती करने के लिए यह आपने रखा। (व्यवधान) एक घंटे में पूरा करके चले गये। हाई कोर्ट ने आपको निर्देश दिया है कि जांच कराइये, जांच क्यों नहीं कराई? कारण क्या है? कारण यह है कि आपकी नगरपालिका है। भेदभाव मत कीजिए, आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। आपकी तो विधान सभा बदल गई, अब शिड्यूल्ड कास्ट की हो गई। आप जहां से लड़कर आते हो वह एस.सी. की हो गई है। (व्यवधान) नाम भी बदल गया है। कहीं से भी आए, हम वैलकम करेंगे। मंत्री महोदय, मैं तो इसलिए कहना चाहता हूं कि आप जयपुर के निवासी हैं, आप नगरपालिका के मैम्बर रह चुके हैं, आपके परिवार में नगरपालिका के मैम्बर रह चुके हैं, कम से कम ऐसा कानून मत लाइये। आप यह जो करते रहते हो, मैंने जो आपको निवेदन किया है, आप निर्देश दीजिए नगरपालिका, सुजानगढ़ में, जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिये, इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, उसको भी आप नहीं करो What more do you want? इससे ज्यादा आपकी तानाशाही क्या हो सकती

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है? भेदभाव क्या हो सकता है? मैं इस एक्शन को तो कंडेम करता हूं। आपने जो यह बिल रखा है, मैंने विनम्र सुझाव आपको दिए हैं, कृपापूर्वक आप इसको जनमत जानने के लिए भेजिए। आप इतनी जल्दी मत कीजिए, आपके लिए भी संकट होगा, हमारे लिए भी संकट होगा। माननीय सभापति महोदय, आपने दुबारा घंटी नहीं बजाई, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र व्यास (अनुपस्थित) माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री तकीउद्दीन अहमद (नगरीय विकास राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2003, किन परिस्थितियों में यह संशोधन रखा गया, मैं चाहूंगा कि उन परिस्थितियों का पहले आपको ब्यौरा दूं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अमेंडमेंट लिखा है 138 बी, वह अमेंडमेंट कहां है? 138 में अमेंडमेंट की बात लिखी है, एब्सट्रैक्ट दिया है उसमें...(व्यवधान)

श्री सभापति : अभी केवल जनमत जानने के लिए...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हम भी जानते हैं जनमत जानने के लिए कौन भेजेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : क्लाजवाई क्लाज यहां डिस्कशन आएगा तब। (व्यवधान)

श्री तकीउद्दीन अहमद : आप तशरीफ रखिए। सुनिए, हाउस टैक्स, बिल्डिंग टैक्स, गृह कर, इनकी जटिलताओं को देखते हुए यहां कई सवाल उठ रहे थे कि नगरपालिकाओं, नगरनिगमों, नगर परिषदों में हाउस टैक्स तो है लेकिन वसूली नहीं होती है। कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए कि हाउस टैक्स की वसूली आसानी से हो जाए और लोग बाग सैल्फ असेसमेंट करके निर्धारण कर लें। पहले मंत्रिमण्डल में सजेशन भी रखा गया, वहां विचार विमर्श होने के बाद मंत्रिमण्डल ने एक कमेटी बना दी गुलाब सिंहजी की अध्यक्षता में उसने उस पर जटिलता से विचार किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसकी अध्यक्षता में?

श्री तकीउद्दीन अहमद : गुलाब सिंहजी शक्तावत। उसके बाद पटना के अन्दर जिस तरीके से संशोधन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अच्छा कहते हुए उसकी सराहना की। इसलिए यह सोचा गया कि राजस्थान में भी नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अन्दर हाउस टैक्स की पद्धति का सरलीकरण किया जाए। हमारे यहां टैक्स एनुअल लैटिंग वैल्यू के ऊपर था। एनुअल लैटिंग वैल्यू के निर्धारण में नगरपालिका, नगर

(श्री तकीउद्दीन अहमद)

परिषद, नगर निगम के जो कर्मचारी टैक्स असेसर्स थे वे अपनी मनमानी करते थे। चाहते जिस मकान के अन्दर ज्यादा लगा देते, चाहते जिसमें कम लगा देते। इसलिए ऐसा तरीका अख्तियार किया कि नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम के अन्दर टैक्स असेसमेंट खुद मकान मालिक या आक्यूपायर, जो पद्धति रखी गई उसको देखते हुए अपने आप आसानी से कर सकता है। उसके लिए राज्य सरकार ने बाकायदा यह तय किया है कि फ्लेट रेट के ऊपर प्लिंथ लेवल से ऊपर के मकान में, नीचे के लेवल में सरफेस लेवल से लेकर ऊपर में टैक्स की पद्धति किस तरीके से रखी जाए। सरलीकरण के अन्दर इस पद्धति को रखने के लिए नगर निगम में 50 पैसे खाली हुई भूमि के लिए प्रति वर्ग गज रखा गया है, 50 पैसे प्रति वर्ग गज। निर्मित क्षेत्र के अन्दर 50 पैसे के हिसाब से रखा गया है। इसी तरीके से नगर परिषद में 40 पैसे और 40 पैसे और नगरपालिकाओं में 30 पैसे और 30 पैसे। तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाओं में 20 पैसे। फोर्थ क्लास नगरपालिकाओं में 15 पैसे। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप यह पढ़ रहे हैं, यह बता रहे हैं, किसका एब्सट्रेक्ट दे रहे हैं, कौनसे में से पढ़ रहे हैं? (व्यवधान)

श्री तकीउद्दीन अहमद : जो रूल्स बनने जा रहे हैं, जिसमें सैल्फ असेसमेंट देने का...(व्यवधान) आप यह पूछ रहे हैं कि सरलीकरण का परपज, आब्जेक्ट क्या था, उस आब्जेक्ट को...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सभापति महोदय, हमें आपत्ति है, अगर कोई रूल्स बनने जा रहे हैं, जिसके आधार पर बने वह तो हमें जानकारी नहीं है। रूल्स अभी बने भी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री तकउद्दीन अहमद : रूल्स तो अभी बनेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : How can he quote it? How can it be the basis of this?

श्री सभापति : माननीय भंवरलालजी साहब, आपने जैसा एज्यूम किया कि आप ऐसा करेंगे, ऐसे लगाएंगे उसका जवाब... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बात कहनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : Let him complete.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह व्यवस्था का सवाल है। इन्होंने खुद ने कह दिया रूल्स बने, रूल्स में प्रोवीजन किया है। हाउस के अन्दर रूल्स...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी बने ही नहीं हैं, How can he refer to them?

श्री सभापति : पूरा कर लेने दीजिए। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष की ओर से जब बात आयी तो वह यह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्ट किन हालात के अन्दर लाया गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : उन हालात को पेश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसे कैसे पेश कर देंगे? (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : उन हालात को सुनिए।

श्री सभापति : राठौड़ साहब, पहले उनको पूरा कर लेने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर क्या है, जब वह अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं? आप बीच-बीच में क्या कर रहे हैं? (व्यवधान) आप उनको पूरा कर लेने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आप कानून के ज्ञाता हैं...

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, बिराजिए। आप पहले मंत्रीजी का उत्तर सुनिए, फिर अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आएगी तो आप पूछेंगे। प्लीज आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे यह समझ में आया...(व्यवधान)

श्री सभापति : पहले आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे यह समझ में आ गया कि मंत्रीजी नासमझ हैं।

श्री सभापति : पहले आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे पूरा समझ में आ गया कि मंत्रीजी नासमझ हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : अच्छा आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मिसकोट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार यह तो कह सकती है कि इस प्रावधान को कैरीआउट करने के लिए हम नियम बनाएंगे, लेकिन नियम बने नहीं, सदन की टेबल पर ले नहीं हुए, पास नहीं हुए, न उनकी कोई चर्चा हुई और उसके बाद यह कह रहे हैं कि हम नियम में कार्यवाही करेंगे, मेरे खयाल से

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय मंत्री महोदय को इस डिटेल में नहीं जाना चाहिए। यह कह सकते हैं कि हम इन नियमों को बनाएंगे, लेकिन नियम क्या बनेगा...(व्यवधान)

श्री सभापति : वह यही तो कह रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : यह नहीं कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक्ट पास नहीं हुआ...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सभापतिजी, नियम का मामला नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह नई बात है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : राठौड़ साहब, ठहरिए।

श्री हीरासिंह चौहान : हम नियमों पर नहीं बोल रहे। (व्यवधान) हम नियमों के ऊपर नहीं बोल रहे, एक्ट के ऊपर बोला है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : राठौड़ साहब, बिराजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : रूल्स का कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक्ट बना नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, शिवनाथ सिंहजी, आप भी बैठिए। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : सभापतिजी, यदि मंत्रीजी यह कहते कि इसके लिए हम रूल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन्होंने तो क्या रूल बनाएंगे, क्या रूल बन गये इसको कोट कर दिया। जब रूल्स हमारे सामने नहीं हैं तो उस पर इनको यह नहीं करना चाहिए। रूल्स बनेंगे उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन आज इस बात को आधार मान कर...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, इन्होंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं, इन्होंने जो आपत्तियां की है उनका जवाब दीजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : सबसे पहले तो, माननीय सभापतिजी, यह जो क्लाज के बारे में कह रहे हैं, इस प्रकार स्टेटमेंट देना, उनके द्वारा चर्चा करना, यह कैसे सम्भव हुआ? यह तो हम बोले उस पर बोले।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, अभी तो यह एक्ट पास हो रहा है, ये रूल्स पहले बन गये? एक्ट तो पास हुआ नहीं अभी, रूल पहले बन गये? बहुत एडवांस हैं आप। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, यह तो ऐसा ही मामला है कि वैट का बिल आया और दूसरे दिन वैट

(श्री मानिक चन्द सुराना)

की रेटें जारी हो गयीं। बिल तो अभी चर्चा में है और नियम कह रहे हैं कि बन ही गये। और उन नियमों में से कोट कर दिया इन्होंने।

श्री सभापति : माननीय सुराना साहब, बिना आपके, बिना सदन के कोई नियम नहीं बनता है। वह जो बात कह रहे हैं पहले लैट हिम फिनिश। माननीय मंत्रीजी, आप कहिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : उन्होंने आपके सामने कोट किया है। नगर परिषदों में 50 पैसे, नगरपालिका में 40, यह नियमों में से ही कोट किया है कि यह फ्लैट रेट हम लगाएंगे, खुली जमीन की प्रति वर्ग गज। यह सब नियमों में से कोट किया है।

श्री तकीउद्दीन अहमद : देखिये, एक्ट अभी पास नहीं हुआ है, अमेंडमेंट आपके सामने रखा है; अमेंडमेंट में चर्चा हो रही है। आप से मैंने कहा कि सरलीकरण करने के लिये हमने एक्ट को अमेंडमेंट के लिये प्रस्तुत किया है। यह रूल बनाया कहां है? रूल्स बनाने जा रहे हैं, रूल्स अभी हमारे सामने विचाराधीन हैं ताकि आपके समझ में यह आए कि आसानी कैसे हो सकती है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है, समझ में आ गया न आपके भी।

श्री तकीउद्दीन अहमद : यह अमेंडमेंट एनुअल लैटिंग वैल्यू के ऊपर रखा गया है कि एनुअल लैटिंग वैल्यू खतम करेंगे तभी यह अमेंडमेंट आ सकता है, उसके पहले नहीं आएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खतम कहां कह रहे हो, वह तो रखा है आपने अमेंडमेंट।

श्री तकीउद्दीन अहमद : इसलिये जिन जिन सैक्शंस के अन्दर एनुअल लैटिंग वैल्यू का जिक्र आया है उसको हमने उससे डिलीट कर दिया है। इसलिए डिलीट कर दिया है कि एनुअल लैटिंग वैल्यू के ऊपर अब कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब जो टैक्स लगाया जाएगा वह जो रेट्स अब मुकर्रर की जाने वाली हैं, की जाएंगी उसके बेसिस पर लगाया जाएगा। इसलिये यह कहना कि हमने रूल फिक्स कर दिया, यह तो पढ़कर मुझे कोट किया था राठौड़ साहब ने...

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट इंटरवीन करूंगा।

श्री सभापति : पहले आप, माननीय हीरासिंहजी, लैट हिम कम्प्लीट।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापतिजी, I have got my rights. He is explaining wrong, मैं क्यों नहीं बोलूंगा? Why should I not speak?

श्री सभापति : आसन ने पहले उनको अलाउ किया है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं आपसे इजाजत मांग रहा हूं।

श्री सभापति : तो मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। पहले बहस पूरी करें।

श्री हीरासिंह चौहान : अभी वो गलत बात कह रहे हैं, कैसे सुनेंगे?

श्री सभापति : आप उनको उनकी बात कहने दीजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं यह कहना चाहता हूं, एनुअल लैटिंग वैल्यू इन्होंने सबस्टीट्यूट किया है अभी, और यह कह रहे हैं डिलीट कर रहे हैं। इसको सबस्टीट्यूट कर रहे हैं सैक्शन 104 में। एक मिनट, सभापति महोदय, माफ करेंगे, मुझे।

"...a tax on buildings on lands or both situated within the municipal limits, either on their annual letting value or on capital cost or at flat rate or by unit area base method or by any other method;..." उसको डिलीट किया है जगह–जगह, अब कह रहे हैं इसको हटा दिया हमने। (व्यवधान) आज कर रहे हैं सबस्टीट्यूट, और आलरेडी है... (व्यवधान) आप खुद देखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप खुद देख लें। आप जो यह संशोधन लेकर आये हैं, मंत्री महोदय, इसका मुलाहिजा फर्माएं न। मंत्री महोदय, आप सज्जन आदमी हो लेकिन आपके नीचे के अधिकारी हैं उन्होंने आपको गुमराह किया है। आप सस्पेंड करने की घोषणा करें उनको, यहीं।

श्री तकीउद्दीन अहमद : लिसिन टू मी, आप मुझे सुनिये तो सही। आप मौका तो दीजिए।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, बिराजिये।

श्री तकीउद्दीन अहमद : ऐसा है, जो अमेंडमेंट आपके सामने रखा गया है उस अमेंडमेंट में जैसा भंवरलालजी शर्मा फर्मा रहे थे, अमेंडमेंट आफ 104 उसमें कई किस्म के आप्शंस हैं, लेकिन सरलीकरण के लिये जितने भी और सैक्शन आने वाले हैं उनमें एनुअल लैटिंग वैल्यू का वर्ड हटाया गया है। वह इसलिये हटाया गया है कि यह जो सरलीकरण किया जा रहा है वह हम किस तरीके से करेंगे, जो खुला हुआ है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, मेरे को सभापति महोदय से डर लगता है। आप खुद इस अमेंडमेंट का सैक्शन 2 का सब क्लाज एक पढ़ लें और उसके बाद कह दें, आप क्या करने जा रहे हैं–डिलीट कर रहे हैं, सबस्टीट्यूट कर रहे हैं। आपको यही पता नहीं है।

श्री तकीउद्दीन अहमद : "...a tax on buildings or lands or both situated within the municipal limits,

(श्री तकीउद्दीन अहमद)

either on their annual letting value or on capital cost or at flat rate or by unit area base method or by any other method;''.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय, एक मिनट सुनें, यह जो आपने रखा, कैपिटल कास्ट, यह एक्सप्लेन कर दीजिए।

श्री तकीउद्दीन अहमद : यह बाद में पूछिये उसमें। आप सुन तो लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हम सुन रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : यह हो जाएगा यही तो झगड़ा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सबस्टीट्यूट कर रहे हैं कि डिलीट कर रहे हैं?

श्री जुगल काबरा : सभापति महोदय, मंत्रीजी को अपनी बात कहने दीजिए, जो भी माननीय सदस्य उसके ऊपर एतराज करें, बाद में कर लें। आप उनको एक शब्द नहीं बोलने दे रहे हैं और बीच-बीच में आप अपनी बात कह रहे हैं। (व्यवधान) आप इनको अपनी बात तो कह दीजिए ताकि दूसरे लोग भी तो बात सुनें।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय काबरा साहब, हम गलत नहीं कह रहे हैं, हम तो आपको...(व्यवधान) गलत नहीं कह रहे हैं।

श्री जुगल काबरा : आप ही सुनने वाले नहीं हैं, दूसरे लोग भी सुनने वाले हैं सदन के अन्दर। उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : काबरा साहब, आप यह पढ़ लेंगे तो आप भी हमारी वाली बात कहेंगे।

श्री सांवर लाल : काबराजी, यह जनता के लिये कानून बन रहा है, मंत्रीजी को समझ में नहीं आए और कानून पास करवा रहे हैं तो क्या मतलब रहेगा? जनता पर क्या भार पड़ेगा, इनको अभी यह पता ही नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सांवर लालजी, माननीय भंवरलालजी शर्मा, एक मिनट आपने, तमाम माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिये परिचालित करने के लिये अपने प्रस्ताव दिये हैं, आपका क्लाजवाइज तो कोई अमेंडमेंट है नहीं। (व्यवधान) सुनिये तो सही मेरी बात। मंत्रीजी जो बात कह रहे हैं, जो आपने कही उन्होंने सुन ली, आप पहले उनकी बात सुन लें उसके बाद में अगर आप सैटिस्फाई नहीं होंगे तो आपको दुबारा मौका मिलेगा। आप कम्प्लीट कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, एक सैकण्ड। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हमारा अधिकार है।

श्री सभापति : आपके अधिकार को कौन रोक रहा है, इनकी पूरी बात तो होने दें। जो वे बात कह रहे हैं वह तो कहने दें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वही कह रहा हूं, सुने तो सही, एक मिनट आप। मैं यह कह रहा हूं, आपने कहा कि हमने यह प्रस्ताव दिया है इसको जनमत जानने के लिये भेजा जाए, क्यों भेजा जाए, इसलिये भेजा जाए। रीजन दे रहे हैं, वही कह रहा हूं और क्या है?

श्री सभापति : आपने दे दिये। वह कह रहे हैं, हम क्यों पास करना चाहते हैं उनकी भी तो सुनो आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब सुनो मेरी बात। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, यह जरा समझा दीजिए कि कैपिटल कास्ट का मतलब क्या होगा, फ्लैट रेट का मतलब क्या होगा और यूनिट एरिया का मतलब क्या होगा? यह साफ बता दीजिए, बस इतना। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय काबरा साहब, प्लीज। माननीय मंत्रीजी।

श्री तकीउद्दीन अहमद : देखिये, ऐसा है अमेंडमेंट का बिल मैंने पेश किया है, अमेंडमेंट के बिल के अन्दर जिस-जिस सैक्शन को डिलीट किया है, वर्ड्स की लिस्ट दे दी आपको। जो-जो उसमें एड किया है वह कर दिया है। अब रहा सवाल यह कि 2 चीजें हैं, नम्बर-एक, म्युनिसिपैलिटी के अन्दर हाउस टैक्स को सरलीकृत कैसे किया जाए, उसके लिये मैंने आपको अपने विचार रखे हैं और यह रखा है कि इसका तरीका जो हम अख्तियार करने जा रहे हैं इस अमेंडमेंट के पास होने के बाद वह तरीका जो रूल्स बनाएंगे उसमें होगा, उसमें जितना आसान कर सकते हैं इसको उस वक्त आसान कर देंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 को जनमत जानने के लिये परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्डशः विचार

(श्री सभापति)

खण्ड 2 से 13, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 13 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 13 स्वीकार किये गये।

खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम यदि कोइ संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री तकीउद्दीन अहमद, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री तकीउद्दीन अहमद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस अमेंडमेंट बिल को पास किया जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, आप केवल इतना क्लीयर कर दीजिए, जो आपने यह कहा है कि यह टैक्स लगाएंगे आन कैपिटल कास्ट, फ्लैट रेट और यूनिट एरिया? इन तीनों को एक्सप्लेन कर दीजिए, इसका मतलब क्या है?

श्री हरीसिंह (महुवा) : एक बार आप पढ़ लीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं पढ़ देता हूं-"...a tax on buildings or lands or both situated within the municipal limits, either on their annual letting value..." एक तो तरीका यह हुआ जिसका आप विरोध कर रहे थे। "Or on capital cost or at flat rate or by unit area" यह एनुअल लैटिंग वैल्यू तो ध्यान है हमको, ये जो तीन तरीके आप लगा रहे हैं, उनके बारे में बता दीजिए, कैपिटल कास्ट का मतलब क्या होगा, फ्लैट रेट का मतलब क्या होगा और यूनिट एरिया बेस यह क्या होगा? बस इतना ही बता दीजिए, बस इतना ही हम चाहते हैं, आप बता दीजिए अगर आपको ध्यान हो तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह बता दीजिए और, माननीय सभापति महोदय, फिर मेरे को अनुमति दीजिए। अनुमति प्रदान करें।

श्री सभापति : नहीं, आप भी साथ ही बोल लो।

श्री सांवर लाल : नहीं, अलग-अलग बोलेंगे, साहब।

श्री तकीउद्दीन अहमद : माननीय सभापति महोदय, यह तरीका है टैक्स वसूल करने का...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ठीक है, मान गये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कैपिटल कास्ट का मतलब क्या है?

श्री तकीउद्दीन अहमद : अगर आप इसको पास कर देंगे तो रूल्स के तहत हम इनमें से कौनसा तरीका अख्तियार करेंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो सके इसमें इसलिए...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप बता दीजिए। आप समझ गये हो तो आप बता दीजिए। आप समझ गये हों तो आप बता दो। नहीं, आप समझा दो हमको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आप तो सभापति महोदय के कान में बता दो, मैं समझ गया। आप सबको डिसक्लोज नहीं करना चाहते हो, आप सभापति महोदय के कान में बता दीजिए।

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र राठौड़, आप क्या कह रहे हैं? बोलिये, पहले जो कहा है उससे अलग कहना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जवाब दिला दीजिए। साहब, कहना क्या है, जवाब तो आने दीजिए न। जवाब आने दीजिए, क्या कहना है।

श्री सभापति : जवाब आ गया।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, जब मंत्रीजी ही क्लीयर नहीं हैं कि किस हिसाब से कैलकुलेट होगा तो...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, यह नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सभापति महोदय, यह नहीं चलेगा। आप दोनों का...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं ठहरो।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, इनको तो कम्प्लीट करने दीजिए। Let the Hon'ble minister finish his speach.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, करो।

श्री सभापति : कम्प्लीट कर लिया। माननीय राठौड़ साहब। कहना हो तो कहिये।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं किया इन्होंने, वह बोल रहे थे।

एक माननीय सदस्य : बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं।

श्री सभापति : वे बैठ गये न।

श्री हीरासिंह चौहान : दो चीजें हमने पूछीं, एक का भी नहीं दिया।

श्री सभापति : आप यूं थोड़े ही कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : एक्सप्लेनेशन तो देंगे आप तीनों चीजों का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्य ने तीन मुख्य बिन्दु खड़े किये हैं मंत्रीजी के सामने। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपनी बात कहो। माननीय राठौड़ साहब, आप अपनी बात कहो।

श्री हीरासिंह चौहान : एक ही बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनके बारे में पूरा स्पष्टीकरण सदन में मंत्री महोदय दें, यह मैं चाहता हूं।

नम्बर–दो, मंत्री महोदय, आपने अपने उत्तर में यह जिक्र किया था कि पटना के अन्दर हाउस टैक्स लगा था तब भी इसी तरह की बात हुई थी, तो क्या यह सही है कि पटना के अन्दर हाउस टैक्स जिस तरह लगाया गया क्षेत्रफल के आधार पर, वहां पर अलग–अलग इलाकों को जोन में बांटा गया था–कौनसी सड़क पर कितने फुट, सड़क कितनी चौड़ी है उसके हिसाब से, पर आप सब लोगों को एक ही लाठी से हांकना चाहते हैं? इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई टैक्स आपको नहीं दे, मैं टैक्स देने में डिफाल्टर हो गया तो आप उस टैक्स की वसूली कैसे करोगे? कितने परसेंट ब्याज पर करोगे, कृपया यह भी बताएं? और आपके जो कमर्शियल परिसर हैं उनसे रिहायशी परिसर का कितना गुणा ज्यादा लेंगे? वाणिज्यिक परिसर में रिहायशी परिसर का कितना गुणा ज्यादा करेंगे, आपने यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। आपने जिस हवाले से यहां दर पढ़ दी कि निर्मित क्षेत्र में पचास पैसा और खाली क्षेत्र में इतना, आपने रूल्स पहले बना कैसे दिये? पहली बार राजस्थान की विधान सभा में यह हो रहा है तो...(व्यवधान)

श्री सभापति : अब यह तो हो चुकी बात। आप अपनी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक्ट बना नहीं और उससे पहले ही आपने ये रूल्स बना दिये? (व्यवधान)

श्री सभापति : शुरू में हो गई उसी को रिपीट कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : समय खराब कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और मेरे को एक आखिर में यह बता दो कि आपने जो कागज ले रखा है हाथ में, वह कागज आपके ही हाथ में नहीं रहा वह रूल्स वाला कइयों के हाथ में आ गया... (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र राठौड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आपने कहा कि जो पुरानी दर है उससे डेढ़ गुणा से ज्यादा नहीं करेंगे तो पहले साल तो आपने डेढ़ गुणा ले ली, पर दूसरे साल उस बढ़ी हुई का फिर डेढ़ गुणा लेंगे? वह कितनी होगी राशि बढ़कर, यह और बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

डा. सी. पी. जोशी : यह काम तो क्लर्क के पास ही रहने दीजिए। मोटी-मोटी बातें पूछिये आप तो।

श्री तकीउद्दीन अहमद : देखिये, एक्ट के पास होने के बाद इसमें जो रूल्स बनेंगे, उन रूल के अन्दर आपने जो सुझाव रखे हैं उन सबका लिहाज रखेंगे।

श्री सभापति : माननीय, बिराजिए।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, हमारे को बोलने का मौका दीजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : एक्ट पारित हो रहा है, हमें भी मौका दिया जाए। पारित गलत हो रहा है।

श्री सांवर लाल : हमारे को भी बोलने का मौका दिया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया गया।

श्री हीरासिंह चौहान : फिर तो आप ऐसे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह काला कानून है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह काला कानून है, गलत कानून बनाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह राजस्थान के आम नागरिक की जेब काटने वाला कानून है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : मंत्रीजी ने आपकी भावना मान ली, अब तो आप...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, कैसे पास करवा रहे हो?

श्री सभापति : माननीय बी.डी. कल्ला, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सांवर लाल : ऐसा कैसे कर देंगे आप? आप तो सीधे ही, क्या मतलब है फिर? जिस चीज का मंत्रीजी क्लैरीफाई नहीं कर सकते, वह कानून पास किया है। (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रवर समिति का प्रस्ताव नहीं है आपका। आपका जनमत जानने का है, माननीय शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं संशोधन करता हूं कि जनमत जान लिया जाए। कोई बात नहीं, एक ही बात है।

माननीय सभापति महोदय, वैसे इसमें जो संशोधन पेश किया गया है वह बहुत सीमित है और कोई खास उद्देश्य के लिए किया गया है। मेरा निवेदन यह है कि जो गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके बारे में सदन में हमेशा चर्चा होती रहती है और इस चर्चा में हमेशा यह बात सामने आती है कि इन संस्थाओं में लगे हुए अध्यापकों का शोषण होता है। ये अधिकांश संस्थाएं सरकार के अनुदान से चलती हैं, किसी को 80 परसेंट, किसी को 90 परसेंट अनुदान मिलता है। उस अनुदान का ये दुरुपयोग करते हैं और जो शिक्षक वहां लगे हुए हैं उनको पूरा भुगतान नहीं करते हैं। उनके सर्विस रूल्स बने हुए हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये सब बातें हमेशा से आती आ रही हैं। आज भी ऐसे केसेज हैं जहां ये शिक्षण संस्थाएं इस प्रकार का शोषण कर रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जिले में ही विनोदिनी महाविद्यालय, खेतड़ी जिसमें करीब एक सौ के ऊपर कर्मचारियों का नाम दिया हुआ है, उनके ऊपर गवर्नमेंट से 90 परसेंट अनुदान राशि ली जाती है। वे अध्यापक/कर्मचारी वहां काम नहीं कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं और उनके नाम से अनुदान लिया जा रहा है और जो कर्मचारी/ अध्यापक वहां पर काम कर रहे हैं उनको पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। यह तो एक उदाहरण है, ऐसा ही राजस्थान में सब जगह है, इसलिए मेरा मकसद इसमें यह था कि इस प्रकार का विधेयक रोज-रोज नहीं आता है, हम एक समूह में बैठ कर अच्छी तरह से सोच-समझकर विचार करें जो शिक्षण संस्थाएं प्राइवेट चल रही हैं उनके अध्यापकों की राय भी हमारे सामने आए, उनके प्रबंधकों की राय भी हमारे सामने आएं, सबका संतुलन हो और एक अच्छा कानून हम लाएं। इसलिए उनकी राय जानने के लिए मैंने अपना यह संशोधन पेश किया है। माननीय मंत्रीजी कहेंगे कि यह संशोधन छोटा-सा है, ठीक है, मैं मानता हूं कि संशोधन छोटा-सा है और यह किसी खास मकसद के लिए किया गया है। आपने जो उद्देश्यों में वर्णन किया है कि ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ट्रिब्यूनल के आदेश होते हैं उनकी अनुपालना नहीं होती है इसलिए उन आदेशों को एक विशेष दर्जा दिया गया

(श्री शिवनाथ सिंह)

है। यह क्या है कि धारा 19 के अधीन की गई अपीलों और धारा 21 में निर्दिष्ट विवादों का विनिश्चिय करने वाले अधिकरण का आदेश उस स्थानीय क्षेत्र पर जिसमें ऐसा प्रत्यर्थी जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, मामूली तौर से निवास करता है या कारोबार करता है या विलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले सबसे निचले सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा? उस अधिकरण के आदेश को हमने न्यायालय की डिक्री की संज्ञा दी है। न्यायालय की डिक्री को एंफोर्स करने के लिए जो कानूनी प्रावधान है उतना ही वैट इस न्यायाधिकरण के फैसले को दिया गया है, और उसी तरह से इसका एग्जीक्यूशन हो, माननीय मंत्री महोदय ने इस आशा से यह संशोधन विधेयक पेश किया है।

माननीय सभापति महोदय, आगे इन्होंने क्या किया है? न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा और ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा उसी रूप में निष्पादित किया जाएगा। यह सेंटेंस आपने लगाया है कि जो सबसे नीचे श्रेणी का न्यायालय है, वह उस प्राधिकरण के निर्णय को एग्जीक्यूट करवाएगा। ऐसा तो हमने देखा है कि न्यायालय की डिक्री का न्यायालय ही एग्जीक्यूटिव करवाता है लेकिन एक प्राधिकरण अलग है, उसने कोई निर्णय दे दिया और वहां के मुंसिफ मजिस्ट्रेट के ऊपर यह पाबंदी कर दी कि आप इस निर्णय का एग्जीक्यूशन कराओ। यह तो पहला ही उदाहरण, माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने आ रहा है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी इसको सोचेंगे, देखेंगे और अपने अधिकारियों से पूछेंगे कि किस प्रकार से हम प्राधिकरण के निर्णय को एक सिविल कोर्ट के ऊपर लाद सकते हैं कि आपको इसका एग्जीक्यूशन करवाना पड़ेगा। न्यायालय अपना निर्णय करता है और उसकी जिम्मेदारी है, उसका धर्म है कि जो कुछ उसने डिक्री दे दी, उसका वह एग्जीक्यूशन करवाए। लेकिन दूसरे किसी ने, प्राधिकरण ने डिक्री दे दी और उसका न्यायालय जो सबसे नीचे श्रेणी का न्यायालय है, वह एक्जीक्यूशन करवाएं, यह बहुत बड़ी कानूनी खामी है और मेरी समझ से तो ऐसा-उदाहरण पहले कभी आया नहीं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस मामले को सोचें। मेरा सुझाव मोटे रूप में यह है कि इस प्रकार की संस्थाओं के जो कार्य-कलाप हैं, उन सब पर सोच-विचार कर अच्छा कानून लाया जाएं। इसलिए इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ताकि सब लोगों के व्यूज हमारे सामने आ जाएं, यह मेरा निवेदन है। खास तौर से माननीय मंत्री महोदय डिक्री सिविल कोर्ट से निष्पादित कराना चाहते हैं, इसकी क्या लीगल सैंक्टिटी है और कहां से यह हो सकता है? मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं कि दूसरे

(श्री शिवनाथ सिंह)

प्राधिकरण की डिक्री को हमारा जो सिविल न्यायालय है, जुडीशियरी का मामला है, वह एक्जीक्यूट कराए। ऐसा मामला पहले कभी आया नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाएं (संशोधन) विधेयक, 2001 सदन के विचारार्थ है, इस विधेयक का सम्बन्ध राजस्थान की उन 1236 गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं से है जिनके अन्दर लगभग ढाई लाख विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और साठ हजार से ज्यादा इन संस्थाओं के अन्दर कर्मचारी हैं। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर शिक्षा का जो दायित्व है, सरकारी क्षेत्र से ज्यादा गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं उसका वहन कर रही हैं। इन गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बहुत बड़े भामाशाह और दानदाताओं ने भवन बनाकर दे दिये, सरकार इनमें 90 प्रतिशत तक अनुदान देती है। परन्तु जब से यह सरकार आयी है, इन्होंने एक फैसला कर लिया कि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं शनै:-शनै: किस तरह से बन्द हों। अनुदान की राशि लगातार घटाते जा रहे हैं। यहां पूर्व माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, इन्होंने एक नीतिगत फैसला किया था कि प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत अनुदान जो पूर्व सरकार के समय देय था, उसमें कटौती करें और आज हालत यह है कि राजस्थान में महाविद्यालय स्तर की जो गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें 48 करोड़ रुपये अनुदान की आवश्यकता है, और सरकार ने बजट में 24 करोड़ का प्रावधान किया है। अब यह जो संशोधन लेकर आये हैं मंत्री महोदय, धारा 27 के ''क'' में एक नई धारा स्थापित करना चाहते हैं और यह इसलिए लेकर आये हैं, सभापति महोदय, कि यह ट्रिब्यूनल, जिस ट्रिब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज स्तर का एक जज होता है, जब इस अधिनियम की धारा 21 में जो विवादित बिन्दु है, उसमें फैसला करता है, उसको अधिकार है धारा 19 के अन्दर, जब फैसले के क्रियान्वयन की बात आती है, डिक्री के क्रियान्वयन की बात, और जब वह डिक्री एंफोर्स नहीं होती तब लोगों के पास कोई चारा नहीं रहता, उन कर्मियों के पास चारा नहीं रहता। सभापति महोदय, इसमें कोई भी फैसला हो, वह इसी धारा के अन्दर पहले डायरेक्टर के पास जाता है। धारा 18 में निदेशक की अनुमति के लिये जाता है और जब निदेशक के अनुमति नहीं देता, जब यह डिक्री एंफोर्स नहीं होती तब इन लोगों के पास उच्च न्यायालय में जाने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। मैं आपके सम्मुख, सभापति महोदय, एक उच्च

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

न्यायालय का फैसला जो बच्छराज भोजक

(15.53 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बनाम नवरतनमल वैद के बारे में दिया है, कैसी ट्रिब्यूनल सरकार ने बना रखी है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उच्च न्यायालय ने लिखा है- "A remedy without teeth provided by enacting an Act by the Legislature is as good as rendering it to be ineffective and useless remedy. If ultimately for the enforcement and implementation of the judgement of the Tribunal, this poor class of the employees have to come to this Court, then what for this intermediate remedy is to be there. So they have to bear out the additional expenses thereof." एक फैसला और है, यह फैसला है अजय माथुर बनाम आर्य विद्यापीठ। इन दोनों फैसलों में जब हाई कोर्ट ने यह कहा कि आपने जो ट्रिब्यूनल बना रखा है, इस ट्रिब्यूनल को कोई अधिकार ही नहीं है कि जो डिक्री पारित करे उस डिक्री का क्रियान्वयन कैसे हो। तब जाकर यह संशोधन लेकर आये हैं। मंत्री महोदय, आप संशोधन लेकर आये हैं और आपने संशोधन में यह कहा है, इससे पहले आप इसकी धारा 26 को पढ़ें। धारा 26 में लिखा है-"The decision of the Tribunal shall be final and no suit or other...shall be lying in any civil court in respect of the matter decided by it." मतलब एक तरफ तो सिविल कोर्ट में वह जा नहीं सकता, आप इसके लिये बाध्य करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हो 27 'क' में कि जो डिक्री पारित होती है, सबसे नीचे का जो सिविल कोर्ट है वह इसको एंफोर्स करेगा। यानि, उपाध्यक्ष महोदय, एक गरीब आदमी नौकरी करता है चूरू के अन्दर किसी प्राइवेट कालेज में, वहां जब उसको मैनेजमेंट कमेटी पैसा नहीं देती तो वह पहले तो आकर ट्रिब्यूनल में लड़े और ट्रिब्यूनल से डिक्री लेकर वापस वह चूरू जाए। रहने वाला बुलन्द शहर का था कहीं और का और चूरू में सिविल कोर्ट में जाकर कहे कि मुझे यह डिक्री मिली है, इस डिक्री का निष्पादन करें। अब डिक्री के निष्पादन की जो प्रक्रिया है वह सी.पी.सी. में निहित है। मैं समझता हूं आप जो कानून लेकर आये हैं यह कानून कर्मचारी विरोधी कानून है क्योंकि एक तरफ तो आप इनका अनुदान काटते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जिस तरह का यह काम कर रहे हैं...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप उलटा क्यों बोल रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कैसे?

डा. सी. पी. जोशी : आपने जो एग्जाम्पल दिये हैं, वे एग्जाम्पल इसलिए कि अमेंडमेंट आना जरूरी है। ये जो दो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिये हैं वे इस बात को इंडीकेट करते हैं कि ये लिये जाएं। अब आप कह रहे हो, इनके खिलाफ उलटा बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल आपने सही कहा है, मंत्री महोदय, इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि आप इस ट्रिब्यूनल को ही सिविल कोर्ट की शक्तियां क्यों नहीं दे देते। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सैक्शन 27 में आपने दण्डात्मक प्रावधान कर रखे हैं। जब आपने दूसरे एक्ट के अन्दर सिविल कोर्ट की शक्ति दे रखी है...(व्यवधान)...नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर आप सिविल कोर्ट की शक्ति इस ट्रिब्यूनल को ही दे दें तो मैं समझता हूं डिक्री एन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी भी ट्रिब्यूनल की हो जाएगी। बिना कारण के वह डिक्री लेकर वापस लोअर कोर्ट में जाए, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, इसमें अच्छा यह रहे कि धारा 25 के अन्दर आप एक सब-क्लाज और डाल कर उसमें और प्रस्ताव ले आएं, संशोधन ले आएं। मंत्री महोदय, मैं समझता हूं आपकी मंशा भी यही है। हाई कोर्ट के डण्डे के कारण तो आप यह संशोधन लेकर आये हैं, आपकी मंशा तो साफ थी नहीं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यह डिक्री एंफोर्स हो तो इसी को क्यों नहीं अधिकार दे देते? आप धारा 25 में सिर्फ इतना-सा कर दें कि अधिकरण को वह सभी अधिकारिता प्राप्त होगी जो सिविल न्यायालय को अपने फैसला लागू करने में सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित हो। बस इतनी-सी बात हो जाएगी तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि जिस मंशा के साथ यह आया है, उस मंशा की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित कर दिया जाए। मंत्री महोदय, पहले इसको दंतविहीन ट्रिब्यूनल बनाया, अब आप दंतविहीन नहीं, रखकर उसको दांत तो दे रहे हो परन्तु नकली दांत दे रहे हो, इस दांत से ये कुछ नहीं कर पाएंगे।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रतनारामजी ने आपसे निवेदन किया था कि आप यह हैड लाइट नहीं लगाया करें, फिर भी आप लगाते हो।

डा. सी. पी. जोशी : इसके बिना चलता नहीं है इनका। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है, और गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस संस्था का जिक्र किया था "विनोदिनी संस्था", सरकारी धन 90 प्रतिशत है और सरकारी भवन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, मंत्री महोदय ने कई बार जांच भेज दी, अकाल राहत के अन्दर मकान बना लिया अपना और जांच के अन्दर एक-दो नहीं, कई अनियमितता आ गयीं, उसके बाद आप क्यों नहीं कार्यवाही करते? आप से वहां के लोगों का शिष्टमण्डल मिला, मैं समझता हूं आपके खुद के दल का ब्लाक स्तर से लेकर जिला स्तर का कोई पदाधिकारी बचा नहीं होगा जिसने आपको ज्ञापन नहीं दिया हो, आप क्यों बचाना चाहते हैं? गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं पर मैं समझता हूं अगर शिक्षा की दृष्टि से विश्वास कहीं है तो वहां है और आज तो गांव-गांव में खुल रहे हैं। इसलिए गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं जिन पर लोगों का विश्वास है, अगर इस तरह की दो-चार संस्थाएं और आ गयीं संजीवनी विनोदिनी की तरह, तो मैं समझता हूं कि इन पर भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए, मंत्री महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करें। यह कानून आनन-फानन में लाया गया कानून है, मैं समझता हूं इस कानून को आपको भी पूरी जानकारी आपके मातहतों ने दी नहीं, इस कारण से आप इसको सदन में ले आए। आप दुबारा ले आना, कोई जल्दबाजी नहीं है। दुबारा अगर आप नहीं ला पाएं तो आपके जो सुझाव हैं वे सुझाव हमें लिखकर दे देना, हम जब कभी आएंगे, इस कानून को ठीक तरह से ड्राफ्ट करके पूरा लॉ से वैट करवाकर हम लेकर आएंगे, यह आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सत्ता में बैठे लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी कुछ बातों का हम मान रखेंगे, आपकी भावनाओं की हम कुछ कद्र करेंगे, इसलिए आप इसको तुरन्त विथड्रा करें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह (अनुपस्थित)। श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धंधे से वकील होने के कारण से जो भी प्रोविजन किये हैं, मेरी समझ में सही हैं क्योंकि अगर हाई कोर्ट की कोई डिक्री होती है या उसका भी आर्डर होता है तो लोएस्ट कोर्ट होता है वही एग्जीक्यूट करता है। इसलिए...

श्री उपाध्यक्ष : सही है तो फिर क्यों बोल रहे हो आप?

श्री हीरासिंह चौहान : मैं केवल टाइप करने के लिये बोला हूं।

डा. सी. पी. जोशी : मैं भी यही कह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा, (अनुपस्थित)। श्री जसवन्त सिंह, (अनुपस्थित)। श्री गणेशराम,

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनुपस्थित)। श्री सांवर लाल,

(अनुपस्थित)। श्री केसाराम चौधरी,

(अनुपस्थित)। श्री ज्ञानचन्द पारख,

(अनुपस्थित)। डा. रतनलाल,

(अनुपस्थित)। श्री अमराराम,

(अनुपस्थित)। श्री सुरेन्द्र गोयल,

(अनुपस्थित)। श्री प्रताप सिंह सिंघवी,

(अनुपस्थित)। श्री हरीशचन्द्र कुमावत

(अनुपस्थित)। श्री रामनारायण विश्नोई,

(अनुपस्थित)। श्री सुरेन्द्र व्यास,

(अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्रीजी।

(16.00 बजे)

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने के सम्बन्ध में कुछ अपने विचार दिये। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का निजी शिक्षण संस्थाओं में शोषण होता है उसको रोका जाना चाहिए। उन्होंने विनोदिनी महाविद्यालय का उदाहरण भी दिया। मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों को रोकने के लिए ही तो यह विधेयक में संशोधन लाया गया है। मान लीजिये, आज किसी संस्था द्वारा किसी अध्यापक-अध्यापिका को या किसी कालेज में किसी लैक्चरर को तनखाह नहीं दी जाती है और ट्रिब्यूनल यह आदेश पारित करता है कि इस व्यक्ति का दो लाख रुपये बकाया उसको दे दिया जाए और संस्था देती नहीं है तो ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होगा कि वह यह तय करे कि यह दो लाख रुपये की डिक्री इसके खिलाफ की जाती है, और उसका एग्जीक्यूशन केवल-मात्र एक जज, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उन्हीं को दे दिया जाए। एक जज है, उपाध्यक्ष महोदय, ट्रिब्यूनल का, वह किस प्रकार से इतनी डिक्रियों का पूरे राजस्थान में निष्पादन कर पाएगा? इसके लिए तमाम सिविल कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वे जिस प्रकार से हाई कोर्ट की डिक्री का निष्पादन करते हैं उसी प्रकार से वे इस ट्रिब्यूनल की डिक्री का निष्पादन कर उस व्यक्ति को रिलीफ दें जिसका शोषण हो रहा था।

इस सम्बन्ध में मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं, जो हाई कार्ट के फैसले का उन्होंने कहा है उससे पहले भी ट्रिब्यूनल अपना काम कर रहा है लेकिन डिक्री के निष्पादन के लिए लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ता था और आप जानते हैं कि व्यक्ति को हाई कोर्ट में जाने के लिए लम्बी फीस वकील को देनी पड़ती है

(डा. बी. डी. कल्ला)

और एक लम्बी प्रक्रिया है, हाई कोर्ट में भी एक तरीके से बहुत ज्यादा मुकदमे हो जाते थे। मैं समझता हूं कि पूरे सदन को इस बात का स्वागत करना चाहिए कि इस विधेयक में इस अमैंडमेंट को लाकर हम ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो आदेश दिये जाएंगे उनकी क्रियान्विति सिविल कोर्ट के माध्यम से करेंगे।

अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां तक कह दिया कि हम अनुदान कम कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि इस चालू वित्तीय वर्ष में जो आज खतम हो रहा है, 2002-2003 के बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान राजस्थान के...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो कह रहा हूं मैं कि कम है। यह पहले कितना था? आप 20 प्रतिशत लगातार कम करते आ रहे हैं, यह स्वीकार करो न। सी.पी. जोशी साहब आप इन्तजाम कर गये हैं।

डा. बी. डी. कल्ला : मैं आपकी सब बातों को क्लीयर कर रहा हूं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां आरोप लगा दिया कि हम अनुदान कम कर रहे हैं। हमने राजस्थान की किसी भी संस्था का कोई अनुदान बंद नहीं किया है, किसी भी संस्था का एक प्रतिशत अनुदान भी कम नहीं किया है। और अनुदान जो है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, वह कागज मैं लेकर नहीं आया, क्षमा करेंगे और कल मैं आपको लाकर दिखा दूंगा, आपका बजट का कागज यह कहता है कि आप अनुदान लगातार कम करते जा रहे हो।

डा. बी. डी. कल्ला : नहीं, नहीं किया है। मैं बिलकुल अधिकारपूर्वक कह रहा हूं, हमने किसी भी संस्था का अनुदान बंद नहीं किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका अधिकार वैसा ही है न जैसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए आप अधिकारपूर्वक यहां कहते हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज, खतम होने दो न।

डा. बी. डी. कल्ला : मैं कह रहा हूं, नहीं की है हमने।

डा. सी. पी. जोशी : जो मिलता था 1999 में उसको उस अमाउंट तक फ्रीज किया है।

डा. बी. डी. कल्ला : हां तो कम तो नहीं किया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : वह अलग कह रहे हो।

डा. बी. डी. कल्ला : जिस संस्था को 90 प्रतिशत मिल रहा था अभी भी मिल रहा है, जिसको 70 प्रतिशत मिल रहा था 70 प्रतिशत मिल रहा है, जिसको

(डा. बी. डी. कल्ला)

80 प्रतिशत मिल रहा था 80 प्रतिशत मिल रहा है और जिसको 50 प्रतिशत अनुदान मिल रहा था वह वैसा का वैसा मिल रहा है। किसी संस्था के अनुदान को हमने कम नहीं किया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : महंगाई के मामले में कंफ्यूज हो गये होंगे, महंगाई बढ़ गयी न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, यह।

डा. बी. डी. कल्ला : आपने इस एक्ट की धारा 26 का हवाला देते हुए यह कहा कि ट्रिब्यूनल को सारे के सारे पावर दे दिये जाएं ताकि डिक्री का निष्पादन वो करे। ऐसे एक्चुअली प्रावधान करने से, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया, एक ही जज डिक्री के निष्पादन का सारा काम नहीं कर पाएगा। डिसेंट्रलाइज करने पर जैसे आज मान लीजिये झुंझुनं जिला है, चूरू जिला है, जैसलमेर जिला है वहां अलग-अलग सिविल जज इनकी डिक्रियों का निष्पादन करके एक तरह से उन लोगों को ज्यादा न्याय दे पाएंगे। जो शोषण के बारे में माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, उस शोषण को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है और इस अमेंडमेंट के माध्यम से जो ट्रिब्यूनल उनके हक में फैसला करेंगे उनका निष्पादन बहुत ही ढंग से किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा प्रोविजन नहीं है, एक सिमिलर प्रोविजन किया हुआ है– A provision similar to that suggested by this amendment finds place under Section 11 of the Rajasthan Relief of Agriculture Indebtedness Act, 1957. इन सब तर्कों को देखने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो प्रस्ताव गुढ़ा से आने वाले, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने दिया है, उसको न माना जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

बोले जो ही हां-नहीं कहते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या करें, उपाध्यक्ष महोदय, हमें आपका स्वभाव मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। दो खण्ड हैं, उनका।

श्री दिग्विजय सिंहजी।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 के खण्ड दो में अंत में निम्न परन्तुक जोड़ा जाए-"किन्तु यह खण्ड उन संस्थाओं को लागू नहीं होगा जिन्हें राज्य सरकार में से कोई अनुदान राशि नहीं दी जाती हो।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं और माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप थोड़ा उसको स्पष्ट कर दें, हो सकता है शायद मेरे समझने में कुछ कमी रह गयी हो। अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की फुल बैंच ने डिसीजन दिया, T.M.A. Nath Foundation and others Versus State of Karnataka आप सुनिये, मंत्री महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट का फुल बैंच का डिसीजन है। T.M.A. Nath Foundation and others Versus State of Karnataka 2002 Supreme Court case No. 481. उसमें सुप्रीम कोर्ट की फुल बैंच ने डिसीजन देते हुए कहा है कि जो नान-गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो आटोनोमी है और उनके राइट्स भी कोई हैं, उनको करटेल करना राज्य सरकार या कोई भी सरकार हो, न्यायोचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना है कि यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वहां पर आया हुआ है उस परिप्रेक्ष्य में, आप यह जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, उन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर क्या होगा जिन पर आप एड नहीं दे रहे हैं? उन्होंने साफ कहा है कि जहां पर आप एड नहीं दे रहे हैं, जो अनएडेड हैं, उनके ऊपर कोई प्रोविजन लागू नहीं होगा। और उन्होंने इस बात को अपने जजमेंट में कहा है, उल्लेख किया है थोड़ा सा कि अनएडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, नान गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेटिक और गवर्नमेंट इंटरफियरेंस कम से कम हो ताकि ये शिक्षण संस्थाएं जो स्वायतता के आधार पर अपने हिसाब से चल रही हैं, बनी रहें। ब्यूरोक्रेटिक और गवर्नमेंट इंटरफियरेंस होने से जो आज दूसरे इंस्टीट्यूट्स की हालत बिगड़ रही है, इनकी भी बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, फुल बैंच ने डिसीजन दिया है और उन्होंने कहा है कि इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर यह जो नान-गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट है, वह लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति के अन्दर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह स्पष्ट भी करें कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद अब

(श्री दिग्विजय सिंह)

आप यह करेंगे इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि यह खण्ड उन संस्थाओं पर लागू नहीं हो जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान राशि नहीं दी जाती। जब आप उनको अनुदान राशि ही नहीं देते, आपका उन पर कंट्रोल नहीं है। उनको फिर आप लेना चाहें, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, फुल बैंच ने डिसीजन दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह भी कहा है कि "We see no reason...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी और दूसरे आये हैं, इनका परिचय कराओ, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। कराता हूं तो आप समय तो दो।

श्री दिग्विजय सिंह : ...Institutions should seek the consent and approval of any other Government authority before taking any such Act.

स्वागत

हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री ओमप्रकाश चौटाला के सदन में आगमन पर

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हमें प्रसन्नता है कि हरियाणा के मुख्य मंत्री आदरणीय श्री ओम प्रकाशजी चौटाला साहब और उनके साथ उनके सभी कलीग्स हमारी विधान सभा में पधारे हैं। मैं आपकी ओर से और अपनी ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस जजमेंट की ओर दिलाते हुए चाहूंगा कि आप स्पष्टीकरण करें कि जहां सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, फुल बैंच ने जजमेंट दिया है कि उनके ऊपर यह लागू नहीं हो सकता, जिस-जिसको एड प्राप्त नहीं हो रही उनके मैनेजमेंट में, किसी कार्यक्रम में आपका दखल हो नहीं सकता। इसलिए मैंने यह संशोधन उस परन्तुक में जोड़ने के लिए कहा है कि "किन्तु यह खण्ड उन संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिन्हें राज्य सरकार से कोई अनुदान राशि प्राप्त नहीं होती।"

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विधेयक के खण्ड दो के अन्त में एक परन्तुक जोड़े जाने के बारे में लिखा है जिसके अनुसार जिन संस्थाओं को अनुदान राशि नहीं मिलती है उन संस्थाओं को इस एक्ट से

(डा. बी. डी. कल्ला)

बाहर रखा जाए। मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि जो संस्थाएं गवर्नमेंट से अनुदान नहीं लेती हैं वहां पर किसी अध्यापक या वहां के किसी स्टाफ को बिना किसी कारण से नौकरी से निकाल दिया जाए जो आठ-दस वर्षों तक उस संस्था में काम करता है तो उसके बारे में कौन कार्यवाही करेगा? नियम बनाने की जो शक्तियां धारा 43 में दी गयीं हैं उसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण, हम उनको अनुदान तो नहीं देते हैं लेकिन उनको हमारी मान्यता है और जिन संस्थाओं को हमने मान्यता दे रखी है ऐसी संस्थाओं के बारे में कानून बनाने का अधिकार हमारे इस एक्ट के अन्तर्गत है। मान्यता प्राप्त संस्थाओं में यदि किसी भी एम्प्लाई का यदि कोई एक्सप्लायटेशन होता है और वह ट्रिब्यूनल में जाता है और ट्रिब्यूनल उसके पक्ष में कोई फैसला देता है तो ट्रिब्यूनल के उस फैसले के आधार पर जो डिक्री आएगी उस डिक्री का निष्पादन सिविल कोर्ट्स करेंगे। इसलिए मैं इनके प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं जिसके माध्यम से ये उन संस्थाओं को जो प्राइवेट हैं, जो एक तरीके से यह चाहती हैं कि हम इस एक्ट के दायरे से बाहर रहें, उनको मैं बाहर करने के पक्ष में कतई नहीं हूं क्योंकि उन संस्थाओं में भी बहुत भारी एक्सप्लायटेशन होता है, बहुत कम मात्रा में वेतन दिया जाता है। कोई भी संस्था के खिलाफ जाता है और उसके पक्ष में यदि कोई डिक्री होती है तो उसका निष्पादन कौन करेगा? इसके लिए इस व्यवस्था को रखना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन तो वापस लेता हूं पर, माननीय मंत्री महोदय, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ लें, उन्होंने साफ कहा है कि आप इंटरफीयर नहीं कर सकते। तो जो आपका आग्यूमेंट है वह तो लचीला है, वह स्टैण्ड ही नहीं करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब संशोधन वापस ले लिया तो फिर यह बहस क्या है?

श्री दिग्विजय सिंह : आपने जो कहा उससे मैं संतुष्ट तो हूं नहीं, मैं यह कहूंगा कि इसके हिसाब से जांच कर लेना। मैं अपना संशोधन वापस ले लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसको वापस लेने की स्वीकृति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री कल्ला साहब।

विधेयक का पारण

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 को पारित किया जाए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, यह गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम जो मंत्रीजी पारित कराने जा रहे हैं इस सम्बन्ध में मुझे एक निवेदन करना है। अधिनियम में जो प्रोविजन हैं उनको लागू कराने में यह विभाग पूर्णत: सतर्क नहीं है। आपके सामने मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मामला उठाया था कि हमारे लाडनूं में एक शिक्षण संस्था है उस शिक्षण संस्था को 80 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार दे रही है और 20 प्रतिशत संस्था की ओर से दिया जाता है। उससे ज्यादा उनके पास है, छात्रों से फीस वसूल हो जाती है इसके बावजूद भी दस महीने से सभी कर्मचारियों को, चाहे वे अध्यापक हों या दूसरे कर्मचारी हों, तनखाह नहीं मिल रही है। करीब एक महीना हो गया वे एस.डी.ओ. कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, विभाग की तरफ से उनके सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया। तनखाह नहीं मिलने का कारण सरकार जो बता रही है वह यह है कि दस लाख रुपये का फर्जी बिल बनाकर संस्था के संयोजक ने और जिला शिक्षा अधिकारी ने मिलकर पैसे उठा लिये। चार साल से लगातार वे फर्जी बिल से पैसे उठाते रहे उसमें जिला शिक्षा अधिकारी और उस संस्था के मैनेजर, दोनों की मिलीभगत थी।

पहली बात तो यह है कि जब सरकार का इस पर पूरा नियंत्रण है, जिला शिक्षा अधिकारी खुद ही बिल पास करता है तो फिर उन्होंने फ़र्जी बिल क्यों बनाया? और जब सरकार के ध्यान में आ गया कि फर्जी बिल बनाया है तो उस संस्था के मैनेजर और जिस जिला शिक्षा अधिकारी ने यह फर्जीवाड़ा किया उनके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं करवाया गया? जहां तक दस लाख की वसूली का सवाल

(श्री हरजीराम बुरड़क)

है, जिन लोगों ने ये पैसे उठाये और फर्जी उठाये, यदि वसूली होनी है तो उनसे होनी चाहिए। आज सारे स्टाफ की तनखाह रोककर...(व्यवधान) उस दिन भी आपने यह फर्माया था कि बाद में उत्तर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिल के कौनसे क्लाज पर बोल रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : जनरल क्लाज पर।

श्री हरजीराम बुरड़क : जनरल ही है। यह तो तीसरा है। मैं थर्ड रीडिंग में बोल रहा हूं और यही विधेयक है जिससे इसका सम्बन्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस प्रश्न को पहले उठा चुके हैं। यह बिल से कोई सम्बन्धित नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : पहले उठा चुका लेकिन आपने व्यवस्था दी थी कि यह बाद में उत्तर देंगे, उत्तर दिया क्या? आज यह सब्जक्ट है, मैं कोई बिना सब्जक्ट के नहीं बोल रहा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब्जक्ट तो बिल का है।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या?

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, बोलो।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने तो बोल दिया, आप अब इनसे उत्तर दिलवा देना। उस दिन आपने कहा था कि बाद में दिलवाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, माननीय सदस्य।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने इस एक्ट के बारे में तो कोई बात नहीं कही है लेकिन इनके क्षेत्र में एक संस्था है जिसके अध्यापकों को पिछले दस महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि वहां की प्रबन्ध कार्यकारिणी ने एक गलत बिल बनाकर बहुत बड़ी राशि सरकार से उठा ली। वह राशि अनुदान में से काटकर तनखाह दी जाए तो वह शेष रहती नहीं है इसलिए उनको तनखाह नहीं मिल रही है। मैंने इनके सामने, इनके द्वारा एक पत्र लेकर आदेश जारी कर दिये हैं। वहां प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाएगी और उस संस्था को सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया गया।

माननीय कल्ला साहब। स्टेटमेंट।

शासकीय वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों का परिवर्तन

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हर वर्ष की भांति सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाएं 20 मार्च, 2003 से प्रारम्भ हो चुकी हैं। प्रदेश भर में 2890 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं जिन पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध किये गये हैं। पुलिस थानों से छह किलोमीटर की परिधि में पड़ने वाले केन्द्रों के प्रश्न पत्र पुलिस थानों में रखवाये गये हैं। प्रत्येक केन्द्र पर दो-दो केन्द्र अधीक्षक नियुक्त किये गये हैं। उन पर मुख्य पर्यवेक्षण अधिकारी भी बनाये गये हैं। जहां कहीं भी किसी प्रकार की अनुचित साधन प्रयोग अथवा नकल आदि की सूचना पर कार्यवाही के लिए उड़न दस्ते गठित किये गये हैं। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक परीक्षा केन्द्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं।

छात्रों को परीक्षा केन्द्र आबंटन होने की सूचना प्रवेश पत्र मिलने पर ही होती है। छात्र एवं उनके अभिभावक केन्द्रों के स्थानान्तरण के लिए आवेदन कोई अपरिहार्य परिस्थिति में करते हैं। ऐसे प्रार्थना पत्र विद्यालयों के प्रधानों की मार्फत निर्धारित शुल्क सहित 24 दिसम्बर तक बोर्ड कार्यालय को भेजे जा सकते हैं। बाद में बोर्ड प्रशासक द्वारा यह तिथि 30 नवम्बर परिवर्तित कर दी गयी है। केन्द्र परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है जो प्रति वर्ष परीक्षार्थियों की समस्याओं एवं परीक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर किये जाते रहे हैं। जहां एक निश्चित तिथि के बाद केन्द्र बदलने का नियमों में प्रावधान नहीं था, उसको लचीला और व्यवहारिक बनाते हुए परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रशासक द्वारा 1993 में विशेष परिस्थिति में केन्द्र परिवर्तन के मामलों पर विचार करने का प्रावधान कर दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2003 की बैठक में इस प्रकार के प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा का आवेदन पत्र भरने के पश्चात् केन्द्र/विषय/वर्ग परिवर्तन हेतु आवेदन करने के लिए अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित 31 दिसम्बर, मात्र केन्द्र परिवर्तन हेतु दोहरे परीक्षा शुल्क सहित 31 जनवरी तक आवेदन करने का प्रावधान किया गया है तथा मात्र केन्द्र परिवर्तन हेतु विशेष प्रकरण पर उक्त तिथियों के पश्चात आवेदन करने पर केन्द्र परिवर्तन एवं शुल्क निर्धारण हेतु अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अधिकृत किया गया है।

इसके अन्तर्गत वर्ष 1996 में 76 मामले ऐसे थे जो फार्म भरने के पश्चात् केन्द्र परिवर्तित किये गये। वर्ष 1997 में 48 ऐसे प्रकरण आये जिनमें केन्द्र परिवर्तन किये गये। वर्ष 1998 में 25 फार्म भरने

(डा. बी. डी. कल्ला)

के पश्चात केन्द्र परिवर्तित किये गये। विभिन्न परिस्थितियों व कारणों से परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की प्रक्रिया चालू रही है। वर्ष 2001 की परीक्षाओं में कुल 332 परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये गये जिसमें से 160 परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जबकि 172 परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 1051/2001 में दिये गये निर्णय की अनुपालना में परिवर्तन किये गये थे। बोर्ड परीक्षा वर्ष 2002 में जिला कलक्टर, टौंक द्वारा भेजे गये पत्र के आधार पर राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मालपुरा की समस्त बालिकाओं के केन्द्र परिवर्तन किये गये थे, क्योंकि यह परीक्षा केन्द्र जिला कलक्टर की राय में अति संवेदनशील माना गया था। बोर्ड परीक्षा वर्ष 2003 में मात्र 24 विद्यार्थियों के परीक्षा केन्द्र निर्धारित तिथि के बाद में परिवर्तित किये गये हैं, जिनमें चौदह छात्राएं हैं और दस छात्र। यह केन्द्र परिवर्तन चार परीक्षार्थियों के अभिभावकों के स्थानान्तरण होने से परीक्षार्थियों के शाला परिवर्तन के कारण दो, घर से केन्द्र दूर होने या घर के नजदीक अन्य परीक्षा केन्द्र खोले जाने की मांग के कारण दस, माता-पिता/स्वयं के स्वास्थ्य के कारण सात व अन्य कारणों से एक परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये गये। परीक्षा सुचारू रूप से पूरे राज्य में चल रही है। नकल या अनुचित साधनों के उपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। अभी हाल में जयपुर में इस प्रकार की कठोर कार्यवाही की गयी है।

इसके अतिरिक्त इन सभी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं तीन परीक्षकों के पैनल से जंचवाई जाकर परीक्षा परिणाम समिति के समक्ष रखकर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाएंगे। इन सभी परीक्षा केन्द्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है व उड़न दस्ते भेजे जा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदन के माननीय सदस्यों के सामने यह बात रखना चाह रहा हूं। परीक्षा केन्द्रों को परिवर्तन करने की बोर्ड में एक व्यवस्था है, निश्चित दिनांक है, अतिरिक्त शुल्क देकर बोर्ड का परीक्षा केन्द्र समयावधि में परिवर्तित कराया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था हमेशा से रही है। इस बार का, मंत्री महोदय, आपके ध्यान में आया होगा, लेकिन आपने जैसा जवाब दिया था, ऐसा लगा जैसे इन परीक्षा केन्द्रों को बदलने में हमारे अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से बोर्ड की प्रतिष्ठा को गिराया है, आपने उस बारे में एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझा। मैं कम से कम आप जैसे व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं करता था। बोर्ड के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रमुख अधिकारियों द्वारा अपने परिवारजन को लाभ देने की दृष्टि से, नकल कराने की दृष्टि से, उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को बैठाकर कापी में लिखने की दृष्टि से जितने प्रकरण प्रकाश में आये हैं उनमें से आपने एक की ओर भी इंगित करने की कोशिश नहीं की। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नौ–दस लाख बच्चों के लिए।

मैं अब आपके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूं जो आपने तो नहीं रखने की कोशिश की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान् व्यासजी अपने भांजे आदित्य दाधीच, माताजी का नाम है श्रीमती उर्मिला व्यास, जो उनकी सगी बहन है, एकमात्र लड़का है, जिस स्कूल में इसका परीक्षा केन्द्र बदला गया, एकमात्र स्वयंपाठी विद्यार्थी है। उस पूरे विद्यालय में एक भी स्वयंपाठी विद्यार्थी का सैंटर नहीं है। उस बालक का रोल नम्बर लिखवा रहा हूं आपको 3604451, आदित्य दाधीच उसका नाम है, इस बच्चे का सैंटर चेंज किया गया ठीक अपने घर की दीवार के पास वाले स्कूल में जो आपका सी–डाट स्कूल है, जो बिलकुल इसके साथ लगा हुआ है उसमें दुर्भाग्य आप देखिये, इसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिला, मायोपिया कुछ आंख की बीमारी होती है, उस बीमारी के कारण से उस बच्चे को एक सर्टिफिकेट मिला। इस बीमारी के कारण से यह सर्टिफिकेट भी किस तरह से दिया, मुझे बहुत अफसोस है। इसकी परीक्षा शुरू हुई थी 20.3.2003 को, परीक्षा केन्द्र पर केवल टेलीफोन से इसकी इस बीमारी की सूचना भेजी गयी। वह सूचना दूसरे दिन फैक्स से, आप सारे कागज दिखवाना, पहले दिन 20 तारीख को कोई सूचना नहीं, 21 तारीख को फैक्स से एक सूचना भेजी गयी कि इसको यह बीमारी है। और इसका जो सर्टिफिकेट बना, आश्चर्यजनक है, सर्टिफिकेट डाक्टर ने बनाया है वह 26.3.2003 का है। हमारे बोर्ड के नियमों के तहत अगर समयावधि बढ़ती है ढाई घंटे के बजाय तीन घंटे, तो दो ही प्रकार के लोगों की बढ़ती है–या तो जिनके हाथ–पैर टूट जाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाकर उसको अगर अपना परीक्षा पेपर कराना है तो उसको आधे घंटे का समय बढ़ाते हैं या फिर वह आंख से अंधा होता है, उसका कोई राइटर दूसरा होता है, उसको आधे घंटे की छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त किसी को आधे घंटे की छूट नहीं मिलती है। लेकिन इन्होंने अपने फैक्स के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा कि इस लड़के को आधे घंटे की और अतिरिक्त छूट मिले, हालांकि उसके तहत यह नहीं आता है, कवर भी नहीं होता है लेकिन उसको इस बारे में आंधे घंटे की छूट दी गयी। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आखिर एक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बोर्ड का अध्यक्ष, यह सेंटर इसका कब चेंज हुआ, एकमात्र विद्यार्थी का सेंटर यह क्यों बना? यह पिछले साल का फेल्योर है और फेल्योर होने के कारण इस बार इसको पास करने के लिए इस प्रकार की जो बीमारी से होता है उसको अलग से कमरा कभी अलाट नहीं होता, इसके लिए अलग से कमरा अलाट हुआ। यह अलग से अलाटमेंट केवल उसको नकल कराकर पास कराने के लिए। बोर्ड का अध्यक्ष ही जब टेलीफोन करे, आपने स्वयं ने अपने सवाल के जवाब में दिया कि जब इन सब नियमों के तहत निकल जाती तो बोर्ड का अध्यक्ष ही पूरा सेंटर परिवर्तित करता है। यह परीक्षा सेंटर परिवर्तित किया है हमारे बोर्ड के अध्यक्ष श्री सी.पी. व्यास ने और यह सी.पी. व्यास का सगा भांजा है। मैं आपसे सवाल यह पूछना चाहता हूं कि इस अकेले बच्चे का सेंटर इस स्कूल में करने के पीछे क्या मंतव्य था, क्या मंशा थी, इसको थोड़ा-सा आप जाहिर कर देना।

दूसरा, आपके बोर्ड के अध्यक्ष का सैक्रेटरी जिसको आपने सस्पैंड किया, उसने तो सब प्रकार की सीमाएं लांघी। उस बच्चे का सेंटर था अजमेर, उस बच्चे के सेंटर को नया सेंटर बनाने की दृष्टि से इन्होंने उस विद्यालय में पहले अपनी पत्नी को नौकरी दिलाई, फरवरी में उसकी पत्नी ने वहां अपनी नौकरी शुरू की, बच्चे का सेंटर चेंज हुआ और उसको भी इसी प्रकार से सेंटर में बच्चे को बीमारी का सर्टिफिकेट दिलाया दिलवाने के बाद अलग से कमरे में बैठकर वह परीक्षा उसकी मां दे रही थी, बच्चा नहीं दे रहा था। शिकायत हुई, सवेरे आपको भी सूचना मिल गयी थी, हमको भी सूचना मिली कि इस प्रकार की कोई परीक्षा हो रही है। आपने तुरन्त और सी.एम. साहब ने भी अपने सैक्रेटरी को टेलीफोन किया और उन्होंने टीम भेजी तो वास्तव में उसकी मां उसकी जगह परीक्षा देती हुई पायी गयी। आपने उसका निलम्बन किया।

फिर मैं आपको और केस बताता हूं। इसी तरह से जोधपुर यू.आई.टी. के अध्यक्ष राजेन्द्र सोलंकी की दो बच्चियां, दोनों का सेंटर अलग-अलग जगह पर है। एक दीपिका, सारिका, दोनों के दो अलग-अलग स्कूलों में सेंटर हैं। अन्तिम दिन यानि 19 तारीख को राजेन्द्र यह फैक्स करता है कि मेरी बच्चियों को उन सेंटर्स पर खतरा है। दोनों बच्चियों के सेंटर भिन्न-भिन्न हैं, उनको उस स्कूल में लाते हैं जिस स्कूल का प्रिंसिपल बोर्ड का मैम्बर है देवीलाल। वहां एक भी लड़की का सेंटर नहीं, पूरा का पूरा सेंटर लड़कों का है, लेकिन इन दोनों लड़कियों का वहां सेंटर किया जाता है। बोर्ड का अध्यक्ष, सुनकर ताज्जुब होता है, शर्म आती है, कि बोर्ड के अध्यक्ष बोर्ड की स्पेशल गाड़ी लेकर,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्योंकि वहां न तो होम साइंस है, न वहां चित्रकला का कोई पेपर है, बोर्ड की इंडिका किराये पर लेकर सवेरे बोर्ड की कापी और पेपर भेजकर उस बच्ची को नकल कराते हैं। आखिर यह सेंटर चेंज कराने के पीछे तर्क क्या था? उस जगह लाने की जरूरत क्या है? मान लो, कोई एक लड़की से छेड़खानी करता है तो यह 19 तारीख को छेड़खानी होती है क्या? अगर यही समस्या थी तो कुछ दिन पहले करते, लड़कियों के स्कूल में सेंटर चेंज करते। अलग कमरे में बैठाकर उसकी कापी तैयार कराते हैं, बण्डलों में वह कापी नहीं जाती है, अलग से कापी बंधकर जाती है, जब मर्जी आए आप उस कापी को भेजो, चाहे तो उसकी जगह कोई तीसरा भी लिखकर उस कापी के साथ थमा देता है, तो उस बच्ची को तो पास कराने के लिये आप इस तरह से करेंगे।

मैं केवल 8 सेंटर आपको बताता हूं, अंतिम तारीख को सेंटर क्यों चेंज होता है बोर्ड का? जब आपके नियम हैं तो तीन दिन, चार दिन पहले बोर्ड का सेंटर चेंज करने की जरूरत क्या पड़ती है? इस प्रकार के ओछे हथकंड़े अपनाने की जरूरत क्या पड़ती है? मैं केवल जयपुर के आठ नाम आपको बताता हूं, इनको आप थोड़ा-सा देख लें।

गौरव जैन पुत्र श्री प्रवीण कुमार जैन, जिसका पावटा में था, पावटा से इसका सेंटर चेंज हुआ अभी लेटेस्ट, लास्ट दिनों में जैम्स इंडिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में। रोल नम्बर चाहे तो मैं दे सकता हूं 3597524 हेमंत कुमार गुप्ता, अपने सचिव का लड़का है, इसका रोल नम्बर 3402047 है, इसका सेंटर अजमेर में था। इसकी मां को उस स्कूल में फरवरी में नौकरी दिलायी और उसके बाद बच्चे का उस जगह सेंटर किया। यहां और कोई बच्चा प्राइवेट है ही नहीं। इसी प्रकार 3595501 राहुल ब्रह्मभट्ट पुत्र श्री गजराज भट्ट, अब आप इसका करिश्मा सुनिये। कई बार तो लगता है कि हम सब लोग अपना जमीर बेच चुके हैं। हमको यह लगता ही नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। गजराज जो वहां का प्रिंसिपल है, इसका एक मात्र लड़का, उसका सेंटर अपने ही पिताजी के स्कूल में है। बाकी सारे विद्यालय का सेंटर दूसरी जगह है, अकेले बच्चे का सेंटर वहां किया। किस कारण से किया? या तो उसके पैर में कोई तकलीफ थी जो जा नहीं सकता था, इसलिये अपने ही पिताजी के स्कूल में रहा। हमारे बोर्ड के नियमों के तहत सेंटर बनाने के लिये भी परिपाटी है। यहां तक कि कोई रिलेटिव भी परीक्षा देता है न तो उसे सूचना देनी पड़ती है, उसका सेंटर चेंज होता है या वहां का इंचार्ज चेंज होता है, दोनों में से कोई चेंज होता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसके बाद आपने देखा है, इकलौते लड़के ही नहीं, भाई की पत्नी को भी उसी स्कूल में, यह भी एज ए प्राइवेट स्टूडेंट है। गजराज ब्रह्मभट्ट के भाई की पत्नी श्रीमती उषा ब्रह्मभट्ट, रोल नम्बर 3616473, प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठी थी। इसने अपने हाथ में एक फ्रैक्चर का पट्टा बांधकर फैक्चर हो सकता है, मैं सोचता हूं उस आधार पर उसने एक प्रमाण पत्र लिया। मैं आपको रिकार्ड देता हूं कि थोड़ा-सा इसको दिखवाओ। अगर यह परिपाटी आपके जितने भी हैड आफ दी इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रभावशाली बोर्ड के मैम्बर्स हैं, बोर्ड का अध्यक्ष है, बोर्ड का सचिव है, यही लोग अगर इस तरह के धंधे करेंगे तो इससे बोर्ड का क्या बनेगा? राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिन्दुस्तान में सर्वश्रेष्ठ बोर्डों की गिनती में आता है। पता नहीं, दुर्भाग्य हमारा, अब उषा ब्रह्मभट्ट का क्रमांक लिखिये आप 31992, दिनांक 26.3.2003 को सर्टिफिकेट हाथ के फ्रैक्चर का मिला है। इसमें 20.3.2003 से 3.4.2003 तक का सर्टिफिकेट मिला क्योंकि परीक्षा दो तारीख को खतम हो जाएगी इसलिये सर्टिफिकेट खतम। मतलब हाथ टूटने का सर्टिफिकेट खतम। यह कैसे मिला? छोटे-मोटे हास्पिटल से नहीं, यह आपके एस.एम.एस. हास्पिटल का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट में आप नीचे जाओ, ब्राह्य रोग का क्रमांक 14033, रजिस्टर में तारीख लिखी हुई है 25 और 26। मतलब इनडोर पेशेंट के रूप में 25 और 26 तारीख को इसकी एंट्री हुई, आपने काटकर 20 तारीख बनायी। रिकार्ड पर देख आइये, आप अपनी आंख से ही देख लीजिये कि 25 और 26 की आउटडोर में जो हाथ टूटने की एंट्री थी उस तारीख को बदलकर 20 किया। इसका परची रजिस्टर में 8481 नम्बर पर है। श्रुतिलेखन के कारण बोर्ड का व्यक्ति उसको मिलता है, सच बात यह है कि उसके फ्रैक्चर है ही नहीं। यह शिकायत हुई और जब आपका उड़न दस्ता वहां गया, उसको भी वैसे ही अलग कमरे में बैठाकर नकल करायी जा रही है। यह उसकी रिपोर्ट है। उसके बाद वह भाग गयी, अब परीक्षा देने ही नहीं आ रही है क्योंकि कोई हाथ टूटा हुआ नहीं है। फर्जीवाड़े में सेंटर चेंज करके पास करने का जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये आपके सामने सारे प्रमाण हैं।

इसके अलावा जितेन्द्र सिंह रोल नम्बर 3654582, हिंगोलिया में था, इसका सेंटर बदला है बछार में। रेणु खंडेलवाल/जुगल किशोर रोल नम्बर 3179582, साम्भर लेक में इसका सेंटर है। ये सब सेंटर इन्हीं दिनों में बदले हैं। सेंटर बदलने की जो प्रक्रिया है, जिन नियमों के तहत हम सेंटर बदलते हैं उसकी भी एक अवधि है, वह नवम्बर है। पहले दिसम्बर थी, अब तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नवम्बर हो गयी, नवम्बर के बाद हम नहीं बदलते हैं सेंटर कभी भी। इसी तरह सुशील कुमार मीणा/डी.एल.मीणा का आंतेला में सेंटर था, इसका राजवंश पब्लिक स्कूल में सेंटर चेंज हुआ। इसका रोल नम्बर 3029384 है। ये आठ तो केवल मैं जयपुर के निकाल कर लाया हूं।

मेरा यह कहना है कि इस तरह से सैकड़ों सेंटर, आप अगर पता कराओ, अंतिम 15 दिनों में सारे राजस्थान में किन किन बच्चों के सेंटर का परिवर्तन हुआ, उनके पिताजी या उनके परिवारजन बोर्ड में कहां से सम्बन्धित हैं। पहली बार ऐसा बोर्ड के इतिहास में, और मैंने भी अपने जीवन में शिक्षा से जुड़ा होने के कारण इस प्रकार के ओछे हथकण्डे आज दिन तक कभी भी नहीं देखे। उसके बाद भी हमारा मन यह कहता है कि इसको रफा-दफा करो, करिये। आप कर सकते हैं अगर आपकी मंशा है, पर उन 9,00,000 बच्चों के कलेजे पर जो पत्थर पड़ेगा उसका कोई जवाब सरकार दे सकती है? आखिर जो बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं उनके साथ न्याय होगा क्या? उनका दोष तो इतना ही है कि उनके पिता इतनी बड़ी पहुंच के आदमी नहीं हैं इसलिये उनका सेंटर तो बदल नहीं सकता।

ये सारी घटनाएं, केवल आपके अधिकारियों को बदनाम नहीं किया, शिक्षा मंत्रीजी, सम्पूर्ण राजस्थान में हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पचास साल में जो प्रतिष्ठा अर्जित की, उसको कलंकित कर दिया। उसमें आपका अध्यक्ष शरीक, क्या कार्यवाही करेंगे आप? मुझे कहते हुए दु:ख और अफसोस है, मन में इतनी ग्लानि महसूस होती है कि जिस बोर्ड का अध्यक्ष इतना निकृष्ट काम केवल अपने भांजे को पास कराने के लिये करे, और अब जब सारे कुएं में ही भांग डल गयी तो अब किसका दोष मानें और किसको कहें। मैं सोचता हूं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मैं तर्क-वितर्क नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी निर्दोष को सजा भी नहीं दिलाना चाहता हूं, मैं यह जरूर चाहता हूं कि बोर्ड की पवित्रता को बनाये रखने के लिए हमें जितनी भी कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, इस प्रकार से सेंटर चेंज कराकर अपने बच्चों को नकल कराकर अच्छे अंक दिलाने के लिए जो तरीके अपनाये हैं उस तरीके पर अंकुश लगाएं, यह मेरी इच्छा है।

श्री मदन दिलावर : यह स्टूडेंट का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बिराजें। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक कोई प्रश्न करें, ये तो यहां पर भाषण हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल पाइंटेड प्रश्न पूछूंगा। बिना आपकी आज्ञा के आदत ही नहीं है, एक शब्द ही नहीं बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप आज्ञा देंगे तभी बोलेंगे, पाइंटेड सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, एक मिनट। Let me speak. I allow you.

माननीय कल्ला साहब। जो प्रश्न यहां उठाये गये हैं वे बहुत गम्भीर हैं, क्या आप इन सब प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में हैं?

डा. बी. डी. कल्ला : हां, बिलकुल हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं हैं।

डा. बी. डी. कल्ला : मैं इस स्थिति में हूं।

श्री उपाध्यक्ष : तो इन प्रश्नों को कल कर दीजिये, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें तो अलाउ करें, हम भी पूछ लें। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : मैं बिलकुल स्थिति में हूं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बोर्ड अध्यक्ष के भांजे के सेंटर चेंज के बारे में कहा, मैं पूरे सदन को बताऊं कि उसका सेंटर चेंज ही नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक प्रश्न की नहीं कह रहा हूं।

डा. बी. डी. कल्ला : मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बिराजें। अब आप पूछें कि क्या पूछना है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह मेडिकल का जो फर्जी सर्टिफिकेट बना है, वह भी आपका ही विभाग है, आप जवाब दीजिये।

डा. करण सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, वह अध्यक्ष होते हुए भी उसका भांजा पिछली साल भी फेल हुआ था...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फेल को पास कराने के लिए ही तो किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपको पास कराना था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। माननीय सदस्य, मेहरबानी करके इसको लाइटली मत लीजिये, Let us be serious about it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस विस्तृत बात की तरफ नहीं जाना चाहता, प्रतिपक्ष के नेता ने जिसके बारे में इंगित किया। मंत्री महोदय, मैं सिर्फ सवाल पूछना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अपने उत्तर में कहा 30 नवम्बर के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, 30 नवम्बर वह तिथि है जिसके बाद बोर्ड के अन्दर परीक्षा केन्द्र बदला नहीं जा सकता। कोई अति विशिष्ट कारण हो तभी बदला जा सकता है। आपने अपने उत्तर में कहा कि 24 विद्यार्थियों के परीक्षा केन्द्र बदले गये। मैं आपका ही दे रहा हूं, जिसमें आपने कहा है कि 14 छात्रा और 10 छात्र हैं। इसमें 10 के तो परीक्षा केन्द्र इसलिए बदले गये हैं कि घर के पास हैं। कारण देखिये, वैलिड रीजन देखें। आपने उत्तर में क्या कहा कि 7 मामलों में माता-पिता का स्वास्थ्य खराब है, खुद का स्वास्थ्य खराब हो तो बात समझ में आती है। मतलब मेरा बच्चा परीक्ष दे रहा है, मेरे बुखार हो गया और मैंने कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष : हम समझ रहे हैं, आप तो क्वेश्चन करें। वह माता–पिता समझ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य खराब हुआ है मां–बाप का और परीक्षा केन्द्र बदल रही हो आप पुत्र–पुत्री का, इसके पीछे आपकी भावना है? जिन आठ मामलों को जिक्र जयपुर का किया है, उनमें एक भी आम व्यक्ति नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास शिकायतें आयी? समाचार–पत्रों ने छापा, पैसे और पहुंच वाला जहां चाहे जैसे पर्चा हल करे। आदित्य दाधीच से लेकर राहुल ब्रह्मभट्ट, उषा ब्रह्मभट्ट और किस–किस का नाम लूं, यू.आई.टी. के चेयरमैन जोधपुर के राजेन्द्र सोलंकी, कार जा रही है, इंडिका कार के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष : आ गया यह तो, इन्होंने कह दिया, आप क्या रिपीट कर रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 9 लाख विद्यार्थियों के भविष्य को खराब मत करो।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी इन्होंने कह दिया, आपका क्या कहना है? बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सदन में घोषणा करें, बोर्ड के अध्यक्ष को सस्पैंड करने की बात करें तब यह साख बचेगी, वर्ना शक की सुई आपकी तरफ जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका क्या कहना है? माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जो कहा उससे अलग कुछ हो तो कहो।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उससे अलग भी है। मंत्री महोदय, एक तो यह कि जो अविश्वसनीयता राजस्थान के विद्यार्थियों को हो रही है जो माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं में एपीयर हो रहे हैं और यह एक वातावरण बन गया है कि जो पहुंच वाले हैं...

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन, क्वेश्चन।

श्री सांवर लाल : क्वेश्चन ही कर रहा हूं। पहुंच वाले और जो अध्यक्षजी के करीबी लोग हैं, उन्हीं के परीक्षा बदले गये, केन्द्र जो ये कारण बताये हैं, क्या घर के पास परीक्षा केन्द्र बनाने का आपके कोई प्रावधान है? हमारे बोराड़े के बच्चों का जो सरवाड़ केन्द्र था उसको तो आपने केकड़ी कर दिया है। ऐसी कौनसी परिस्थितियां थीं कि केवल घर के पास स्थानान्तरण करने का कोई ग्राउंड बनता है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कह चुके हैं, यह पूछ चुके हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कोई प्रावधान है क्या? फिर तो घर-घर के पास में कर दो सबका परीक्षा केन्द्र।

श्री उपाध्यक्ष : कह चुके हैं, यह कह चुके हैं।

श्री सांवर लाल : दूसरा मेरा निवेदन यह है कि ये जितने भी केन्द्र बदले गये हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, तसल्ली रखो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक्ट के अन्दर यह प्रावधान बता दें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें। आप बोलिये।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो पूरी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न।

श्री सांवर लाल : एक हुई है, दूसरी और है।

श्री उपाध्यक्ष : पूछो।

श्री सांवर लाल : दूसरा मेरा निवेदन यह है कि एक-एक विद्यार्थी के लिए जैसा जोधपुर वाला मामला आया है, दो बच्चियां हैं, दोनों का बॉयज स्कूल में सेंटर बदल दिया, उनकी कापियां अजमेर में गयीं तो यह खर्चा दूसरे विद्यार्थियों की फीस पर उनके लिये उठाया, क्या इस प्रकार की व्यवस्था आम विद्यार्थियों के लिए भी की गयी है? आपके यू.आई.टी. का चेयरमैन है, चेयरमैन का एक खास आदमी है इसलिए क्या उनके केन्द्र बदल दिये? उनके लिए स्पेशल गाड़ी करके आप कापियां भेज रहे हैं, उन्हें अलग जंचवाने की व्यवस्था करेंगे, जिस प्रकार के केन्द्र बनाये हैं क्या उसी प्रकार से उन्हें जंचवाने की व्यवस्था नहीं हो सकती है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें, हो गयी। माननीय अमरारामजी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से सवाल करना चाहता हूं कि व्यासजी बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनसे पहले जो चेयरमैन रहे हैं, निर्धारित तिथि के बाद बोर्ड के चेयरमैन को ही बदलने के पावर हैं। आपने अपने उत्तर में दिया है कि इन्होंने इस वर्ष 24

(श्री अमराराम)

के परीक्षा केन्द्र बदले हैं, इससे पहले जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने एक साल में कितने-कितने परीक्षा केन्द्र बदले हैं?

दूसरा मेरा सवाल है कि प्राइवेट स्कूलों में मैनेज करके अपने स्कूल का रिजल्ट दिखाने के लिए जिस तरह से जगह-जगह से नकल करने की शिकायतें आ रही हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी खूड बालिका में 50 टीचर उस गांव में होने के बाद भी उसी स्कूल के दूसरे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, उन्हीं की परीक्षा लेने वालों की ड्यूटी लगाकर। क्या तमाम बोर्ड की परीक्षाओं की जो शिकायतें आपको मिली हैं इनकी जुडीशियरी इनक्वायरी कराने की आप इरादा रखते हैं जिससे सैंक्टिटी बन सके? इस चेयरमैन ने और सैक्रेटरी, सबने इस तरह से किया है उनको सजा मिले और राजस्थान के बोर्ड की प्रतिष्ठा कायम हो, क्या इसके लिये आप तैयार हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या कहना है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक थोड़ी-सी बात मेरी रह गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पीछे हैं वह नहीं मानेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरी जो जानकारी है, हो सकता है मेरी जानकारी ठीक नहीं हो, बोर्ड सेंटर तय करने में जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं उनका अल्फाबेट से नाम जमाते हैं। लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग। उसमें स्कूलों की स्ट्रेंथ होती हैं, लाइन में वह मांगते हैं, उतनी सीट तय होती है उसी के हिसाब से नम्बर वन पर जो होगा वह नम्बर वन, ए, बी, सी, डी भी चलता है और वह लिस्ट बनी रहती है उसी से बोर्ड का सेंटर अलाटमेंट चलता है। जैसे ही 54 खतम हुआ, 55 पर जो होगा वह सैकण्ड स्कूल में, फिर उसके बाद मान लो 75 सीट हैं तो उसके बाद 76वां दूसरे सेंटर पर होगा। यह क्रम बना रहता है, कोई किसी की इच्छा से नहीं चलता है। यह जो आदित्य का सेंटर बना, यह अल्फाबेट के हिसाब से कौनसे स्कूल में जाना चाहिए था? यह सिंगल लड़का, सारे के सारे गवर्नमेंट बच्चों के साथ अकेले लड़के का सेंटर वह स्कूल क्यों बना जो उसके घर की दीवार के साथ लगा हुआ है?

श्री उपाध्यक्ष : आप भी फर्मा दें।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में एक प्रश्न-पत्र का जवाब लिखने के बाद जो पुस्तिकाएं हैं...

श्री उपाध्यक्ष : यह सब्जैक्ट आपका है नहीं, काहे को उलझते हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बात बहुत महत्वपूर्ण है, यह रहस्योद्घाटन है।

श्री मदन दिलावर : श्रीमन्, क्या बात कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : आपका सब्जैक्ट ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, रहस्योद्घाटन तो अभी होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री मदन दिलावर : बोर्ड की जो उत्तर पुस्तिकाएं रोड पर मिली थीं, थोड़ा-सा खुला हुआ बण्डल मिला, तो हम यह जानना चाह रहे थे कि वह कहां का बण्डल था, कैसे मिला, वहां कैसे आया, कौन लाया, एक तो यह निवेदन है?

डा. बी. डी. कल्ला : प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री मदन दिलावर : दूसरा निवेदन था कि बोर्ड के चेयरमैन के बारे में जिस प्रकार की चर्चा यहां हुई है, जो वास्तविकता है और जो इस सरकार ने नियुक्त किया है, क्या आप से इस प्रकार का कांट्रेक्ट हो गया था कि आपको इस-इस प्रकार के कारनामे करने पड़ेंगे तब आपको सफलतम बोर्ड का चेयरमैन कहा जाएगा? क्या कांट्रेक्ट हुआ था उसको यहां उजागर करना होगा। (व्यवधान) बोर्ड की पवित्रता का सर्वनाश करने का ऐसा उदाहरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करना चाह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब कल्ला साहब शिक्षा मंत्री बनते हैं, उन वर्षों में लगातार इस प्रकार के घोटाले होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बीच में दो साल दूसरे रहे, घोटाले कम हुए हैं और इस बार ज्यों ही ये वापस शिक्षा मंत्री बने, यह कापियों का इधर-उधर होना, परीक्षा केन्द्रों में घोटाले होना, इसमें सीधा आपका हाथ है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

डा. बी. डी. कल्ला : आप लोग जिसके बारे में प्रोपेगेंडा करना चाहें, कर सकते हो।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इस पवित्र सदन को बताना चाहता हूं कि बोर्ड के अध्यक्ष श्री व्यासजी के भानजे का कोई केन्द्र परिवर्तन नहीं किया गया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले ही गड़बड़ कर ली थी। (व्यवधान) अल्फाबेट से किया गया था क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, राठौड़ साहब, बिराजिए।

डा. बी. डी. कल्ला : दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गलत बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न, सुन लीजिए उनको। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : मैं यदि गलत बात कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ आप प्रिविलेज मोशन लाइए। (व्यवधान) यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाइए।

श्री हीरासिंह चौहान : प्रतिपक्ष के नेता भी गलत बात कह सकते हैं क्या?

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): आपको शांतिपूर्वक सुना है।

डा. बी. डी. कल्ला : मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ आप प्रिविलेज मोशन लाइए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सांवर लाल : आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं पर आप यह बताइए कि अल्फाबेट के हिसाब से यह केन्द्र किनको मिलना चाहिए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अलग केन्द्र होना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बिराजिए। एक मिनट।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : आप पहले बात सुने, उसके बाद विपक्ष के नेता ने जब बात कही तो कोई नहीं बोला, अब आप बोलने लग गए। आपके नेता साहब ने बोला तो कोई बोला क्या? आप भी कम से कम सुनने का माद्दा रखो। पहले बात तो सुनो न, सुनते ही नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री सांवर लाल : यह एजुकेशन का मामला है, कोई तस्करी थोड़े ही करनी है?

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कह दिया कि कोई केन्द्र परिवर्तन नहीं किया गया है तो फिर इस बात को क्यों उठाया जा रहा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। आर्डर–आर्डर।

श्री सांवर लाल : इज्जत खराब मत करो बोर्ड की, ऐसे खड़े हो रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय राठौड़ साहब। यदि आप मंत्रीजी को सुनना चाहते हैं तो मैं शुरू करूं, नहीं तो बंद करके दूसरा बिजनस लूं। आई विल नोट अलाउ, यह नहीं चलेगा। आप बिराजिए।

श्री सांवर लाल : सुनना चाहते हैं साहब, पर बोले तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे विंनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में मंत्रीजी तथ्यों के आधार पर कुछ बयान करते नहीं...

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन यह है कि केन्द्र दो प्रकार से बदले जाते हैं, एक तो अल्फाबेट के हिसाब से...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

डा. सी. पी. जोशी : बात तो सुन लो पहले आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। माननीय सदस्य, इस पर कोई बहस अलाउड नहीं है, नियमों से कुछ भी नहीं अलाउड है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बोर्ड की इज्जत का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। आप सुनिए बात को। मैं इसको इतनी गम्भीरता से ले रहा हूं इसलिए आपको जवाब दिलवा रहा हूं, बहस करवा रहा हूं, उसके बाद भी आप सुनना नहीं चाहते हैं तो फिर मेरे पास क्या रास्ता है? I will not allow anybody or any Member to speak as long as he is speaking. आप बिराजिए प्लीज। मैं बंद कर दूंगा अब अगर कोई बोला तो। सुनिए इतनी गम्भीर बात है, इसको We went to take it seriously,

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया, 3604450 रोल नम्बर आदित्य दाधीच के बताये गये हैं, वह 364451, बिलकुल रोल नम्बरवाइज है, इसमें कहीं कोई हेराफेरी नहीं की गई है। अब रहा सवाल कि पूर्व वर्षों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस बारे में अभी धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, नवम्बर के बाद...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, एक मिनट। पहले इन्होंने जो आठ नाम बताए, आप उसका जवाब पहले दे दें।

डा. बी. डी. कल्ला : हां, इनका पहले दे देता हूं। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बताया कि कितने लोगों को किन-किन सालों में केन्द्र चेंज हुआ। मैं नाम बता देता हूं। रामू खण्डेलवाल, सुशील कुमार मीणा, मंजू कंवर, संध्या गौड़, कुमारी दीपिका, कुमारी प्रेरणा, संतोष कुमारी, अरुण सैनी, खुशबू चौधरी, कुमारी सारिका, गौरव जैन, नेहा शर्मा, हेमन्त गुप्ता, राहुल ब्रह्मभट्ट, उषा ब्रह्मभट्ट, जितेन्द्र सिंह, कुमारी संजू माहेश्वरी, विश्वजीत सिंह, शिल्पा बाहूजा, नंदकिशोर शर्मा, प्रहलाद सिंह, शबाना बानो, मंजू राव, आबिद अली, ये 24 नवम्बर के बाद चेंज हुए हैं। मैं कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं लेकिन जिस तरीके से ऐसा बताया कि मेरे वक्त में या कांग्रेस के वक्त में ही ऐसा हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1996 में नवम्बर के बाद 17 लोगों के केन्द्र चेंज किए

(डा. बी. डी. कल्ला)

गए, 1997 में 18 के चेंज किए गए और 1998 में 30 लोगों के केन्द्र चेंज किए गए। यह केवल मात्र...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें जवाब चाहिए, आप कहां 1996 में चले गए। हमें जवाब अब का दीजिए।

डा. बी. डी. कल्ला : मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुनना क्यों नहीं चाहते? आपके वक्त में किस-किस वर्ष में क्या-क्या केन्द्र चेंज हुए हैं, यह जानकारी देना मेरा फर्ज बनता है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं लेकिन यह जो आप कह रहे हो कि किस के वक्त में कितने हुए हैं...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछा गया था कि पिछले शासन में नवम्बर के बाद में कितने परीक्षा केन्द्रों के अन्दर परिवर्तन किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। माननीय मंत्रीजी।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अब रहा सवाल, एक मिनट...

श्री उपाध्यक्ष : अगर किसी ने अपराध किया है तो आपको अपराध करना जरूरी है क्या?

डा. बी. डी. कल्ला : मैंने कहा न, उस वक्त, मैं सदन को जानकारी यह देना चाहता हूं, माननीय सदस्यों ने कैटेगरीकली यह पूछा है...

श्री जुगल काबरा : जो जानकारी मांगी जा रही है, वह तो दिलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

डा. बी. डी. कल्ला : मुझसे माननीय सदस्यों ने पूछा है कि पहले कब-कब यह चेंज किया गया है नवम्बर के बाद में तो उसकी जानकारी मैंने आपके माध्यम से दी है।

अब रहा सवाल कि आदित्य दाधीच को जो मायोपिया का प्रमाण पत्र दिया गया है, यह निश्चित रूप से मायोपिया का प्रमाण पत्र उसके पास है, लेकिन मैंने उड़नदस्ते भेजकर यह जानकारी की है कि उसने एक मिनट भी कभी भी परीक्षा में ज्यादा समय नहीं लिया है। मात्र ढाई घंटे में उसने परीक्षाएं दी हैं। यह विद्यार्थी पिछली बार भी आल सेंट चर्च स्कूल के माध्यम से परीक्षा में बैठा था, फेल हुआ था, यही व्यासजी अध्यक्ष थे इसका मतलब पिछले साल भी यदि उनको कोई मदद करनी थी तो कर सकते थे उसकी, लेकिन यह मात्र यह बात कहना कि जिस परीक्षा केन्द्र...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अकेले, सिंगल लड़का, अकेला सेंटर, अकेला लड़का।

श्री अमराराम (धोद) : पिछले साल तो पास होना चाहिए था, फेल हो गया। पास करने के लिए, मदद करने के लिए तो आप कह रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात?

डा. बी. डी. कल्ला : मुझे बड़ा अफसोस है कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जानकारी के अभाव में यह कह दिया कि उसका केन्द्र चेंज कर दिया गया। मैंने 24 व्यक्तियों की सूची दी है, आदित्य दाधीच का कोई केन्द्र चेंज नहीं किया गया है। इसलिए जो भी बात उन्होंने रखी है, वह असत्य है, निराधार है, तथ्यहीन है, बेबुनियाद है। इसके साथ-साथ...

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, जानबूझकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई है प्रतिपक्ष के नेता द्वारा।

डा. बी. डी. कल्ला : काबरा साहब, बैठिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अब आप देख लो। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, किस तरह की बात हो रही है?

श्री उपाध्यक्ष : देख रहा हूं। मैं तो आपको भी देख रहा हूं, उनको भी देख रहा हूं, दोनों को देख रहा हूं, दोनों को कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सारे तथ्य तोड़ मरोड़ कर, इन्होंने कब कहा कि सेंटर चेंज किया? उस सेंटर पर एकमात्र एक लड़का...

डा. बी. डी. कल्ला : सेंटर चेंज करने का कहा है, आपने कहा था कि सेंटर चेंज किया है।

श्री जुगल काबरा : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि उसका सेंटर बदला गया, उसको फेवर किया गया, उसको अलग कमरे में बैठाया गया। उसी प्रकार से नकल करने का है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) छूट दिलवाई गई।

श्री जुगल काबरा : जानबूझकर गलत आरोप लगाए गए बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन के चेयरमैन पर।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बोर्ड के सचिव का मामला है, उसके खिलाफ हम एक्शन ले चुके हैं। और राहुल ब्रह्मभट्ट और उषा ब्रह्मभट्ट के बारे में जो बातें कही गई हैं, गजराज भट्ट ने गलत फैक्स दिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहली बार राजस्थान के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन...

श्री उपाध्यक्ष : टाइम बढ़ा दें, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

शासकीय व्यक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों का परिवर्तन

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गजराज ब्रह्मभट्ट ने बोर्ड को गलत जानकारी देकर अपने ही परिवार के लोगों को अपने यहां सेंटर में रखवाले का काम किया, इनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और इस केन्द्र को बिलकुल हमेशा के लिए हटाने के लिए भी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा जहां-जहां 24 लोगों के स्थान चेंज किए गए हैं, नियमित रूप से उड़नदस्ते नियमित रूप से हमारे जिले के उड़नदस्ते, सम्भाग के उड़नदस्ते, बोर्ड के उड़नदस्ते वहां जाकर चैक कर रहे हैं और उनकी पूरी रिपोर्ट जो मेरे पास है उसके अनुसार कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही है।

एक स्थान का सदन को ही पता नहीं था, हेमन्त गुप्ता जो हमारे बोर्ड के सचिव के लड़के थे, उनकी पत्नी उसी शाला में लग गई और वहां पर उसकी अलग से व्यवस्था थी। हमने स्वयं आगे आकर कार्यवाही की। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को इस बात के लिए शिक्षा विभाग को धन्यवाद देना चाहिए कि जैसे ही हमारे पास पता लगा, हमने दोनों जगहों पर उड़नदस्ते भेजकर वहां जानकारी की, उसको पकड़ा और उसको निलम्बित किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में इस बार जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, उनमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट के एक अधिकारी को उप निरीक्षक के रूप में, केन्द्राधीक्षक के रूप में रखा है ताकि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बदमाशी नहीं कर सके। मैं आपके माध्यम से सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में परीक्षाओं की सैंक्टिटी पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। माननीय कल्ला साहब, आपने सैक्रेटरी को सस्पैण्ड किया, उसकी पत्नी से परीक्षा कराई उसका क्या किया?

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां अनुचित साधनों का जो प्रयोग करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और उसके अनुसार उनके खिलाफ भी जो कार्यवाही बनती है, बनेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने की क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने जो आठ की सूची पढ़ी, ये तो जो केन्द्र परिवर्तित हुए उनकी सूची है, इन आठ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में आदित्य का नाम मैंने नहीं पढ़ा। आदित्य का केस यह है कि सिंगल लड़का, सिंगल लड़के का उस स्कूल में, कोई प्राइवेट कैंडीडेट नहीं है उस स्कूल में, इस अकेले का सेंटर पहले से तय कराया, घर के पास तय कराया और उसको मेडिकल सर्टिफिकेट दिलाया। मेडिकल सर्टिफिकेट दिलाया। बीमारी को और प्रमाण पत्र कब दे रहे हैं, 26 तारीख को, परीक्षा कब शुरू हो रही है 20 तारीख को, टेलीफोन पर क्या मैसेज दे रहे हैं, यह चूंकि इस बीमारी से ग्रसित है इसलिए इसको आधा घंटा ज्यादा समय दिया जाए और उसका फैक्स कब जाता है, 21 तारीख को यह किस बात का सिंगल लड़का, सिंगल, कोई दूसरा लड़का उस सेंटर पर प्राइवेट स्टूडेंट ही नहीं है, यह अकेला लड़का है, योजनाबद्ध तरीके से इसको, बोर्ड के अध्यक्ष के भानजे को सेंटर अलाट किया, और घर की दीवार के साथ का अलाट किया। अलग कमरे में बिठाकर उसकी परीक्षा लेने की व्यवस्था की या नहीं की, यह बताएं? क्या बात करते हो?

(17.00 बजे)

डा. बी. डी. कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण की बाबत श्रीमती एलिस इलियास, सेवानिवृत्ति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, श्री ओमप्रकाश वैष्णव, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (द्वितीय), अजमेर एवं श्री धर्मेन्द्र जाटव, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बुधवाड़ा, अजमेर के तीन सदस्यीय दल द्वारा जांच करवायी गई। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की अन्यथा टिप्पणी नहीं दी है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सेंटर वहां हुआ या नहीं, यह बताएं?

डा. बी. डी. कल्ला : अनुचित साधनों के प्रयोग के तहत श्रीमती उषा गुप्ता के मामले में प्रकरण बोर्ड को दर्ज करवाने हेतु एडवोकेट की लीगल राय हेतु भिजवाया हुआ, लीगल राय आते ही उसके खिलाफ कार्यवाही कर ली जाएगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसका क्या हुआ जो सिंगल अलाटमेंट है? कुछ तो ईमानदारी रखो। अकेले व्यक्ति को सेंटर कैसे अलाट हुआ? केवल मैं यह आपसे विनम्रता से जानना चाहता हूं, अकेले लड़के का उस स्कूल में सेंटर कैसे बना? यह मेडिकल सर्टिफिकेट 26 तारीख को मिलने के बाद उसको 20 तारीख से, आधा घंटा एक्स्ट्रा देकर अलग कमरे में बिठाकर इस परीक्षा की व्यवस्था किन नियमों के तहत हुई है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप तो उस डाक्टर का बता दीजिए जिसने गलत सर्टिफिकेट दिया है।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि इसका रोल

(डा. बी. डी. कल्ला)

नम्बर क्रमबद्ध तरीके से 50 के बाद 51 आया है और वहां पर एक स्वयंपाठी का नम्बर...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक लड़के का, स्वयंपाठी का है। क्या बात करते हो? क्यों छिपाना चाहते हो? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : आपने तो, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, हद कर दी। अभी आपने कहा...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कृपा करके यह पाप मत करो। यह पाप मत करो अध्यक्ष को बचाने का। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : आपने पहले तो केन्द्र परिवर्तन की बात की, केन्द्र बोर्ड का अध्यक्ष है वह अलाट करता है क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक लड़के का कैसे हो सकता है? अकेले लड़के का कैसे हो सकता है? (व्यवधान) प्राइवेट स्टूडेंट का सेंटर हो सकता है, पर अगर उसमें क्रमशः देते हैं तो 10-20 सीटें तो होंगी। एक लड़के का कैसे होगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान में इससे पहले दूसरा उदाहरण बताओ। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : इससे पहले 50, 49, 48, सारे के सारे विद्यार्थी उस स्कूल में हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब। राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2001.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बंदावली) (संशोधन) विधेयक, 2001

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट हो, लेकिन हम तो संतुष्ट नहीं हुए। इसमें बेईमानी की गयी और अध्यक्ष स्वयं ने अपने पावर का दुरुपयोग किया। (व्यवधान) मैं और मेरी पार्टी के सब लोग इसके खिलाफ बहिर्गमन करते हैं कि इतना घोर अन्याय करने के बाद भी...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री जुगल काबरा : अपनी आत्मा में झांको। सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री जुगल काबरा : बोर्ड के अध्यक्ष को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ये गलत तथ्य सदन के सामने रख रहे हैं कि जबकि सही तरीके से बोर्ड ने काम किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़,

(अनुपस्थित)। श्री ज्ञानदेव आहूजा,

(अनुपस्थित)। श्री मानिक चन्द सुराना,

(अनुपस्थित)। आप बैठिए, श्री रघुवीर सिंह गौड़,

(अनुपस्थित)। श्री गणेशीलाल मेघवाल,

(अनुपस्थित)। श्री हीरासिंह चौहान,

(अनुपस्थित)। श्री केसाराम चौधरी,

(अनुपस्थित)। श्री सांवर लाल,

(अनुपस्थित)। श्री ज्ञानचंद,

(अनुपस्थित)। श्री रतन लाल जाट। (अनुपस्थित)। श्री अमराराम (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री सुरेन्द्र गोयल,

(अनुपस्थित)। श्री प्रताप सिंह सिंघवी,

(अनुपस्थित)। श्री हरीशचन्द्र,

(अनुपस्थित)। श्री सुरेन्द्र व्यास,

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए) प्रभारी मंत्रीजी।

डा. बी. डी. कल्ला : पारित कराऊं?

श्री उपाध्यक्ष : और क्या करोगे?

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन)...(व्यवधान) जनमत जानने वाले प्रस्ताव को पहले रिजेक्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बोला ही नहीं है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2–कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

माननीय कल्लाजी।

विधेयक का पारण

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पारित किया जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, कानून हम कोई भी पास करें, कोई भी पब्लिक प्रिमिसेज बनाएं, बिल के प्रावधानों की तरफ मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि दरगार ख्वाजा साहब की जो भी कमेटी बनी हुई है उनको अपने अतिक्रमणों को बहुत मुस्तैदी से निकालने का अधिकार हो। प्रश्न यह है कि पब्लिक प्रिमिसेज क्या है। पब्लिक प्रिमिसेज में आपने कहा है, सैक्शन दो में, कि पब्लिक प्रिमिसेज होने के लिए...(व्यवधान) माफ करें। पब्लिक प्रिमिसेज के लिए "ए-बोडी कारपोरेट", माननीय मंत्रीजी का ध्यान जो डेफिनिशन है पब्लिक प्रिमिसेज इविक्शन आफ अनअथोराइज्ड आक्यूपेंट्स (अमेंडमेंट) एक्ट के पीछे लगी हुई है–"a body corporate established or constituted by a Central Act or Rajasthan Act and owned or controlled by the State Government; and" मैं सिर्फ माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं, क्या आप दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर को "ओण्ड एण्ड कंट्रोल्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट" समझते हैं? क्या आप श्रीनाथ टैम्पल, नाथद्वारा को "ओण्ड एण्ड कंट्रोल्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट" समझते हैं? इनका एक्ट चाहे भारत सरकार के पास किया, चाहे राजस्थान सरकार ने नाथद्वारा टैम्पल के सम्बन्ध में पास किया, पर हम किसी भी प्रकार से यह कहने के अधिकारी नहीं हैं कि दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर "ओण्ड एण्ड कंट्रोल्स बाई स्टेट गवर्नमेंट" है। और यदि वह "ओण्ड एण्ड कंट्रोल्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट" नहीं है तो हमारी मजबूरी है कि हम उसको पब्लिक प्रिमिसेज घोषत नहीं कर सकते। आप उनके संबंधित जो भी एक्ट हैं उनमें उनको अतिक्रमण हटाने के पूर्ण प्रभावी अधिकार प्रदान करें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी पूर्ण सहमति है। लेकिन आप पब्लिक प्रिमिसेज की डेफिनिशन को इतना खींच लेंगे कि आप नाथद्वारा टैम्पल को, दरगाह ख्वाजा साहब की कमेटी को "ओण्ड एण्ड कंट्रोल्स बाई स्टेट गवर्नमेंट"

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मान लेंगे, उसकी मालिक राज्य सरकार हो जाएगी और उसी के नियंत्रण में वह मन्दिर और ख्वाजा साहब दरगाह समझी जाएगी, यह मेरी समझ के, माननीय मंत्री महोदय, कुछ बाहर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस पर आप पुनर्विचार करें कि क्या हम इन मन्दिरों को, क्या हम दरगाह ख्वाजा साहब को "ओण्ड एण्ड कंट्रोल्स बाई स्टेट गवर्नमेंट" कहना चाहते हैं? और क्या यह मानते हैं कि वो हमसे कंट्रोल्ड हैं? यदि ऐसा नहीं है तो आपका क्या यह बिल लाया जाना असंवैधानिक है और पब्लिक प्रिमिलेज की तारीख के बाहर है? मैं इसी संवैधानिक आपत्ति को उठाते हुए मेरी बात को विनम्रता से समाप्त करता हूं कि राज्य सरकार इसका उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पब्लिक प्रिमिसेज (इविक्शन आफ अनअथोराइज्ड आक्यूमेंट) (अमेंडमेंट) बिल, 2001 सदन के विचारार्थ है। मंत्री महोदय अधिनियम की धारा 2 के खण्ड "ख" के अन्दर संशोधन ला रहे हैं और राजस्थान सरकारी स्थानों की श्रेणी में दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर, श्रीनाथजी मन्दिर, नाथद्वारा, सांवलियाजी माण्डफिया मन्दिर, चित्तौड़ को लेने का आप प्रस्ताव कर रहे हैं। मंत्री महोदय, आपको ध्यान होगा कि जिन संस्थाओं को आप इस अमेंडमेंट के माध्यम से राजस्थान सरकारी स्थानों की श्रेणी में ले रहे हैं, ये सारे के सारे अलग-अलग अधिनियमों से वर्तमान में गवर्न हैं। दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 में बना, नाथद्वारा अधिनियम, 1959 में बना और सांवलिया मन्दिर का अधिनियम, 1992 में बना। अब इन सारे अधिनियमों के अन्तर्गत, उपाध्यक्ष महोदय, इन संस्थाओं का किस तरह संचालन होगा? नियम बने, उप नियम बने, इनकी स्थायी सम्पत्ति की एंट्री कैसे होगी और स्थायी सम्पत्ति के साथ-साथ इन संपत्ति में जो लोग कब्जा करें उनके विरुद्ध किस तरह कार्यवाही की जाएगी, सारी की सारी चीजें इसमें हैं। सवाल यह उठता है कि ऐसे क्या कारण आ गये कि आपको यह कानून लेकर आना पड़ा या अमेंडमेंट लेकर आना पड़ा? निश्चित तौर पर पिछले वर्षों में, विशेष तौर पर जब से आपका शासन आया है, आपने नाथद्वारा के मन्दिर का बड़ी संख्या में लैण्ड यूज चेंज किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि भारत के अंदर नाथद्वारा और एकलिंगनाथजी के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है। इन मन्दिरों के नीचे राजाओं के समय में बहुत बड़ी सम्पत्ति थी, बहुत बड़ी संख्या में जमीन थी। अब उस बहुमूल्य जमीन पर आपने खनन करने का आदेश दे दिया। अनअथारोइज्ड आक्यूपेंट्स हैं वो लैण्ड यूज चेंज का मामला लेकर आये, आपने लैण्ड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यूज चेंज कर दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपकी मंशा वास्तव में अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही करने की है तो जिन अधिनियमों के तहत ये सारी संस्थाएं दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1956 नाथद्वारा अधिनियम संचालित है, उन्हीं के अन्दर आप कार्यवाही कर सकते थे। पर फिर भी आप यह जो कानून लेकर आये हैं, जिस मंशा को आपने उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट किया है, अगर यही मंशा आपकी है तो निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य है। परन्तु आप अपना उत्तर दें इससे पहले स्पष्ट करें कि पूर्व में जिन अधिनियमों के तहत ये सारी संस्थाएं संचालित हो रही थीं उन अधिनियमों की स्थिति क्या रहेगी?

और दूसरा जो वैधानिक सवाल लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने खड़ा किया है, आपने खुद देखा होगा, इसमें सैक्शन दो में जिस चीज का उल्लेख आपने किया है–"a body corporate established or constituted by a Central Act or a Rajasthan Act and owned or controlled by the State Government; and" अगर ओण्ड एण्ड कंट्रोल बाई स्टेट गवर्नमेंट है तो फिर तो इसका आपका संशोधन लाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उत्तर दें तो सारी चीजें स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अपने उपयोगी सुझाव दिये, लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि कोई सरकारी स्थान या कोई भी बनाने की हमारी मंशा नहीं है। तीनों संस्थाओं के मुख्य प्रबन्धकों के द्वारा अपने बोर्डों से प्रस्ताव लेकर हमको यह बताया गया कि इन स्थानों को आप सार्वजनिक स्थल घोषित करें। क्यों करें, उसके पीछे उन्होंने यह तर्क दिया था कि सांवलिया मन्दिर मण्डल में 16 अतिक्रमी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो 1998 से वहां पर काबिल हैं। दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर में जो सम्पत्तियां हैं उनमें 874 अतिक्रमी हैं जिनको वे निकाल नहीं पा रहे हैं। श्रीनाथजी मन्दिर मण्डल के अन्तर्गत करीब करीब 68 अतिक्रमी हैं जिनको वे निकाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, तीनों मण्डलों ने, बोर्डों ने और सम्बन्धित जो उनको मैनेजमेंट कमेटियां हैं उन्होंने सरकार को यह लिखकर दिया कि इसको पब्लिक प्रिमिइसेज घोषित किया जाए। तीनों कलक्टर्स ने यह कहा कि ये पब्लिक प्रिमिइसेज घोषित किये जाएं। इस एक्ट की धारा 2 बी में 10 स्थानों को, उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक प्रिमिइसेज डिक्लेयर किया हुआ है। म्यूनिसिपल बोर्ड,

(डा. बी. डी. कल्ला)

म्यूनिसिपल कौंसिल, अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इसके आधार पर आगे तीसरे में है स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन, पंचायत एस्टेब्लिशड अण्डर द राजस्थान पंचायत एक्ट, पंचायत समिति और जिला परिषद् और उसके बाद गवर्नमेंट कम्पनीज as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956, देवस्थान और उसके बाद वक्फ और मार्केटिंग कमेटी "a body corporate established or constituted by a Central Act or a Rajasthan Act and owned or controlled by the State Government; and" इसके आगे ये तीन और स्थान जोड़े जा रहे हैं, ख्वाजा साहब की दरगाह, श्रीनाथ मन्दिर और सांवलियाजी का मन्दिर। इसकी जब सम्पत्तियां पब्लिक प्रिमाइसेज डिक्लेयर हो जाएंगी तो वहां फिर सम्बन्धित लोगों को ये अधिकार हो जाएंगे कि वे सार्वजनिक स्थलों को जिस तरीके से अतिक्रमियों से खाली करवाते हैं, वैसे ही वैसे अतिक्रमियों से जल्दी से जल्दी इन स्थानों को भी खाली करा सकेंगे।

जहां तक लूणकरणसर से आने वाले माननीय ने यह बताया कि मिल्कियत सरकार की होगी, इसकी मिल्कियत कतई सरकार की नहीं होगी। जो पुराने एक्ट हैं वे अपने स्तर पर काम करेंगे। केवल अतिक्रमियों को हटाने के परपज से इन स्थानों को सार्वजनिक स्थल घोषित किया जा रहा है ताकि अतिक्रमियों को वहां से बेदखल किया जा सके।

इसके अलावा, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि उन्हीं के एक्ट में यह प्रावधान कर देना चाहिए तो उनके पास जो एक्ट दिये हुए हैं, जो एक्ट के प्रावधान हैं, उनके पास ही यदि प्रावधान होते तो वे इतने अतिक्रमियों को बढ़ने नहीं देते। उनकी स्वयं की प्रार्थना के ऊपर ही यह काम किया जा रहा है, इसलिए माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करता हूं कि वे अपनी आपत्तियों को वापस ले लें अथवा मैं आपके माध्यम से उन आपत्तियों को अस्वीकार करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको पारित करवाएं।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का जवाब हमने बड़े गौर से सुना। मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि सांवलियाजी ट्रस्ट ने, नाथद्वारा मन्दिर ने तो यह प्रस्ताव पास करके आपके पास भेज दिया, लेकिन हमारा जो कानून है, हम पब्लिक प्रिमिइसेज उसी को मान सकते हैं जो ओण्ड एण्ड कंट्रोल बाई द स्टेट गवर्नमेंट हो। आपने नगरपालिका, यू.आई.टी. का जो उदाहरण दिया, नगरपालिका की भूमि राज्य सरकार द्वारा कानून बनाकर उनमें वेस्ट की गई है, वह ओण्ड एण्ड कंट्रोल

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बाई स्टेट गवर्नमेंट की तारीख में आती है। नगरपालिका खुद भी स्टेट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो व्याख्या की गई है नगरपालिका स्टेट है, यू.आई.टी. स्टेट है, पंचायत, ग्राम पंचायत स्टेट है, गवर्नमेंट कम्पनीज स्टेट है, क्योंकि उसमें बहुमत रुपया, अधिकांश पूंजी राज्य की लगी हुई है। माननीय मंत्रीजी, ओण्ड एण्ड कंट्रोल बाई स्टेट गवर्नमेंट ऐसे शब्द नहीं हैं कि जो अब तक परिभाषित नहीं किये गये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों बार इसको पूर्ण परिभाषित किया है। आपने ला डिपार्टमेंट की या अपने एडवोकेट जनरल की इसमें कोई राय प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया है। यह हो सकता है कि आपने पापुलरिज्म के नाते ट्रस्टियों के जो प्रस्ताव आये, उनको इसमें स्थान देने के लिए यह संशोधन इसमें जोड़ दिया, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब तक आप उन सब अलग-अलग अधिनियमों में यह प्रावधान नहीं करेंगे कि इसकी भूमि अतिक्रमण के लिए पब्लिक प्रिमिइसेज मानी जाएगी, आपको लीगल फ्रिक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। It shall be deemed to be a public premises, यह बात जब तक आप उन कानूनों में नहीं डालते, इस कानून में डालने से इसको भी चुनौती दे सकेगा क्योंकि दरगाह ख्वाजा साहब को किसी भी तरीके से ओण्ड एण्ड कंट्रोल बाई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता। वह तो अलग एक्ट है, अलग अलग उसके ट्रस्टी हैं, अलग उसके मालिक हैं, मिल्कियत दरगाह ख्वाजा साहब की है न कि राज्य सरकार की, मिल्कियत नाथद्वारा मन्दिर की है, जो मूर्ति वहां है उसकी है न कि राज्य सरकार की, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बहुमत के आधार पर यदि इसको पास भी करना चाहते हैं, यह इल एडवाइज्ड एक्शन है राज्य सरकार का कि दरगाह ख्वाजा साहब को, श्रीनाथजी के मन्दिर को और सांवलिया ट्रस्ट को ओण्ड एण्ड कंट्रोल्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट मानकर और पब्लिक प्रिमिइसेज में इसको डालकर उसका लाभ देना चाहते हैं। उनको लाभ मिलेगा नहीं, उनको लाभ तभी मिलेगा जब आप इनसे सम्बन्धित जो कानून हैं उसमें लीगल फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे। मैं इसी निवेदन के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं।

डा. बी. डी. कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो हम एड कर रहे हैं उसमें साफ लिखा है, दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 36) के उपबंधों के अनुसार प्रशासित दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के नाथद्वारा के अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) के उपबंधों के अनुसार प्रशासित श्रीनाथ मन्दिर, नाथद्वारा के देवता के या श्री सांवलियाजी मन्दिर अधिनियम, 1992–

(डा. बी. डी. कल्ला)

(1992 का राजस्थान अधिनियम संख्या 8) के उपबंधों के अनुसार प्रशासित श्री सांवलियाजी मांडफिया जिला, चित्तौड़गढ़ के देवता के, इनकी सारी भूमियां जो अतिक्रमियों द्वारा अधिग्रहित कर ली गई हैं उनको बेदखल करने के लिए मात्र एक अमैंडमेंट, बहुत सिम्पल अमेंडमेंट है जो उनकी प्रार्थना के आधार पर ग्राह्य किया गया है। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य स्वयं मन में राजी हो रहे हैं कि यह काम अच्छा हो रहा है। ख्वाजा साहब की दरगाह के ऊपर या मन्दिर के ऊपर हमारी अधिकार करने की कोई कुचेष्टा नहीं है, ये सब अपने अपने अधिनियम के अन्तर्गत काम करेंगे। उनकी प्रार्थना के आधार पर, जब वे यह कहेंगे कि यहां अतिक्रमियों ने हमारी भूमि का अतिक्रमण कर लिया है, उनको बेदखल करने में राज्य सरकार सहयोग करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया गया।

माननीय ला मिनिस्टर साहब।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मौटे तौर पर माननीय विधि मंत्रीजी जो संशोधन लाये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप तो वकील हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं मोटे तौर पर उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बस फिर क्या है तो?

श्री मानिक चन्द सुराना : ब्राडली मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं कुछ बातें राज्य सरकार के विचार के लिए...

मोहम्मद माहिर आजाद : खेतसिंहजी का विरोध आप कर ही नहीं सकते।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, खेतसिंहजी हमारे मित्र हैं, विरोध करेंगे कैसे? हमारे वरिष्ठ भी हैं, इसलिए उनके विरोध का सवाल कहां है?

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके तो सभी हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, मेरे तो सब वरिष्ठ हैं ही।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस बिल के द्वारा जो मूल बात की जा रही है वह यह है कि 4 रुपये का स्टाम्प जो वैलफेयर का है, एडवोकेट्स वैलफेयर के लिए प्रत्येक वकालतनामे पर प्रत्येक अदालत में लगाना पड़ता है, उसकी राशि 4 से 10 की जा रही है। अच्छा होता कि माननीय विधि मंत्रीजी जो एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स बिल लाने के हैं, उसमें उसका विस्तार से ब्यौरा देते, कि चार रुपये से बार कौंसिल आफ राजस्थान का काम नहीं चल रहा है और उनको कोई वित्तीय कठिनाई आ रही है इस कारण से हम इस राशि को 10 कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी और इस सदन की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि इस एडवोकेट वैलफेयर फण्ड के कारण ही पिछले साल राजस्थान की बार कौंसिल ने अलग अलग टाइम पर, एक बार 14.4.2002 को 18 मृत अभिभाषकों के लिए 7 लाख 18 हजार रुपये का प्रावधान किया, उनको चुकारा किया। सीरियस ऐलमेंट में 18 वकीलों को एक लाख 16 हजार रुपये उपलब्ध करवाये और 17(3) धारा के अन्दर जो अभिभाषक रिटायर हो रहे थे उनको भी दो लाख 9 हजार रुपये उपलब्ध कराये। तीन बार ऐसा करके अपनी अलग–अलग मीटिंगों में 33 लाख 90 हजार रुपये 103 अभिभाषकों को उपलब्ध कराये गये। बिल का आब्जैक्ट जो हमने 1987 में पास किया और 1995 में जिसमें आपने संशोधन किया वह बिल का आब्जैक्ट बहुत सही है, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो संशोधन पेश किये हैं, आप अभिभाषक की उम्र को रैस्टिक्ट कर रहे हैं कि वह 45 साल से अधिक उम्र का होगा तो वह वैलफेयर एक्ट के अन्दर प्रार्थना पत्र नहीं दे पाएगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने का कोई सुसंगत कारण नहीं है। आपने धारा 18 में पहले से ही, अभी जो लाये हैं उसमें प्रतिबंधित किया है कि कोई वकील यदि वकालत छोड़ दे और कोई एम्प्लायमेंट में चला जाए, 15 साल नहीं आए तो वह 15 साल की अवधि का गैप हो जाएगा और उसके पीछे की अवधि मानी जाएगी और आगे फिर वह जोइन करे तो वह अवधि मानी जाएगी। इसी तरीके से जो लोग अन्य धंधों से रिटायर होकर आते हैं उनके लिए भी एडवोकेट्स वैलफेयर फण्ड में मैम्बर बनने का प्रावधान नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उम्र जो आज 65 साल के वकील के लिए भी खुली हुई है कि वह एप्लाई करे, आप इसको सीधी 45 जो ला रहे हैं वह उपयुक्त नहीं है। एडवोकेट्स के एक वर्ग को लाभान्वित करने की जो बात आपके पास आई है, मैं उसको उचित नहीं मानता

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हूं। मेरा निवेदन यह है कि यह वैलफेयर फण्ड आप्शनल न रहे, राजस्थान के सारे अभिभाषकों में लागू हो। जो भी पांच साल की स्टैंडिंग से कम वालों को 200 रुपये साल के देने पड़े हैं, 10 साल से कम वालों को 500 रुपये देने पड़ते हैं और 10 साल से अधिक वालों को 700-750 रुपये देने पड़ते हैं, यह प्रावधान आप्शनल नहीं बल्कि कानून में संशोधन यह करिये कि यह प्रावधान आवश्यक रूप से हर अभिभाषक पर लागू होगा ताकि इस फण्ड में जो भी रुपया आए उसका लाभ सभी अभिभाषकों को मिले। अभी तो, माननीय विधि मंत्रीजी, मात्र 11 हजार अभिभाषक इससे लाभान्वित हैं जबकि वकीलों की संख्या 32 हजार है। वकीलों का 1/3 हिस्सा ही इससे लाभान्वित है और 2/3 हिस्सा इससे वंचित है। एक तहसील में जो वकालत करता है, उप खण्ड अधिकारी के यहां वकालत करता है, आप उसका स्टाम्प का लेवल चार रुपये रखिये, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकालत करते हैं उनका लेवल 10 रुपये करिये और जो हाई कोर्ट में वकालतनामा दायर करता है उसका लेवल आप 20 रुपये रखिये। आपने कोई भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं करके एक समान 10 रुपये का स्टाम्प कर दिया-तहसील का वकील है तो 10 रुपये, जिला न्यायालय में 10 रुपये और हाई कोर्ट में 10 रुपये, यह जो एक ही भाव गुड़ और खल को भुगताया है यह उचित नहीं है। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि वकीलों की सहमति भी इसमें है कि हाई कोर्ट में जो वकालतनामा पेश होता है उनको 20 रुपये का स्टाम्प देना चाहिए। हाई कोर्ट जोधपुर और जयपुर, इसमें जो भी 50 हजार रुपये से ऊपर स्टाम्प होंगे उनका लाभ बार कौंसिल को मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक संशोधन तो आप राज्य सरकार की तरफ से यह लाएं कि हाई कोर्ट में जो भी वकालतनामा पेश होगा, उनको 20 रुपये का स्टाम्प देना पड़ेगा। यह 4 रुपये से 10 रुपये जो आप कर रहे हैं, मैं उसमें भी क्लासिफिकेशन चाहता हूं कि उप खण्ड अधिकारी के यहां तक तो 4 रुपये रहे और उससे ऊपर की कोर्टों के लिए डिस्टिक्ट कलक्टर के यहां और डिस्टिक्ट जज के यहां, सिविल जज के यहां 10 रुपये का स्टाम्प रहे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, बार कौंसिल के लोगों से मुझे जानकारी मिली है कि उनको एक करोड़ का पेमेंट हर साल देना पड़ता है। उनकी विधि भी 4 करोड़ रुपये के करीब हो गई है। उसका ब्याज चूंकि घट गया है इसलिए उनको परेशानी है, मैं चाहता हूं कि उनकी परेशानियों को आप दूर करें। लेकिन 45 साल के अभिभाषकों की जो रेस्टिक्शन आप लगा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

रहे हैं उस रेस्टिक्शन को हटाने का काम आप करें और इस वैलफेयर फण्ड को आप्शनल न रखकर आवश्यक बनाएं। आवश्यक बनाने का कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार कौंसिल आफ इण्डिया के रूल 40 में जहां यह प्रावधान था कि आवश्यक रूप से उनको सुप्रीम कोर्ट के बार का मैम्बर बनाना पड़ेगा और वैलफेयर फण्ड का रुपया देना पड़ेगा, उसको उच्चतम न्यायालय ने वैधानिक ठहरा दिया है। इसलिए आप यदि इसको आप्शनल नहीं रखकर आवश्यक रूप से हर वकील पर भी लागू करेंगे कि उसको वैलफेयर फण्ड के 200 रुपये जब तक वह पांच साल की वकालत करता है 200 रुपये प्रति वर्ष, और 5 साल से 10 साल के बीच वालों को 500 रुपये और 10 साल के ऊपर वालों को 750 रुपये देने होंगे, मैं तो यह भी कहता हूं कि जिनकी वकालत 20 साल है उनको वैलफेयर फण्ड में 1500 रुपये कंटीब्यूट करने चाहिए क्योंकि आपने जो 95 की अनुसूची बनाई है, 40 साल के एडवोकेट को रिटायरमेंट या डैथ पर जो सवा चार लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है, मैं माननीय मंत्रीजी, कहना चाहूंगा, 11 हजार वकील ही इससे लाभान्वित होंगे। आप चाहे यह स्लैब कम कर दे अनुसूची की और चाहे यह ढाई लाख ही हो जाए लेकिन सभी वकील इससे लाभान्वित हों, ऐसा प्रावधान आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। इन्हीं सुझावों के साथ मैं राज्य सरकार से अपील करूंगा कि इसमें आवश्यक संशोधन खास तौर से हाई कोर्ट में जो वकालतनामे पेश होते हैं उनके लिए 20 रुपये का प्रावधान करने का संशोधन भी मूव करें, और इस बिल को सदन में जो हम इस तरफ बैठे हैं उनकी भी मोटे तौर पर इसमें सहमति है इसलिए आप इसको देखें और इसमें आवश्यक संशोधन लाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर जो विधेयक सदन में विचारार्थ है, मैं उसका स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए करता हूं कि इसको पायलट करने वाले ही ऐसे राठौड़ हैं जो पेशे से वकील भी हैं और जो ज्ञानवान भी हैं, परन्तु मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में आपके बिल पर विचार हो रहा है और आप वार्तालाप में लगे हुए हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, ये स्टेट ला मिनिस्टर हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : और आप जो कह रहे हैं उसी की गहनता में हम विचार कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा था कि मोटे तौर पर आप सैक्शन 20 के अन्दर संशोधन लेकर आये हैं। वकालतनामे पर जो कल्याण निधि की स्टाम्प लगती है उसको 4 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये करना चाहते हैं और सैक्शन 19 में बार कौंसिल कल्याण निधि के स्टाम्प को 2 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करना चाहते हैं। आप वकीलों का कल्याण करें, यह बिलकुल अच्छी बात है, बुद्धिजीवी वर्ग है और इस प्रदेश और देश की राजनीति का मुख्य केन्द्र बिन्दु यह वर्ग रहा है, परन्तु आप उस गरीब मुवक्किल पर भार क्यों डालना चाहते हैं जो पहले ही एक बार वकील के चक्रव्यूह में फंस जाए? मंत्री महोदय, आपको भी ध्यान होगा, आप भी जवानी के समय में कई बार वकीलों के चंगुल में फंसे होंगे,•••एक बार फंसने के बाद वकील वैसे ही निचोड़ लेता है और आप...

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या कह रहे हो? आपकी वकालत चली नहीं, आप सुरानाजी को कह रहे हो या भंवरजी के लिए कह रहे हो? किसको कह रहे हो यह बात?

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, वकील समुदाय के लिए कोई इस तरीके का इस्तेमाल किया जाए, मैं चाहता हूं कि इसको प्रोसीडिंग से हटाया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय राठौड़ साहब, इस पवित्र सदन में...

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है उसको प्रोसीडिंग से हटाया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको भंवरजी का विरोध करना है और मानिकजी का विरोध करना है तो और ही दूसरी बातों से कर लो। आप वकीलों को...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : भंवरलालजी शर्मा साहब हैं, सुराना साहब हैं, व्यासजी हैं, सभी वकील साहिबान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। भंवरलालजी साहब, क्या कह रहे हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह ••• शब्द आया है यह कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह वापस ले लें। यह अनायास निकल गया। इट डज नॉट मीन दैट। उसको हटा दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वापस ले लेता हूं।

••• शब्द माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : वापस ले लिया न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसको निकलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : वापस ले लिया तो एक्सपंज हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कार्यवाही से निकलवाइये, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सैक्शन 25 के अन्दर जो वकील...

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कभी अवसर आया हो कि आपके पक्ष का सदस्य बोल रहा हो और आप ही एक्सपंज करा रहे हो? ऐसा अवसर आया है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप बड़े डैमोक्रेट हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, हम वो लोग हैं जो गलती से कोई शब्द निकल जाए तो उसको वापस भी ले लेते हैं। हम कभी माननीय विधि मंत्रीजी की तरह एडामेंट थोड़े ही हो जाते हैं कि मैं शेर हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं।

नगर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं दो मिनट में ही खतम करना चाहता हूं। सैक्शन (25) के अन्दर जो आप यह संशोधन लेकर आये हैं कि कोई भी वकील अगर चिकित्सालय में भर्ती हुआ तो इसमें 10,000 के प्रावधान को बढ़ाकर आप 20,000 रुपये कर रहे हैं। मंत्री महोदय, आपको मालूम है, आजकल जिस तरह से महंगाई का युग है, निजी चिकित्सालय में अगर कोई भर्ती हो जाए तो 20,000 रुपये की राशि अत्यन्त कम है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको आप बढ़ाकर 40,000 रुपये करें। इसके अलावा गम्भीर रूप से अगर कोई वकील पीड़ित हो जाए उसमें जो आपने राशि रखी है, जिसको आप 20,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर रहे हैं, यह भी कम है। यह कम से कम एक लाख रुपये होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, वैसे तो आप यह लेकर आये हैं, लेकिन इसमें सरकार का अंशदान भी होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस अधिवक्ता कल्याण निधि के अन्दर मुवक्किल से आप पैसा ले रहे हैं, वकील इसके अन्दर अपना शेयर दे रहा है परन्तु सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, इसलिए मंत्री महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस निधि के अन्दर सरकार का प्रति वर्ष एक निश्चित अंशदान हो क्योंकि 33 लाख से ज्यादा राशि पिछले वर्ष बार कौंसिल के अधिवक्ताओं के कल्याण पर खर्च की गयी है। जिस तरह से इसकी फीस लिखी गई है और जिस तरह से आप स्टाम्प्स लगा रहे हैं, उससे यह राशि अपर्याप्त है इसलिए सरकार की तरफ से भी निश्चित धनराशि प्रति वर्ष इस निधि में जाए, इसकी व्यवस्था भी आप करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जसवन्त सिंह, (अनुपस्थित)। श्री केसाराम चौधरी,

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनुपस्थित)। श्री रघुवीर सिंह गौड़, (अनुपस्थित)। श्री ज्ञानदेव आहूजा, (अनुपस्थित)। श्री घासीलाल मेघवाल, (अनुपस्थित)। श्री हीरासिंह चौहान, श्री सांवर लाल, श्री सुरेन्द्र गोयल। (व्यवधान) आप बोल रहे हैं? आप बिराजें।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : बोलूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार कौंसिल और एडवोकेट्स वैलफेयर के लिए कुछ अमेंडमेंट्स माननीय विधि मंत्रीजी लाये हैं और एग्जिस्टिंग एक्ट में कुछ प्रोविजंस में कमी थी, उनको ठीक करने की व्यवस्था की है। लेकिन मैंने जो देखा है, एक तो अमेंडमेंट आफ द सैक्शन (14) राजस्थान एक्ट के बाद (15), माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें प्रत्येक बार कौंसिल को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करने वाली बात कही है। मैं सोचता हूं कि इसकी, माननीय विधि मंत्रीजी, आवश्यकता तो थी नहीं। राजस्थान बार कौंसिल है, उसके तहत जहां-जहां कोर्ट्स हैं वहां पर आलरेडी उनके चुनाव होते हैं और चुनाव में एडवोकेट्स उसके मैम्बर होते हैं। आपने जो प्रोविजन किया है वह इस प्रकार है- "...the following provisos shall be added, namely-"Provided that it shall be necessary for every Bar Association seeking recognition and registration with Bar Council to be registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958:..." आगे आपने और व्यवस्था की है-"Provided further that existing Bar Association recognised and registered by the Bar Council shall, if not already registrered, get themselves registered under the Rajasthan Societies Registration Act,..." मतलब राज्य में जहां-जहां कोर्ट्स हैं, एवरी वर्ड का इंडीकेशन किया है जहां जहां कोर्ट्स आलरेडी हैं उनके बार एसोसिएशन बने हुए हैं, लेकिन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर करने वाली बात जो कही गई है, मैं सोचता हूं, माननीय विधि मंत्रीजी बताएंगे कि इस रजिस्ट्रेशन से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और अभी वर्तमान में नहीं है तो उससे क्या अन्तर पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन होने की बाध्यता बार कौंसिल के लिए क्यों लाये हैं, इसको आप समझाने की कोशिश करें।

इसी प्रकार एज के बारे में सैक्शन 16-राजस्थान एक्ट में-"...after existing sub-section (1), the following proviso shall be added, namely :

"Provided that such Advocate

(श्री हीरासिंह चौहान)

has not attained the age of 45 years on the date of submission of application seeking admission to the Fund."

Such Advocate had not attained the age of 45 years on the date of submission of application seeking admission to the Fund." मेरा निवेदन यूं था कि इसमें तो बहुत सारे सरकारी सेवाओं से भी होते हैं, सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद बहुत सारे सैशन जज भी प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। (व्यवधान) नहीं, वह बार कौंसिल में तो आ जाते हैं, क्यों नहीं मिलनी चाहिए मगर वह तो परमिशन चाहते हैं इसमें इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन लागू नहीं करना चाहिए उन पर because he became a member of the Bar Council. He should get all the benefits of this Welfare Fund. पेंशन वाली सुविधा होगी, लेकिन यह जो एज की लिमिटेशन है, उनके साथ में दूसरी शर्तें लगा दी जाएं, पेंशन मिलती होगी या नहीं मिलती होगी, कुछ इस प्रकार के लोग भी हो सकते हैं, तो इस प्रकार के बेनिफिट उनको दिये जाने चाहिए।

कुलमिलाकर grant to the member of the fund, का जो किया है, जैसा राजेन्द्रजी राठौड़ ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इसमें बहुत ज्यादा सहयोग देने की जरूरत है। यह बात सही है कि हमारे क्लाइंट्स के ऊपर जो वकालतनामा का टिकट लगाते हैं, उसमें चार रुपये का कम्पलसरी किया है। यह तो कंट्रीब्यूशन आता है सब तरफ से, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रति वर्ष इस कल्याण कोष के लिए देना चाहिए। क्योंकि यह बहुत बड़ा पढ़े लिखे लोगों, वकील लोगों का समूह है जो अपना निजी व्यवसाय करके लोगों को कानूनी सहायता देता है, सरकार पर भी किसी प्रकार का वजन नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस वैलफेयर फण्ड्स में ज्यादा से ज्यादा राशि दे। यह एक ऐसा वर्ग है जो हमारे समाज को कानून में हर प्रकार से सहयोग करता है। इनके वेलफेयर के लिए मेरा माननीय विधि मंत्रीजी से निवेदन है कि आप वैलफेयर की राशि ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर, ज्यादा से ज्यादा उनके संकट में, दुःख में, तकलीफ में सहयोग करें, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 2003 लाया गया है, इसका मैं बहुत स्वागत करता हूं, यह काफी लम्बे समय से पैंडिंग था और अब...

श्री उपाध्यक्ष : जब सब स्वागत कर रहे हैं तो फिर पास कराया जाए? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल : पारित करवा रहा हूं। अभी माननीय सुराना साहब ने कहा कि हाई कोर्ट में 20 रुपये वकालतनामे के टिकट के लगने चाहिए। जो यह 10 रुपये रखा गया है, हाई कोर्ट में तो बहुत कम अपील जाती हैं। लोअर कोर्ट में अगर चार रुपये रखा जाए तो जो भी मामले होते हैं वे लोअर कोर्ट में जाते हैं और लोअर कोर्ट में सही इनकम होती है। मेरा निवेदन है कि चार रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया, बहुत अच्छा है सैक्शन (20) में। सैक्शन (25) में जो 10,000 रुपये को 20,000 रुपये किया गया है और 20,000 को 40,000 रुपये किया है और 50,000 रुपये को एक लाख रुपये किया है मृत्यु पर, वह भी बहुत अच्छा कदम है और मेरा निवेदन है कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आपके जवाब की जरूरत ही नहीं फिर तो? (व्यवधान) बोलना है? बोलिये। (व्यवधान) एक मिनट, बिराजिये। बिराजिये, बिराजिये। आप पारण के समय बोलिये। ये तो इसके संशोधन पर बोल रहे हैं, आप बिराजिये, आपको बोलने दूंगा। Let the right time come. आप फर्माएं। माननीय ला मिनिस्टर संशोधन बोल दिया मैंने। मैंने सब नाम बोल दिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप थर्ड रीडिंग पर थोड़े ही बोलेंगे? अभी नहीं बोलेंगे आप? आप बोल लेना सभी, जिनके नाम हैं, सबको बोलने देना, साहब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक दफा आ जाएगा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजिये। बोलने कैसे दें? एक मिनट, बिराजिये बिराजिये। सारी, आपका नाम है। एक मिनट। डा. रतन लाल, (अनुपस्थित)। डा. अमराराम, (अनुपस्थित)। श्री हरिशचन्द्र कुमावत, (अनुपस्थित)। श्री प्रताप सिंह सिंघवी, (अनुपस्थित)। श्री रामनारायणजी विश्नोई, (अनुपस्थित)। श्री भंवरलालजी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, यह जो सैक्शन (11) में अमेंडमेंट किया है, आपने उसमें यह लिखा है–"(6) A copy of annual audit report and the audited accounts shall be sent every year to all the Bar Associations recognised and registered under the provisions of this Act." इसका क्या मतलब हुआ? A copy of annual audit report, आडिट रिपोर्ट होगी उसकी, वह सारे बारों के पास भेजेगा...

श्री खेतसिंह राठौड़ : ताकि किसी को आपत्ति नहीं हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, जयपुर की बार है, वह राजस्थान के बाहर के बारों को क्यों भेजेगा, क्या मतलब है? आपत्ति तो वहीं हो, जो कमेटी है, जहां बार है, वही करेगी, दूसरों का क्या मतलब है? दूसरे ऐसे ही भेजेंगे, सब जगह कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है इसका। "A copy of annual audit report and the audited accounts shall be sent every year to all the Bar Associations recognised and registered under the provisions of this Act."

श्री सुरेन्द्र व्यास : कंसर्निंग बार एसोसिएशन।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कंसर्निंग तो वह तो है ही, फिर सभी को कहां भेज देंगे, भई? टू आल, राजस्थान में जितनी भी बार एसोसिएशन होगी रजिस्टर्ड, उन सब के पास आडिट रिपोर्ट भेजोगे, उससे क्या करना है आपको? क्या फायदा है, बताइये आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, बोलिये माननीय सदस्य। माननीय, इधर, इधर बोलिये, बोलिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ट्रांसपेरेंसी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अच्छा, कोई बात नहीं। एक यह 19 और 20-19 में अभी दो रुपये का स्टाम्प आलरेडी है और अमेंडमेंट आपने चार का रखा है पहले से ही। वहां तो दो ही रुपये कर रखे हैं आपने, वहां चार कर रखे हैं पहले से ही, जिसका अभी अंतर क्यों रखा आपने, कैसे रहा यह, हुआ कैसे यह?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसीलिए तो लाये हैं यह बिल।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह कहां भूल रह गई आपकी? 19 में दो रुपये ही हैं, बीस में चार रुपये कर रखे हैं जिसको चार के अब दस कर रहे हैं आप। तो पहले तो दो ही अलाउड थे इस कानून में आज तक तो और आप चार का स्टाम्प कर रहे थे। तो जरा इस पर विचार करिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधि मंत्रीजी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने बार कौंसिल के प्रस्तावों को पूरी तरह से मान कर यह विधेयक यहां पर सदन में प्रस्तुत किया है। बार कौंसिल ने काफी डेलीबरेशंस करके अपने प्रस्ताव आपके सामने रखे हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, एक तो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह भ्रांति है, साहब कि मुवक्किल के ऊपर जो आप चार रुपये से बढ़ाकर दस रुपये से ज्यादा कर रहे हो। सैक्शन 20 का सब सैक्शन 3 यह कहता है, उपाध्यक्ष महोदय-"In case

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

a member of the Fund receives or collects the value of stamp from his client, he shall be deemed to be guilty of misconduct and the provisions contained in section 35 of the Advocate Act, 1961 (Central Act No. 25 of 1961) shall mutatis mutandis apply against this member of the Fund." यानि मुवक्किल् से पैसा नहीं ले सकता वकील। अब यह आप अगर कहें कि ग्राउंड रियलिटी पर क्या होता है तो यह तो चोरी भी लोग करते हैं, वह अलग बात है, लेकिन यह वैधानिक रूप से आपत्तिजनक है और यह मिसकंडक्ट की परिभाषा में आता है। इसलिए एडवोकेट को खुद को देना पड़ेगा। यहां पर मैं इस बात से सहमत हूं, जो लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कि बार कौंसिल के प्रस्ताव के बावजूद भी आप अपना माइंड एप्लाई करें तो यह एक रिजनेबल क्लासिफिकेशन है क्योंकि इस सदन में जितने भी इस व्यवसाय से लोग आते हैं अधिकांश वह इस बात को समझते हैं, जो मुफस्सिल लायर है उसके अन्दर और हाई कोर्ट के लायर के अन्दर तो फर्क आपको करना पड़ेगा। शैलेन्द्रजी, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इनको उचित सलाह दो, यह एक अच्छा सुझाव है। हाई कोर्ट के अन्दर अगर अपन बीस रुपये रखे और मुफस्सिल के अन्दर चार रुपये रखें तो कोई यह सुझाव अनुचित नहीं है, यह रखना चाहिए।

एक और निवेदन करना चाहता हूं मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जो बार बार कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन आपको दो, तो यह सैक्शन 3 में है–Any grant which is made by the State Government to refund under appropriation duly made in this behalf. विधि मंत्रीजी, एक कृपा करके यह बता दे, जब से यह एक्ट प्रभाव में आया है, सरकार ने, मेरा मतलब सिर्फ वर्तमान सरकार से नहीं है, जो भी सरकार थी, सरकार ने कभी इस फण्ड में कंट्रीब्यूट किया क्या? आपने एक पैसा कभी कंट्रीब्यूट नहीं किया, आप अपने कर्तव्य में बिलकुल विफल रहे हैं, जबकि एस्टिब्लिशमेंट आफ द ट्रस्टी कमेटी उसमें आपके द एडवोकेट जनरल आफ राजस्थान, एक्स आफिशियो मैम्बर, द ला सैक्रेटरी गवर्नमेंट आफ राजस्थान, एक्स आफिशियो मैम्बर, यानि कंट्रोल तो आप पूरा करते हैं, हस्तक्षेप आपका पूरा है, आपकी मर्जी के बिना यह चला नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट बाडी है, तो फिर आपका जो फण्ड है उसके अन्दर आप कंट्रीब्यूट करते नहीं हो तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि या तो साथ के साथ, आज लगे हाथ इस सैक्शन 3 के सब

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सैक्शन–ई को डिलीट कर दें, यहीं पर करा दें, क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं है, रिडंडेंट हो गया यह। और अगर इसको स्टेच्यूट बुक में रखते हैं तो, गरीब परवर, कुछ न कुछ दिलाओ न आप भी वकीलों को, पहला श्रीगणेश यही कर दो आप, क्योंकि आपने यह श्रीगणेश तो किया ही है कि उनसे परामर्श करके बात मान ली। मैं अंत में यही निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य मानिकचन्दजी सुराना के सुझाव को कुछ दृष्टिगत रखते हुए अगर अमेंडमेंट लाए तो...

मोहम्मद माहिर आजाद : गरीब परवर क्या होता है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : गरीब परवर तो यह है जो वकीलों की जमात गरीब है...

मोहम्मद माहिर आजाद : वह तो हो ही नहीं सकते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं उन वकीलों की तरफ से बोल रहा हूं जो वकील वाकई नीडी हैं। मैं 45 वाले प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं आपके से, वह बिलकुल बहुत डेलीब्रेट है। क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत लोग नौकरी छोड़कर आते हैं यहां पर, उसकी कोई न कोई एज लिमिट होनी चाहिए। यानि जिस आदमी ने इस व्यवसाय ने अपनी जिन्दगी लगाई है और फिर वह जाकर कोई तकलीफ में पड़े, आपत्ति में पड़े तो उसको मदद होनी चाहिए। शौकिया जो हैं, वे तो आपके अफसर लोग भी सब आ जाते हैं रिटायर होकर, एनरोलमेंट करा लेते हैं। तो यह तो, विधि मंत्रीजी, बार कौंसिल ने सोच समझ कर प्रस्ताव रखा है, उसमें तो मैं असहमत नहीं हूं। टहलने, रामनिवास बाग में घूमने जाते हैं, वैसे कोर्ट भी घूमने जाते हैं कई लोग तो इसके हिसाब से तो लेंगे नहीं, लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आपको कोई इंटरवीन नहीं कर रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि 45 साल जो कंटीन्युअस प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी एज आज रैस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसको 45 तक रैस्ट्रिक्ट करने का कोई विवेक संगत कारण नहीं है। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं जो कि दूसरे धन्धों से वकालत में आ रहे हैं। जो कंटीन्युअसली चल रहे हैं, उन्हीं के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, वह 45 का रैस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया है, आज तक तो लगाया नहीं था, जब यह फंड चालू किया था तब तक तो मैम्बरशिप ओपन थी। अब जिसको आप्ट करना था क्योंकि आप्शनल था यह, कम्पलसरी तो है नहीं, कम्पलसरी वाले विचाराधीन हैं। फिर यह ऐसा है, ला मिनिस्टर साहब,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अमेंडमेंट तो मिनिस्टर की एक अनिवार्य ड्यूटी है, आप लाते ही रहेंगे, आप इसको सर्वसम्मति से पारित करो, आपसे यह निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो माननीय विधि मंत्रीजी ने अमेंडमेंट पेश किया है मैं उनसे सहमत नहीं हूं। नहीं हूं क्योंकि आप सभी सहमत हो न। माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें शुरू में आपने किया है अमेंडमेंट आफ सैक्शन 9, सैक्शन 9 क्या था? A State Government shall constitute a fund to be called Advocates Welfare Ex-gratia Grants Fund. इसको आपने डिलीट कर दिया है। यह फण्ड इस मंशा से बनाया गया था कि इस फण्ड में सरकार अपना कंट्रीब्यूशन देगी, अभी तक दिया या नहीं दिया, वह दूसरी बात है। जैसा अभी व्यासजी कह रहे थे इसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, वह दूसरी बात है। लेकिन स्टेच्यूट पर जब है तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे। आप इसको डिलीट करके अपनी सभी जिम्मेवारियों से बरी हो गये। जिस वक्त ओरिजिनल बिल पास हो रहा था उस वक्त काफी डिस्कशन हुआ था और उस वक्त सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि सरकार भी उदारता से इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। एडवोकेट्स के प्रोफेशन को देखते हुए, और सभी जगह इस प्रकार के हैं वहां सरकार कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करती है इसलिए पहला तो मेरा एतराज यह है, माननीय कानून मंत्रीजी, यदि समझ में आ जाए तो यह डिलीट करने वाली बात हमको समझाओ कि आपने किस मकसद से इसको डिलीट किया है।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्षजी, आपने अमेंडमेंट चाहा है क्लाज-14 में Provided that it shall be necessary for every Bar Association seeking a recognition and registration with Bar Council to be registered under the Raj. Societies Registration Act. यह क्या मकसद है आपका? किसलिए सोसायटी एक्ट में आप इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं? सोसायटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन जो होता है उसकी अपनी अलग-अलग फार्मलिटीज होती हैं, उनको वह काम करना पड़ता है। आपके बार कौंसिल के साथ में इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो सोसायटी एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन कराकर किस मकसद को हासिल करना चाहते हैं, यह आप कृपया हमें समझने की चेष्टा कीजिये।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसी तरीके से आपने कुछ जिम्मेदारी सौंपी है सैक्शन-15 में, यदि कोई वकील दूसरा धन्धा अख्तियार कर लेता है तो उसकी जानकारी बार एसोसिएशन को, बार कौंसिल को देनी

(श्री शिवनाथ सिंह)

पड़ती है, देने का आपने प्रावधान रखा है। Undertaking of any other business profession. As soon as it comes to the knowledge of the Bar Association...यह आपने ऐसा कर दिया कि इसकी यदि पूर्ति नहीं होती है, कहीं भी उसकी इंफार्मेशन में आएगा, जानकारी में आएगा और थोड़ी बहुत भी उधर से डिले हो गयी तो आप तो उस पर चढ़ बैठोगे कि तुमने अपना फर्ज निभाया नहीं है।

इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्षजी, आपने क्लाज 16 में एज बार की बात रखी है। दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा है, 45 साल से ऊपर वाला यदि कोई एडवोकेट ला प्रोफेशन एडप्ट करना चाहता है तो वो आपके इस बिल के हिसाब से कहीं भी बार-एसोसिएशन कौंसिल का मैम्बर नहीं बन सकता और इस एडवोकेट्स एक्ट के प्रावधान के अन्दर जो फायदे मिल सकते हैं उनसे वो वंचित रहेगा। माननीय कानून मंत्रीजी, 45 साल की एज आज के दिन कोई एज नहीं है। 45 साल की उम्र तो बिलकुल आज बच्चों की उम्र मानी जाती है। 45 साल में जिसने अटैण्ड कर लिया, 46 में एंटर हो गया तो वो इस लाभ से वंचित हो जाएगा। आज 70-75 साल तक लोग-बाग प्रैक्टिस करते हैं। आपने 45 साल वाला एज का जो प्रतिबन्ध लगा दिया है, क्या सोच कर और क्या इससे आप हासिल करना चाहते हैं, किन कारणों से आप इसको 45 साल से आगे वालों को नहीं देना चाहते हैं, ये कुछ बिन्दु ऐसे हैं जो अखरने वाले हैं, और माननीय विधि मंत्रीजी, यदि समझ में आ गये तो हमको भी एक्सप्लेन कर दीजिये इन तीन-चार बिन्दुओं को कि आपने क्यों ये प्रावधान रखे हैं?

मेरा प्रस्ताव सलैक्ट कमेटी को रखने का था और यह इसलिए था कि यह वकीलों का मामला है, आप एडवोकेट रहे हुए हो, सलैक्ट कमेटी में भेजने के बाद में उनसे भी और प्रस्ताव ले लिये जाते तो अच्छा रहता। उसको आप मानने वाले नहीं हैं, लेकिन 3-4 बिन्दु जो मैंने उठाये हैं इनका आप हमें स्पष्टीकरण दें, समझाएं। हम आपकी बात मानेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क, (अनुपस्थित)। माननीय विधि मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, रायपुर से आने वाले, हवामहल से आने वाले, मालपुरा से, गुढ़ा से और लाडनूं से, लाडनूं वाले तो बोले ही नहीं हैं, इतने माननीय सदस्यों ने बहुत ही अमूल्य सुझाव दिये।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और कुछ सुझाव भी दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक्ट पहले 1987 में बना था, उसमें फिर कुछ अमेंडमेंट 1995 में हुए और गत वर्ष बार कौंसिल और बार एसोसिएशन के मैम्बर्स हमसे भी मिले और माननीय मुख्य मंत्री महोदय के पास भी गये थे, उन्होंने यह रिक्वैस्ट की थी कि इसमें कुछ अमेंडमेंट आवश्यक हैं इसलिए आप कुछ इसमें अमेंडमेंट लाइये। उसके बाद यह विचार किया गया कि निश्चित तौर पर पुराने एक्ट में कुछ संशोधन आवश्यक हैं, और उसको ही दृष्टिगत रखते हुए यह मैं आपके सामने बिल लाया हूं। आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि यह वकीलों की भलाई के लिए है।

इसमें मुख्यत: जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजन यह रखा गया है कि अभिभाषकों के संघ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस पर एतराज किया गया था कि क्यों। क्यों इसलिए कि कई जगह दो हैं। अभिभावक तो आपस में कभी-कभी मुकर जाते हैं, आपस में लड़ देते हैं, कोई झगड़े हो जाते हैं, दो ग्रुप्स बन जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उस एरिये में एक ही एसोसिएशन रहेगा, उसको दृष्टिगत रखते हुए यह काम किया गया है।

दूसरा आजीवन मैम्बरशिप के लिए आपने एतराज किया कि इतने रुपये क्यों बढ़ाते हो। लाइफ मैम्बरशिप अगर आप लेते हैं तो आजकल 10 हजार रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। 6 हजार रुपये से 10 हजार रुपये किये हैं, वह आप लोगों की भलाई के लिए है, एडवोकेट्स की भलाई के लिए है। इसमें क्या दिक्कत आयी है?

तीसरा यह है कि अगर बीमार होता है तो इसमें प्रोविजन रखा गया है कि हम 10 हजार रुपये देंगे। ज्यादा कुछ बीमार है तो बीस हजार रुपये देंगे। अगर और ज्यादा बीमारी है कोई कैंसर-वैंसर है ऐसी बीमारी है तो 50 हजार रुपये तक देंगे। तो यह बहुत ही अच्छा कानून है और एडवोकेट्स के हित में है। कई एडवोकेट्स हैं, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं मुफस्सिल में या तहसील में या एस.डी.ओ. के पास प्रैक्टिस करते हैं, उनमें से कइयों की ऐसी बुरी हालत हो जाती है कि बुढ़ापे में उनके पास पैसा नहीं होता है, तो इससे उनको कुछ मदद मिल जाएगी, उस दृष्टिकोण से यह सब किया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप क्या देंगे? सरकार क्या देगी उनको?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने एक एतराज किया कि 4 रुपये से 10 रुपये क्यों किया गया। ये नियम ही इसलिए मैं लाया हूं कि चार रुपये कम थे इसलिए 10 रुपये करना आवश्यक हो गया। वकीलों की संख्या भी आपने करीब 32 हजार बतायी, मुझे बार कौंसिल वालों ने

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कहा कि 35 हजार हैं। 35 हजार वकील हैं और यह तो संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसलिए सब दृष्टिकोण रखते हुए यह तय किया गया कि 10 रुपये कोई ज्यादा नहीं हैं। स्टाम्प के ऊपर भी उन्होंने नम्बर लगा दिया है ताकि उसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो सके और स्टाम्प बराबर लगे वकालतनामे पर। यह लगेंगे उससे यह होगी। अब आप कहते हैं कि यह किसकी जेब से जाएगा? इसकी कोई परिभाषा तो है नहीं, यों तो जाएगा तो वकील खुद देगा अपनी जेब से। अब आप कहोगे कि वो तो फरीद से लेकर ही देगा, तो यह अपनी-अपनी सोच है। वकीलों ने तो यह कहा है कि हम अपनी जेब से देंगे कंट्रीब्यूशन और इस कंट्रीब्यूशन के शामिल होने से यह काम चलेगा।

एक एतराज उठाया तीन-चार माननीय सदस्यों ने कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें कुछ नहीं दिया। यों उनके पास में करीब चार करोड़ रुपये हैं। मुझे ऐसा ध्यान है कि हरिदेवजी जोशी जिन दिनों में मुख्य मंत्री थे उन दिनों में कुछ इनको कंट्रीब्यूशन किया था। अभी इन्होंने मांगा ही नहीं तो हम घर बैठे क्यों आपको कंट्रीब्यूट करें? यह कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। इसलिए आपसे यह निवेदन है कि यह बहुत ही सिम्पल एक्ट है, मेहरबानी करके इसको आप पारित कीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह :... (व्यवधान)... उसको डिलीट ही कर दिया?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 8 कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 8 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 से 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड–9, श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, जो तीन संशोधन मैंने प्रस्तुत किये हैं मैं उनको विथड्रा करने की परमीशन चाहता हूं, क्योंकि यह बात आपके ध्यान में आ चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–9 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना ने प्रस्तुत किये, उनको वापस लेने की स्वीकृति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड–9 में मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस लेता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीनों संशोधनों के लिए कह दिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : खण्ड–12 का भी कह दिया है?

श्री मानिक चन्द सुराना : कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–9 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड–9 स्वीकार किया गया।

खण्ड–10 व 11 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–10 व 11 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड–10 व 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड–12 श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–12 में श्री मानिक चन्द सुराना के संशोधन को वापस लेने की स्वीकृति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–12 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड–12 स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड–13 से 15 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–13 से 15 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड–13 से 15 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री खेत सिंह राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

(18.00 बजे)

विधेयक का पारण

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 1 अप्रैल, 2003 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.01 बजे मंगलवार, 1 अप्रैल, 2003 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

परिशिष्ट–'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या–539 का विवरण)

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर द्वारा बूंदी बरड़ क्षेत्र के पट्टेधारियों श्री प्रदीप कुमार विश्नोई एमएल संख्या 84/96, श्री दलपत सिंह एमएल संख्या 25/96, श्री अब्दुल रशीद एमएल संख्या 279/95 एवं श्री लल्लन प्रसाद एमएल संख्या 276/95 के पक्ष में उनके द्वारा प्रस्तुत एस.बी सिविल रिवीजन पिटीशन संख्या क्रमशः 1899/99, 1900/99, 1901/99 एवं 1912/99 में यह अन्तरिम आदेश दिये गये थे कि पिटीशनर द्वारा दिनांक 3.02.1999 तक बकाया चार सप्ताह में जमा कराने पर उसकी रसीद जारी करें, खनन कार्य करने दिया जावे तथा दिनांक 3.2.1999 से 17.1.2000 तक का स्थिर भाटक असामाजिक तत्वों के अवरोध के कारण खनन कार्य बन्द होने से नहीं लिया जावे लेकिन दिनांक 17.1.2000 से स्थिर भाटक लिया जा सकता है साथ ही पिटीशनर जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से सहायता लेने के लिए स्वतन्त्र है तथा कानून व्यवस्था लागू करने वाले अधिकारी पिटीशनर को पूरी सहायता देंगे तथा असामाजिक तत्वों से खनिज क्षेत्र को सुरक्षित रखेंगे जिससे पिटीशनर शांतिपूर्वक खनन पट्टे की संविदा के अनुरूप खनन कार्य कर सके।

जिला कलक्टर बूंदी ने न्यायालय निर्णय की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र की प्रति पृष्ठांकित की जाकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार प्रार्थीगण को इनके एरिया में खनन कार्य करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने हेतु लिखा साथ ही कार्यालय खनिज अभियन्ता बूंदी खण्ड प्रथम के पत्र दिनांक 11.7.2000 से पिटीशनर को खनन कार्य शुरू करने के पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु लिखा गया तथा पत्र की पृष्ठांकित प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी को पठाकर पुलिस ईमदाद देने हेतु लिखा गया था। न्यायालय निर्णय की अनुपालना में एमएल संख्या 84/96 के पट्टेधारी श्री प्रदीप कुमार विश्नोई ने 3.02.1999 तक की राशि जमा कराई। न्यायालय आदेशों के अनुरूप दिनांक 4.02.1999 से 17.1.2000 तक की मांग कम कर दी गई।

पिटीशनर श्री दलपत सिंह पिटीशन नम्बर 1900/99, श्री अब्दुल रशीद पिटीशन नम्बर 1901/99 एवं श्री लल्लन प्रसाद पिटीशन नम्बर 1912/99 के खनन पट्टों को न्यायालय निर्णय के पूर्व ही क्रमशः दिनांक 11.10.1999, 16.11.1999 एवं 16.11.1999 को बकाया नहीं जमा कराने के दोष पर खण्डित कर विभाग के पक्ष में दिनांक 20.10.1999, 21.12.1999 एवं 21.12.1999 को कब्जा लिया गया। पिटीशनर

श्री प्रदीप कुमार विश्नोई पिटीशन नम्बर 1899/99 का भी खनन पट्टा बकाया जमा नहीं कराने के दोष पर दिनांक 31.3.2001 को खण्डित कर दिनांक 24.4.2001 को विभाग के पक्ष में कब्जा लिया गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर ने अन्य तीन निर्णयों में आठ खनन पट्टेधारियों के सम्बन्ध में अतिक्रमण होने से खनन कार्य नहीं कर सकने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये थे कि पिटीशनर द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रतिवादीगण के यहां प्रस्तुत करने के एक माह में नियमानुसार एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक 3.3.2000 को ध्यान में रखते हुए निर्णित करें।

माननीय न्यायालय के उक्त निर्णयों की पालना में एक पट्टेधारी श्री अब्दुल रशीद एमएल संख्या 279/95 में एक प्रतिवेदन दिनांक 13.3.2003 को प्रतिवादी सं. 4 खनिज अभियन्ता बूंदी खण्ड–प्रथम के कार्यालय में तथा पट्टेधारी श्री प्रदीप कुमार एमएल सं. 84/96, श्री वीरेन्द्र सिंह एमएल संख्या 24/96 श्री लल्लन प्रसाद एमएल संख्या 276/95 एवं श्री दलपत सिंह एमएल संख्या 25/96 में प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण खनिज अभियन्ता, कोटा में दिनांक 12.3.2003 को प्रस्तुत किये जिन पर न्यायालय निर्णय अनुसार प्रतिवेदन पर निर्णय लेने की कार्यवाही की जा रही है एवं एक माह में निर्णित करने का प्रयास किया जावेगा। शेष तीन पट्टेधारियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट-अ

(तारांकित प्रश्न संख्या-541 की प्रति)

कार्यालय राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ जलेब चौक, जयपुर

क्रमांक/वक्फ/प्रि./8409/2002 जयपुर दिनांक : 21.12.2002

जिला कलक्टर
जिला नागौर

विषय : वक्फ दरगाह अजीम शहपीर ग्राम मंयलपुरा लाडनूं की चारदीवारी बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वक्फ सम्पत्ति दरगाह अजीमशाहपीर की दरगाह ग्राम मंगलपुरा लाडनूं में खसरा नम्बर 1617 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा की चारदीवारी किए जाने हेतु इस कार्यालय से एन.ओ.डी. क्रमांक 4889 दिनांक 25.6.1992 जारी की गई थी मगर अब जब प्रार्थीयान इस दरगाह की जमीन की चारदीवारी करने जाते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व इसको विरोध कर रुकवा देते हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि वक्फ सम्पत्ति का स्वामित्व वक्फ बोर्ड में निहित से तक वक्फ बोर्ड से ही इन सम्पत्तियों के निर्माण इत्यादि की एन.ओ.सी. जारी करने हेतु अधिकृत है। वक्फ सम्पत्ति के चारदीवारी नहीं होने से जहां वक्फ सम्पत्ति का गुप्तान हो रहा है यहीं भविष्य में अतिक्रमण का भय रहता है तथा चारदीवारी नहीं होने से लोगों में रोष व्याप्त है।

अत: ऐसी व्यवस्थाएं फरमायें कि वन सम्पत्ति दरगाह अजीम शाह मंगलपुरा तहसील लाडनूं जिला नागौर की चारदीवारी हो जाये व कानून व्यवस्था भी कायम हो सके।

भवदीय

ह०/-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

कृषि उपज मण्डी प्रांगण धौलपुर की सड़क की मरम्मत

542. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण का कार्य सम्पादित कर रहा है?

(2) उक्त परियोजना के अन्तर्गत जिला धौलपुर को गत दो वर्षों में कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी प्रांगण धौलपुर की सड़क क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़कों को कब तक ठीक कराने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त परियोजना के अन्तर्गत जिला धौलपुर में कृषि विपणन बोर्ड को सड़क सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत राशि रुपये 302 लाख के कार्य कराने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, लेकिन बाद में उक्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा ही कराने का निर्णय लिया गया। सड़कवार स्वीकृति परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-"अ"

धौलपुर जिले में सड़क सुदृढ़ीकरण परियोजना (प्रथम चरण) के तहत स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	बसैरी से बागथर रोड	5.00	13.50
2.	धौर से बदरिया वाया धोबी की तिवरिया	8.00	16.00
3.	बसेरी से जगनेर रोड (यू.पी. बार्डर तक)	7.00	14.00
4.	बसेरी से मालचपुर रोड	10.00	30.00
5.	8 मील से बसई डांग, वाया नागर	14.00	45.50
6.	8 मील से बसई डांग, चन्दीलपुर तक	10.00	25.00
7.	जीटी रोड मोरोली (मचकुन्ड से मोरोली रोड)	10.00	40.00
8.	मोरोली से बसई नीम	2.50	10.00
9.	ओन्डेला से कोलेरी (उन्नयनीकरण)	9.00	18.00
10.	ओन्डेला से कोलेरी (सुदृढ़ीकरण)	5.00	17.50
11.	सम्पर्क सड़क हतवारी	3.00	7.50
12.	सम्पर्क सड़क समोना	4.00	15.00
13.	जाटोली कुथियाना रोड (6/0–9/0)	3.00	7.50
14.	जाटोली कुथियाना रोड (14/0–18/0)	4.00	14.00
15.	मनिया बसई नवाब रोड	13.00	28.50
	योग	**107.50**	**302.00**

प्रबन्ध निदेशक उरमूल डेयरी, बीकानेर द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

543. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उरमूल डेयरी बीकानेर द्वारा डेयरी स्टाफ की वर्दी का कपड़ा अलवर से खरीदा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त कपड़ा बीकानेर में उपलब्ध नहीं हो सकता? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त वर्दी कपड़ा खरीद किस फर्म से की गई और किस वर्ष में कितनी राशि का कपड़ा खरीदा गया?

(4) क्या उक्त कपड़ा खरीद में डेयरी के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनियमितता कर अलवर निवासी होने के नाते सांठ-सांठ कर उक्त खरीद की गई? क्या उक्त में दोषी प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और कब तक?

(5) क्या उक्त डेयरी के प्रबन्ध निदेशक हेतु उपलब्ध कराये गये आवास में निवास करते हैं तथा मकान किराया भत्ता भी प्राप्त करते हैं? यदि हां, तो किन नियमों के तहत तथा कब से एवं अब तक कितनी राशि उठा चुके हैं?

(6) क्या सरकार उक्त प्रकार की अनियमितता करने वाले प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(7) क्या यह सही है कि डेयरी द्वारा दुग्ध समितियों के लिये जनरेटर खरीदे गये हैं? यदि हां, तो कब व कहां से तथा किस कम्पनी के तथा किस कम्पनी के तथा कितने?

(8) क्या यह भी सही है कि उक्त जनरेटर लगने के तुरन्त बाद खराब हो जाने के कारण समितियों द्वारा उरमूल डेयरी को वापस भिजवा दिये? यदि हां, तो कितने जनरेटर डेयरी विभाग द्वारा उक्त कम्पनी को वापस दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या प्रबन्ध निदेशक किसी ट्रस्ट को चन्दा दे सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत और नहीं, तो बीकानेर डेयरी द्वारा वर्ष 2001-02-03 में किस-किस को कितनी राशि का चन्दा किसके आदेश से दिया गया?

(10) वर्ष 2001 से फरवरी 2003 में उरमूल डेयरी बीकानेर में किन-किन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई? उक्त नियुक्ति किन नियमों के तहत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संघ हेतु वर्दी का कपड़ा एस. कुमार एण्ड कम्पनी देवास द्वारा निर्देशित फर्म भानुप्रताप टैक्सटाइल्स, अलवर से प्राप्त कोटेशन के आधार पर क्रय कमेटी की सिफारिश पर क्रय किया गया।

(2) वर्दी का कपड़ा बीकानेर में उपलब्ध हो सकता था, परन्तु स्थानीय अधिकृत विक्रेता मैसर्स एस. कुमार, रिटेलर्स क्रय कमेटी को दर एवं समय पर सप्लाई से सन्तुष्ट नहीं कर पाया।

(3) मैसर्स भानुप्रताप टैक्सटाइल्स, अलवर से वित्तीय वर्ष 2002–03 में रुपये 2,19,343/–का वर्दी का कपड़ा क्रय किया गया।

(4) जी नहीं।

(5) वर्तमान एम.डी. डेयरी के मकान में निवास कर रहे हैं तथा नियमानुसार देय मकान किराया भत्ता वेतन के साथ दिनांक 23 फरवरी, 2002 से प्राप्त कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व प्रबन्ध संचालकों को निवास की दी गई अनुमति के अनुरूप मकान किराया भत्ता जमा करवाया जा रहा है। प्रबन्ध संचालक, उरमूल, दिनांक 23.2.2002 से 28.2.2003 तक की अवधि में वेतन के साथ रुपये 27,134/- मकान किराये भत्ते के रूप में उठा चुके हैं।

(6) उक्त में कोई अनियमितता नहीं हुई है। अत: कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(7) जी हां। यह मैसर्स ग्रीविज क्राम्प्टन लिमिटेड, जयपुर से 20 सैट एवं हाण्डा पावर प्रोडेक्ट लिमिटेड, पाण्डिचेरी से 80 सैट वर्ष 2001–2002, 2002–2003 में क्रय किये गये।

(8) मैसर्स ग्रीव्ज क्राम्प्टन लिमिटेड जयपुर के 5 सैट खराब हो जाने के कारण वापस आ गये। कम्पनी को खराब जनरेटर वापस नहीं भेजे गये, क्योंकि सैट वारंटी पीरियड में थे। कम्पनी द्वारा रिपेयर करवाये गये हैं।

(9) संचालक मण्डल की अनुमति से प्रबन्ध संचालक द्वारा चन्दा दिया जा सकता है। वर्ष 2001, 2002 एवं 2003 में बीकानेर डेयरी द्वारा कोई चन्दा किसी भी ट्रस्ट को नहीं दिया गया है।

(10) इस अवधि में उरमूल, बीकानेर में कोई नियुक्ति नहीं की गई।

जिला पाली में जलग्रहण विकास पर व्यय

544. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1999 से फरवरी 2003 तक पाली ज़िले में विभिन्न योजनाओं के

(श्री केसाराम चौधरी)

तहत जल ग्रहण विकास परियोजना के कितने कार्य स्वीकृत करवाए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजनाओं पर कितनी राशि स्वीकृत थी कितने हैक्टेयर भूमि में कार्य करवाया जाना था एवं क्या-क्या कार्य करवाये गये तथा उक्त पर कितनी राशि व्यय हुई?

(3) उक्त स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से अब तक पाली जिले में जलग्रहण विकास परियोजना के कार्य वन विभाग को स्वीकृत नहीं हुए हैं।

(2) प्रश्न के भाग संख्या एक में वर्णन के अनुसार उक्त परियोजना में कार्य स्वीकृत नहीं होने से कार्य करवाने अथवा राशि व्यय होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) उक्त परियोजना में कार्य स्वीकृत नहीं होने एवं कार्य नहीं करवाने से किसी प्रकार की शिकायत का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के ग्रामों में निगम बस सेवा

545. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में कितने मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन हो रहा है?

(2) क्या सरकार हिण्डौन से फैलीपुरा होती हुई मोठीयापुरा ग्राम तक बस चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि हिण्डौन से कोटरी मोठीयापुरा रोड पर अभी तक बस नहीं चलाई गई? क्या पूर्व में उक्त रोड़ पर बस चलती थी? यदि हां, तो अब बस नहीं चलाने के क्या कारण है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में 72 मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न आगारों द्वारा निगम बसों का संचालन किया जा रहा है।

(2) वर्तमान में मार्ग पर निगम द्वारा वाहन संचालन किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। इस मार्ग पर संचालित निगम बस को पूर्व में माह सितम्बर, 2000 में सड़क खराब होने के

(यातायात मंत्री)

कारण बन्द कर दिया गया था, अब इस मार्ग पर पुनः माह नवम्बर, 2002 से निगम बस सेवा का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

अनुदानित राजकीय महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद

546. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? अब तक उक्त पदों को भरने की क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कब तक इन्हें भरा जायेगा? महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को उच्च शिक्षा 1996 का पैकेज मिला है? यदि हां, तो क्या उक्त का लाभ शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को दे दिया गया है और नहीं, तो क्यों?

(3) महाविद्यालयों के शारीरिक शिक्षकों को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान के आदेश जनवरी, 1995 में प्रसारित होने के बावजूद इन्हें लागू क्यों नहीं किया गया और अनुदानित महाविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिये उक्त आदेश क्यों नहीं प्रसारित किये?

(4) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षक गत 15 वर्षों से अस्थाई चल रहे हैं? क्या अध्यादेश संख्या क्रमांक एफ.2(1) कार्मिक/क–2/99 दिनांक 15.02.1999 के तहत इनके स्थाई करने के आदेश पारित हो चुके हैं? यदि हां, तो उक्त वर्ग को स्थाई क्यों नहीं किया गया?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के 69 पद रिक्त हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है। उक्त रिक्त पदों को "दी राजस्थान लाइब्रेरियन एण्ड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रेक्टर्स" (कालेजिएट ब्रांच) रूल्स, 1980 में आवश्यक संशोधन हो जाने पर ही तद्नुसार भरा जा सकेगा। नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के 13 पद रिक्त है जिनकी विश्वविद्यालय वार रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने के क्रम में कार्यभार का आकलन किया जा चुका है तथा इन्हें भरने हेतु स्वीकृति का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

सरकार के परिपत्र दिनांक 27.7.1998 के क्रम में 1.1.1996 से संशोधित वेतनमान शिक्षकों के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को भी राज्य सरकार के आदेश दिनांक 7.5.1999 के द्वारा दिये जा चुके हैं।

(3) राजकीय महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान देने के जारी आदेश जनवरी 1995 के अन्तर्गत स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मात्र 20 शारीरिक शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान दिये गये। शारीरिक शिक्षकों को चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के लिये दिनांक 15.9.1998 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में Consistently Good Performance Apprisal report के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु प्रकरण रेफर किया गया था। यू.जी.सी. से स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है। शारीरिक शिक्षकों को चयनित वेतनमान देने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 27.3.2003 को आयोजित की जा चुकी है।

(4) जी हां। अध्यादेश संख्या क्रमांक एफ.2(1) कार्मिक/क-2/99 दिनांक 15.2.1999 के तहत शारीरिक शिक्षकों को नियमित किये जाने के आदेश जारी नहीं किये गये है।

परिशिष्ट–1

शारीरिक शिक्षकों के वर्तमान रिक्त पदों की महाविद्यालयवार सूची

1.	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	1
2.	राजकीय राजर्षि महाविद्यालय, अलवर	1
3.	राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर	1
4.	राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर	1
5.	राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा	2
6.	राजकीय महाविद्यालय, बीकानेर	1
7.	राजकीय महाविद्यालय, बून्दी	1
8.	राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	1
9.	राजकीय महाविद्यालय, चूरू	1
10.	राजकीय महाविद्यालय, डीडवाना	1
11.	राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर	1
12.	राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा	1
13.	राजकीय महाविद्यालय, करौली	1
14.	राजकीय महाविद्यालय, कोटा	2
15.	राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा	1
16.	राजकीय महाविद्यालय, नागौर	1
17.	राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा	1
18.	राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़	1
19.	राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	1
20.	राजकीय महाविद्यालय, सिरोही	1
21.	राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा	1
22.	राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड	1
23.	राजकीय महाविद्यालय, आमेट	1

24.	राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी	1
25.	राजकीय महाविद्यालय, बालोतरा	1
26.	राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़	1
27.	राजकीय महाविद्यालय, गोविन्दगढ़	1
28.	राजकीय महाविद्यालय, केकड़ी	1
29.	राजकीय महाविद्यालय, कुशलगढ़	1
30.	राजकीय महाविद्यालय, लालसोट	1
31.	राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा	1
32.	राजकीय महाविद्यालय, माण्डलगढ़	1
33.	राजकीय महाविद्यालय, मण्डफिया	1
34.	राजकीय महाविद्यालय, मेडता सिटी	1
35.	राजकीय महाविद्यालय, नोखा	1
36.	राजकीय महाविद्यालय, फलौदी	1
37.	राजकीय महाविद्यालय, रामगंजमण्डी	1
38.	राजकीय महाविद्यालय, सागवाड़ा	1
39.	राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर	1
40.	राजकीय महाविद्यालय, शिवगंज	1
41.	राजकीय महाविद्यालय, तारानगर	1
42.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर	1
43.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बालोतरा	1
44.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांसवाड़ा	1
45.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बारां	1
46.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाड़मेर	1
47.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बूंदी	1

48.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	1
49.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चौमूं	1
50.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, दौसा	1
51.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर	1
52.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, जैसलमेर	1
53.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, जालौर	1
54.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, झालावाड़	1
55.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, झुंझुनुं	1
56.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, करौली	1
57.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटपूतली	1
58.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, नागौर	1
59.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, नाथद्वारा	1
60.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, नीमकाथाना	1
61.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली	1
62.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीपाड सिटी	1
63.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, रतनगढ़	1
64.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर	1
65.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, शाहपुरा	1
66.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, सिरोही	1
67.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, टौंक	1
	योग	**69**

परिशिष्ट–2

विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण

	नाम विश्वविद्यालय	शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	08
2.	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	03
3.	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	02
4.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	—
5.	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	—
	कुल	13

तहसील राजगढ़ (चूरू) में प्रशासन शहरों के संग अभियान में प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण

547. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की तहसील राजगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान कितनी शिकायतों का पंजीकरण हुआ और उक्त में से कितने प्रकरणों का निष्पादन कर दिया है तथा कितने शेष हैं?

(2) उक्त शेष रहे प्रकरणों का निष्पादन न होने के कारण रहे और अब उक्त प्रकरणों का निष्पादन कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की तहसील राजगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान 183 शिकायतों का पंजीकरण हुआ तथा 175 शिकायतों का निष्पादन कर दिया तथा 8 मामले शेष है।

(2) उक्त शेष 8 मामलों का वाद न्यायालयों में लम्बित होने के कारण प्रकरणों का निष्पादन नहीं किया जा सका है, इसलिये न्यायालयों के निर्णय उपरान्त समुचित कार्यवाही की जावेगी।

लोक अभियोजकों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार

548. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार विभिन्न जिलों में कत्ल एवं संगीन तथा फौजदारी मुकदमों की पैरवी करने के लिये लोक अभियोजकों की नियुक्ति करती है?

(2) राज्य सरकार उक्त लोक अभियोजकों को मासिक कितनी फीस देती है?

(3) उक्त की नियुक्ति के लिये क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं?

(4) क्या उक्त मानदण्डों का पालन होता है?

(5) क्या यह सही है कि राज्य में कई ऐसे अयोग्य लोक अभियोजकों की नियुक्ति हुई है जिनकी कमजोर पैरवी के कारण हजारों मुकदमों में मुलजिमान बरी होते हैं और अभियोजन पक्ष को न्याय नहीं मिलता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थिति को सुधारने के लिये ठोस कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) यह सही है कि सैशन न्यायालय, अपर सैशन न्यायालय व विशिष्ट सैशन न्यायालय में राज्य सरकार

(विधि एवं न्याय मंत्री)

सैशन प्रकरणों के मुकदमों की पैरवी हेतु लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक व विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

(2) यदि लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजक सेवा अभियोजन वर्ग का अधिकारी है तो उसे देय वेतनमान व अन्य भत्ते आदि मिलते है किन्तु यदि वह वकील कोटे से धारा 24 द.प्र.सं. में नियुक्त है तो उसे लोक अभियोजक या विशिष्ट लोक अभियोजक होने पर प्रति माह रुपये 4400/- व अपर लोक अभियोजक होने पर प्रति माह रुपये 4000/- रिटेनरशिप देय हैं।

(3) वकील कोटे से नियुक्ति हेतु रिक्ति के विरुद्ध पैनल धारा 24 द.प्र.स. में जिला मजिस्ट्रेट से मंगवाया जाता है जो सम्बन्धित जिला एवं सैशन जज से परामर्श कर भेजा जाता है जिसमें से योग्य व्यक्ति की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। पैनल में राज्य विधि एवं विधिक कार्य विभागीय मैन्युअल अनुसार नियुक्ति से पूर्व ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए तथा आर्थिक भार से मुक्त होना चाहिए एवं परिवचन देना होता है कि नियुक्ति काल में राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग नहीं रखेगा।

(4) जी हां। अन्तरशः पालन होता है।

(5) राज्य सरकार के ध्यान में ऐसा कोई अयोग्य लोक अभियोजक नहीं आया है जिसकी कमजोर पैरवी के कारण हजारों मुकदमों में मुलजिमान बरी हुए हो तथा अभियोजन पक्ष को न्याय न मिला हो। किन्तु जब कभी भी विधि विभाग के ध्यान में यह लाया जाता है कि अभियोजक की लापरवाही से या अयोग्यता से पैरवी उचित नहीं हो तो उसका स्पष्टीकरण लिया जाकर उचित कार्यवाही की जाती हैं तथा कतिपय उचित मामलों में उनकी सेवा अवधि नहीं बढ़ाई जाती है। सरकार ने समस्त जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया है कि वे अपने स्तर पर दोषमुक्ति नोट जांच कर रिपोर्ट करें कि दोषमुक्ति अभियोजक की अदक्षता व लापरवाही से तो नहीं हुई है। ऐसी ही व्यवस्था विधि विभाग ने वादकरण सेल में भी की हुई है तथा अभियोजक की अदक्षता व लापरवाही के मामले राज्य सरकार के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु तुरन्त लाये जाते हैं। इसके अलावा नियुक्ति के एक वर्ष की समयावधि के पश्चात् सम्बन्धित जिला कलक्टर्स से कार्यकुशलता रिपोर्ट मंगवाई जाती है तथा पीठासीन अधिकारी से उनकी कार्यक्षमता एवं व्यवहार के बारे में रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। कार्यकुशलता रिपोर्ट एवं पीठासीन अधिकारी की

(विधि एवं न्याय मंत्री)

टिप्पणी के आधार पर ही उनका सेवाकाल आगे बढ़ाया जाता है। यदि कार्यकुशलता रिपोर्ट एवं पीठासीन अधिकारी के टिप्पणी विपरित प्राप्त होती है तो सम्बन्धित लोक अभियोजक का सेवाकाल आगे नहीं बढ़ाया जाता है तथा उसके स्थान पर नई नियुक्ति की जाती है।

राजस्थान खनिज विकास निगम एवं राजस्थान खान एवं खनिज निगम का विलीनीकरण

549. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 1999 में राजस्थान खनिज विकास निगम तथा राजस्थान खान एवं खनिज निगम को 31 मार्च, 2002 तक विलीनीकरण का निर्णय लिया था?

(2) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर जिले के सोनू लाइम स्टोन खानों पर उक्त दोनों उपक्रम कार्यरत हैं तथा स्टील संयंत्रों को लाइम स्टोन अपनी शर्तों पर आपूर्ति करते हैं?

(3) क्या यह सही है कि स्टील संयंत्रों को खानों से निकलने वाले लाइम स्टोन मात्र 45 प्रतिशत भेजा जाता है शेष 55 प्रतिशत अनुमानतः बीस करोड़ रुपये मूल्य का लाइम स्टोन दोनों उपक्रमों में बेकार पड़ा है?

(4) क्या सरकार दोनों उपक्रमों के विलय के निर्णय की क्रियान्विति करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स एवं राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन के विलीनीकरण के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था।

(2) जी हां। दोनों उपक्रम स्टील संयंत्रों को लाइम स्टोन की आपूर्ति एक ही शर्तों पर आपूर्ति करते थे परन्तु विलीनीकरण के पश्चात् केवल राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल लिमिटेड दोनों लाईम स्टोन की आपूर्ति उनके साथ तय की गई शर्तों पर आपसी सहमति के आधार पर ही की जाती है।

(3) तथ्य यह है कि केवल 45 प्रतिशत लाइम स्टोन ही स्टील संयंत्रों के लिए गुणवत्ता के आधार पर उपयुक्त है। शेष बचे 55 प्रतिशत लाइम स्टोन जो कि स्टील संयंत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, को वर्तमान में खनन किये गये क्षेत्रों में ही सम्भाल कर रखा जा रहा है। इस मात्रा के मूल्य का सही आकलन भविष्य में मांग व बिक्री दर के आधार पर ही आंका जा सकेगा।

(खनिज मंत्री)

(4) जी हां, तथा दोनों उपक्रमों का विलय वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय के आदेश के पश्चात् भारत सरकार के गजट दिनांक 20.2.2003 में प्रकाशित होने के फलस्वरूप उक्त तिथि से प्रभावी हो चुका है व अब एक ही उपक्रम राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड कार्यरत है।

सुमेरपुर सादड़ी-देसूरी सड़क निर्माण

550. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि उपज मण्डी सुमेरपुर (पाली) में किस-किस विधान सभा क्षेत्र के कितने गांव आते हैं?

(2) वर्ष 1998-99 से 2002-03 तक विधान सभा क्षेत्र बाली के ऐसे कितने गांव हैं जिनका निर्माण कृषि उपज मण्डी सुमेरपुर द्वारा करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी सुमेरपुर द्वारा सादड़ी व देसूरी से सुमेरपुर आने वाले काश्तकारों की सुविधा हेतु वाया डूंगली-सेसली बोया होते हुये सड़क निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर (पाली) के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार गांवों की संख्या निम्नानुसार है:

1. सुमेरपुर विधान सभा	70 गांव
2. बाली विधान सभा	92 गांव
3. सिरोही विधान सभा	124 गांव
4. रेवदर विधान सभा	25 गांव
योग	311

(2) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा गांवों का निर्माण नहीं करवाया जाता है। गांवों में सम्पर्क सड़कों का निर्माण करवाया जाता है। वर्ष 1998 से 2002-03 तक विधान सभा क्षेत्र बाली के अन्तर्गत 17 सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। मण्डी समिति के पास उपलब्ध बचत राशि को दृष्टिगत रखते हुए इस सड़क का फिलहाल निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-अ

वर्ष 1998-99 से 2002-03 तक विधान सभा बाली में कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा कराये गये सड़क निर्माण कार्यों का विवरण

(राशि लाख रुपयों में) (लम्बाई कि.मी. में)

क्र. सं.	सड़क का नाम	सड़कों से जुड़े गांव	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	राशि	लम्बाई	निर्मित लम्बाई	कुल व्यय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	स.स. दातीवाड़ा	दातीवाड़ा	65224/15.11.1997	28.00	2.00	2.00	27.98	कार्य पूर्ण
2.	केरापुरा	केरापुरा	65224/15.11.1997	28.05	3.00	3.00	27.90	कार्य पूर्ण
3.	धानन्दा	धानन्दा	65224/15.11.1997	42.00	2.75	2.75	41.95	कार्य पूर्ण
4.	बामनीया	बामनीया	65224/15.11.1997	18.00	2.00	2.00	17.95	कार्य पूर्ण
5.	फतेपुरा	फतेपुरा	65224/15.11.1997	9.20	1.70	1.70	9.02	कार्य पूर्ण
6.	साम्भरवाड़ा	साम्भरवाड़ा	65224/15.11.1997	49.75	5.00	5.00	45.96	कार्य पूर्ण
7.	स.स. गुड़ा कल्याण सिंह	गुड़ा कल्याण सिंह	46877/31.08.1999	13.20	1.30	1.30	10.47	कार्य पूर्ण
8.	स.स. बारवा से करनवा	करनवा	46877/31.08.1999	30.26	3.00	3.00	20.99	कार्य पूर्ण
9.	स.स. भागली से कोरटा	कोरटा	46877/31.08.1999	32.90	3.50	3.50	29.35	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	स.स. सेवाड़ी से पीपला	पीपला	कृषि ग्रुप–2/22.6.1998	65.00	5.00	5.00	63.66	कार्य पूर्ण
11.	स.स. उपला भीमाणा	काकराड़ी कोयलबाव	कृषि ग्रुप–2/22.6.1998	49.70	5.00	5.00	38.47	कार्य पूर्ण
12.	स.स. माताजी का बाड़ा	माताजी का बाड़ा	1338–1453/29.1.2000	20.26	2.00	2.00	16.22	कार्य पूर्ण
13.	स.स. बाली कागरी वाया चामुण्डेरी मेड़तिया	चामुण्डेरी मेड़तिया कागरी	1338–1453/29.1.2000	80.82	5.00	5.00	64.52	कार्य पूर्ण
14.	स.स. चामुण्डेरी लुन्दाना से हिरोला	हिरोला	1338–1453/29.1.2000	38.25	2.70	2.70	25.85	कार्य पूर्ण
15.	स.स. दानवरली से भिमाणा रोड से वेदी	वेदी	1338–1453/29.1.2000	63.61	4.43	4.43	45.76	कार्य पूर्ण
16.	स.स. टोकरिया	टोकरिया	1338–1453/29.1.2000	18.51	1.50	1.50	12.34	कार्य पूर्ण
17.	जूना बेड़ा	जूना बेड़ा	1338–1453/29.1.2000	44.47	4.15	4.15	28.87	कार्य पूर्ण
	योग			**631.98**	**54.03**	**54.03**	**527.26**	

जिला पाली एवं जालौर में विलायती बबूल से कोयला बनाने हेतु दिये गये ठेके में अनियमितता

551. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली एवं जालौर में विलायती बबूल को हटाकर कोयला बनाने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना के लिए कितनी राशि का ठेका दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेके में हुई अनियमितताओं को लेकर ठेकेदारों ने सरकार को ज्ञापन दिया था? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन के आधार पर क्या सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करवाई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिलों में ठेके की शर्तों के अनुसार विलायती बबूल पूरी तरह नहीं हटाने एवं सरकार को राजस्व की हानि के लिए अधिकारी जिम्मेदार है? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली एवं जालौर वन मण्डल के अन्तर्गत आने वाले नौ घास जोड़ों में से विलायती बबूल के उन्मूलन हेतु कुल राशि 99,59,300.00 रुपये के मूल ठेके नीलाम किये गये। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वन मण्डल जालौर से सम्बन्धित एक घास जोड़ के ठेकेदार श्री भीखा खां पुत्र श्री रफीक खां द्वारा किये गये ज्ञापन की जांच करवाये जाने पर किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया।

जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

इसी सम्बन्ध में वन मण्डल पाली सम्बन्धी शिकायत की जांच की जा रही है।

(3) मामले में विभिन्न स्तरों पर बरती गई खामियों एवं इकरारनामे के शर्तों की खिलाफवर्जी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध समय पर यथोचित कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(विवरण व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत सायपुर पाखर (अलवर) के परिवारों का गरीबी रेखा से नीचे की सूची में चयन

552. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री आदराम मेघवाल)

(1) गरीबी रेखा से नीचे की सूची में चयनित करने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत सायपुर पाखर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में किस-किस परिवार का चयन किस आधार पर किया गया है? उक्त चयनितों के नाम कितनी-कितनी भूमि है एवं जीवन निर्वाह के क्या-क्या साधन हैं?

(3) उक्त पंचायत के अनुसूचित जाति के किस-किस व्यक्ति ने दिनांक 23 जनवरी, 2002 को जिला कलक्टर अलवर को उक्त सूची में चयनित करने के लिए आवेदन पत्र दिया है? उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की है? आवेदन पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब उक्त व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे की सूची में चयनित कर लाभ पहुंचायेंगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में ग्रामीण गरीब परिवारों के चयन का कार्य भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बीपीएल सेंसस-97 के तहत वर्ष 1997-98 में सम्पादित किया गया था, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले चयनित परिवारों की सूची में चयनित करने के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) ग्राम पंचायत, सायपुर पाखर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में उपरोक्त वर्णित आधार पर 48 परिवारों का चयन किया गया है। चयनित 48 परिवारों के पास वर्तमान में उपलब्ध भूमि एवं जीवन निर्वाह के साधन का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं चयनित परिवारों की सूचियों के प्रकाशन के बाद किसी भी परिवार का चयन करना एवं योजनान्तर्गत लाभ देना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट–1

बीपीएल सेंसस–97 के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले चयनित परिवारों की सूची में चयनित करने के मानदण्ड

1. यदि परिवार के सदस्यों की वेतन/स्वरोजगार से वार्षिक आय 20000/– से अधिक है एवं दो हैक्टेयर से अधिक कृषि भूमि, पक्का मकान, टेलीविजन, फ्रिज, छत का पंखा, मोटर साइकिल/स्कूटर, आटो रिक्शा/जीप, अन्य उपभोक्ता सामान, जिसकी कीमत रुपये 5000/– से अधिक हो एवं ट्रैक्टर, पावर टिल्लर, संयुक्त थ्रेसर/हार्वेस्टर में से यदि एक भी आइटम परिवार के पास है तो वह चयन का पात्र नहीं है।

2. उपरोक्त सभी आइटम परिवार के पास उपलब्ध नहीं होने पर भी यदि परिवार की वार्षिक व्यय रुपये 20000/– अधिक है, तो वह चयन का पात्र नहीं है।

परिशिष्ट–2

बी.पी.एल. सेंसस–1997 के तहत चयनित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की सूची (अन्तिम चयन सूची)

ग्राम सायपुर ग्राम पंचायत सायपुर पाखर पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला–अलवर

चयनित क्रमांक	नाम परिवार मुखिया मय पिता का नाम	कृषि भूमि का विवरण कुल भूमि हैक्टेयर	वर्तमान में जीवन निर्वाह के साधन
1	2	3	4
1.	चिरंजलाल/मोतीलाल	0.32	स्वयं की जमीन में कृषि कार्य करता है।
2.	चेतराम/धन्नाराम	1.17	स्वयं की जमीन में कृषि कार्य करता है। टायर पंचर की दुकान पर कार्य करता है एवं पशुपालन।
3.	राधाकृष्णा/खैरीयाराम	0.62	ट्रक पर डाइवरी करता है और स्वयं की जमीन है।
4.	हीरालाल/हण्डूराम	1.44	स्वयं की जमीन में कृषि कार्य करता है।
5.	रमेशचन्द्र/मन्नूराम	0.72	बोरिंग काटने का कार्य करता है और स्वयं की जमीन है एवं पुशपालन।
6.	रामसिंह/मन्नूराम	0.72	स्वयं की जमीन में कृषि कार्य करता है।
7.	धनीराम/बंसीराम	0.49	अनाज मण्डी में पल्लेदारी करता है एवं स्वयं की जमीन में कृषि कार्य करना है।

1	2	3	4
8.	महेशचन्द्र/गोपाल	0	सिमेंट की दुकान पर पल्लेदारी करता है।
9.	शोभाराम/बुद्धराम	0.39	स्वयं की जमीन पर कृषि कार्य।
10.	अजीत सिंह/जगन सिंह	0	दो बच्चे प्राइवेट नौकरी में है उन्हीं पर आश्रित है।
			ग्राम-पाखर
11.	पन्नाराम/पून्याराम	0.50	स्वयं मर चुका है पत्नी को पेंशन मिलती है एवं कृषि कार्य करती है।
12.	बंसीराम/नानगराम्	0.25	पत्थर खुदाई का कार्य करता है स्वयं कृषि एवं पशुपालन कार्य करता है।
13.	पप्पूराम/छग्गाराम	0.25	मजदूरी करता है।
14.	कल्लूराम/मुरलीराम	0.53	पल्लेदारी का कार्य अनाज मण्डी में करता है।
15.	गिर्राज/रामजीलाल	0.28	भैंसों का व्यवसाय एवं कृषि कार्य करता है।
16.	कंचनराम/रामजीलाल	0.35	भैंसों का व्यवसाय एवं कृषि कार्य करता है।
17.	जगदीश/रतनामीना	0.75	ट्रक डाइवर है एवं स्वयं की जमीन में कृषि कार्य करता है।
18.	रामचरण/गोविन्द्रा	0.39	कृषि एवं पशुपालन कार्य करता है एवं मजदूरी कार्य करता है।

1	2	3	4
19.	पप्पूराम/रामप्रसाद	0.24	स्वयं का कृषि कार्य एवं ऊंटगाड़ी से परिवहन का कार्य करता है।
20.	नेदसिंह/रामसिंह	0.54	पेंशन मिल रही है एवं कृषि कार्य।
21.	धुड़मल/कालूराम	1.03	सिलाई का कार्य करता है एवं स्वयं की जमीन पर कृषि कार्य।
22.	गुड्डीराम/कालूराम	0.32	स्वयं की जमीन एवं पल्लेदारी का कार्य करता है।
23.	लल्लुराम/नानगराम	0	पल्लेदारी का कार्य करता है।
24.	शिवलाल/रतनलाल	0.50	मजदूरी करता है एवं स्वयं की जमीन है एवं कृषि कार्य करता है।
25.	बाबूलाल/भैंरूलाल खाती	0.23	लकड़ी फर्नीचर का कार्य करता है।
26.	सुवालाल/खैराती कुम्हार	0.16	मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने का कार्य करता है एवं अनाज मण्डी में पल्लेदारी का कार्य करता है।
27.	प्रभु/खैराती	0.25	मर चुका है।
28.	हजारीलाल/सुरजमल	0.26	स्वयं की बकरी पालता है एवं मजदूरी कार्य।
29.	धन्नालाल/बालूसिंह	0.25	अण्ड व मूंगफली बेचने का कार्य करता है।
30.	लल्लूराम/भगवान सैनी	0.86	हैण्ड पम्प व ट्यूबैल का कार्य करता है। हलवाई का कार्य भी करता है एवं स्वयं की खेती में पौधशाला लगा रखी है।

1	2	3	4
31.	रामचरण/रामधन	0.86	मजदूरी करता है एवं स्वयं की कृषि का कार्य करता है।
32.	रामप्रसाद/लल्लुराम	0.38	सब्जी मण्डी में ढकेल लगाता है एवं कृषि कार्य करता है।
33.	रामफूल/प्रभती सैनी	0.55	कृषि कार्य एवं मजदूरी करता है।
34.	शिवलाल/रामधन	0.86	सिमेंट की दुकान एवं पल्लेदारी करता है।
35.	किसन/चौथमल	0.32	मजदूरी करता है।
36.	चमेली बेवा/धुडियाराम	0.24	मजदूरी करता है।
37.	मंगलराम/रामधन सैनी	0.86	सब्जी विक्रय का कार्य करता है।
38.	भानसिंह/प्रभु	0.44	प्राइवेट कार्य करता है।
39.	उम्मेदीलाल/नारायण	1.75	मजदूरी का कार्य कर रहा है।
			ग्राम–जैतपुर
40.	धुड़ियाराम/रामप्रसाद	1.20	पत्थर खोदने का कार्य एवं कृषि कार्य करता है।
41.	जीवनराम/कालूराम	0.18	टैक्टर पर मजदूरी करता है।

1	2	3	4
42.	पुनियाराम/धनपाल	0	स्वयं मर चुका है पत्नी दामाद के साथ रहती है।
43.	सुक्की बेवा/चन्द्रराम	0	मजदूरी का कार्य करती है।
44.	बद्री/नानगराम	0.76	स्वयं की ऊंटगाड़ी से मजदूरी का कार्य करता है।
45.	लखपति/कजोड़ी	0.67	पत्थर खोदने का कार्य करता है स्वयं की जमीन में कृषि कार्य एवं पशुपालन कार्य।
46.	जगदीश/श्रवण	1.31	स्वयं की जमीन में कृषि कार्य करता है एवं मजदूरी करता है।
47.	शिव/भौरेलाल	0.78	मजदूरी करता है एवं स्वयं की खेती करता है।
48.	उम्मेदीलाल/कजोड़ी	0.67	प्राइवेट ड्राइविंग करता है। मजदूरी व कृषि कार्य करता है।

ऋतम्भरा रिसोर्ट (अलवर) की जमीन का भू-उपयोग

553. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 212, 212/870, 214, 215, 212/869, 212/871 एवं 171 वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर जिला अलवर के मास्टर प्लान में ग्रीन बैल्ट में शामिल है? क्या उक्त मास्टर प्लान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड दिल्ली से अनुमोदित है? मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त खसरा नम्बर में स्थित ऋतम्भरा रिसोर्ट की जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन करने का अधिकार बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड की सहमति के राज्य सरकार या किसी लोकल बोडी को है? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक्ट की किस योजना के तहत उक्त भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किया है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन उप नगर नियोजक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अलवर के 1/12/2000 के आधार पर एवं तत्कालीन कलक्टर अलवर के पत्र क्रमांक आईवाई /एल.सी. /98 /4997-5000 दिनांक 21.11.2000 को आधार बना कर किया है? क्या मुख्य नगर नियोजक अलवर से राय नहीं ली गई? यदि हां, तो क्यों? जिला कलक्टर अलवर के पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन/कनवर्जन किस दर से किया गया है? उक्त में पेश साइट प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त प्रकरण को सी.टी.एल.यू. कमेटी के समक्ष क्यों नहीं रखा गया व ऋतम्भरा रिसोर्ट को जिन शर्तों पर भू-उपयोग परिवर्तन भू-रूपान्तरण की इजाजत दी गई थी क्या उनका पालन किया गया है? यदि हां, तो कितने वर्ग मीटर पर निर्माण किया गया है और कम्पाउण्डवाल सड़क से कितनी दूरी पर है तथा पार्किंग एवं रिक्रेशन के क्या साधन रिसोर्ट में हैं?

उत्तर

(1) जी हां। यह मास्टर प्लान राज्य सरकार से अनुमोदित है। मास्टर प्लान की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा ऋतम्भरा रिसोर्ट की जमीन का लेण्ड यूज चेंज नहीं किया गया है बल्कि इसका नियमन किया गया है।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(3) उक्त भूमि के नियमन की स्वीकृति उप नगर नियोजक (एनसीआर) अलवर के पत्र के आधार पर जारी की गई है। चीफ टाउन प्लानर अलवर का कोई पद नहीं है। जिला कलक्टर अलवर के पत्र की प्रति संलग्न है।

(4) उक्त भूमि का लैण्ड यूज नहीं बदला गया है बल्कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमन दर 10/–रुपये प्रति वर्ग गज की दर से रिसोर्ट हेतु नियमन किया गया है। रिसोर्ट हेतु नियमन की गई भूमि के साइट प्लान की प्रति संलग्न है।

(5) हरित पट्टी में रिसोर्ट अनुज्ञेय है। राज्य सरकार द्वारा ऋतम्भरा रिसोर्ट की भूमि को उप नगर नियोजक अलवर के पत्र क्रमांक एल.एल.आर. 1828 ए.एल.डब्ल्यू. दिनांक 1.12.2000 में अंकित शर्तों के अनुसार पत्र संख्या प.3 (41)नविवि/3/2000 दिनांक 9.01.2001 के द्वारा नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उसके अनुसार ही रिसोर्ट हेतु नियमन किया गया है। न्यास द्वारा अभी भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। मौके पर पुराना निर्माण लगभग 295 वर्गमीटर पर है। रिसोर्ट के कम्पाउंडवाल की दूरी सड़क केन्द्र बिन्दु से 39 फीट है जबकि अनुमोदित साइट प्लान में केन्द्र बिन्दु से इसकी दूरी 100 फीट रखी गई है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सांगोद (कोटा) की पंचम जल ग्रहण परियोजनाओं में अनियमितताएं

554. **श्री जगन्नाथ** (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सांगोद कोटा पंचायत समिति के कुराड तृतीय एवं पंचम जल ग्रहण परियोजनाओं में गबन व गम्भीर अनियमितताओं के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या?

(2) क्या उक्त गबन व गम्भीर अनियमितताओं की जांच जिला कलक्टर द्वारा गठित तकनीकी समिति से या किसी अन्य जांच कमेटी से करवाई गई है? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे?

(3) उक्त जांच निष्कर्षों के आधार पर किस-किस अधिकारी व कर्मचारियों को दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति में उप निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, कोटा द्वारा परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में क्रियान्वित कुराड तृतीय एवं पंचम जलग्रहण परियोजना में अनियमितताओं के मामले जानकारी में आये। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) जी हां। अनियमितताओं के बारे में जांच जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोटा स्तर पर गठित समिति द्वारा करवाई गई है एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर प्रकरण में जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग कोटा के उप निदेशक, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक कृषि अधिकारी दोषी पाये गये।

(3) जांच निष्कर्ष के आधार पर जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग कोटा के तत्कालीन उप निदेशक, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक कृषि अधिकारी दोषी पाये गये। दोषी पाये गये सभी अधिकारियों के विरुद्ध आरोप–पत्र तैयार कर इनके पैतृक विभाग (कृषि विभाग) को भिजवा दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस थाने में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

परिशिष्ट–'अ'

जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर अनियमितताओं का विवरण

1. कराये गये वास्तविक कार्य से अधिक माप बताकर बैंक से अधिक राशि का भुगतान लिया गया।
2. डी.पी.आर. में अनुमोदित दो नये तालाब के स्थान पर, बिना सक्षम स्तर पर स्वीकृति के पुराने तालाब का पुनरूद्धार कर, अनियमित रूप से राशि व्यय कर ली गई।
3. षडयंत्रपूर्वक राशि का दुरुपयोग कर फर्जी भुगतान किया गया एवं इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोटा को प्रेषित कर गुमराह किया गया।
4. माप पुस्तिका में तकनीकी सदस्यों के हस्ताक्षरों में काट–छांट की गई।
5. आहरित की गई राशि को माप पुस्तिका में इंगित नहीं किया गया एवं न ही बिल की प्रति पत्रावली में उपलब्ध हुई।

नगर विकास न्यास अलवर द्वारा सड़क/नाली निर्माण पर व्यय राशि

555. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 2000 से जनवरी, 2003 तक नगर विकास न्यास अलवर ने कुल कितनी सरकारी भूमि की नीलामी की है?

(2) अलवर शहर में न्यास द्वारा कुल कितनी सी.सी. सड़कें एवं नालियों का निर्माण किया और उसमें कितनी राशि व्यय हुई और उक्त राशि किस मद से प्राप्त हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नगर विकास न्यास अलवर जिले में कालोनियां बनाकर बेचने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) न्यास की विभिन्न योजनाओं में 1,30,785 वर्गमीटर भूमि की नीलामी हुई है। कालोनीवाइज एरिया की लिस्ट संलग्न है।

(2) अलवर शहर में कुल 97 सी.सी. सड़कें एवं नलियों का निर्माण किया है एवं उसमें 476.58 (लाख) राशि व्यय हुई है। राशि न्यास के प्लाट विक्रय आदि से प्राप्त होती है। (सूची संलग्न है)

(3) एन.सी.आर. की नोटिफाइड एरिया में जिले के अन्तर्गत न्यास, अलवर कालोनियों बनाकर विक्रय करने का विचार रखती है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र अटरू एवं छबड़ा के अपूर्ण विकास कार्य

556. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), **श्री मदन दिलावर** (अटरू) एवं **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सांसद व विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत दिनांक 1.4.2002 को कितने कार्य कितनी-कितनी लागत के अधूरे थे? उक्त कार्यों को अब कब तक पूरा करा लिया जावेगा?

(2) उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 1 अप्रेल, 2002 से फरवरी, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र अटरू में सांसद व विधायक कोष से कितनी राशि के कार्य अभिशंसित कर स्वीकृत किये गये? उक्त कार्यों की कार्यकारी संस्था कौन-कौन थी तथा उक्त में से कितनी लागत के कार्य कब-कब पूर्ण करा लिए, कितने कार्य अपूर्ण हैं तथा कितने कार्य किस कारण से प्रारम्भ नहीं हो पाये?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत कार्यकारी संस्थाओं को निर्माण स्थल पर बोर्ड लगाने के आदेश/ निर्देश दिये हुए हैं? यदि हां, तो विधान

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

सभा क्षेत्र छबड़ा में गत दो वित्तीय वर्षों में करवाये गये कार्यों में से कितने कार्यों पर अब तक बोर्ड लगा दिये गये हैं तथा कितने कार्य ऐसे हैं जिन पर अभी तक कार्यकारी संस्थाओं द्वारा बोर्ड नहीं लगाये गये हैं? क्या सरकार ऐसे सभी निर्माण कार्यों पर बोर्ड लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में 1.4.2002 को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 16.55 लाख रुपये के 6 कार्य एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 25.20 लाख रुपये के 21 कार्य अधूरे थे। उक्त कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र अटरू में दिनांक 1 अप्रेल, 2002 से फरवरी, 2003 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 17.01 लाख रुपये के एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 54.375 लाख रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये। उक्त कार्यों की कार्यकारी संस्था तथा उक्त में से जो–जो कार्य जब–जब पूर्ण हुये हैं उनका विवरण तथा जो कार्य प्रारम्भ नहीं हुये तथा जो कार्य अपूर्ण हैं उनके कारणों सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में गत दो वित्तीय वर्षों में करवाये गये कार्यों में से 159 कार्यों पर सूचना पट्ट लगा दिये गये हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बारां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शेष दो कार्यों में से एक कार्य पर कार्य प्रारम्भ होते ही सूचना पट्ट लगवा दिया जावेगा तथा दूसरा कार्य (हैण्ड पम्प) पूर्ण हो जाने पर सूचना पट्ट लगवा दिया जावेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) को विकास कार्यों हेतु आबंटित राशि

557. श्री रामलाल गुर्जर : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

नगरपालिका क्षेत्र आसींद (भीलवाड़ा) में वर्ष 1999 से 2002 तक विकास कार्य हेतु विभिन्न योजनाओं में कितनी–कितनी राशि दी गई? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगरपालिका आसीन्द में विकास कार्य हेतु विभिन्न योजनाओं में वर्ष 1999 से वर्ष 2002 तक प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट–'अ'

कार्यालय नगरपालिका आसीन्द (भीलवाड़ा)

पालिका को वर्ष 1999-2002 तक विकास कार्य हेतु विभिन्न योजनाओं में प्राप्त अनुदान राशि का विवरण (राशि लाखों में)

क्रमांक	योजना/मद का नाम	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001	वर्ष 2001-2002	योग
1.	राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि	1.54	—	7.50	9.04
2.	दसवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि	1.23	6.00	—	7.23
3.	ग्यारहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि	—	—	5.84	5.84
4.	बाढ़/अतिवृष्टि सहायता	—	5.00	—	5.00
5.	राष्ट्रीय कच्ची बस्ती योजना (एन.एस.डी.पी.)	3.09	2.50 (हस्तान्तरण में)	0.80	6.39
6.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	0.63	1.10	3.10 (शहरी मजदूरी आधारभूत)	4.83
7.	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	—	1.10	2.84	3.84
8.	ग्यारहवें वित्त आयोग (गन्दी बस्ती सुधार योजना)	—	—	5.60	5.60
9.	अल्प लागत शौचालय	—	5.39	—	5.39
	सर्व योग	**6.49**	**20.99**	**25.68**	**53.16**

विधान सभा क्षेत्र डीग में विधायक कोष से करवाये गये कार्यों में अनियमितताएं

558. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत चार वर्षों में पंचायत समिति क्षेत्र डीग में विधायक निधि से कितनी राशि के कितने विकास कार्य स्वीकृत हुये?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र डीग की कितनी ग्राम पंचायतों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई और कितने मामलों में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हुई?

(3) क्या यह सही है कि सरकार की नीति के अनुरूप एक क्षेत्र में दो वर्ष की अवधि से अधिक एक अधिकारी को नहीं रखा जा सकता?

(4) उक्त पँचायत समिति में विकास अधिकारी लगातार कितने समय से कार्यरत हैं?

उत्तर

(1) विगत चार वर्षों में पंचायत समिति–डीग में विधायक निधि से कुल राशि रुपये 129.134 लाख के 152 कार्य स्वीकृत किये हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र डीग में 15 ग्राम पंचायतों में अनियमितता की 29 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 10 प्रकरण निराधार पाये गये हैं। 2 प्रकरण में दोषी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा चुकी है तथा 17 प्रकरणों में जांच प्रगति पर है। शिकायतों एवं उनकी वर्तमान स्थिति का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट–'अ' पर है।

(3) राज्य सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु निर्धारित नीति के अनुसार किसी भी राज्य कर्मचारी को साधारणतया (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिये। साधारणतया (विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर) कोई भी अधिकारी एक सम्भाग में 5 वर्ष से अधिक कार्यरत नहीं रखा जावेगा। राज्य सरकार के आदेश की प्रति परिशिष्ट–'ब' पर है।

(4) पंचायत समिति–डीग में विकास अधिकारी 3 वर्ष 8 माह से (दिनांक 31.7.1999 से लगातार) कार्यरत है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	शिकायत प्राप्ति की दिनांक	शिकायत कहां से प्राप्त हुई	ग्रा. पंचायत	शिकायत का विवरण	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	22.8.2000	श्री देवेन्द्र सिंह सिनसिनवार ग्रा.पं. पास्ता	पास्ता	दुकानों के निर्माण की अनियमितता बाबत	विकास अधिकारी डीग से जांच कराने पर शिकायत राजनीति से प्रेरित होना पाया गया सरपंच निर्दोष है। प्रकारण समाप्त।
2.	9.10.2000	श्री मोती लाल सदस्य, सर्तकता समिति	खोहरी	खरंजा निर्माण में अनियमितता एवं धांधली विधायक कोटा से निर्मित कमरा निर्माण मुख्य मंत्री रोजगार योजना से 5 दुकानों में भारी अनियमितता	विकास अधिकारी डीग की रिपोर्ट अनुसार शिकायत झूठी है एवं राजनीति से प्रेरित होने के कारण प्रकरण समाप्त।
3.	24.2.2002	श्री सोरन सिंह सरपंच	श्योरावली	पूर्व सरपंच के विरुद्ध निर्माण की अनियमितताओं के सम्बन्ध में	विकास अधिकारी डीग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 40/2001 पुलिस में दर्ज कराई गई है। प्रगति वि.अ. से चाही गई है।
4.	4.8.2000	सम्भागीय आयुक्त	श्योरावली	पूर्व सरपंच के विरुद्ध निर्माण की अनियमितताओं के सम्बन्ध में	विकास अधिकारी डीग द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज करा दी गयी है।

1	2	3	4	5	6
5.	26.2.2001	ग्रामवासी	खोह	दुकान/सड़क निर्माण कार्य के क्रम में	विकास अधिकारी डीग की रिपोर्ट अनुसार शिकायत झूठी, मनगढ़त एवं राजनीति से प्रेरित होने के कारण की गई। प्रकरण समाप्त।
6.	25.4.2001	ग्रामवासी खोह	खोह	सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता	प्रकरण विकास अधिकारी डीग के यहां विचाराधीन है।
7.	9.5.2001	ए.सी.डी. भरतपुर	खोह	सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता	तहसीलदार डीग के यहां विचाराधीन है।
8.	9.4.2001	ग्रामवासी खोह	खोह	सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता	प्रकरण की जांच तहसीलदार डीग द्वारा की गयी शिकायत निराधार विकरण समाप्त
9.	24.10.2002	समस्त वार्ड पंच,	मवई	निर्माण कार्यों में घौटाला से सम्बन्धित शिकायत	सरपंच ग्रा.प. मवई के निर्माण कार्यों की जांच तहसीलदार डीग द्वारा की जा रही है
10.	22.1.2001	विक्रम पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह	मवई	सरपंच द्वारा आंगनबाड़ी पद पर अवैध नियुक्ति	जांच विकास अधिकारी डीग के पास विचाराधीन है।
11.	25.7.2002	उप सरपंच मवई	मवई	सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों एवं दाखिला खरिज में घोटाला	विकास अधिकारी/तहसीलदार डीग के यहां प्रकरण विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6
12.	11.7.2001	श्री दिसम्बर सिंह/रामसिंह	दांतलौटी	सिनसिनी से थैरावर तक सड़क एम.पी. कोटा में घोटाला द्वारा सरपंच	तहसीलदार डीग द्वारा जांच की गयी प्रकरण झूठा अत: जांच समाप्त की गयी।
13.	21.9.2002	सम्भागीय आयुक्त जयपुर	दांतलौटी	सरपंच द्वारा गलत इन्दिरा आवास स्वीकृत करने बाबत (किरन देई को आवास बाबत)	प्रकरण तहसीलदार डीग के यहां विचाराधीन है।
14.	9.3.2000	सदस्य ग्राम पंचायत दांतलौटी	दांतलौटी	सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता	प्रकरण विकास अधिकारी डीग के यहां विचाराधीन है
15.	12.9.2001	ग्रामवासीयान जाटौलीथून	जाटौलीथून	सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता	प्रकरण सम्भागीय आयुक्त महोदय यहां विचाराधीन है
16.	16.10.2001	ग्रामवासी नाहराचौथ	नाहराचौथ	एम.पी. कोटा से स्वीकृत खरंजा में अनियमितता	जांच हेतु सहायक अभियंता जिला परिषद् के यहां विचाराधीन है।
17.	7.2.2002	विजय सिंह पंच जनूथर	जनूथर	सरपंच ग्राम पंचायत जनूथर द्वारा अनियमितताएं	एस.डी.एम.डीग के यहां विचाराधीन।
18.	24.5.2000	पंचायत समिति सदस्य डीग	जनूथर	सरपंच द्वारा सरकारी राशि का दुरुपयोग	प्रकरण विकास अधिकारी डीग के यहां विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6
19.	27.10.1999	ग्राम वासी जनूथर	जनूथर	सरपंच द्वारा सरकारी राशि का दुरुपयोग	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् के यहां विचाराधीन।
20.	14.11.2000	चौधरी मठर सिंह	जनूथर	सरपंच द्वारा सरकारी राशि का दुरुपयोग	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् के यहां विचाराधीन।
21.	30.12.2000	भवानी शंकर जनूथर	जनूथर	नोडल प्रेरक के चयन में अनियमितताएं	श्रीमान् डी.सी. महोदय जयपुर द्वारा प्रकरण समाप्त।
22.	15.11.2000	दिनेश चन्द शर्मा	जनूथर	नोडल प्रेरक के चयन में अनियमितताएं	श्रीमान् डी.सी. महोदय जयपुर द्वारा प्रकरण समाप्त।
23.	18.2.2002	सम्भागीय आयुक्त जयपुर	टोडा	ग्राम न. भजना रा.मा.पाठशाला में पोषाहार वितरण नहीं करने बाबत	प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी डीग द्वारा जांच की गयी शिकायत झूठी प्रकरण समाप्त।
24.	15.7.2002	ग्रामवासी सिनसिनी	सिनसिनी	सरपंच द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितता	प्रकरण विकास अधिकारी डीग के यहां विचाराधीन है।
25.	26.7.2002	ग्रामवासी सिनसिनी	सिनसिनी	सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों में राशि का दुरुपयोग	प्रकरण विकास अधिकारी डीग के यहां विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6
26.	19.7.2002	रज्जो पंचायत समिति सदस्य वहज	वहज	वहज कुण्ड की जांच बाबत (घाट निर्माण)	प्रकरण विकास अधिकारी डीग के यहां विचाराधीन है।
27.	1.5.2001	अवर सचिव (जांच) जयपुर	वरई	सरपंच की 420,120 धारा में गिरफ्तारी बाबत	अवर सचिव द्वारा जांच की गयी प्रकरण समाप्त।
28.	1.3.2002	ग्रामवासी अलीपुर	पसोपा	सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता	शिकायत गलत प्रकरण समाप्त।
29.	27.4.2000	केदार सिंह सरपंच कौरेर	कौरेर	पूर्व सरपंच के विरुद्ध निर्माण की अनियमितताओं के सम्बन्ध में	सहायक अभियन्ता जिला परिषद् के यहां विचाराधीन है।

परिशिष्ट–'ब'

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : एफ 9(5)साप्र/2/89 दिनांक : 28.6.1990

आदेश

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु राज्य सरकार निम्न सामान्य नीति निर्धारित करती है :

(1) किसी भी राजकीय कर्मचारी को साधारणतया दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण केवल निम्न कारण से ही किया जा सकेगा:

(क) राजकीय कर्मचारी के खिलाफ ऐसी गम्भीर शिकायतें हो, जो प्राथमिक जांच के उपरान्त सही पाई गई है। ऐसे मामलों में स्थानान्तरण के तुरन्त बाद विभागीय जांच प्रारम्भ की जानी चाहिये।

(ख) कर्मचारी की पदोन्नति होने पर।

(ग) पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदावनति होने की स्थिति में।

यदि कोई राजकीय कर्मचारी स्थानान्तरण होने के बाद या दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व अवकाश पर प्रस्थान कर जाता है, तो उसे अवकाश से लौटने पर उसी स्थान पर पदस्थापित किया जावेगा और वह वहां तब तक पदस्थापित रहेगा, जब तक उसका दो वर्ष का कार्यकाल पूरा न हो जावे।

उपरोक्त नीति के खिलाफ कोई भी स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा। यदि अनिवार्य हो तो अगले उच्च अधिकारी की सहमति प्राप्त कर ही स्थानान्तरण किया जावेगा। जो कर्मचारी विभागाध्यक्ष द्वारा स्थानान्तरित किये जाते हैं, उनके लिए अगला उच्च अधिकारी सम्बन्धित विभाग का सचिवालय में प्रशासनिक विभाग होगा। राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण यदि ऐसे प्रशासनिक विभाग द्वारा किये जाते हैं, जो मुख्य मंत्री महोदय के अधीन नहीं हो, इन मामलों में अगली उच्च अथोरिटी मुख्य मंत्री महोदय होंगे जिनकी सहमति सचिव के माध्यम से पत्रावली भेजकर प्राप्त की जावेगी।

(2) साधारणतया कार्य में अधिकारी एक सम्भाग में पांच वर्ष से अधिक कार्यरत नहीं रखा जावेगा। सम्बन्धित विभाग की परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य

सरकार किसी भी विभागीय को उनके अधिकारियों हेतु इस प्रावधान से छुट प्रदान कर सकेगी। यह छूट राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त की जावे।

(3) स्थानान्तरण साधारणतया शिक्षा सत्र से पूर्व माह मई एवं जून में किये जावेंगे। इसके बाद सिर्फ अतिविशिष्ट परिस्थितियों में ही स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। स्थानान्तरण पूर्ण रूप से सोच विचार कर ही किये जावेंगे। एक बार स्थानान्तरण आदेश जारी होने के बाद कोई भी आदेश किन्हीं भी कारणों से तीन माह से पूर्व निरस्त किये जायेंगे। इस अवधि के बाद यदि कोई आदेश निरस्त किया जाता है तो बिना लिखित कारणों के एवं अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाये बिना निरस्त नहीं किया जावेगा। यह निर्णय मंत्रीगण, समस्त विभागाध्यक्षों एवं स्थानान्तरण हेतु अन्य अधिकृत अधिकारियों पर पूर्णत: लागू होगा।

(क) प्रत्येक अधिकारी स्थानान्तरण आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर अन्दर अपना नया पदभार ग्रहण कर लें। यदि 15 दिन में अधिकारी पदभार ग्रहण नहीं करता है तो ऐसे अधिकारी को निलम्बित करने हेतु मुख्य सचिव अधिकृत होंगे।

(4) यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको ग्रामीण क्षेत्रों में यथा सम्भव एक ही स्थान पर रखा जावेगा।

(5) मरुस्थल एवं जन-जाति क्षेत्रों में कोई भी पद एक माह से अधिक रिक्त नहीं रखा जावे, जब तक इसके लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं हो।

(6) मृतक कर्मचारियों के आश्रित को यदि राजकीय सेवा में लिया जाता है तो यथा सम्भव उसे मृतक कर्मचारी के गृह जिले या उसके नजदीक पदस्थापित किया जावेगा।

(7) प्रत्येक विभाग अपने कर्मचारियों के पदस्थापन की नीति इस तरीके से निर्धारित करेगा कि प्रत्येक कर्मचारी क्षेत्र (फील्ड) एवं मुख्यालय (हैडक्वार्टर) के पदों पर एक निश्चित अवधि अवश्य मिलाए ताकि प्रत्येक कर्मचारी को अपनी योग्यता दिखाने एवं अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिले। इस बिन्दु पर विभाग कार्यवाही कर एक माह में रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को देंगे।

(8) उपरोक्त बिन्दु शासकीय दिशा निर्देश हैं। राज्य सरकार को अधिकार होगा कि किसी भी राजकीय कर्मचारी का स्थानान्तरण आवश्यकता (एक्सीजेंसी) को ध्यान में रखते हुए कभी भी बिना कारण बताये किया जा सकेगा।

(9) उपरोक्त स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी दिशा निर्देश समस्त आयोगों (कारपोरेशंस) एवं मण्डलों (बोर्ड्स) पर भी लागू होंगे। वे इन दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए इनके अनुरूप अपने–अपने उपक्रमों हेतु स्थानान्तरण नीति बनाकर राज्य सरकार को सूचित करेंगे व इसकी पालना करेंगे।

यह स्थानान्तरण नीति 1 जुलाई, 1990 से प्रभावी होगी। भविष्य में समस्त राजकीय विभाग, राजकीय उपक्रम, आयोग एवं मण्डल इन दिशा निर्देशों के तहत ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण करेंगे।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के विपरीत यदि कोई भी विभाग स्थानान्तरण करता है तो इसकी सूचना कार्मिक विभाग को मय कारणों के भेजी जावेगी। समस्त निरीक्षण अधिकारी एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारी अपने सम्बन्धित विभागों का निरीक्षण करते समय इस बात का परीक्षण भी करेंगे कि सम्बन्धित विभाग ने स्थानान्तरण राज्य सरकार की इस नीति के अनुरूप ही किये हैं। जिन मामलों में इन दिशा निर्देशों की अवहेलना पाई जावे, उनकी जानकारी मय सम्बन्धित अधिकारी, जिसने स्थानान्तरण किये हैं, उसके नाम से कार्मिक विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

इन आदेशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जावेगा।

अध्यक्ष, नगरपालिका खेड़ली (अलवर) के विरुद्ध लम्बित जांच

559. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अध्यक्ष, नगरपालिका खेड़ली के विरुद्ध पद के दुरुपयोग की कोई जांच की गई थी? यदि हां, तो जांच का नतीजा क्या रहा? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच में उक्त अध्यक्ष का दोषी पाया गया है?

(3) क्या यह सही है कि अध्यक्ष द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया था? क्या उक्त के विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच में गवाह अध्यक्ष के अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी है? क्या उक्त कर्मी अध्यक्ष के विरुद्ध भय के कारण बयान दे सकते हैं?

(5) क्या सरकार अनियमितताओं में लिप्त पाये गये उक्त अध्यक्ष को निलम्बित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। प्राथमिक जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा–63 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर प्रकरण न्यायिक ज़ांच हेतु संयुक्त विधि परामर्शी को भिजवाया जा चुका है।

(4) जी हां। बयान देने में कोई भय नहीं है।

(5) न्यायिक जांच के निर्णय उपरान्त समुचित कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-'ब'

कार्यालय सहायक कलक्टर कठूमर-अलवर

क्रमांक : 452 **दिनांक : 4.7.2001**

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय (सामान्य प्रकोष्ठ)

अलवर (अलवर)

विषय : नगरपालिका खेरली के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत की जांच बाबत।

प्रसंग : आपका पत्रांक सामान्य/2001/6429/दिनांक 6.6.2001।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कठूमर के विधायक श्री रमेश खींची द्वारा अध्यक्ष नगरपालिका खेरली के विरुद्ध की गयी शिकायत की फोटो प्रति आपके द्वारा जांच हेतु भिजवाये जाने पर अध्यक्ष नगरपालिका खेरली एवं अधिशासी अधिकारी नगरपालिका खेरलीगंज को दिनांक 27.6.2001 को वास्ते जांच इस कार्यालय में बुलाया गया, तथा नगरपालिका मण्डल खेरली की साधारण सभा दिनांक 14.5.2001 से सम्बन्धित कार्यवाही विवरण रजिस्टर बैठक एजेण्डा रजिस्टर तथा नगरपालिका सदस्यों की उपस्थित रजिस्टर को मंगाया जाकर उनका अवलोकन किया गया। कार्यवाही रजिस्टर के अनुसार दिनांक 30.9.2000 को साधारण सभा दिनांक 30.11.2000 को असाधारण सभा तथा दिनांक 23.1.2001 को साधारण सभा का आयोजन हुआ है, दिनांक 23.2.2001 को शांति व्यवस्था नहीं होने के कारण अध्यक्ष नगरपालिका खेरली द्वारा साधारण सभा को स्थगित कर दिया गया तथा इसके बाद बैठक कार्यवाही रजिस्टर में कोई साधारण सभा बुलाये जाने का विवरण दर्ज नहीं है। बैठक एजेण्डा रजिस्टर अनुसार दिनांक 7.4.2001 को साधारण सभा की बैठक रखी गयी थी, लेकिन इस बैठक बाबत कोई कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज नहीं है, तथा दिनांक 7.4.2001 को साधारण सभा किस कारण नहीं हुई, यह तथ्य भी रेकार्ड में कहीं दर्ज नहीं है, इसके बाद दिनांक 14.5.2001 को नगरपालिका मण्डल खेरली की साधारण सभा बुलाने बाबत अधिशासी अधिकारी नगरपालिका खेरली द्वारा बैठक एजेण्डा रजिस्टर में सूचना जारी की गयी, इस एजेण्डा में दो बिन्दु रखे गये, (1) गत मिटिंग की कार्यवाही की पुष्टि (2) वर्ष 2001-2002 के बजट पर बहस एवं निर्णय दिनांक 14.5.2001 को नगरपालिका मण्डल खेरली की साधारण सभा का आयोजन था, लेकिन इस दिनांक को नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी कार्यालय सहायक राजस्व निरीक्षक व कनिष्ठ लिपिक नगरपालिका में अनुपस्थित थे, इन सभी की अनुपस्थिति में नगरपालिका खेरली के एक कनिष्ठतम लिपिक को बैठक कार्यवाही लिखने के लिये नगरपालिका खेरली अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किया गया, लेकिन इस

लिपिक ने दिनांक 14.5.2001 की साधारण सभा की कार्यवाही नगरपालिका खेरली में संधारित कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज नहीं कर एक साधारण पेपर पर दर्ज की है, इस साधारण पेपर पर दर्ज मिटिंग की कार्यवाही में एजेण्डा के दो बिन्दु पर कोई विचार विमर्श किया जाना दर्ज नहीं है, केवल यह लिखा हुआ है कि गत मिटिंग की सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी, तथा बजट सर्व सम्मति से पारित किया गया, गत साधारण सभा दिनांक 23.1.2001 को शांति व्यवस्था नहीं रहने के कारण अध्यक्ष नरगपालिका द्वारा स्थगित कर दी गयी थी, तो इस मीटिंग के किस निर्णय की पुष्टि दिनांक 14.5.2001 की साधारण सभा में हुई है, यह स्पष्ट नहीं है, साधारण पेपर पर लिखे कार्यवाही विवरण में बजट वर्ष 2001–2002 पर भी नगरपालिका मण्डल द्वारा कोई विचार विमर्श व बहस किया जाना दर्ज नहीं है, नगरपालिका खेरली के अधिशासी अधिकारी ने दिनांक 27.6.2001 को जांच के दौरान बताया कि नगरपालिका मण्डल की साधारण सभा की कार्यवाही लिखने के लिये किसी कनिष्ठतम लिपिक को अधिकृत नहीं किया जा सकता, बैठक एजेण्डा अनुसार केवल दो बिन्दुओं पर साधारण सभा दिनांक 14.5.2001 में विचार विमर्श व निर्णय किया जाना था, लेकिन छह बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया है।

अध्यक्ष, नगरपालिका खेरली द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर को लिखे गये शिकायती पत्र दिनांक 19.5.2001 में बताया है कि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा दूरभाष पर बार बार बोर्ड की मीटिंग स्थगित किये जाने के निर्देश दिये गये, जिससे स्पष्ट होता है कि साधारण सभा की बैठक विवादित परिस्थितियों में ली गयी है, इस साधारण सभा के दिन नगरपालिका खेरली के वरिष्ठतम कार्यवाही व अधिशासी अधिकारी कार्यालय से अनुपस्थित रहे हैं, दिनांक 30.11.2000 को कोई साधारण सभा की बैठक के बाद कठूमर के विधायक श्री रमेश खींची नगरपालिका की किसी साधारण सभा में उपस्थित नहीं रहे हैं, जांच में यह भी तथ्य सामने आया है कि कठूमर के विधायक श्री रमेश खींची ने इस साधारण सभा को शनिवार को रखने के लिये कहा था, लेकिन ये साधारण सभा सोमवार को की गयी, नगरपालिका खेरली की साधारण सभा दिनांक 14.5.2001 से सम्बन्धित रेकार्ड का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि यह साधारण सभा नियमानुसार नहीं हुई है। अत: नगरपालिका खेरली के बजट वर्ष 2001–2002 पर बहस व निर्णय करने के लिये पुन: अधिशासी अधिकारी नगरपालिका द्वारा साधारण सभा का आयोजन किया जावे। तो उचित है। रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

ह०/–

सहायक कलक्टर

कठूमर (अलवर) राज.

सीमावर्ती जिलों के विकास हेतु आबंटित राशि का अन्यत्र उपयोग

560. **डा. किरोड़ी लाल (बामनवास):** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र जिला बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के 13 ब्लाकों के सीमा क्षेत्र विकास हेतु राशि आबंटित की थी? यदि हां, तो कब-कब कितनी-कितनी राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आबंटित की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सीमा क्षेत्र विकास हेतु आबंटित राशि में से राज्य सरकार 50 प्रतिशत राशि का भी उपयोग नहीं कर पाई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा स्पेशल कम्पोनेंट के तहत स्वीकृत उक्त योजना में आबंटित 349 लाख की राशि को राज्य सरकार ने सम्बन्धित जिला ग्रामीण अभिकरणों को उपलब्ध कराने के बजाय अन्य विभागों को सौंप दिया और वे भी उक्त राशि का उपयोग नहीं कर सके? यदि हां, तो राज्य के सीमा क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्र द्वारा आबंटित उक्त राशि को अन्दर विभागों को उपलब्ध क्यों करवाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले में महालेखाकार एवं ग्रामीण विकास अभिकरण की आडिट रिपोर्टों में वित्तीय अनियमितता के गम्भीर आक्षेप लगाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त आडिट रिपोर्ट एवं महालेखाकार की टिप्पणी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के चार जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के 13 ब्लाकों के लिए क्रियान्वित की जा रही सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नानुसार राशि आबंटित की है :

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	आबंटित राशि
1.	1993–1994	1905.74
2.	1994–1995	2044.00
3.	1995–1996	2563.00
4.	1996–1997	2563.00
5.	1997–1998	2563.00
6.	1998–1999	2652.00
7.	1999–2000	2917.00
8.	2000–2001	3032.00
9.	2001–2002	3032.00
10.	2002–2003	3032.00

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्ष 1993–94 से 2002–2003 (28.2.2003 तक) कुल आबंटित राशि रुपये 26303.74 लाख में से रुपये 24286.40 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है, जो आबंटित राशि का 92.33 प्रतिशत है।

(3) सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम की भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग-दर्शिका के अनुसार राज्य सरकार को इस योजनान्तर्गत प्राप्त राशि को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को दिये जाने की बाध्यता नहीं है। मार्ग–दर्शिका के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार प्राप्त राशि को सीधे ही विभागों को कार्यों के लिए आबंटित कर सकती है।

(4) जी नहीं।

नगरपालिका कोटपूतली द्वारा बेचे गये भू-खण्डों की लीज मनी

561. **डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली)** : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1978–79 में कतिपय दुकानों के भू-खण्ड नगरपालिका कोटपूतली द्वारा नीलामी में खुले रूप से बेचे गये?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भू-खण्डों को क्रेताओं के हक में पूर्ण स्वामित्व हेतु नगरपालिका कोटपूतली ने पंजीकृत भी किया है?

(3) क्या यह सही है कि भू-खण्ड विक्रय के समय अन्य कोई शर्तें नहीं थी?

(4) क्या यह भी सही है कि भू-खण्डों की खुली बिक्री में कोई लीज व्यवस्था लागू नहीं थी? क्या लीज के बारे में क्रेताओं को सूचित किया गया था?

(5) क्या यह सही है कि उक्त पंजीकृत भू-खण्ड स्वामियों को लीज मनी जमा करवाये जाने हेतु नगरपालिका द्वारा नोटिस दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नगरपालिका, कोटपूतली द्वारा अधिकांश क्रेताओं के हक में भू-खण्डों को पंजीकृत कराया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के तहत कार्यवाही की गई है।

परिशिष्ट–4

परिशिष्ट-ए

(अतारांकित प्रश्न संख्या-851 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में नगर निगम द्वारा मार्च, 1999 से जनवरी, 2003 तक बनाई गई सड़कों का विवरण

क्र.सं.	नाम कालोनी	कि.मी. सड़क
1	2	3
1.	इन्द्रवर्मा कालोनी	1.40
2.	टाटा नगर	0.40
3.	बन्धा बस्ती	0.50
4.	व्यास कालोनी	0.90
5.	सैक्टर नम्बर 1 व 2 (वार्ड 64)	0.60
6.	पटेल नगर	1.00
7.	चन्द्रशेखर की बगीची	1.00
8.	संजय नगर भट्टा बस्ती ब्लाक ए, बी, सी, डी	2.30
9.	बस्ती सीतारामपुरा	1.30
10.	शिवाजी नगर	0.60
11.	महात्मा गांधी कच्ची बस्ती	0.50
12.	स्वर्णकार कालोनी	0.20
13.	शिवमार्ग बनीपार्क	1.00
14.	ढेर का बालाजी (वार्ड 68)	1.50
15.	कृष्णा कालोनी (वार्ड 68)	0.70
16.	नेहरू	0.30
17.	पुलिस लाइन के पास (वार्ड 37)	0.35
18.	रतन नगर (वार्ड 68)	1.40

1	2	3
19.	हाथी बाबू का मार्ग (वार्ड 37)	0.50
20.	भवानी नगर (वार्ड 68)	2.50
21.	सिन्धी कालोनी (वार्ड 36)	0.30
22.	विजयबाड़ी	1.46
23.	जगदम्बा कालोनी	0.20
24.	कृष्णा नगर (वार्ड 68)	0.20
25.	कुरेशी कालोनी	0.20
26.	जे.पी. कालोनी सेक्टर-3	0.50
27.	परसराम नगर (वार्ड 68)	1.90
28.	सैन कालोनी	0.30
29.	सैक्टर-2 हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर	0.94
30.	सिन्धू नगर सीकर रोड	2.00
31.	बड़ोदिया बस्ती	0.50
32.	सुभाष कालोनी	2.10
33.	शिवशक्ति कालोनी विश्वकर्मा कालोनी	1.20
34.	स्वामी कच्ची बस्ती	0.10
35.	राणा कालोनी	0.50
36.	बजरंग कालोनी व राजीव नगर	0.40
37.	न्यू जालूपुरा (वार्ड 66)	0.40
38.	पंचमुखी हनुमान बस्ती	0.30
39.	कृष्णा नगर	1.50
40.	बलाई बस्ती (सती कालोनी)	0.50

1	2	3
41.	विकास नगर	0.40.
42.	पर्वतीय कालोनी	0.10
43.	लंकापुरी	0.70
44.	विवेक नगर	0.40
45.	बोरीया बस्ती	0.50
46.	विवेकानन्द कालोनी (वार्ड 68)	1.00
47.	प्रेम नगर कच्ची बस्ती	1.50
48.	मेजर सैतान सिंह कालोनी	0.40
49.	जगदम्बा कालोनी	2.20
50.	विजय बाड़ी	0.20
51.	कानाराम नगर (वार्ड 68)	0.20
52.	न्यू संजय नगर विजय नगर	0.50
53.	जालूपुरा	0.60
54.	गोपीनाथ मार्ग की गली	0.40
55.	मोती लाल अटल रोड के पास	0.30
56.	हमीद नगर	0.40
57.	हरीजन बस्ती पोलोविक्ट्री के पास	0.50
58.	कल्याणजी का रास्ता	0.80
59.	खजाने वालों का रास्ता	0.80
60.	भिंडों का रास्ता	0.80
61.	निदडराव का रास्ता	0.80
62.	झालनियों का रास्ता	0.80

1	2	3
63.	टिक्कड़ मल का रास्ता	0.80
64.	खुटेटों का रास्ता	0.80
65.	खेजड़ों का रास्ता	0.80
66.	बाबा हरिशचन्द्र मार्ग	0.80

परिशिष्ट–बी

नगर निगम जयपुर द्वारा वर्ष 2003–2004 में विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में प्रस्तावित सड़कों की सूची

क्र.सं.	नाम कालोनी
1.	मीणों का टिब्बा पेंटर कालोनी
2.	व्यास कालोनी में शेष सड़कों
3.	गुर्जर बस्ती वार्ड 64
4.	हरीजन बस्ती वार्ड 64
5.	भट्टा बस्ती सी व डी ब्लाक वार्ड 64
6.	संजय नगर भट्टा बस्ती वार्ड 65
7.	वार्ड 37 में बड़ोदिया बस्ती में शेष सड़कें
8.	वार्ड 37 में कांतिचन्द्र रोड पर सी.सी. कार्य एवं आस–पास

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर परिशिष्ट-अ

वर्ष 1999 से जनवरी, 2003 तक कराए गए सड़क निर्माण कार्यों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	कि.मी.
1.	विद्याधर नगर सैक्टर 4 एवं 8 में सड़क निर्माण कार्य (ई.डब्लू. एस. क्वार्ट्स)	0.75
2.	संसार चन्द्र रोड का विकास कार्य	5.00
3.	विद्याधर नगर से पापड़ के हनुमानजी तक	0.60
4.	वार्ड नम्बर 37 में सड़क निर्माण कार्य	4.00
5.	निर्वाण मार्ग का विकास कार्य (बनीपार्क)	4.00
6.	बन्धा बस्ती में सड़क निर्माण कार्य	4.00
7.	अम्बाबाड़ी में सड़क निर्माण कार्य	1.50
8.	विजय विहार कालोनी में सड़क निर्माण	0.70
9.	इन्दिरा बस्ती शास्त्री नगर में सड़क निर्माण	0.75
10.	राधा गोविन्द, कालोनी में सड़क निर्माण	4.00
11.	विजय बाड़ी, शंकर भवन गृ.नि.स.स.	1.35
12.	ऋषि कालोनी, जयपुर वाल्मीकी	0.50
	कुल योग	27.15 कि.मी.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर परिशिष्ट–ब

वर्ष 2003-2004 में विधान सभा किशनपोल में प्रस्तावित सड़क निर्माण

क्र.सं.	विवरण
1.	भवानी नगर, श्री जनता हा.का.सो.लि.
2.	स्कीम नम्बर 12 (कसी कालोनी) म्युचुअल हा.का.सो.लि.
3.	स्कीम नम्बर 4 रतन नगर, म्युचुअल हा.का.सो.लि.
4.	स्कीम नम्बर 3 मित्र ग. नि.स.स.लि.
5.	स्कीम नम्बर 5 मित्र ग. नि.स.स.लि.
6.	बन्धु नगर स्कीम नम्बर 3 जय चामुण्डा ग.नि.स.स.लि.
7.	जयकिशन नगर, शिल्पाचार्य ग.नि.स.स.लि.
8.	मुरलीपुरा भवानी नगर, खुदाबाड़ी ग.नि.स.स.लि.
9.	भवानी नगर चौमूं रोड, नवजीवन ग.नि.स.स.लि.
10.	कानाराम नगर, श्री जनता हा.का.सो.लि.
11.	स्कीम नम्बर 4 परसराम नगर, मित्र ग.नि.स.स.लि.
12.	स्कीम नम्बर 5 (ए) म्युचुअल ग.नि.स.स.लि.
13.	स्कीम नम्बर 12 (ए) म्युचुअल ग.नि.स.स.लि.

परिशिष्ट–5

परिशिष्ट–अ

(अतारांकित प्रश्न संख्या–852 का विवरण)

वर्ष 1998 से 2002 तक निलम्बित किये गये सभापति/अध्यक्षों की सूची

क्र.सं.	नाम	नगर निगम/परिषद्/ पालिका का नाम	दिनांक
1	2	3	4
1.	श्रीमती मधुजाजू	भीलवाड़ा	20.08.1998
2.	श्रीमती राजवन्ती देवी	टोडाभीम	25.08.1998
3.	श्रीमती पवित्रा देवी	बहरोड़	11.11.1998
4.	श्रीमती सुशीला दुगड़	लाडनूं	24.08.1998
5.	श्री सुरेश घोषी	दौसा	16.01.1999
6.	श्री गोरधन लाल	भुसावर	16.02.1999
7.	श्री बाबूलाल दीपक	देवली	26.01.1999
8.	श्री जगदीश प्रसाद	रामगढ़	26.02.1999
9.	श्री रमेश दीवड़ा	झुंझुनूं	22.05.1999
10.	श्री मणीलाल बोहरा	बांसवाड़ा	22.05.1999
11.	श्री जगदीश कल्याण	बग्गड़	07.06.1999
12.	श्रीमती सुनिता वर्मा	खेतड़ी	07.06.1999
13.	श्री शंकरलाल वर्मा	चिड़ावा	07.06.1999
14.	श्री सुरेश चन्द वर्मा	डीडवाना	07.06.1999
15.	श्रीमती कमला काबरा	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	07.06.1999
16.	श्री रामप्रसाद माली	गंगापुरसिटी	22.05.1999
17.	श्री महावीर प्रसाद सैनी	लक्ष्मणगढ़	16.10.1999
18.	श्रीमती मीना गोयल	कामां	25.09.1999
19.	श्री नाथूलाल जांगीड़	श्रीमाधोपुर	02.11.1999

1	2	3	4
20.	श्री घनश्याम साम्भरिया	साम्भर	06.01.2000
21.	श्रीमती विमला देवी	पदमपुर	06.01.2000
22.	श्री राधेश्याम बनापुरिया	बांदीकुई	06.01.2000
23.	श्री रामनिवास राठी	परबतसर	20.01.2000
24.	श्री करतार सिंह	गुलाबपुरा	06.01.2000
25.	श्री चन्द्रा बोस	किशनगढ़	06.01.2000
26.	श्री महावीर प्रसाद जैन	निवाई	06.01.2000
27.	श्री जीवराज नाई	डूंगरगढ़	21.03.2000
28.	श्री बजरंग लाल निर्वाण	मण्डावा	20.04.2000
29.	श्री मनोहर लाल चपलोत	फतेहनगर-सनवाड़	08.06.2000
30.	श्री दर्शन सिंह गुर्जर	करौली	08.06.2000
31.	श्रीमती मधु कुमावत	कुचामनसिटी	16.06.2000
32.	श्री कैलाश चन्द शर्मा	बेगूं	01.07.2000
33.	श्री राजकुमार बधवा	रावतभाटा	09.05.2001
34.	श्री लोक नारायण	छबड़ा	28.05.2001
35.	श्री गोमाराम मेघवाल	खुड़ाला-फालना	29.06.2002
36.	श्री तुलसीराम	राजगढ़ (अलवर)	08.07.2002
37.	श्री हेमराज जैन	सांगरिया	26.11.2002
38.	श्री वीरेन्द्र मोदी	सिरोही	23.07.2002
39.	श्रीमती सन्तोष गुर्जर	रामगंजमण्डी	23.10.2002
40.	श्री गंगसिंह	नागौर	26.10.2002

परिशिष्ट–ब

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

क्र. सं.	नाम आरोपित मय पद	प्रकरण से सम्बन्धित पालिका का नाम	चार्टसीट जारी होने का दिनांक	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	जांच अधिकारी नियुक्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री इन्द्र बिहारी भटनागर, अ.अ.	सांगानेर	4/29/83	बाढ़ राहत कार्यों के लिये स्वीकृत राशि का दुरुपयोग	08.04.1996
2.	श्री सीताराम शर्मा, अ.अ.	खैरथल	23.11.19994	15 कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियां करना	
3.	श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, अ.अ.	दौसा	03.07.1995	रिट संख्या 5257/87 में निर्णय दिनांक 2.3.1995 की अपील नहीं करना	निर्णयाधीन
4.	श्री राधेश्याम शर्मा, अ.अ.	फूलेरा	15.02.1996	यू.बी.एस.पी. की राशि का अग्रिम भुगतान	
5.	श्री दुर्गा प्रसाद माथुर, अ.अ.	फूलेरा	29.03.1996	भू–खण्ड नियमन में अनियमितता	
6.	श्री नारायण सिंह, अ.अ.	बग्गड़	28.05.1996	गरीब की चुंगी वसूल नहीं करना, अतिक्रमण करवाना	
7.	श्री बनवारी लाल शर्मा, अ.अ.	नीमकाथाना	25.10.1996	श्री गोरूराम नाकागार्ड की अनियमित नियुक्ति करना	

1	2	3	4	5	6
8.	श्री झब्बूलाल मीणा, अ.अ.	टोडाभीम	20.03.1995	वाहन चालक की अनियमित नियुक्ति	
9.	श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, अ.अ.	धौलपुर	27.03.1997	भवन निर्माण की गलत स्वीकृति जारी करना	17.08.1998
10.	श्री महेश चन्द्र गुप्ता, अ.अ.	बयाना	29.12.1997	कर्मचारियों की अनियमितता नियुक्तियां व सुलभ शौचालय निर्माण का गलत भुगतान	22.05.1998
11.	श्री गोविन्द नारायण शर्मा, अ.अ.	चौमूं	18.05.1998	नगरपालिका भूमि पर अतिक्रमण व अवैध निर्माण करवाना	
12.	श्री कालू खां, अ.अ.	कामां	01.09.1999	सड़क निर्माण के नाम पर फर्जी भुगतान उठाना	निर्णयाधीन
13.	श्री प्रेम चन्द शर्मा, अ.अ.	डीगं	11.01.1999	फ्लश शौचालय के निर्माण में अनियमितता एवं अग्रिम देना, तहबाजारी ठेका व सड़क नाली निर्माण में अनियमितता, बाढ़ राहत राशि का दुरुपयोग, 80 व्यक्तियों को गलत तामीर इजाजत देना, बाढ़ राशि का दुरुपयोग	
14.	श्री बलवन्त दान आडा, अ.अ.	निलम्बित	04.08.1999	निलम्बनकाल में मुख्यालय डीडीआर जयपुर से अनुपस्थित रहना	27.08.2001

1	2	3	4	5	6
15.	श्री नारायण सिंह सांधू, अ.अ.	जैसलमेर	16.12.1997	शपथ पत्रों के आधार पर निर्माण स्वीकृतियां एवं एनओसी जारी	
16.	श्री नारायण दान आडा, अ.अ.	सांचौर	05.05.1998	नगरपालिका भूमि पर अतिक्रमण, सामान खरीद में अनियमितता गलत नियुक्ति करना	6/26/1998
17.	श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, अ.अ.				
18.	श्री पोकर राम चौहान, अ.अ.	जालौर	30.11.1999	अनियमित रूप से भूखण्ड आबंटन	06.06.2000
19.	श्री रतनलाल खन्ना, अ.अ.	टोडारायसिंह	03.03.1997	कार्यालय से अनुपस्थित, पालिकाओं से अग्रिम राशि उठाना	05.06.1997
20.	श्री मदन सिंह बुड़ानिया, अ.अ.	सूरतगढ़	01.06.1999	भूमि विक्रय में अनियमितता	
21.	श्री हनुमान सिंह विश्नोई, अ.अ.	रावतसर	22.07.1999	भूखण्ड नियमन में अनियमितता	
22.	श्री घनश्याम खदूमरा, अ.अ.	बारां	17.12.1997	कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियां	
23.	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, अ.अ.	बांदीकुई	12.06.2001	निर्माण कार्यों में अनियमितता	
24.	श्री रामनिवास कुमावत, अ.अ.	बिलाड़ा	24.03.2000	जेसीबी मशीन व ट्रेक्टर किराया का अनियमित भुगतान	17.08.2000
25.	श्री रतनलाल जावा, अ.अ.	परबतसर	26.06.2000	मण्डल प्रस्ताव पर असहमति टिप्पणी अंकित नहीं करना	03.09.2001

1	2	3	4	5	6
26.	श्री जस्साराम गोदारा, अ.अ.	डीडवाना	11.12.2000	ठेकेदार से आय स्रोत पर आयकर वसूल नहीं करना	05.10.2002
27.	श्री झब्बूलाल मीणा, अ.अ.	टोडाभीम	09.05.2000	निर्माण कार्यों में अनियमितता	16.06.2000
28.	श्री मोहन लाल गोयल, अ.अ.	लाडनूं	03.01.2001	सप्लाई आदेश के विरुद्ध ट्रेक्टर क्रय कर सप्लाई प्राप्त करना	निर्णयाधीन
29.	श्री सांवर मल सैनी, अ.अ.	फतेहपुर	01.02.2002	भूखण्ड आबंटन की राशि नियमानुसार वसूल नहीं करना	
30.	श्री नन्दलाल व्यास, अ.अ.	आबूरोड	04.03.2002	29 हजार रुपये का मकान मरम्मत हेतु ऋण लेकर वापस जमा नहीं करवाना	
31.	श्री इतवारी लाल सारवान, अ.अ.	माण्डलगढ़	15.01.2002	कैशियर से मिलीभगत कर नगरपालिका राशि 53,758 रुपये का गबन	
32.	श्री घीसु लाल गर्ग, अ.अ.	किशनगढ़	19.03.2003	सीमेंट शेष कट्टे 2929 अन्य ठेकेदार को देने की कार्यवाही नहीं करने से वे खराब हो गये जिससे पालिका को 3.17 लाख की आर्थिक हानि हुई है	
33.	श्री मंगत राम जाट, अ.अ.	किशनगढ़ अ	08.03.2002	सीमेंट शेष कट्टे 2929 अन्य ठेकेदार को देने	
34.	श्री ताराचन्द्र गोसाई, अ.अ.			की कार्यवाही नहीं करने से वे खराब हो गये	
35.	श्री बच्चन लाल मेहरड़ा, अ.अ.	जमेर		जिससे पालिका को 3.17 लाख की आर्थिक हानि हुई है	

1	2	3	4	5	6
36.	श्री विजय सिंह शेखावत, ई.ओ.	चूरू	16.03.2002	104 निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत 4896 लाख रुपये की निर्माण सामग्री	
37.	श्री विजयदान चारण, अ.अ.	पिण्डवाड़ा	13.02.2002	श्री पर्वत सिंह, सब नाकेदार को न्यायालय के निर्णय की पालना में	
38. 39.	श्री पृथ्वीराज जाखड़, अ.अ. श्री ओमप्रकाश खोत, अ.अ.	पीलीबंगा	30.03.2002	अल्प लागत शौचालय के निर्माण हेतु प्राप्त राशि का अन्य कार्यों में उपयोग	
40.	श्री मुश्ताक अहमद, अ.अ.	परबतसर	09.04.2002	कार्य मुक्त किये जाने के बावजूद कार्यालय में उपस्थिति दर्ज नहीं करने बाबत	
41.	श्री अजराज सिंह शक्तावत, अ.अ.	लाखेरी	05.07.2002	केशियर से मिलीभगत कर नगरपालिका राशि का गबन	
42.	श्री मिल्कीयत सिंह सैनी, अ.अ.	पदमपुर	29.07.2002	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्री करणपुर के यहां दायर अपील को प्रत्याहारित करना	
43.	श्री शंकरलाल गहलोत, अ.अ.	सिरोही	06.08.2002	बिना कोई बोर्ड की अनुमति के खांचा भूमि आबंटित करना	
44.	श्री सुरेश चन्द्र महेश्वरी, अ.अ.	सिरोही	19.8.2002	18 बिस्वा भूमि नियम विरुद्ध नियुक्ति कर पालिका को आर्थिक हानि पहुंचाना	

1	2	3	4	5	6
45.	श्री दर्शन लाल सोनी, अ.अ.	बाड़मेर	19.8.2002	सिन्धु भेरवी आर्ट एवं कल्चर सोसायटी बाड़मेर को लीज पर देने के अनियमित आदेश देना	
46.	श्री जयकुमार लोहाना, अ.अ.	फलौदी	02.11.2002	बिना स्वीकृति श्रमिकों को दैनिक वेतन पर रख कर भुगतान कर आर्थिक हानि पहुंचाना	
47.	श्री कानाराम, अ.अ.				
48.	श्री शेरसिंह, अ.अ.				
49.	श्री मधुसुदन शर्मा, अ.अ.	रावतभाटा	23.11.2002	38 सफ़ाई कर्मचारियों को ठेकेदार रखना	
50.	श्री बलदेव सिंह लाम्बा, अ.अ.	चौमूं	25.11.2002	बिना डूडा की स्वीकृति के अनियमित रूप से 2.30 लाभ रुपये के व्यय	
51.	श्री शंकर दास स्वामी, अ.अ.	सांगरिया	29.11.2002	सुरेन्द्र बांठिया व उनके भाइयों को राजकीय भूमि आबंटन में अनियमितता बरतने बाबत	
52.	श्री बंशीलाल पंवार, अ.अ.	जहाजपुर	02.01.2003	नियम विरुद्ध खांचा भूमि आबंटन में अनियमितता बरतना	
53.	श्री जगदीश बोहरा, अ.अ.				
54.	श्री सोहन कृष्ण संकीत, अ.अ.	राजाखेड़ा	30.01.2003	31.17 लाख के गबन प्रकरण में सहयोग करना	
55.	श्री नरपत सिंह सोलंकी, अ.अ.	सोजत	27.03.2003	भूखण्ड आबंटन की राशि नियमानुसार वसूल नहीं करना	

परिशिष्ट–6

परिशिष्ट–अ

(अतारांकित प्रश्न संख्या–856 का विवरण)

कार्यालय नगरपालिका बगरू, जयपुर

तत्कालिक बोर्ड में जो पार्षद लगातार तीन मिटिंगों में अनुपस्थित रहे हैं, उनकी सूची

अगस्त, 1995 से अगस्त, 2000 तक

क्र.सं.	नाम पार्षद	अनुपस्थित मिटिंग की तिथियां	
1.	श्री सीताराम झालानी	1.	दि. 03.08.1996
		2.	12.09.1996
		3.	19.09.1996
		4.	11.03.1997
		5.	04.04.1997
		6.	05.05.1997
2.	श्री बाबूलाल रगर	1.	29.11.1997
		2.	17.01.1998
		3.	17.03.1998
		4.	06.08.1998
		5.	13.08.1998
		6.	14.12.1998
		7.	14.12.1998
		8.	24.03.1999
		9.	07.06.1999
		10.	12.08.1999
		11.	03.11.1999
		12.	26.07.2000
		13.	26.07.2000

परिशिष्ट–7

परिशिष्ट–अ

(अतारांकित प्रश्न संख्या–863 की प्रति)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प 5(3)नविवि/099 पार्ट जयपुर, दिनांक : 11.1.2002

आदेश

विषय : जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि नियमन बाबत।

जयपुर में आवासीय कालोनियों में कृषि भूमि नियमन कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को अधिक गति प्रदान करने के लिये प्रचलित व्यवस्था पर पुनर्विचार कर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, उक्त निर्णयों की अनुपालना में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 20 जोंस गठित किये गये हैं तथा जोन स्तर पर जोनल कमेटियों का गठन किया गया है। संशोधित व्यवस्थानुसार शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप भविष्य में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :

नियमन हेतु सामान्य पैरामीटर्स

आवासीय कालोनियों के लिये सामान्य रूप से निम्न पैरामीटर्स ध्यान में रखे जावेंगे:

1. आवासीय कालोनियों में आवासीय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत एवं सुविधा क्षेत्र (सड़क सहित) 40 प्रतिशत होगा। आवासीय क्षेत्र में से अधिकतम 10 प्रतिशत (60 प्रतिशत का 10 प्रतिशत) व्यावसायिक प्रयोजनार्थ नियमित किया जा सकेगा।
2. कालोनी के अन्दर की सड़कों की चौडाई कम से कम 30 फुट होगी।
3. मास्टर प्लान एवं सैक्टर प्लान की सड़कों को समायोजित किया जावेगा।
4. विभिन्न योजनाओं के आपस में सम्पर्क के लिये सम्पर्क सड़कों के प्रावधान को यथासम्भव दृष्टिगत रखा जावेगा।
5. रेलवे लाइन से योजना की सीमा नियमानुसार रखी जावेगी।

6. सुविधा क्षेत्र की जो भूमि मौके पर उपलब्ध है, उसे तत्काल चारदीवारी, खम्भे, तार आदि लगाकर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने कब्जे में लिया जावेगा।

जोनल स्तरीय समिति द्वारा कार्यवाही

जोनल समितियों का गठन निम्नप्रकार से किया जाता है :

1. सम्बन्धित उपायुक्त
2. जोनल अभियन्ता
3. उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक
4. तहसीलदार

निर्णय हेतु बैठक में उपायुक्त सहित न्यूनतम 3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

जोनल स्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त पैरामीटर्स का परीक्षण करने पर संतुष्ट होने के उपरान्त निम्न कार्यवाही की जावेगी :

यदि प्रस्तुत योजनाओं में 50 प्रतिशत से ज्यादा भूखण्डों पर निर्माण (पूर्ण या अधूरा भवन) हो चुका है। यदि कालोनियों में आवासीय क्षेत्र एवं सुविधा क्षेत्र निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं है तथा जोन स्तर पर गठित कमेटी द्वारा कार्य को गति प्रदान करने हेतु ऐसा अपरिहार्य माना जाता है, तो निर्धारित मापदण्डों में से 5 प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी। किन्तु कमेटी का उक्त निर्णय अपवाद स्वरूप ही होगा तथा इसके कारण स्पष्ट रूप से अंकित किये जावेंगे। जिन योजनाओं में 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक निर्माण हुआ है, उनमें नियमन से पूर्व मुख्यालय पर गठित बी.पी.सी. से अनुमोदित करवाया जावेगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण में गठित बी.पी.सी. द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

जयपुर विकास प्राधिकरण में गठित बिल्डिंग प्लान कमेटी को जिन कालोनियों में निर्माण 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक हुए हैं, में 10 प्रतिशत तक मापदण्डों में छूट देने का अधिकार होगा।

राज्य सरकार के स्तर पर

राज्य सरकार के समक्ष निम्नप्रकार के प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जावेंगे :

1. जिन मामलों में निर्माण 10 प्रतिशत से कम हो या खाली भूमि हो। जोनल अधिकारी द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण या अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), ज.वि.प्रा. के माध्यम से इन कालोनियों की विस्तृत सूचना मय ले आउट प्लान राज्य सरकार को प्रेषित की जावेगी।

2. जिन भूमियों बाबत स्पष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई गई हो जैसे पृथ्वीराज नगर, लाल कोठी, हवाई अड्डा, जे.एल.एन. मार्ग व टौंक रोड के बीच की समस्त कालोनियों, जे.एल.एन. मार्ग व मालवीय नगर रेलवे ओवर ब्रिज से मालवीया नगर अण्डर पास के बीच की कालोनियां आदि।

3. यदि पैरामीटर्स में 10 प्रतिशत से ज्यादा छूट दी जानी हो।

ह०/-

(एच.एस. भारद्वाज)

शासन उपसचिव

जिन योजनाओं में प्लाटों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया गया उनकी सूची

क्र. सं.	जोन	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	भूखण्ड संख्या	प्लाटों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	1	सुभाष सिंधी गृ.नि.स.स.	जय अम्बे नगर	23, 24	2
2.	1	स्वास्तिक गृ.नि.स.स.	गौरव नगर सिविल लाइन	65	1
3.	2	—	—	—	—
4.	3	—	—	—	—
5.	5	गांधी नगर गृ.नि.स.स.	कस्तूरबा नगर	151, 152, 153, 154, 155, 156	6
6.	5	अरविन्द गृ.नि.स.स.	उदय नगर–बी	72, 73	2
7.	5	अम्बेश्वर	श्री पुरम	130 से 145 व 170	17
8.	5	शंकर भवन	पंचशील कालोनी	ए–27, बी–2 सी–2, सी–27, सी–33	5
9.	5	नवजीवन	गोपालपुरा–सी	20 व 21	2
10.	5	छत्रपति शिवाजी	गणेश कालोनी	91, 92, 93	3
11.	6	खुदाबाड़ी	मुरलीपुरा–द्वितीय	117, 119, 120, 121	4
12.	6	शंकर भवन	विजय बाड़ी	110,111,112, 113	4
13.	6	छत्रपति	विजय बाड़ी	13, 16, 16ए, 20, 20ए	5
14.	6	मित्र	स्कीम नं. 3	17	1
15.	6	म्युचअल	स्कीम नं. 6	8,9,14,15	4
16.	6	जय अम्बे	अजंनी एनक्लेव	1,3	2

1	2	3	4	5	6
17.	6	नवजीवन	दादाबाड़ी		1
18.	6	श्रीगणपति	गणेश नगर द्वितीय	1,75, व 89 की लाईन के भूखण्ड	2
19.	6	मोती भवन	11 बी सुदामापुरी	4 भूखण्ड	4
20.	6	शिल्पाचार्य	पटेल नगर (स्कीम नं. 1)	21, 22	2
21.	6	खुदाबाड़ी	कैलाश नगर	70, 69	2
22.	6	म्युचअल	तारा नगर	1,4,3	3
23.	6	श्री जनता	प्रेम नगर समस्त ब्लाक	22 भूखण्ड	22
24.	6	दी अम्बेडकर	स्कीम नम्बर 1 विजय नगर 5		1
25.	6	म्युचअल	तारा नगर डी	329, 330	2
26.	6	जलमहल	अंगिरा नगर	94, 109, 77, 75, 98, 108, 41, 42, 43, 47	10
27.	6	म्युचअल	स्कीम–108	16, 16ए 16बी	3
28.	6	ओम शिव	स्कीम नम्बर 6	10	1
29.	6	खुदाबाड़ी	डी. के. नगर	6ए	1
30.	6	श्री जनता	1 एफ	42, 43, 44, 48, 50, 51	6
31.	6	सैन कालोनी	प्रेम नगर	34	1
32.	6	संयुक्त	राम नगर ए	33	1
33.	6	संयुक्त	राम नगर बी	45, 45ए, 35	3
34.	6	मित्र	प्रेम नगर	43	1
35.	6	म्युचअल	डी. के. नगर	31	1

1	2	3	4	5	6
36.	6	म्युचअल	स्कीम–10ए	25ए	1
37.	6	गुलाब बाड़ी	इस्लाम नगर	60, 61	2
38.	6	सिन्धु नगर	स्कीम–11ए	37, 37ए	2
39.	6	ओम शिव	स्कीम नम्बर 5	36	1
40.	6	श्री लक्ष्मीनारायणपुरी	झोटवाड़ा तृतीय	35	1
41.	6	सुभाष सिन्धी	21 साऊथ	17 से 20	4
42.	6	दी शिवा	बाहुबली नगर	33ए, 33एआई	2
43.	6	शंकर भवन	आनन्द विहार सी	20, 20ए	2
44.	7	गुलाब बाड़ी गृ.नि.स.स.	शिव कालोनी	7, 7ए, 29, 8, 62	5
45.	7	नवजीवन गृ.नि.स.स.	गायत्री नगर	51	1
46.	7	इन्द्रा नगर	नित्यानन्द नगर	ए–10, ए–11	2
47.	4	विवेकानन्द गृ.नि.स.स.	प्रिन्टर्स नगर द्वितीय	28, 29, 30, 38, 39, 23, 24, 24ए, 45,	9

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट-अ

(अतारांकित प्रश्न संख्या-865 की प्रति)

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

क्रमांक/न्यास/नियमन/2167 **दिनांक : 20.7.2002**

निमित्त : तहसीलदार, अजमेर।

विषय : भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दीपदर्शन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड अजमेर की ग्राम कांकरदा भूणाबाय की भूमि की योजनाओं में निम्नांकित व्यक्तियां ने उक्त समिति द्वारा उन्हें आबंटित, आबंटन पत्र के आधार पर नियमन हेतु आवेदन न्यास कार्यालय में प्रस्तुत किये हैं, प्राप्त आवेदन पत्रों की एवं प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आबंटन पत्र व लेआउट प्लान की न्यास स्तर की जांच कराये जाने पर यह भूखण्ड राजकीय भूमि जो न्यास को हस्तान्तरित नहीं है, खसरा नम्बर 176, 180, 188 में पाये गये हैं :-

क्र. सं.	नाम आवेदक	मौके अनुसार खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	विक्रेता का नाम	प्लाट विवरण पथ सं प्लाट नं.	प्रकरण संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री लादू सिंह/रतन सिंह	180	217.77 व.ग.	दीपदर्शन सं. समिति, अजमेर	2	9385
2.	श्री बेनीराम/सुवालाल	180	191.91 ''	—''—	5	13136
3.	श्री काबेरी देवी/गणपतलाल	180	165.00 ''	—''—	17	11197
4.	श्री कांतिलाल/गुलाबचंद	180	183.33 ''	—''—	15	778
5.	श्री किशनचंद/घनश्याम पि. त्रिलोक चंद	176	183.33 ''	—''—	48	10,469
6.	श्री धर्मी देवी/राजेन्द्र	176	274.99 ''	—''—	50 का1/2	10,171
7.	श्री विनोद/हरिशंकर	176	230.15 ''	—''—	52	10,681

1	2	3	4		5	6	7
8.	श्री राजेन्द्र/तलजाभाई	176	456.00	"	दीपदर्शन समिति, अजमेर	53, 54	10,171
9.	श्री घनश्याम/रोशनलाल	176	210.83	"	—"—	55	3866
10.	श्री धर्मो देवी/राजेन्द्र	188	194.33	"	—"—	56	10,468
11.	श्री चन्दनमल/पोहूमल	188	187.00	"	—"—	57	10,322
12.	श्री कान्ता/चन्दमल	188	204.00	"	—"—	58	10,324
13.	श्री बिना/चिमनदास	188	266.67	"	—"—	59	10,323
14.	श्री चन्द्र प्रकाश/धन्नामल	188	840.12	"	—"—	60 से 63	1367
15.	श्री दीपा/सगूमल	188	468.86	"	—"—	64,65	10,269
16.	श्री राधा/श्रीचंद्र	188	166.67	"	—"—	66	10,682
17.	श्रीमती गीता/मुकेश	176,188	185.00	"	—"—	67	10,813
18.	श्री मालती जे पटेल/ जगदीश पटेल	176	213.88	"	—"—	68	9067
19.	श्री राजेन्द्र कुमार/भगवानदास	188	186.66	"	—"—	72	10,294
20.	श्री मोहन लाल/जगदीश	188	187.07	"	—"—	73	10,297
21.	श्री चन्द्र कुमार/आतूमल	188	2047 2043 408.32	"	—"—	74, 75	677
22.	श्री वासूमल/आतूमल	188	204.16	"	—"—	76	679
23.	श्री गायत्री गोयल/गजानंद	188	186.66	"	—"—	78	10,389
24.	श्री पदम चंद/ज्वाला प्रसाद	188	186.66	"	—"—	79	10,298

उपरोक्त प्राप्त आवेदकों के आवेदन पत्र एवं सोसायटी के पहले की प्रति तथा ले आउट प्लान की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

उक्त सोसायटी द्वारा राजकीय भूमि पर अनधिकृत पट्टे जारी करना प्राथमिक तौर पर पाया गया है। अत: आप अपने स्तर पर उक्त सोसायटी के विरुद्ध राज्य सरकार के निर्देशानुसार भू–माफिया विरोधी अभियान के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करावें।

संलग्न : पट्टा छाया प्रति
प्रकरण प्रार्थना पत्र छाया प्रति
ले आउट प्लान किता–52

ह०/–
सहासचिव
नगर सुधार न्यास
अजमेर

परिशिष्ट-9

परिशिष्ट-क

(अतारांकित प्रश्न संख्या-869 का विवरण)

जिला नागौर में मरु प्रसार रोक योजना के अन्तर्गत करवाये गये वृक्षारोपण स्थलों का योजनावार विवरण

क्र. सं.	नाम योजना	योजना लागत (लाख रुपयों में)	करवाये जाने वाले कार्यों की किस्म	कालम संख्या 4 में दर्शाये गये किस्म के अनुसार कार्यस्थल का नाम
1	2	3	4	5
1.	मरु प्रसार रोक योजना फैज-प्रथम	1462.50	1. टिब्बा स्थिरीकरण	पांचोड़ी, रामसर, पांचवा, मारोठ-ए, मारोठ-बी, भींचरों का वास, नाका की ढाणी, पांचवां-बी, भींचरों का वास-बी, बरजन, हरीपुरा (मुआना), दांतीणा, अण्दाली।
			2. वनीकरण	पांचोडी, माडपुरा, बालवा, पोटलिया, मांजरा, जायल, खियाला- ए, खियाला-बी, गोराऊ, छावटा खुर्द, राजोद, आडिंट, जसवन्तगढ़, लोढ़सर, तोषिणा, चोलूखां, निम्बी खुर्द, आगुन्ता, कोलिया, सांवार, विनसरिया, मेहगांव, झालरा, मिड़किया, मण्डोवरी, भानीगांव, कालेटडा, दिलढाणी, चिताई, गुदा, मनाना, नोसरिया, जाखली प्रथम, जाखली-द्वितीय, मोड़ी चारणा, बिणजारी, शिव, हरियाजुन, गुढ़ साल्ट, छावटा, मीण्डी, सबलपुरा, कुरड़ाया, पादुकलां, बीजाथल, लवादर, नथावड़ा, बिखरणिया, इड़वा।
			3. शैल्टर बैल्ट	तंवरा, मणू, सुनारी, बनणी नाड़ी, बाडेला, नरमा, नाका बस्ती, मनाना,

1	2	3	4	5
				गोदड़ी, बरबेड़ी, आनन्दपुरा, भंवरपुरा, रातड़ी नाडी, लाडपुरा-ए, लाडपुरा-बी, जसनगर।
			4. शैल्टर बैल्ट –द्वितीय	बाजना, मानपुरा, टोडास, अलखपुरा, जेतपुरा, मण्डुकरा, लारोली खुर्द, सिंगरावट खुर्द, कंकराली दुजार, डाबडी, मायापुर, लिखियास, नाकाबस्ती, छपारा, निम्बी जोधा, दुजार, गांवड़ी, भंवाद, मदलिया, बावडी, दयालपुरा, रोहिडी, गिगोली, गुढा, माघवा।
			5. वनीकरण –प्रथम	मीठड़ी-बी, मांगलोदी, इण्डाली, चावण्डिया, देऊ-ए, देऊ-बी, पिण्डिया-बी, उबासी, मोलासर-ए (लालाणा), मोलासर-बी (रामसागर) आकोदा, डसाणा कला, पीडवा, लोरोली कलां, पालोट, दुजार, निम्बी जोधा, सांडास, जसवन्तगढ़, रोडू, गांगवा-ए, गांगवा-बी, कुण्डरी, पीह, चारणावास, ढाढोता, चाचिया वास, नथावडी, दुधडास, खियास, लवादर, सुरियास, बनवाडा, लासीणा, गंगारडी, पिण्डिया-सी, बरनेल, गोराऊ, दुजार, निम्बी जोधा (पाडौलाई), घिरड़ोदा मीठा, खामियाद-ए, खामियाद-बी, खामियाद- सी, मौलासर- ए, मौलासर-बी, थबड़ी, पीह, खुण्डियास।
			6. वनीकरण –द्वितीय	मीठड़ी, परबतसर, किनसरिया, खानपुर, सिडियास-ए, सिडयास-

1	2	3	4	5
				बी, बीलवा, ढाढोता–ए, ढाढोता–बी, गांगवा, खानपुर, बडलिया (परबतसर), गिगोली, मेहगांव–ए, मेहगांव–बी, बिदियाद।
			7. वनीकरण तृतीय	चारागाह विकास–गोगेलाव।
2.	मरु प्रसार रोक योजना फैज–प्रथम	600.00	1. टिब्बा स्थिरीकरण	काकोट, खारडिया, देऊ, पिपलिया, इण्डाली, पांचवा।
			2. शैल्टर बैन्ट–द्वितीय	पलाड़ा, आलनियावास, सुरपुरा, डायली, जसनगर–ए, जसनगर–बी, लाडवा, मारयाना, रियाबडी, कोड, किला, अखावास, मोडीकलां, करासोडा, नेतडिया, मिण्डी, मांगलोदी, भगवानपुरा।
			3. वनीकरण –प्रथम	दोतीणा, ओरियाणा, भैंसडाकलां, पादु कलां, इटावडा, ईडवा, रेण, माडपुरा, गोण्डा, डोडियाना, बीजाथल, अरनियाला – ए, अरनियाला – बी, पचरण्डा खुर्द, जालसू कलां, माण्डल देवा, दुधडास–बी, बासड़ (गगराना)।
			4. वनीकरण –द्वितीय	पालड़ी, कुचामन, पांचोता (खुशीयां), लाम्बा, शिव, रेवास, हरियाजून, सवाइपुरा, कांसेड़ा।

परिशिष्ट-अ

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-880 की सूचना)

व्यय करने के पश्चात् विभागों के पास 31.3.2002 को शेष रही राशि का विवरण

क्र.सं.	कार्यकारी संस्था का नाम	31.3.2002 को शेष रही राशि (लाखों में)
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जैसलमेर	78.81
2.	सार्वजनिक निर्माण विभाग, पोकरण	8.42
3.	जन. स्वा. अभि. विभाग, नगर खण्ड, जैसलमेर	5.03
4.	जन. स्वा. अभि. विभाग जिला खण्ड, जैसलमेर	–8.13
5.	जन. स्वा. अभि. विभाग खण्ड, पोकरण	–3.03
6.	जो.वि.वि.नि.लि., जैसलमेर	–17.73
7.	पंचायत समिति, जैसलमेर	–5.41
8.	पंचायत समिति, सम	–2.03
9.	मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. जैसलमेर	5.55
10.	प्रिंसिपल मेडिकल आफिसर जैसलमेर	6.24
11.	नगरपालिका, जैसलमेर	0.37
12.	आवास विकास संस्था, जैसलमेर	15.48
13.	उप महानिरीक्षक बी.एस.एफ., जैसलमेर	12.38
14.	पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर	0.51
15.	जिला कलक्टर, जैसलमेर	0.48
16.	पुरातत्व विभाग, नई दिल्ली	1.37
17.	जैसलमेर विकास समिति, जैसलमेर	2.91
18.	अन्य विभाग	2.42
	कुल शेष रही राशि	103.64

परिशिष्ट–बी

सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत गत वर्षो के अपूर्ण रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)	वर्तमान स्थिति
1.	ग्राम लोहार से कातरा तक रोड	1998–99	58.12	प्रगतिरत
2.	ग्राम सुन्दरा से मीठरवां तक रोड	1999–2000	14.28	प्रगतिरत
3.	ग्राम केरला से मिठराऊ तक 9 कि.मी.	2001–2002	18.70	प्रगतिरत
4.	नाला निर्माण जीएडी कालोनी से एस. बी.बी.जे. सर्किल जैसलमेर	2001–2002	10.17	प्रगतिरत
5.	ग्राम कोठड़ी से जनरा 10 कि.मी.	2001–2002	18.37	कोर्ट स्टे

परिशिष्ट–11
(अतारांकित प्रश्न संख्या–882 का विवरण)

परिशिष्ट–1

1. **ग्राम सुरगढ़ में कूप गहरा एवं मरम्मत कार्य**

   माननीय विधायक महोदय की अभिशंसा पर इस कार्य को निरस्त किया गया हैं।

2. **ग्राम सुरगढ़ में हैण्ड पम्प निर्माण**

   यह कार्य पूर्ण करा दिया गया हैं।

3. **नारोड़ी वौड में हथाई निर्माण का कार्य**

   यह कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

4. **ग्राम बड़ीला में नहर निर्माण**

   ग्रामवासियों के विरोध के कारण यह कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

परिशिष्ट–2

अति. कलक्टर (विकास)

सवाईमाधोपुर। **दिनांक 19.2.2002**

विषय : विधायक कोटे से स्वीकृत कार्य को पूर्ण कराने बाबत।

प्रसंग : आपके प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक 2367 दिनांक 31.3.2000

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के विषय में लेख है कि पंचायत समिति, बामनवास के ग्राम नारौली वौड़ में बड़ी हथाई निर्माण कार्य बड़ के नीचे 0.50 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मेरे विधायक कोटे से की गई थी, जिसकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई। हाल ही में प्रवास के दौरान ग्रामवासियों ने बताया कि इसमें अभी तक 20 हजार का कार्य ही किया गया है और अभी तक अधूरा पड़ा है।

मुझे यह भी बताया गया कि जिला ग्रा.वि.अभि. के स्तर पर दूसरी किस्त जारी नहीं की जा रही है। जबकि पंचायत समिति से पहली किस्त का हिसाब 8 माह बाद ही प्रस्तुत कर दिया है।

वर्ष 1999-2000 के कार्य को अभी तक पूर्ण नहीं होना अफसोस का विषय तो है ही किन्तु पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के सचिव की शिथिलता भी उजागर होती है। किन्तु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के स्तर पर ऐसे कार्यों की समीक्षा तक नहीं किया जाना खेद का विषय है

आप इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु अपने स्तर पर गम्भीरता से लेते हुये शीघ्र पूर्ण करवाये अन्यथा मैं इसकी शिकायत राजस्थान सरकार को करूंगा। ऐसे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेक कार्य है, जिन्हें पूर्ण करवाना अत्यन्त आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि ऐसे कार्य जो अपूर्ण पड़े हुये हैं उनकी सूची मुझे भिजवाये तथा किस कारण से अधूरे पड़े हैं एवं उनका व्यवधान दूर करके कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे।

ह०/-

(डा. किरोड़ी लाल)

परिशिष्ट-3

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर

विधायक स्थानीय क्षेत्रिय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विधान सभा बामनवास में अपूर्ण कार्यों की स्थिति

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	वित्तीय स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत राशि	कार्य कब से अपूर्ण है	कार्य अपूर्ण/चालू नहीं होने के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सूचना केन्द्र भवन निर्माण	2001–2002	3193/13.3.02	सा.नि.वि. स.मा.	2.00	13.3.2002	कार्य प्रगतिरत है
2.	जाहिरा बांध से नहर निर्माण ग्राम बडिला	2001–2002	616/19.6.01	सिंचाई विभाग	0.72	19.6.2001	विवाद के कारण चालू नहीं
3.	सम्पर्क सड़क गडमोरा रोड से सिद्धबाबा के स्थान डूंगरवाड़ा	2002–2003	121/7.5.02	ग्रा.पं. डूंगरवाड़ा	1.10	7.5.2002	कार्य जन सहयोग से करवाया जाना बताया है अतः जांच कर निरस्त की प्रक्रिया जारी है
4.	नव क्रमोन्नत उपखण्ड कार्यालय बामनवास के भवन निर्माण	2002–2003	850/8.8.2002	सा.नि.वि. स.मा.	3.00	8.8.2002	कार्य प्रगतिरत है

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	नव क्रमोन्नत उपखण्ड कार्यालय बौली के भवन निर्माण हेतु	2002–2003	850/8.8.2002	सा.नि.वि. स.मा.	3.00	8.8.2002	कार्य प्रगतिरत है
6.	सार्व. कूप मरम्मत व गहरा एवं खेलपारा मरम्मत खिरखड़ी	2002–2003	2242/31.3.2003	ग्रा.पं. झूनन	0.25	31.1.2003	कार्य प्रगतिरत है
7.	रेन बसेरा निर्माण बौली	2002–2003	2242/31.3.2003	ग्रा.पं. बौली	2.00	31.1.2003	कार्य प्रगतिरत है
8.	सी.सी. रोड निर्माण प्रेम देवी के मकान से बद्री के मकान तक कोडियाई	2002–2003	2031/6.1.2003	ग्रा.पं. कोडियाई	2.00	6.1.2003	कार्य प्रगतिरत है
9.	बाउण्डरीवाल निर्माण रा.उ. प्रा. वि., थड़ोली	2002–2003	2242/31.1.2003	ग्रा.पं. थडौली	1.00	31.1.2003	कार्य प्रगतिरत है
10.	सामुदायिक भवन निर्माण क्यारा की ढ़ाणी नई आबादी हैण्ड पम्प के पास जीवद	2002–2003	2242/31.3.1003	ग्रा.पं. जीवद	1.10	31.1.2003	कार्य प्रगतिरत है

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	सी.सी. रोड हरिनारायण के मकान से अुर्जन गुर्जर के मकान तक लाखनपुर	2002–2003	2242/31.1.2003	ग्रा.पं. लाखनपुर	0.50	31.1.2003	कार्य प्रगतिरत है
12.	प्रोटेक्शन वाल निर्माण ग्राम खिड़खड़ी हठवाली तलाई	2002–2003	1784/26.11.2002	ग्रा.पं. झनून	0.30	26.11.2002	कार्य प्रगतिरत है
13.	एनीकट निर्माण बपल्याजी के खाल पर ग्राम बपुई	2002–2003	1784/26.11.2002	ग्रा.पं. बपुई	1.50	26.11.2002	कार्य प्रगतिरत है
14.	रेनबसेरा निर्माण शिव बगीची बौली	2002–2003	2242/31.1.2003	ग्रा.पं. बौली	0.70	31.1.2003	कार्य प्रगतिरत है
15.	सी.सी. रोड निर्माण 500 मीटर रामलाल माली चक्की वाले के मकान से बालेश्वर महोदव तक बौली	2002–2003	1784/26.11.2002	ग्रा.पं. बौली	1.00	26.11.2002	कार्य प्रगतिरत है
16.	ग्रेवल रोड निर्माण बद्री पटेल के मकान से चामुण्डा माता के मन्दिर तक करेल	2002–2003	1554/30.10.2002	ग्रा.पं. करेल	1.50	30.10.2002	कार्य प्रगतिरत है

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	सी.सी. रोड अरावली बैंक के पास से खुर्रा तक ग्राम शीशोलाव	2002-2003	1784/26.11.2002	ग्रा.पं. कोलाडा	1.20	26.11.2002	कार्य प्रगतिरत है
18.	ग्रेवल रोड निर्माण कुआं गांव से पट्या तक कुशलपुरा	2002-2003	1784/26.11.2002	ग्रा.पं. कुशलपुरा	1.50	26.11.2002	कार्य प्रगतिरत है
19.	कूप गहरा एवं मरम्मत कार्य योगाश्रम मित्रपुरा	2002-2003	1307/25.9.2002	ग्रा.पं. मित्रपुरा	1.00	25.9.2002	कार्य प्रगतिरत है
20.	ग्रेवल रोड निर्माण चतुर्भुज के मन्दिर से नहर तक 2 कि.मी. ग्राम निमोद राठौड़	2002-2003	1784/26.11.2002	ग्रा.पं. निमोद राठौड़	2.00	26.11.2002	कार्य प्रगतिरत है
21.	एक कमरा निर्माण रा.प्रा.वि. बहनोली	2002-2003	1307/25.9.2002	ग्रा.पं. पीपलवाडा	0.50	25.9.2002	कार्य प्रगतिरत है
22.	रास्ता निर्माण नन्हें खां के मकान से कुटका नई बस्ती तक	2002-2003	1800/26.11.2002	ग्रा.पं. उदगांव	2.00	26.11.2002	कार्य प्रगतिरत है

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	राजकीय विद्यालय में (स्कूल में)एक हाल निर्माण गोतोड़	2002–2003	497/26.6.2002	ग्रा.पं. गोतोड़	1.40	26.6.2002	कार्य प्रगतिरत है
24.	चारदीवारी निर्माण कार्य रा.उ.प्रा. संस्कृत विद्यालय गालदकलां	2002–2003	1874/26.11.2002	ग्रा.पं. गालदकला	1.20	26.11.2002	कार्य प्रगतिरत है
25.	कमरा निर्माण रा.प्रा. विद्यालय खेड़ा	2002–2003	1874/26.11.2002	ग्रा.पं. लाखनपुर	0.60	26.11.2002	कार्य प्रगतिरत है
26.	एक कमरा निर्माण रा.प्रा. विद्यालय ग्राम बहनोली	2002–2003	1307/25.9.2002	ग्रा.पं. पीपलवाडा	0.50	25.9.2002	कार्य प्रगतिरत है
27.	नवीन कूप निर्माण मय पारा सहित गोपाल गुर्जर के घुडे	2002–2003	1307/25.9.2002	ग्रा.पं. सुमेल	0.60	25.9.2002	कार्य प्रगतिरत है
28.	बाउण्डरीवाल निर्माण रा.प्रा.वि. देहरी	2002–2003	2374/15.2.2003	ग्रा.पं. चांदनहोली	1.20	15.2.2003	कार्य प्रगतिरत है
29.	रा.प्रा.स्वा.केन्द्र की चारदीवारी निर्माण कार्य व मिट्टी डलाई कार्य	2002–2003	1554/13.10.2002	ग्रा.पं. गूर्जरबडोदा	1.20	13.10.2002	कार्य प्रगतिरत है

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	हैण्ड पम्प निर्माण रामभजन मीना के मकान के सामने ग्राम भावरा, पंचायत समिति बामनवास	2002–2003	2226/31.1.2003	पी.एच.ई.डी.स.मा.	0.40	31.1.2003	कार्यादेश जारी किया जा रहा है
31.	हैण्ड पम्प निर्माण रामगोपाल मनभावन के मकान के पास ग्राम गुड़ला	2002–2003	2226/31.1.2003	पी.एच.ई.डी.स.मा.	0.40	31.1.2003	कार्यादेश जारी किया जा रहा है
32.	हैण्ड पम्प निर्माण हीरालाल के मकान के पास ग्राम कीरतपुरा ग्राम पंचायत निमोद	2002–2003	2226/31.1.2003	पी.एच.ई.डी.स.मा.	0.40	31.1.2003	कार्यादेश जारी किया जा रहा है
33.	पेयजल ट्यूब बैल निर्माण ग्राम रानिला	2002–2003	1169/11.9.2002	पी.एच.ई.डी.स.मा.	1.00	11.9.2002	कार्यकारी विभाग की उदासीनता
34.	पुलिया निर्माण सैकण्डरी स्कूल के पास ग्राम बाटोदा	2002–2003	2599/16.3.2003	ग्रा.पं. बाटोदा	0.50	16.3.2003	नवीन स्वीकृति कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जा रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	सामुदायिक भवन निर्माण देवनारायण के मन्दिर के पास ग्राम नेनवाड़ी	2002–2003	2599/16.3.2003	ग्रा.पं. गोतोड	1.20	16.3.2003	नवीन स्वीकृति कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जा रहा है
36.	एनीकट पर मोरी निर्माण ग्राम भोताई	2002–2003	435/9.12.2002	सिंचाई विभाग	0.80	9.12.2002	कार्यकारी विभाग की उदासीनता
37.	सार्वजनिक खेळ एवं पानी की टंकी निर्माण बैरवा बस्ती के नीचे घमण्डी पटेल के ट्यूब वैल के पास सार्वजनिक भूमि पर ग्राम मीना कोलेता	2002–2003	1885/17.12.2002	ग्रा.पं. मीना कोलेता	0.25	17.12.2002	नवीन स्वीकृति कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जा रहा है
38.	ग्रेवल सडक बिछोछ तिबारे से सरसाली तक	2002–2003	1766/26.11.2002	सा.नि.वि. गंगापुर	3.00	26.11.2002	कार्यकारी विभाग की उदासीनता
39.	रेन बसेरा निर्माण 33/11 के.एस.एस. के सामने ग्राम नागरहेड़ा	2002–2003	1766/26.11.2002	सा.नि.वि. गंगापुर	1.50	26.11.2002	कार्यकारी विभाग की उदासीनता

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	मिसिंग रोड निर्माण 600 मीटर ग्राम सुन्दरी	2002–2003	1766/26.11.2002	अधि.अभि.कृषि उपज मण्डी गंगापुर	2.00	26.11.2002	कार्यकारी विभाग की उदासीनता
41.	ग्रेवल सड़क निर्माण 2 किमी काचरहेड़ा से पिपलाई	2002–2003	2374/15.2.2003	पं.स. बामनवास	1.50	15.2.2003	नवीन स्वीकृति, कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जा रहा है
42.	ग्रेवल सड़क निर्माण 800 फीट बाबू नाई की दुकान से मवेशीखाना तक जाहिरा	2002–2003	2374/15.2.2003	पं.स. बामनवास	0.50	15.2.2003	नवीन स्वीकृति, कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जा रहा है
43.	कोटा स्टोन फर्श निर्माण सार्व. हथाई ग्राम नारोली वौड़	2002–2003	2219/13.1.2003	पं.स. बामनवास	0.23	31.1.2003	नवीन स्वीकृति, कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जा रहा है
44.	बाउण्डरीवाल निर्माण रा.उ.प्रा.वि. भैडोली	2002–2003	—	ग्रा.पं. झनून	1.00	—	कार्य एस.एफ.सी. में चल रहा है निरस्त किया जाना है
45.	सी. सी. रोड सीतारामजी के मन्दिर से गोपालजी तक 160 फिट बाटोदा	2002–2003	2374/15.2.2003	ग्रा.पं. बाटोदा	0.45	15.2.2003	नवीन स्वीकृति, कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जा रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	सी. सी. रोड वाटर वक्स से कजोड़मल चोकीदार तक पिपलाई	2002–2003	2374/15.2.2003	ग्रा.पं. पिपलाई	1.00	15.2.2003	नवीन स्वीकृति, कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जा रहा है
47.	चारदीवारी निर्माण कार्य रा.प्रा.वि. गढ़ी गोपालपुरा भवन निर्माण	2002–2003	2374/15.2.2003	ग्रा.पं. सुमेल	1.00	15.2.2003	नवीन स्वीकृत, कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जा रहा है
48.	तालाब खुदाई कार्य छतलाव बालाजी (मेचंदा) धनेसरा	2002–2003	1784/26.11.2002	ग्रा.पं. कोडयाई	1.20	26.11.2002	कार्य अकाल राहत में चल रहा है अतः निरस्त किया जाना है।
49.	सम्पर्क ग्रेवल सड़क निर्माण हलकारा की ढाणी तक एक किलोमीटर	2002–2003	1554/30.10.2002	ग्रा.पं. बिछोछ	1.20	30.10.2002	सरपंच ग्राम पंचायत की उदासीनता
50.	सी.सी. रोड निर्माण गढ़ राजावतान के सामने ग्राम मित्रपुरा	2002–2003	2626/22.3.2003	ग्रा.पं. मित्रपुरा	1.50	22.3.2003	नवीन स्वीकृत, कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जा रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	चारदीवारी निर्माण रा.प्रा.वि. जाखोलास	2002–2003	2626/22.3.2003	ग्रा.पं. फुलवाडा	1.00	22.3.2003	नवीन स्वीकृति, कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जा रहा है
52.	सार्वजनिक कुआ मरम्मत बनाण के बालाजी टोडा	2002–2003	850/8.8.2002	ग्रा.पं. जाहिरा	0.25	8.8.2002	ग्रामीणों में विवाद के कारण
53.	सी. सी. रोड निर्माण हैण्ड पम्प से सुगजी के मकान तक ग्राम नेहडी	2002–2003	2626/22.3.2003	ग्रा.पं. गुर्जर बड़ौदा	1.20	22.3.2003	नवीन स्वीकृति, कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जा रहा है
54.	हाल मय बरामदा निर्माण रा.उ.प्रा. विद्यालय सीतोड़	2002–2003	1554/30.10.2002	ग्रा.पं. सीतोड	2.00	30.10.2002	सरपंच ग्राम पंचायत की उदासीनता
55.	हथाई निर्माण राधेश्याम रैगर के मकान के पास सुमेल	2002–2003	1554/30.10.2002	ग्रा.पं. सुमेल	0.15	30.10.2002	सरपंच ग्राम पंचायत की उदासीनता

परिशिष्ट-12

परिशिष्ट-1

(अतारांकित प्रश्न संख्या-883 की प्रति)

Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

सं.सी/41/2000-सां. स्था. क्षे.वि.यो.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 3732138
E-mail : mpi@mpi.delhi.nic.in

दिनांक : 11 नवम्बर, 2002

सेवा में,

आयुक्त,

कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली के निगम,

सभी जिलों के जिला आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय : बड़े कार्यों के लिए सां.स्था.क्षे.वि.यो. की निधियों को अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों के साथ मिलाना।

महोदय/महोदया,

आपका ध्यान इस मंत्रालय के दिनांक 26.11.2001 के समसंख्यक निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है।

मामले पर पुनर्विचार के पश्चात् निर्देशों के उपर्युक्त संदर्भित पैरा-6 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है :-

"6, दिशा निर्देशों के पैरा संख्या1 के अनुसार यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रत्येक कार्य की लागत सामान्यत: 25 लाख रुपये अधिक नहीं होनी चाहिए। 25 लाख रुपए की सीमा में आंशिक वृद्धि की जा सकती है, परन्तु पर्याप्त उच्च लागत वाली परियोजनाओं के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता है। अत: जहां सां. स्था.क्षे.वि.यो. की निधियों को अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियां के साथ मिलाया जाना हो, वहां सा.स्था.क्षे.वि.यों. का अंश 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। सां.स्था.क्षे.वि.यो. से 25 लाख से अधिक के अंशदान की अपेक्षा वाले प्रस्ताव पूर्व अनुमति के लिए इस मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए।"

भवदीय,
(बी. के. अरोड़ा)
निदेशक

परिशिष्ट–13

परिशिष्ट–1

(अतारांकित प्रश्न संख्या–885 की प्रति)

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 1 (306)स्था/निकाशि/81/22-24 **दिनांक : 11.8.2002**

श्री भगवती प्रसाद सारस्वत,

सह आचार्य,
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,
अजमेर।

विषय : त्याग पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत पत्र दिनांक 9.11.1998.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपने महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में सह आचार्य के पद हेतु आवेदन किया जिसे राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित किया गया। राज्य सरकार ने इस टिप्पणी के साथ आवेदन अग्रेषित किया कि यदि आपका चयन हो जाता है तो आप अपने पद से त्याग पत्र स्वीकार करवा कर ही जायेंगे। आपका चयन महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के आदेश दिनांक 9.11.1998 को जारी किया गया व 15 दिन का समय कार्यग्रहण करने के लिये दिया गया था लेकिन आपने बिना विधिवत त्याग पत्र दिये ही एवं बिना राज्य सरकार की अनुमति के ही कार्यमुक्त होकर महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में दिनांक 9.11.1998 को ही कार्यग्रहण कर लिया। आपके द्वारा प्राचार्य को त्याग पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत पत्र दिनांक 9.11.1998 निदेशालय में दिनांक 18.11.1998 को प्राप्त हुआ। राज्य सरकार द्वारा आपका त्याग पत्र अभी तक भी स्वीकार नहीं किया गया है। आपके द्वारा नियमानुसार त्याग पत्र न देना एवं बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के ही महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में कार्यभार ग्रहण कर लेना गम्भीर दुराचरण की श्रेणी में आता है। अत: आप अपना स्पष्टीकरण भिजवाये कि आप बिना त्याग पत्र मंजूर कराये कैसे कार्यमुक्त हुए एवं विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। क्यों न इस दुराचरण के लिए आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जावें।

भवदीय,
शिक्षा निदेशक
राजस्थान, जयपुर

वाणिज्य विभाग **परिशिष्ट–2**

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक : एफ. ( ) वावि./मदसविवि/2003/167 **दिनांक : 17.2.2003**

माननीय कुलपति

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,
अजमेर।

विषय : एक दिवसीय आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यावास छोड़ने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझे आवश्यक कार्यवश (दिन में एक धार्मिक कार्यक्रम तथा रात्रि में विवाह समारोह में सम्मिलित होने) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) जाना है। अतः मुझे दिनांक 18.2.2003 का एक दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने एवं मुख्यावास छोड़ने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

ह०/–
(डा. बी.पी. सारस्वत)
विभागाध्यक्ष, वाणिज्य

परिशिष्ट-14

परिशिष्ट-अ

(अतारांकित प्रश्न संख्या-887 की प्रति)

बोर्ड द्वारा राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से 'राजीव गांधी कृषक साथी योजना' (कृषक साथी योजना) के अन्तर्गत दी गयी सहायता राशि का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या एवं लाभान्वित व्यक्ति	सहायता राशि (लाखों में)
1.	1991-1992 से 1994-1995 तक	—	18.03
2.	1995-1996	240	29.26
3.	1996-1997	321	49.07
4.	1997-1998	386	60.00
5.	1998-1999	585	98.62
6.	1999-2000	730	119.98
7.	2000-2001	630	119.98
8.	2001-2002	1103	199.23
9.	2002-2003 (फरवरी, 2003 तक)	1599	290.14
	योग	**5594**	**984.31**

नोट : दिनांक 30.08.1994 से पूर्व बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों को एक मुश्त प्रीमियम राशि दिये जाने के कारण वर्ष 1991 से 1995 तक हुई दुर्घटनाओं की संख्या नहीं दर्शाई गई है।

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.4 (78) कृषि/ग्रुप–2/2002 दिनांक : 25.11.2002

प्रशासक,

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
जयपुर

विषय : राजीव गांधी कृषक साथी योजना।

महोदय,

राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित ''कृषक साथी योजना'' को परिष्कृत एवं परिवर्तित करते हुए दिनांक 14.11.2002 से इस योजना को ''राजीव गांधी कृषक साथी योजना'' के नाम से संचालित करने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति आपके प्रस्तावानुसार निम्नानुसार प्रदान की जाती है :

1. **योजना**

''राजीव गांधी कृषक साथी योजना'' में राज्य के कृषकों/खेतिहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय, गांव से मण्डी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है।

2. **योजना का लाभ निम्न परिस्थितियों में देय होगा**

   1. कृषकों/खेतिहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए (जिसमें खेती से सम्बन्धित सिंचाई कार्य भी शामिल है) दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर।
   2. सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय, ट्यूबवैल स्थापित करते समय एवं ट्यूबवैल संचालित करते समय बिजली करंट लगने तथा खेत में से गुजरने वाली विद्युत लाइन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग भंग होने पर।
   3. कृषकों द्वारा खेतों में फसलों, फल, सब्जियों पर रसायनिक दवाइयों आदि का छिड़काव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर।
   4. मुख्य मण्डी यार्ड, उप मण्डी यार्ड व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित क्रय केन्द्रों पर कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर।

5. मण्डी में बोरियों की धाग लगाते समय मृत्यु या अंग भंग होने पर।

6. मण्डी प्रांगण में ट्रेक्टर ट्राली, ऊंट लद्ढा, बैल गाड़ी, भैंसा गाड़ी आदि उलट जाने पर दुर्घटना में काश्तकार की मृत्यु या अंग भंग होने पर।

7. मण्डी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार/हमाल/मजदूर की मण्डी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने परे।

8. अपने अथवा किराये के साधन जिसमें काश्तकार स्वयं हो, मण्डी में कृषि उपज लाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में अंग भंग या मृत्यु होने पर अथवा कृषि उपज बेचकर अपने या किराये के साधन से गांव लौटते समय (अगले दिन तक) में हुई दुर्घटना में अंग भंग या मृत्यु होने पर।

9. काश्तकार/खेतिहर मजदूर के कृषि प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि से घर से खेत में जाते/आते समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग भंग होने पर।

10. राज्य में कुट्टी काटने की मशीन अथवा कृषि संयंत्रों से कृषक/मजदूर, पुरुषों, महिलाओं के केश मशीन में आने से हुई दुर्घटना(डी स्केल्पिंग) पर।

11. कृषकों/खेतिहर मजदूरों के खेत पर कार्य करते हुए सांप या जहरीले जानवर के काटने/ऊंट के काटने पर मृत्यु या अंग भंग होने पर।

12. कृषि कार्य करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु या अंग भंग होने पर।

3. सहायता राशि

(1)	मृत्यु होने पर	30,000/-
(2)	दो अंग जैसे दोनों हाथ, दोनों पावं, दोनों आंख कोई एक-एक अंग अलग से काटने पर (दो अंग कटने पर)	15,000/-
(3)	पुरुष अथवा महिला के सम्पूर्ण सिर के केश (बालों) की डी-स्केल्पिंग होने पर	15,000/-
(4)	पुरुष अथवा महिला के सिर के बालों के आंशिक (छोटे भाग की) डी-स्केल्पिंग होने पर	7,500/-
(5)	एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा, बाहं आदि के अंग भंग होने पर	7,500/-
(6)	चार अंगुली कट जाने पर (पूर्ण रूप से या हिस्से में)	6,000/-

(7) तीन अंगुली कट जाने पर 5,000/-

(8) दो अंगुली कट जाने पर 4,000/-

(9) एक अंगुली कट जाने पर 2,000/-

4. सहायता राशि स्वीकृति हेतु समिति

निम्न अधिकारियों की एक समिति सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेगी :

1)	प्रशासक, सम्बन्धित मण्डी समिति	अध्यक्ष
2)	जिला कलक्टर का प्रतिनिधि	सदस्य
3)	मण्डी समिति का सचिव	सदस्य सचिव

प्रशासक भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होने की स्थिति में उक्त समिति में जिला कलक्टर के प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं होगी।

5. दावों के निपटारे की प्रक्रिया एवं समयावधि

दुर्घटनाग्रस्त काश्तकार/खेतिहर मजदूर या उसके वैध उत्तराधिकारी को दुर्घटना होने के छह माह के अन्दर क्षेत्र की मण्डी समिति को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र देना होगा तथा इसका मण्डी समिति के प्राप्ति रजिस्टर में इन्द्राज किया जावेगा और इसकी प्राप्ति की सूचना सम्बन्धित को दी जावेगी। सचिव द्वारा माह में दो बार उक्त समिति की बैठक बुलाई जावेगी। सहायता राशि स्वीकृति हेतु गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदन पत्र में दर्शाई गई दुर्घटना में हुई मृत्यु या अंग भंग की घटना कृषि कार्य करते हुए ही हुई है। समिति द्वारा सहायता राशि स्वीकृति के दावें का निर्णय एक माह में करना होगा।

यदि प्रकरण छह माह पश्चात् प्राप्त होता है, तो विलम्ब का कारण दर्शाते हुए मण्डी सचिव आवेदन पत्र के निर्धारित प्रपत्रों की पूर्ति करवा कर उक्त समय सीमा में शिथिलता की स्वीकृति हेतु बोर्ड को भेजेंगे। यह सीमा परिस्थिति में तीन माह तक प्रशासक, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बढ़ाई जा सकती है। दुर्घटना के नो माह पश्चात् सहायता राशि हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का दावा स्वीकार योग्य नहीं होगा।

- राज्य की किसी भी मण्डी समिति में अपनी उपज बेचने जाते/बेच कर लौटते समय दुर्घटना पर सहायता राशि उसी मण्डी समिति द्वारा दी जाएगी, जिस मण्डी समिति में उपज बेची गई है। चाहे दुर्घटना उस मण्डी समिति क्षेत्र से बाहर ही हुई हो।

- पैरा 2 के बिन्दु संख्या 4,5,6 एवं 7 (मण्डी प्रांगण की दुर्घटना में मृत्यु अथवा अंग भंग होने पर) की परिस्थितियों में सम्बन्धित स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट एवं पुलिस के पंचनामे/पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जावेगी।

- पैरा 2 के बिन्दु संख्या 1,2,8,9,10,11 एवं 12 की परिस्थितियों में सामान्यतः दुर्घटना की सम्बन्धित स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट एवं पुलिस के पंचनामे/पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जानी चाहिये। परन्तु किन्हीं परिस्थितिवश दुर्घटना की सम्बन्धित स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाना अथवा पोस्टमार्टम सम्भव नहीं होने पर पंचनामे के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे पंचनामे पर स्थानीय जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच/पंच/विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा उस विद्यालय का कोई अध्यापक जो वहां निवास करता हो/पटवारी/ग्राम सेवक/कृषि पर्यवेक्षक/ए.एन.एम./राजीव गांधी पाठशाला का अध्यापक/स्थानीय राजकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी में से कोई तीन, जिसमें सरपंच एवं एक राज्य कर्मचारी का होना अनिवार्य होगा। पंचनामे में उक्त के अलावा दो स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिकों के हस्ताक्षर करवाने होंगे।

- पैरा 2 के बिन्दु संख्या 3 में वर्णित दुर्घटना की स्थिति एवं बिन्दु संख्या 11 की सांप काटने की परिस्थिति में स्थानीय राजकीय चिकित्सक अथवा योग्यताधारी निजी चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्टतः अंकित हो पंचनामे के अतिरिक्त आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

- उक्त वर्णित दुर्घटना में जहां अंग भंग हो जाता है, वहां ऐसे काश्तकार/खेतिहर मजदूर द्वारा स्थानीय राजकीय चिकित्सालय अथवा निजी चिकित्सालय जहां से भी इलाज करवाया गया है, उस चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं इलाज की पर्ची एवं दवाइयों आदि के बिल आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

- डी. स्केलपिंग की दुर्घटना में यदि राजकीय अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है तो इलाज कर रहे डाक्टर की रिपोर्ट पर देय राशि का 50 प्रतिशत का भुगतान दुर्घटनाग्रस्त को सरकारी अस्पताल में ही मण्डी सचिव द्वारा किया जावेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान सहायता राशि स्वीकृति हेतु गठित समिति के अनुमोदन के पश्चात् मण्डी समिति द्वारा किया जावेगा। यदि डी. स्केपलिंग का इलाज निजी चिकित्सालय में करवाया जा रहा है तो देय राशि का भुगतान समिति के अनुमोदन के पश्चात् मण्डी समिति द्वारा एक मुश्त किया जावेगा।

6. सहायता राशि का भुगतान

समिति के निर्णय के पश्चात् सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव द्वारा वैध दावेदार को 15 दिवस में रेखांकित चैक/ड्राफ्ट से भुगतान किया जावेगा। दावे का भुगतान रेखांकित चैक/ड्राफ्ट द्वारा दो व्यक्तियों के सामने किया जाएगा जिनका सत्यापन दावेदार द्वारा दी गई रसीद पर भी होगा।

सहायता राशि का भुगतान मण्डी समिति द्वारा किया जायेगा तथा इस राशि का पुनर्भरण कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। मण्डी समिति द्वारा किये गये भुगतान राशि के पुनर्भरण हेतु मण्डी सचिव भुगतान के एक माह के अन्दर सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को रजिस्टर्ड डाक से पत्रावली भेजेंगे।

काश्तकार के कृषि उपज विक्रय हेतु मण्डी में लाते/लौटते समय, सर्प के डसने से, बिजली करंट, विद्युत लाइन के क्षतिग्रस्त होने तथा आकाशीय बिजली से दुर्घटना/मृत्यु होने पर प्रकरणों की जांच मण्डी सचिव सम्बन्धित गांव में जाकर स्वयं करेंगे। इसके अलावा भी यदि किसी प्रकरण में संशय हो तो उसकी भी जांच सम्बन्धित गांव में जाकर मण्डी सचिव स्वयं द्वारा की जाए। समिति के समक्ष प्रस्तुत मामले में स्थिति अस्पष्ट होने से प्रकरण निर्णित नहीं हो पाने पर समिति की इस बैठक के 15 दिवस में ऐसे प्रकरण को कृषि विपणन बोर्ड को मार्गदर्शन एवं निर्णयार्थ स्पष्ट बिन्दुओं को अंकित करते हुए आवश्यक रूप से भेजा जावेगा। गलत एवं फर्जी भुगतान की स्थिति में सचिव मण्डी समिति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। गलत भुगतान होना प्रमाणित होने पर सम्बन्धित सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ भुगतान की गई राशि की एक मुश्त वसूली भी उनसे व्यक्तिगत रूप से की जावेगी।

इस योजना के लागू होने से पूर्व के लम्बित प्रकरणों में भी सहायता राशि इस योजना के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।

भवदीय
ह०/-
उप शासन सचिव

परिशिष्ट-15

परिशिष्ट-अ

(अतारांकित प्रश्न संख्या-151 का विवरण)

LIST OF RHJS OFFICERS (DJ/ADJS) WHO ARE ON DEPUTATION

UPDATED ON : 28.02.2003

SARVA SHRI

1. SATYA PRAKASH PATHAK (S.S) (SIKAR)
REGISTRAR GENERAL, R.H.C.
JODHPUR (18.4.02)
2. SURESH CHANDRA SINGHAL (S.S) (BHARATPUR)
MEMBER, BOARD OF REVENUE-I, AJMER
(4.4.2001)
3. GURU CHARAN SINGH HORA (S.S) (KOTA)
SECRETARY TO THE GOVT.
LAW & LEGAL AFFAIRS DEPTT.
JAIPUR-(29.07.2002)
4. CHATRA RAM JAT (NAGAUR)
MEMBER SEC., RAJ STATE LEGAL SERVICES
AUTHORITY, JAIPUR (30.10.1999)
5. GAURI SHANKER SARRAF (JAIPUR)
MEMBER BOARD OF REVENUE
AJMER 04.10.2002 (GO)
6. SALIG RAM CHAUHAN (DELHI)
JUDL. MEMBER, I.T.A.T. JODHPUR
7. P. K. BHATIA (KOTA)
P.O., RAJ. STATE TRANSPORT APPELLATE
TRIBUNAL, JAIPUR-02.11.02
8. LAXMI DUTT SHARMA (AJMER)
JUDGE, LABOUR COURT CUM
IND. TRIBUNAL, UDAIPUR (07.06.02)
9. K. S. CHAUDHARY (AJMER)
MEMBER, RAJ. SALES. TAX BOARD, AJMER
(15.1.2001)
10. K. K. BHARGAVA (SIKAR)
P.O., JAIPUR DEVE. AUTH. APPL.
TRIB., JAIPUR-(08.08.2002)

11. BHANWAROO KHAN (NAGAUR)
SECRETARY,
LOKAYUKTA, SECRETRAITE,
JAIPUR (22.07.2002)
12. DEV CHAND MEENA (ST) (SAWAIMADHOPUR)
JUDGE, LABOUR COURT-CUM-IND.
TRIB. GANGANAGAR (3.3.2001)
13. MAHESH CHANDRA PUROHIT (JAIPUR)
JUDE, IND. TRIB & LABOUR COURT,
BHILWARA-(12.08.2002)
14. SATYANARAYAN P. DAVE (NAGAUR)
P.O., DEBT. RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR
(9.10.1999)
15. ASKARAN PRAJAPAT (CHURU)
REGISTRAR, STATE COMMISSION CONSUMER
PROTECTION RAJ., JAIPUR (31.07.2002)
16. BEHARI LAL GUPTA (BHARATPUR)
REGISTRAR (ADMN.), RHC.
BENCH, JAIPUR (6.5.2002)
17. DEO NARAIN THANVI (JODHPUR)
REGISTRAR GENERAL (VIGT.) R.H.C.
JODHPUR (15.4.2002)
18. S. K. BANSAL (FEROZPUR)
DIRECTOR (LAW), J.D.A.,
JAIPUR (9.8.2002)
19. SURESH CHANDRA GUPTA (BHARATPUR)
P.O. DEBT. RECOVERY TRIBUNAL
PATNA (28.6.2001)
20. GULAB CHAND SHARMA (ALWAR)
JUDGE. FAMILY COURT NO.1
JAIPUR-(30.07.2002)
21. A.R. PATWARDHAN (JODHPUR)
SPL. SECRETARY (LAW) & DIR (PROSECUTION)
HOME DEPTT., JAIPUR-(25.07.2002)
22. MAHESH SINGH (BIKANER)
SECY. RAJ. LEGISLATIVE ASSEMBLY,
JAIPUR-(01.08.2002)
23. HAZARI LAL DHANWAL (SC) (ALWAR)
P.O., RAJ. STATE CO-OPERATIVE
TRIB., JAIPUR-(2.6.2001)

24. ASHOK KUMAR TYAGI (KOTA)
JUDGE, FAMILY COURT-II
JAIPUR-(1.9.2001)

25. JAGDISH PRASAD SHARMA-III (ALWAR)
PRESIDING OFFICER, WAQF TRIB.
JAIPUR-(01.08.2002)

26. SMT. MEENA V. GOMBER (KOTA)
P.O. DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III
NEW DELHI (5.12.2001)

27. MURLIDHAR GOSWAMI (BIKANER)
PRESIDENT, CONSUMER DISPUTES
REDRESSAL FORUM NAGAUR-(02.11.02)

28. KISHORI LAL MATHUR (JODHPUR)
JUDGE, INDUST.-CUM-LABOUR
TRIBUNAL, BIKANER (26.7.1999)

29. BHUVNESH CHANDRA KULSHRESTHA (MATHURA UP)
MEMBER, RAJ CIVIL SERVICES APPELLATE
TRIB. JAIPUR (19.5.2001)

30. RAMAVTAR SHARMA (JAIPUR)
REGISTRAR (WRITS) RHCB,
JAIPUR (24.7.2000)

31. PRAHLAD NARAYAN KHANDELWAL (ALWAR)
P.O., RAJ. NON-GOVT. EDUCATION
INSTITUTION TRIBUNAL, JAIPUR
(15.06.2002)

32. NARENDRA KUMAR PUROHIT
(NAGAUR)
REG.-CUM-P.S. TO HON'BLE
C.J., H.Q. AT RHCB JAIPUR (21.07.1999)

33. GHEESALAL CHAUDHARY (TONK)
JT. L.R. (VRS), LAW DEPTT.
JAIPUR (16.8.2000)

34. DHARAM SINGH MEENA (BHARATPUR)
JUDGE. LABOUR COURT No.1
JAIPUR (19.2.2000)

35. NARENDRA KUMAR JAIN (TONK)
JUDGE., FAMILY COURT, KOTA
(12.09.2002) (OD)

36. PRASHANT KUMAR AGARWAL (JAIPUR)
JT.L.R. (DRAFTING), LAW DEPTT.
JAIPUR-(23.7.2002) (OD)

37. VIDHYA SAGAR TAK (AJMER)
JUDGE, LABOUR COURT CUM-INDU.
TRIB, JAIPUR (20.6.2001)
38. KAMAL RAJ M. SINGHVI (NAGAUR)
J.T. LEGAL REMEMBERANCE-II, LAW
& LEGAL DEPTT. JAIPUR-(09.08.2002) (OD)
39. SHASHI KUMAR PAREEK (NAGAUR)
JT. L.R. & DIRECTOR (LIT.),
LAW DEPTT., SECRETARIATE, JAIPUR
(1.10.2001)
40. KAILASH CHANDRA JOSHI (JAISALMER)
REGISTRAR (ADMN.), RHC,
JODHPUR (14.08.2002)
41. SAJJAN SINGH KOTHARI (AJMER)
JUDGE, MOTAR ACCIDENT
CLAIMS TRIBUNAL, KOTA (23.2.2002)
42. SMT. NISHA GUPTA (UDIPUR)
JUDGE, LABOUR COURT-CUM-IND. TRIB.
JODHPUR-(07.08.2002)
43. RAM KISHAN SONGARA (BIKANER)
Addl. SPL. JUDGE, C.B.I. CASES,
JAIPUR-(30.10.2002) (OD)
44. ATUL KUMAR JAIN (TONK)
JUDGE, LABOUR COURT, AJMER
(20.12.2002) (OD)
45. MS. CHANDRA KANTA GUPTA (BIKANER)
JUDGE., MOTOR ACCIDENT CLAIMS
TRIB., AJMER (23.5.2001)
46. D.P. GUPTA-II (SAWAIMADHOPUR)
JUDGE. M.A.C.T., ALWAR
(19.12.2002) (DD)
47. HANUMAN RAM KURI (NAGAUR)
SPL. SECRETARY, RAJ. LEGISLATIVE
ASSEMBLY, JAIPUR-(07.09.2002) (OD)
48. NARAIN DASS BILOCHI (JODHPUR)
JT. L.R.-I, LAW DEPARTMENT GOVT. SECR.
JAIPUR-(20.8.2001)
49. CHANDRA PRAKASH SINGH (ALWAR)
REGISTRAR (RULES), RHC,
JODHPUR-(14.08.2002)

50. RAMAVTAR KHANDELWAL (JAIPUR)
JUDGE, MACT., PALI
(29.8.2001)

51. SATYA DEO TAK (JODHPUR)
JT. L.R. CUM ADDL. DIRECTOR
LITIGATION, JAIPUR (21.8.2Kl)

52. BALDEO PURI GOSWAMI (NAGAUR)
JUDGE, M.A.C.T.,
CHITTORGARH (4.10.2001)

53. RADHEY MOHAN (BHARATPUR)
JUDGE, LABOUR COURT-II, JAIPUR
JAIPUR-(23.08.2002)

54. SURESH CHANDRA GUPTA-II (SAWAIMADHOPUR)
JUDGE, M.A.C.T. CASES COURT
JAIPUR (7.2.2002)

55. MANI SHANKAR VYAS (JODHPUR)
JUDGE, LABOUR-CUM-IND.
TRIBUNAL, KOTA (15.10.2001)

56. DR. PADAM KUMAR JAIN (HARIYANA STATE)
PRESIDENT, DISTT. CONSUMER DISPUTE
PEDRESSAL FORUM, DAUSA (7.2.2001)

57. LAXMI NARAIN SHARMA (BHARATPUR)
JUDGE, FAMILY COURT,
UDIPUR (06.05.2002)

58. T.H. SAMMA (PALI)
JUDGE, M.A.C.T. CASES COURT
SIROHI (10.05.2002)

59. R. K. MATHUR (JAIPUR)
JUDGE, FAMILY COURT,
AJMER (23.07.2002-GO)

60. MAHENDRA KUMAR MAHESHWARI
(CHITTORGARH+AJMER) (DR)
JUDGE, MACT, RAJSAMAND
(27.07.2002)

61. VISHNU KUMAR MATHUR (JAIPUR)
JUDGE, DESIGNATED COURT,
AJMER-(29.07.2002)

62. SUKHPAL BUNDEL (SC) (DAUSA) (DR)
JUDGE., MACT., BUNDI,
(02.08.2002)

63. MS. NEERJA (BIKANER) (DR)
JUDGE, M.A.C.T., BHILWARA
(12.09.2002) (OD)

64. BAHWARI LAL SHARMA (NAGAUR) (DR)
JUDGE, MACT, UDAIPUR
(12.09.2002) (OD)

65. MS. USHA AGARWAL (GARG) (AJMER)
JUDGE, FAMILY COURT,
JODHPUR-(12.09.2002) (OD)

66. RANJEET SINGH KANG (GANGANAGAR)
REGISTRAR (VIGILANCE), RHCB, JAIPUR
(02.01.2003)

67. PRAKASH GUPTA (JAIPUR)
JUDGE, LABOUR COURT CUM IND. TRIBUNAL,
BHARATPUR-(23.11.2002)

68. JANARDAN VYAS (JODHPUR)
LEGAL ADVISOR, RPSC, AJMER
(07.06.2002)

69. UMESH KUMAR SHARMA (NAGAUR)
DY. SECRETARY, LOKAYUKATA
SACHIVALAYA, JAIPUR
(26.7.2000)

70. G. S. NIMORIYA (SC) (ALWAR)
REGISTRAR-CUM-O.S.D.STATE
WOMEN'S COMMISSION, JAIPUR
(4.7.2001)

71. CHANDRIKA PD. SHARMA (SS) (SAWAIMADHOPUR)
DY. SECRETARY TO GOVT., LAW & LEGAL
AFFAIRS DEPTT., JAIPUR
(19.12.2002) (OD)

72. K. L. YADAV (SS) (JAIPUR)
DY. DECY., HOME (LAW) & Addl. DIRECTOR
(PROSECUTION) DEPTT. SECRETARITE,
JAIPUR-(21.12.2002)

73. MITHLESH KUMAR SHARMA (SS) (DHOLPUR)
REGISTRAR (CLASS), RHC,
JODHPUR-(14.08.2002)

74. A.K. CHATTERJEE (SS) (JAIPUR)
REGISTRAR (CLASS), RHCB, JAIPUR
(15.07.2002)

परिशिष्ट-ख

LIST OF RHJS OFFICERS (CJM/ACJMS) WHO ARE ON DEPUTAION

UPDATED ON : 28.02.2003

SARVA SHRI :

1. ARVIND KUMAR SHARMA (STS) (AJMER)
   ASSTT. GOVT. ADVOCATE, CENTRAL
   CIVIL AGENCY SECTION DEPTT. OF LEGAL
   AFFAIRS, GOVT. OF INDIA,
   MINISTRY OF LAW & JUSTICE,
   NEW DELHI-(30.5.1992)
2. PRASHANT YADAV (ALWAR)
   DY. REG., STATE COMM. CONSUMER
   PROTECTION, RAJ., JAIPUR (09.09.2002)
3. MS. SUBHA MEHTA (MAVLI-UDIPUR)
   SECRETARY/REGISTRAR,
   RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR (11.12.2002)
4. MAHAVEER PRASAD SHARMA-I (JAIPUR)
   RECOVERY OFFICER
   DRT, JAIPUR-(18.12.2001)
5. PRAMIL KUMAR MATHUR (JAIPUR)
   DY. REGISTRAR (JUDL.)
   RHCB, JAIPUR-(06.05.2002)
6. NAWAL KISHORE SHARMA (JHUNJHUNU)
   DY. SECY. RAJ. STATE LEGAL SERVICE
   AUTHORITY, JAIPUR-(25.07.2001)
7. AYUB KHAN (NAGOUR)
   LECTURER (LAW), RAJ. REVENUE RESEARCH
   & TRAINING INSTITUTE, AJMER-(19.06.2002).
8. MAHENDER KUMAR SHARMA (AJMER)
   DY. REGISTRAR (JUDL.)
   RHC. JODHPUR-(04.05.2002)
9. ALOK SUROLIYA (JAIPUR)
   ASSISTANT REGISTRAR, D.R.T.,
   JAIPUR-(06.01.2003) (OD)
10. RAJ KUMAR SHARMA (BIKANER)
    DY. SECY. RAJ. STATE LEGAL SERVICE
    AUTHORITY, JODHPUR-(01.11.2002)
11. GAJENDRA PAL MOGHA(NEW DEHLI)
    JUDGE., ATTORNEY (ASSTT. CAMMANDANT)
    IN I.T.B. POLICE, NEW DELHI-(31.07.2K)